खण्ड-430, अंक-1
मंगलवार, 25 फाल्गुन, शक संवत् 1920
(16 मार्च, 1999 ई0)

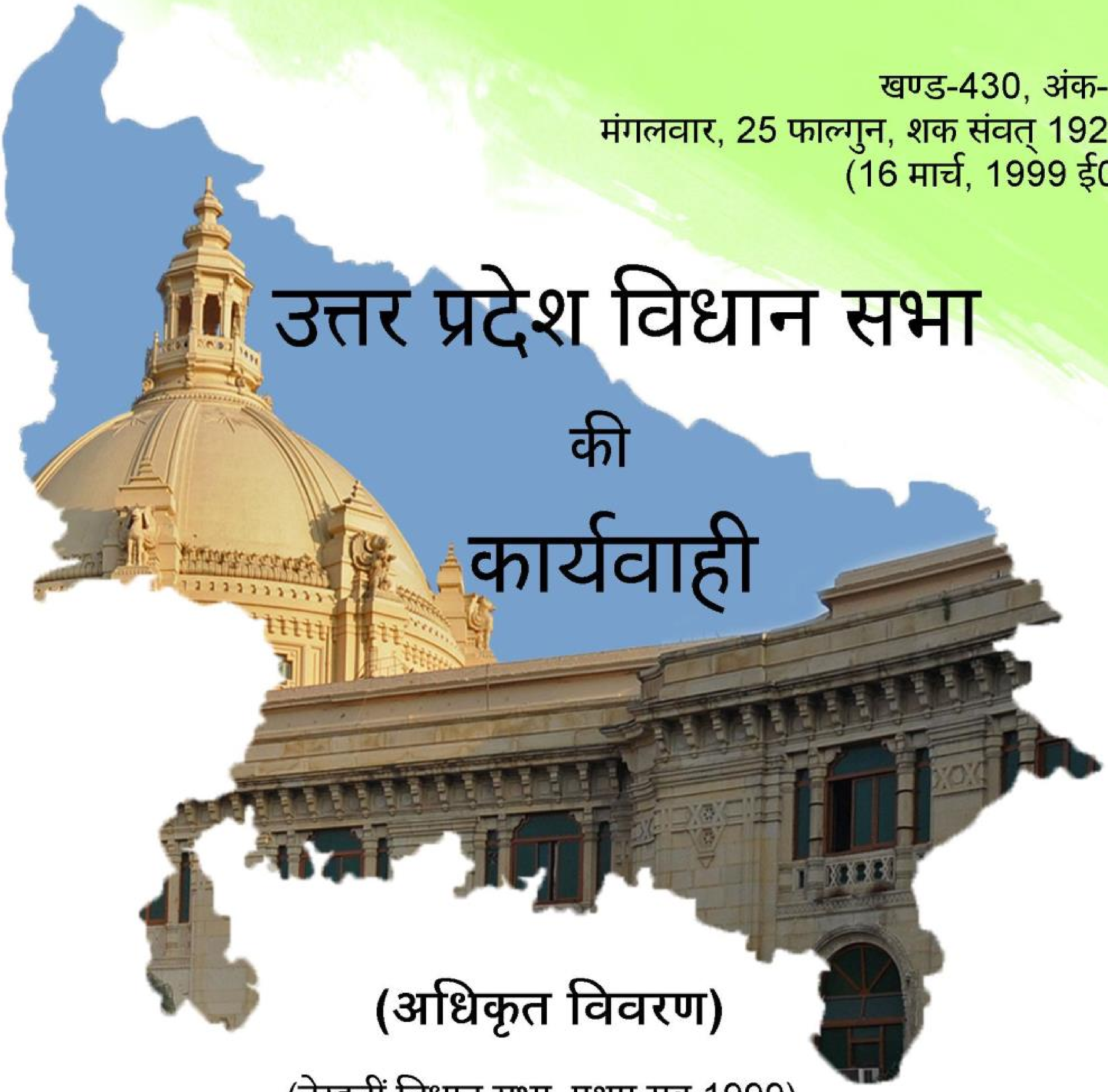

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

(तेरहवीं विधान सभा, प्रथम सत्र 1999)

खण्ड 430 में 9 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ, उत्तर प्रदेश (भारत)
1999

मूल्य : बिना महसूल रु0 16.75 पैसे, महसूल सहित रु0 21.00 पैसे |
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल रु0 586.25 पैसे, महसूल सहित रु0 724.25 पैसे |

विषय सूची

विषय	पृष्ठ-संख्या
तेरहवीं विधान सभा के सदस्यों की सूची, महामहिम राज्यपाल, मंत्रि-परिषद्, नेता विरोधी दल, उत्तर प्रदेश विधान सभा के पदाधिकारी तथा अधिष्ठाता मंडल की सूची	क–ट
उपस्थित सदस्यों की सूची	ड–ढ
नियम 311 के अन्तर्गत दी गई सूचनाओं को उठाने का प्रयास ...	1
प्रश्नोत्तर	1–91
प्रश्नों के संबंध में व्यवस्था का प्रश्न	91
नियम 301 के अन्तर्गत प्राप्त सूचनायें एवं मा० अध्यक्ष की व्यवस्था ...	91
मेरठ महानगर में पेयजल एवं जल निकासी की स्थिति में गुणात्मक एवं प्रभावी सुधार किये जाने के संबंध मे नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ...	92
आजमगढ़ शहर में पेयजल की सुचारु रूप से आपूर्ति न होने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	92
राजकीय मोहन होम्योपैथिक अस्पताल लखनऊ की ज्वलन्त समस्याओं के निदान करने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ...	92–93
जनपद मथुरा के थाना राया के अन्तर्गत चौदैरी निवासी बुद्धाराम आदि के विरुद्ध झूठे मुकदमें वापस किये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ...	93
जनपद बस्ती के ग्राम बेलहसा के पास सल्टौआ मानिक चन्द्र मार्ग पर पुलिया बनवाये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	94
जनपद सन्त रविदास नगर (भदोही) के सेमराधनाथ तथा रमईपुर में 33 के०वी०ए० का पावर हाउस का शीघ्र निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	94
औचित्य के प्रश्न की सूचनायें	94
लोक निर्माण विभाग की अनुदानों पर दी गई कटौती के प्रस्ताव को प्रस्तुत न कराये जाने के संबंध में औचित्य का प्रश्न	94–95
उपवेशन के दिन जिला स्तरीय समितियों की बैठक बुलाये जाने तथा ग्राम विकास विभाग की बैठकों में विधायकों के प्रतिनिधि को स्वीकार किये जाने के संबंध में उठाये गये औचित्य के प्रश्न	95–96
नियम 301 के अन्तर्गत दी गई सूचना का उत्तर प्राप्त न होने के संबंध में औचित्य का प्रश्न	96–97
डी०आर०ए० की बैठकों में विधायकों के प्रतिनिधि को अधिकृत किये जाने के संबंध में औचित्य का प्रश्न	98–99
विकास योजनाओं के भौतिक सत्यापन के लिये विधायकों को वाहन की व्यवस्था न कराये जाने के संबंध में औचित्य का प्रश्न	99–100

विषय	पृष्ठ संख्या

जनपद लखनऊ के ग्राम बरावन कला में राजकीय कन्या इण्टर कालेज स्थापित किये जाने के संबंध में श्री राजकुमार तिवारी आदि की हस्ताक्षरित याचिका (प्रस्तुत की गई) 100

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड (संशोधन) विधेयक, 1999 (पुरःस्थापित) 100–101

कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचनायें 101–121

प्रदेश में समूह 'ग' की परीक्षा में हुई कथित धांधली से उत्पन्न स्थिति विषयक नियम 311 के अन्तर्गत दी गई सूचना 121–133

कार्य-मंत्रणा समिति का कार्यक्रम निर्धारण का प्रस्ताव (स्वीकृत) ... 133–134

वित्तीय वर्ष 1999–2000 के आय-व्ययक की अनुदानो पर चर्चा एवं मतदान अनुदान संख्या 13–कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (ग्राम्य विकास) (स्वीकृत) ... 134–153

वित्तीय वर्ष 1999–2000 के आय-व्ययक की अनुदान की मांग पर चर्चा एवं मतदान अनुदान संख्या 14–कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पंचायती राज) (स्वीकृत).. 153–162

वित्तीय वर्ष 1999–2000 के आय-व्ययक की अनुदान की मांग पर चर्चा एवं मतदान अनुदान संख्या 10–कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (औद्यानिक विकास) (स्वीकृत) ... 163–168

वित्तीय वर्ष 1999–2000 के आय-व्ययक की अनुदान की मांग पर चर्चा एवं मतदान अनुदान संख्या 15–कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग पशुधन अनुदान संख्या–17 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (मत्स्य) (स्वीकृत) 168–178

वित्तीय वर्ष 1999–2000 के आय-व्ययक की अनुदान की मांग पर चर्चा एवं मतदान अनुदान संख्या 16–कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (दुग्धशाला विकास) (स्वीकृत) ... 178–186

वित्तीय वर्ष 1999–2000 के आय-व्ययक की अनुदान की मांग पर चर्चा एवं मतदान अनुदान संख्या 12–कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (भूमि विकास एवं जल संसाधन) (स्वीकृत) 186–188

जनपद बलिया में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के अन्तर्गत निर्मित इन्दिरा आवासों के आवंटन में कथित अनियमितता पर श्री राजधारी द्वारा दी गई सूचना पर निर्धारित चर्चा का स्थगन प्रदेश के विकास हेतु शासन की विकेन्द्रीकरण नीति के अन्तर्गत 10 विभागों को स्थानीय निकायों को स्थानान्तरित किये जाने से उत्पन्न स्थिति पर डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी आदि की सूचना पर, नियम 52 के अन्तर्गत निर्धारित चर्चा का स्थगन प्रदेश में खाद्य पदार्थों में मिलावट की रोकथाम हेतु तथा प्रदेश में ऋण जमा धनराशि का अनुपात, रिजर्व बैंक आफ इण्डिया के निदेशानुसार अनुपालन सुनिश्चित करने एवं राज्य सरकार द्वारा बैंकों पर प्रदेश क्रेडिट कंट्रोल हेतु कानून बनाये जाने के विषय में डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी आदि द्वारा दी गई सूचनाओं पर नियम 49 के अन्तर्गत निर्धारित चर्चा का स्थगन ... 188

नियम–51 के अन्तर्गत सूचनायें 189-190

विषय	पृष्ठ संख्या
प्रदेश में राशन की दुकानों से शहरी क्षेत्रों में मिट्टी के तेल की आपूर्ति बन्द किये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी, द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर वक्तव्य	190–191
जनपद सन्त रविदास नगर (भदोही) के दुर्गागंज, कुढवावारी मार्ग पर भदोही रजबहा पर बने सकरे पुल से आवागमन में हो रही असुविधा के संबंध में नियम 51 के अन्तर्गत श्री पूर्णमासी "पंकज" द्वारा दी गई सूचना पर वक्तव्य ...	192–193
आगरा महानगर की सीवर समस्या के समाधान के संबंध में डा० राम बाबू हरित, द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर वक्तव्य	193–194
छिबरामऊ गर्ल्स इण्टर कालेज, छिबरामऊ के प्रबन्धक तथा प्रधानाध्यापिका व आर०आई०जी०एस० कानपुर द्वारा सहायक अध्यापिका श्रीमती पद्मा चतुर्वेदी के देयों के भुगतान के संबंध में मा० उच्च न्यायालय के आदेशों का अनुपालन न किये जाने विषयक श्री अजय कुमार पोइया द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर वक्तव्य ...	194
नत्थियां	195–198

उत्तर प्रदेश विधान सभा

उत्तर प्रदेश विधान सभा

उत्तर प्रदेश विधान सभा

(तेरहवीं विधान सभा के सदस्यों की सूची)

1–अकबर हुसैन, श्री — मुरादाबाद
2–अक्षयवर लाल, श्री — बहराइच
3–अखिलेश कुमार सिंह, श्री — रायबरेली
4–अजय कुमार पोइया, श्री — मथुरा
5–अजय प्रताप सिंह उर्फ लल्ला भइया, श्री — गोण्डा
6–अजय भट्ट, श्री — अल्मोड़ा
7–अजय राय, श्री — वाराणसी
8–अजित कुमार मेहरोत्रा, श्री — सीतापुर
9–अतीक अहमद, श्री — इलाहाबाद
10–अतुल कुमार, श्री — मेरठ
11–अनिल कुमार, श्री — बलिया
12–अनीस खां, श्री — पीलीभीत
13–अफजाल अंसारी, श्री — गाजीपुर
14–अफजाल अहमद, श्री — जौनपुर
15–अफरोज अली खां, श्री — रामपुर
16–अब्दुल कलाम, श्री — बस्ती
17–अब्दुल कलाम, श्री — वाराणसी
18–अब्दुल खालिक, श्री — अलीगढ़
19–अब्दुल मन्नान, श्री — हरदोई
20–अमर मणि, श्री — महराजगंज
21–अमित अग्रवाल, श्री — मेरठ
22–अमीर आलम खान, श्री — मुजफ्फरनगर
23–अम्बरीष कुमार, श्री — हरिद्वार
24–अम्बिका चौधरी, श्री — बलिया
25–अम्मार रिजवी, डा० — सीतापुर
26–अयोध्या प्रसाद पाल, श्री — फतेहपुर
27–अरविन्द कुमार जैन, श्री — ललितपुर
28–अरविन्द गिरि, श्री — खीरी
29–अरिमर्दन सिंह, श्री — महोबा
30–अरुण प्रताप सिंह, श्री — सुल्तानपुर
31–अरुणवीर सिंह, श्री — बहराइच
32–अवधेश प्रसाद, श्री — फैजाबाद
33–अशफाक अहमद, श्री — बरेली
34–अशोक कुमार, श्री — जौनपुर
35–अशोक कुमार सिंह, श्री — रायबरेली
36–अशोक बाजपेयी, डा० — हरदोई
37–अशोक यादव, श्री — फिरोजाबाद
38–आचार्य रामदेव वैश्य, श्री — बाराबंकी
39–आनन्द प्रकाश, श्री — पडरौना
40–आर० के० चौधरी, श्री — लखनऊ
41–आर०के० सिंह पटेल, श्री — बांदा
42–आलमबदी, श्री — आजमगढ़
43–इकबाल महमूद, श्री — मुरादाबाद
44–इन्द्रजीत सरोज, श्री — इलाहाबाद
45–इन्द्रदेव, श्री — बिजनौर
46–इलम सिंह, श्री — सहारनपुर
47–उदय राज यादव, श्री — उन्नाव
48–उमाकान्त यादव, श्री — जौनपुर
49–उर्मिला देवी, श्रीमती — मैनपुरी
50–उबैदुर्रहमान, श्री — गोण्डा
51–ओइमूवेश, स्वामी — बिजनौर
52–ओंकार सिंह, श्री — एटा
53–ओमकार सिंह, श्री — बदायूं
54–ओम प्रकाश, श्री — एटा
55–ओम प्रकाश गुप्त, श्री — सीतापुर
56–ओम प्रकाश सिंह, श्री — मिर्जापुर
57–कमला प्रसाद रावत, श्री — बाराबंकी
58–कमलेश कुमार सिंह, श्री — बलरामपुर
59–कल्याण सिंह, श्री — अलीगढ़
60–कंवर पाल सिंह मास्टर, श्री — सहारनपुर
61–काजिम अली खां, उर्फ नवेद मियां, श्री — रामपुर
62–काजी मोहम्मद मुहिउद्दीन, श्री — हरिद्वार
63–काशिम हसन, श्री — फतेहपुर
64–काशीनाथ, श्री — सुल्तानपुर
65–किशन लाल बघेल, सेठ — आगरा
66–कृपा शंकर सिंह, श्री — उन्नाव

67–कृष्ण चन्द्र पुनेठा, श्री पिथौरागढ़
68–कृष्णपाल सिंह, श्री कानपुर देहात
69–कृष्णा राज, श्रीमती खीरी
70–केदार सिंह फोनिया, श्री चमोली
71–केशरी नाथ त्रिपाठी, श्री इलाहाबाद
72–केशो मेहरा, श्री आगरा
73–के० सी० सिंह "बाबा", श्री उधमसिंह नगर
74–कैलाश, श्री गाजीपुर
75–कैलाश सिंह राजपूत, श्री फर्रुखाबाद
76–कौकब हमीद, श्री मेरठ
77–कोविद कुमार, श्री शाहजहांपुर
78–कौशल किशोर, डा० खीरी
79–गंगा प्रसाद पुष्कर, श्री आगरा
80–गंगा बख्श सिंह, श्री उन्नाव
81–गंगा सिंह चौहान, श्री हरदोई
82–गजेन्द्र कुमार मुन्ना, श्री मेरठ
83–गणेश राजभर श्री गाजीपुर
84–गुलाब देवी, श्रीमती मुरादाबाद
85–गोपाल कृष्ण, श्री पीलीभीत
86–गोमती यादव, श्री लखनऊ
87–गोरखनाथ पाण्डेय, श्री भदोही
88–गौरी देवी, श्रीमती गोरखपुर
89–गौरी शंकर (एडवोकेट), श्री लखनऊ
90–चन्द्र किशोर, श्री महराजगंज
91–चन्द्र नाथ सिंह, श्री प्रतापगढ़
92–चन्द्र पाल सिंह यादव, श्री झांसी
93–चन्द्रमणि कान्त सिंह, श्री बहराइच
94–चन्द्रेश पासवान, श्री गोरखपुर
95–चेतराम, श्री शाहजहांपुर
96–चौधरी बाबू लाल, श्री आगरा
97–छब्बू पटेल, श्री वाराणसी
98–छोटे लाल वर्मा, डा० महोबा
99–छोटे लाल, श्री हरदोई
100–छोटे लाल गंगवार, मास्टर बरेली
101–छोटे लाल राजभर, श्री बलिया
102–छोटे सिंह यादव, श्री फर्रुखाबाद
103–जगपाल, श्री सहारनपुर
104–जगत पाल सिंह, मेजर मुरादाबाद
105–जगदम्बिका पाल, श्री बस्ती
106–जगदीश नारायण राय, श्री जौनपुर
107–जगदीश सिंह राणा, श्री सहारनपुर
108–जगन प्रसाद गर्ग, श्री आगरा
109–जटा शंकर, श्री बहराइच
110–जमालुद्दीन सिद्दीकी, श्री फर्रुखाबाद
111–जय नारायन तिवारी, श्री सुल्तानपुर
112–जयपाल सिंह, श्री मेरठ
113–जय प्रकाश, श्री गाजियाबाद
114–जय प्रकाश निषाद, श्री देवरिया
115–जय प्रताप सिंह, श्री सिद्धार्थनगर
116–जयवीर सिंह भदौरिया, श्री इटावा
117–जितेन्द्र कुमार जायसवाल उर्फ पप्पू भइया, श्री गोरखपुर
118–जोखू लाल यादव, श्री इलाहाबाद
119–ज्ञान चन्द, श्री उत्तरकाशी
120–ज्ञानवती, सिंह डा० अलीगढ़
121–ज्ञानेन्द्र सिंह, श्री महराजगंज
122–ज्वाला प्रसाद यादव, श्री जौनपुर
123–तारकेश्वर प्रसाद शुक्ल, श्री गोरखपुर
124–तिलकराज बेहड़, श्री उधमसिंह नगर
125–तेजभान सिंह, श्री सुल्तानपुर
126–तोताराम, श्री मुरादाबाद
127–तौफीक अहमद, श्री सिद्धार्थनगर
128–दद्दू प्रसाद, श्री बांदा
129–दयाशंकर, श्री जालौन
130–दल बहादुर कोरी, श्री रायबरेली
131–दलवीर सिंह, श्री अलीगढ़
132–दिलीप कुमार, श्री बहराइच
133–दिवाकर विक्रम सिंह, श्री सिद्धार्थनगर
134–दीपक कुमार, श्री उन्नाव
135–दीप लाल भारती, श्री पडरौना
136–दुर्गा प्रसाद यादव, श्री आजमगढ़
137–देवेन्द्र सिंह उर्फ भोले सिंह, श्री कानपुर देहात
138–देवेन्द्र सिंह यादव, कुंवर एटा
139–धनराज यादव, श्री सिद्धार्थनगर
140–धनीराम वर्मा, श्री इटावा

141–धर्मज्ञ मिश्र,डा० हरदोई
142–धर्मपाल सिंह, श्री बरेली
143–धर्मराज निषाद, श्री अम्बेडकर नगर
144–नन्दराम, श्री बरेली
145–नरेन्द्र कुमार सिंह गौर, डा० इलाहाबाद
146–नरेन्द्र सिंह, श्री आजमगढ़
147–नरेन्द्र सिंह चौधरी, श्री कानपुर देहात
148–नरेन्द्र सिंह भाटी, श्री बुलन्दशहर
149–नरेन्द्र सिंह यादव, श्री फर्रुखाबाद
150–नरेन्द्र सिंह शिशौदिया, श्री गाजियाबाद
151–नरेश चन्द्र अग्रवाल, श्री हरदोई
152–नवाब सिंह नागर, श्री गाजियाबाद
153–नारायण राम दास, श्री अल्मोड़ा
154–निर्भय पाल शर्मा, श्री सहारनपुर
155–नीरज चतुर्वेदी, श्री कानपुर नगर
156–नेतराम सिंह, श्री एटा
157–''पटेल'' रामकुमार वर्मा, श्री खीरी
158–परमानन्द दण्डी, स्वामी रामपुर
159–परवेज हलीम खां, श्री मेरठ
160–पीटर फैन्थम नाम-निर्देशित सदस्य
161–पीतम राम, श्री पीलीभीत
162–पूरन सिंह बुन्देला, श्री ललितपुर
163–पूर्णमासी पंकज, श्री भदोही
164–प्रदीप कुमार, श्री मुजफ्फरनगर
165–प्रभा द्विवेदी, श्रीमती फर्रुखाबाद
166–प्रभु नारायण सिंह यादव, श्री वाराणसी
167–प्रमोद कुमार, श्री प्रतापगढ़
168–प्रेमपाल सिंह यादव, श्री बदायूं
169–प्रेम प्रकाश सिंह, श्री देवरिया
170–प्रेमलता कटियार, श्रीमती कानपुर नगर
171–प्रेम स्वरूप पाठक, श्री बदायूं
172–फतेह बहादुर, श्री महराजगंज
173–फरीद महफूद किदवई, श्री बाराबंकी
174–फागू, श्री मऊ
175–बंश नारायण सिंह, श्री भदोही
176–बंशीधर भगत, श्री नैनीताल
177–बचनूराम पटेल, श्री वाराणसी
178–बच्चा पाठक, श्री बलिया
179–बनवारी लाल दोहरे, श्री फर्रुखाबाद
180–बनारसी दास चान्दना, श्री मेरठ
181–बांके लाल सोनकर, श्री जौनपुर
182–बादशाह सिंह, श्री हमीरपुर
183–बाबू खां, श्री हरदोई
184–बाबूराम, श्री जालौन
185–बाबूराम यादव, श्री मैनपुरी
186–बाबू लाल कुरील, श्री उन्नाव
187–बाबू लाल कुशवाहा, श्री बांदा
188–बाल चन्द्र मिश्र, श्री कानपुर नगर
189–बालेश्वर त्यागी, श्री गाजियाबाद
190–बावन सिंह, श्री गोण्डा
191–बिजेन्द्र आर्य, श्री मुजफ्फरनगर
192–बिन्दु लाल, श्री गोण्डा
193–बिहारी लाल आर्य, श्री झांसी
194–बी०आर०वर्मा, श्री जौनपुर
195–बुनियाद हुसैन अंसारी, श्री सीतापुर
196–बेचन राम, श्री गोरखपुर
197–ब्रजेन्द्र पाल सिंह, श्री मुरादाबाद
198–भगवती प्रसाद, श्री कानपुर देहात
199–भगवान सिंह शाक्य, श्री बदायूं
200–भरत सिंह, श्री बलिया
201–भाई लाल, श्री मिर्जापुर
202–भारत सिंह रावत, श्री गढ़वाल
203–भीम प्रसाद सोनकर, श्री अम्बेडकरनगर
204–भोनू, श्री गाजीपुर
205–भोला शंकर मौर्य, श्री बदायूं
206–मंगल सिंह सैनी, श्री मुरादाबाद
207–मंजू, श्रीमती बलिया
208–मंडलेश्वर सिंह, श्री आगरा
209–मतेश चन्द्र सोनकर, श्री इलाहाबाद
210–मथुरा प्रसाद, श्री कानपुर देहात
211–मलखान सिंह, श्री अलीगढ़
212–मस्तराम, श्री उन्नाव
213–महाराज सिंह यादव, श्री इटावा
214–महेन्द्र अरिदमन सिंह, राजा आगरा
215–महेन्द्र कुमार, श्री बुलन्दशहर
216–महेन्द्र कुमार, श्री सीतापुर

217–महेन्द्र नाथ पाण्डेय, डा० वाराणसी
218–महेन्द्र प्रसाद निषाद, श्री बांदा
219–महेन्द्र सिंह यादव, श्री बुलन्दशहर
220–मातवर सिंह कण्डारी, श्री टिहरी गढ़वाल
221–मानिक चन्द यादव, श्री मैनपुरी
222–माया प्रसाद, श्रीमती खीरी
223–मारकण्डेय चन्द, श्री गोरखपुर
224–मिथिलेश कुमारी, श्रीमती एटा
225–मुख्तार अंसारी, श्री मऊ
226–मुन्ना चौहान, श्री देहरादून
227–मुन्ना लाल मौर्य, श्री फतेहपुर
228–मुरलीधर, श्री फतेहपुर
229–मुराद लारी, श्री देवरिया
230–मुस्ताक सोलंकी, श्री कानपुर नगर
231–मुस्लिम, डा० रायबरेली
232–मुहर सिंह अम्बाडी, श्री इटावा
233–मूल चन्द, श्री बिजनौर
234–मोती लाल, श्री खीरी
235–मोहन सिंह रावत गांववासी, श्री गढ़वाल
236–मोहम्मद मुकीम, श्री सिद्धार्थनगर
237–यशपाल सिंह चौहान, श्री अलीगढ़
238–यशवन्त, श्री आजमगढ़
239–योगेन्द्र कुमार, श्री बदायूं
240–योगेन्द्र सिंह, श्री देवरिया
241–रंगनाथ मिश्र, श्री भदोही
242–रंगबहादुर पटेल, श्री इलाहाबाद
243–रघुनाथ सिंह चौहान, श्री अल्मोड़ा
244–रघुराज प्रताप सिंह "राजा भइया", कुंवर प्रतापगढ़
245–रघुवर दयाल वर्मा, श्री फिरोजाबाद
246–रणधीर सिंह, श्री मुजफ्फरनगर
247–रतनजीत प्रताप नारायण सिंह, कुंवर पडरौना
248–रमापति शास्त्री, श्री गोण्डा
249–रमेश पोखरियाल "निशंक", डा० गढ़वाल
250–रमेश राही, श्री सीतापुर
251–रवीन्द्र पुण्डीर, प्रो० मेरठ
252–रवीन्द्र प्रताप चौधरी, श्री सिद्धार्थनगर
253–रवीन्द्र शुक्ला, श्री झांसी
254–राकेश त्यागी, श्री बुलन्दशहर
255–राकेश धर त्रिपाठी, श्री इलाहाबाद
256–राकेश सोनकर, श्री कानपुर नगर
257–राजधारी, श्री बलिया
258–राजपाल त्यागी, श्री गाजियाबाद
259–राजपाल सिंह, श्री मुजफ्फरनगर
260–राजराय सिंह, श्रीमती पीलीभीत
261–राजा गज़नफर अली खां, श्री बिजनौर
262–राजाराम पाण्डेय, श्री प्रतापगढ़
263–राजाराम पाल, श्री कानपुर देहात
264–राजीव कुमार सिंह, श्री बाराबंकी
265–राजेन्द्र, श्री गाजीपुर
266–राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह, श्री प्रतापगढ़
267–राजेन्द्र सिंह, श्री देहरादून
268–राजेन्द्र सिंह पटेल, श्री फतेहपुर
269–राजेश अग्रवाल, श्री बरेली
270–राजेश कुमार सिंह, श्री मुरादाबाद
271–राधेश्याम, श्री कानपुर देहात
272–राधेश्याम गुप्त, श्री फतेहपुर
273–राधेश्याम जायसवाल, श्री सीतापुर
274–राधेश्याम सिंह, श्री पडरौना
275–राम अचल राजभर, श्री अम्बेडकर नगर
276–राम अवतार मिश्रा, श्री शाहजहांपुर
277–राम आसरे पासवान, श्री बस्ती
278–राम आसरे सिंह कुशवाहा, डा० कानपुर नगर
279–राम औतार शाक्य, श्री मैनपुरी
280–राम कृपाल, श्री इलाहाबाद
281–राम खिलाड़ी, श्री बदायूं
282–राम चन्द्र मौर्य, श्री मिर्जापुर
283–राम चन्द्र यादव, श्री फैजाबाद
284–राम जग, श्री आजमगढ़
285–राम तेज यादव, एडवोकेट बहराइच
286–राम नक्षत्र, श्री पडरौना
287–राम नरेश रावत, श्री गाजियाबाद
288–राम नरेश यादव, श्री आजमगढ़
289–राम नाथ, श्री प्रतापगढ़

290–रामपाल राजवंशी, श्री सीतापुर
291–रामपाल वर्मा, श्री हरदोई
292–राम पाल सिंह, श्री गोण्डा
293–राम प्यारे सिंह, श्री आजमगढ़
294–राम प्रताप सिंह, श्री गोण्डा
295–राम प्रसाद चौधरी, श्री बस्ती
296–राम बाबू हरित, श्री आगरा
297–राम रतन यादव, श्री सुल्तानपुर
298–राम लखन, श्री सुल्तानपुर
299–राम ललित चौधरी, श्री बस्ती
300–राम विशुन आजाद, श्री गोण्डा
301–रामवीर उपाध्याय, श्री अलीगढ़
302–रामवीर सिंह, श्री फिरोजाबाद
303–राम शंकर पाल, श्री उन्नाव
304–राम सखी, श्रीमती अलीगढ़
305–राम सिंह, डा० अलीगढ़
306–राम सिंह, श्री बुलन्दशहर
307–राम सिंह सैनी, श्री हरिद्वार
308–राम सेवक सिंह, श्री इलाहाबाद
309–राम सेवक सिंह, श्री बदायूं
310–राम स्वरूप शर्मा, श्री मथुरा
311–राम स्वरूप सिंह, श्री बिजनौर
312–राम हर्ष सिंह, श्री सुल्तानपुर
313–रामाधार सिंह, श्री हमीरपुर
314–रामेश्वर दयाल बाल्मीकि, श्री मैनपुरी
315–रामेश्वर सिंह यादव, श्री एटा
316–रिफाकत हुसैन चौधरी, श्री मुरादाबाद
317–रूप चौधरी, श्री मेरठ
318–रेवती रमण सिंह उर्फ "मणि", कुंवर इलाहाबाद
319–लक्ष्मीकान्त बाजपेयी, डा० मेरठ
320–लक्ष्मी नारायण चौधरी, श्री मथुरा
321–लल्लू सिंह, श्री फैजाबाद
322–लवकुश कुमार, श्री बिजनौर
323–लाखीराम जोशी, श्री टिहरी गढ़वाल
324–लालजी टण्डन, श्री लखनऊ
325–लालजी वर्मा, श्री अम्बेडकरनगर
326–लालमणि प्रसाद, श्री बस्ती
327–लाल सिंह वर्मा, श्री इटावा
328–लोकपति त्रिपाठी, श्री मिर्जापुर
329–वकार अहमद शाह, डा० बहराइच
330–वसीम अहमद, श्री आजमगढ़
331–वहोरन लाल मौर्य. श्री बरेली
332–विक्रमाजीत मौर्य, श्री इलाहाबाद
333–विजमा यादव, श्रीमती इलाहाबाद
334–विजय कुमार, श्री गाजीपुर
335–विजय पाल सिंह, श्री आगरा
336–विजय प्रकाश, श्री इलाहाबाद
337–विजय सिंह, श्री सोनभद्र
338–विद्या सागर गुप्ता, श्री लखनऊ
339–विनय कुमार पाण्डेय "बिन्नू", श्री गोण्डा
340–विनोद कुमार सिंह उर्फ पंडित सिंह, श्री गोण्डा
341–विनोद मणि, श्री महराजगंज
342–विभूति प्रसाद निषाद, श्री आजमगढ़
343–विरेन्द्र सिंह, श्री मुजफ्फरनगर
344–विरेन्द्र सिंह, श्री वाराणसी
345–विरेन्द्र सिंह सिरोही, श्री बुलन्दशहर
346–विवेक कुमार सिंह, श्री बांदा
347–विशन सिंह चुफाल, श्री पिथौरागढ़
348–विशम्भर सिंह, श्री मथुरा
349–विश्वनाथ, श्री पडरौना
350–वीरेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मुन्ना, श्री शाहजहांपुर
351–वीरेन्द्र सिंह सोलंकी, श्री एटा
352–वेद प्रकाश, श्री बस्ती
353–वेद प्रकाश सिंह, एम०एस०, डा० बिजनौर
354–शब्बीर अहमद, श्री बहराइच
355–शरदवीर सिंह, श्री शाहजहांपुर
356–शिव गणेश लोधी, एडवोकेट रायबरेली
357–शिव चरन प्रजापति, श्री हमीरपुर
358–शिव पाल सिंह यादव, श्री इटावा
359–शिव पूजन राम, श्री वाराणसी
360–शिव प्रताप शुक्ल, श्री गोरखपुर
361–शिव बहादुर सक्सेना, श्री रामपुर
362–शिव शंकर, श्री बांदा

363–शिव सिंह चक, श्री — फिरोजाबाद
364–शिवाकान्त, श्री — प्रतापगढ़
365–शिवेन्द्र सिंह उर्फ शिव बाबू, श्री — महराजगंज
366–शिशुपाल सिंह यादव, श्री — एटा
367–शेर बहादुर, श्री — अम्बेडकरनगर
368–श्याम किशोर यादव, श्री — लखनऊ
369–श्याम देव राय चौधरी (दादा), श्री — वाराणसी
370–श्याम प्रकाश, श्री — हरदोई
371–श्याम लाल रावत, श्री — सीतापुर
372–श्याम सुन्दर, श्री — रायबरेली
373–श्याम सुन्दर शर्मा, श्री — मथुरा
374–श्रीनिवास मणि, श्री — देवरिया
375–श्रीराम पाल, श्री — जालौन
376–श्रीराम, श्री — मऊ
377–श्रीराम यादव, श्री — जौनपुर
378–संग्राम सिंह, श्री — बाराबंकी
379–संजय गर्ग, श्री — सहारनपुर
380–संजय सिंह, श्री — मुजफ्फरनगर
381–संदीप अग्रवाल, श्री — मुरादाबाद
382–सतीश जतारिया, श्री — झांसी
383–सतीश महाना, श्री — कानपुर नगर
384–सतीश शर्मा, श्री — बुलन्दशहर
385–सत्य प्रकाश सोनकर, श्री — वाराणसी
386–सन्त, श्री — गोरखपुर
387–सन्त राम सिंह, श्री — जालौन
388–समरपाल सिंह, श्री — मेरठ
389–सरजीत सिंह डंग, डा० — मिर्जापुर
390–सरदार सिंह, श्री — मथुरा
391–सरवर अली खां, श्री — बाराबंकी
392–सरस्वती प्रताप सिंह, श्री — खीरी
393–सर्वेश कुमार उर्फ राकेश कुमार, कुंवर, — मुरादाबाद
394–सिंहासन सिंह, श्री — गाजीपुर
395–सीताराम निषाद, श्री — फैजाबाद
396–सीमा द्विवेदी, श्रीमती — जौनपुर
397–सुखदेवी वर्मा, श्रीमती — इटावा
398–सुखपाल पाण्डेय, श्री — बस्ती
399–सुखवीर सिंह पुण्डीर, श्री — सहारनपुर
400–सुधाकर सिंह, श्री — मऊ
401–सुबाष चन्द्र श्रीवास्तव, श्री — देवरिया
402–सुमन लता सिंह, श्रीमती — बरेली
403–सुरेन्द्र नाथ अवस्थी, श्री — बाराबंकी
404–सुरेन्द्र प्रताप सिंह, श्री — बरेली
405–सुरेश कुमार खन्ना, श्री — शाहजहांपुर
406–सुरेश कुमार श्रीवास्तव, श्री — लखनऊ
407–सुरेश चन्द्र आर्य, श्री — उधमसिंह नगर
408–सुरेश चन्द्र तिवारी, श्री — लखनऊ
409–सुशील शाक्य, श्री — फर्रुखाबाद
410–सुशीला अग्रवाल, श्रीमती — मुजफ्फरनगर
411–सूर्य प्रताप शाही, श्री — देवरिया
412–सूर्य भान सिंह, श्री — सुल्तानपुर
413–सौलत अली, एडवोकेट — मुरादाबाद
414–स्वामी प्रसाद मौर्य, श्री — रायबरेली
415–हरदेव सिंह, श्री — बाराबंकी
416–हरपाल सिंह, श्री — बुलन्दशहर
417–हरवंश कपूर, श्री — देहरादून
418–हरिनारायण, श्री — बलिया
419–हरि प्रसाद उर्फ घमड़ी, श्री — सोनभद्र
420–हरि शंकर तिवारी, श्री — गोरखपुर
421–हरि शंकर माहौर, श्री — अलीगढ़
422–हरीश चन्द्र गंगवार, श्री — बरेली
423–हरीश चन्द्र "हरीश जी", श्री — वाराणसी
424–हीरालाल गौतम, श्री — आजमगढ़
425–हुकुम सिंह, श्री — मुजफ्फरनगर
426–होराम सिंह, श्री — बुलन्दशहर

महामहिम राज्यपाल

श्री सूरजभान

मंत्रि-परिषद्

क्र०सं०	नाम	कार्य विभाग (पोर्टफोलियो)
1	श्री कल्याण सिंह (मुख्य मंत्री)	सामान्य प्रशासन, गृह, गोपन, नियुक्ति, कार्मिक, सूचना, निर्वाचन, वित्त, न्याय, विधायी, राज्य सम्पत्ति, नागरिक उड्डयन, औद्योगिक विकास एवं प्रोटोकाल ।
2	श्री कलराज मिश्र	लोक निर्माण, पर्यटन
3	श्री लालजी टण्डन	आवास, नगर विकास
4	श्री ओम प्रकाश सिंह	सिंचाई, गन्ना विकास
5	श्री हरिश्चन्द्र श्रीवास्तव ''हरीश जी''	समाज कल्याण, अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति कल्याण, पिछड़ा वर्ग कल्याण ।
6	श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल	ऊर्जा
7	श्री दिवाकर विक्रम सिंह	कृषि
8	डा० नरेन्द्र कुमार सिंह गौर	उच्च शिक्षा, प्राविधिक शिक्षा ।
9	चौधरी श्री नरेन्द्र सिंह	ग्राम्य विकास
10	श्री रमापति शास्त्री	स्वास्थ्य एवं चिकित्सा
11	श्री मारकण्डेय चन्द	लघु सिंचाई, ग्रामीण अभियंत्रण ।
12	श्री रघुवर दयाल वर्मा	वन
13	डा० नैपाल सिंह	माध्यमिक शिक्षा, भाषा ।
14	श्री सूर्य प्रताप शाही	आबकारी
15	श्री ''पटेल'' राम कुमार वर्मा	सहकारिता
16	श्रीमती प्रेमलता कटियार	महिला कल्याण, बाल विकास एवं [illegible] ।
17	श्रीमती प्रभा द्विवेदी	श्रम
18	श्री सरदार सिंह	वस्त्र उद्यो

उत्तर प्रदेश विधान सभा

राज्य मंत्री

क्र०सं०	नाम	विभाग या विषय
1	श्री फतेह बहादुर सिंह	औद्योगिक विकास
2	श्री सुखपाल पाण्डेय	परिवहन
3	श्री बहोरन लाल मौर्य	संस्थागत वित्त
4	श्री रंगनाथ मिश्र	परिवार कल्याण, मातृ एवं शिशु कल्याण
5	श्री राम प्रसाद कमल	लोक निर्माण
6	श्री दलवीर सिंह	पर्यटन
7	श्री सुरेश खन्ना	आवास
8	श्री सतीश महाना	नगर विकास
9	श्री धनराज यादव	सिंचाई
10	श्री मंगल सिंह सैनी	गन्ना विकास एवं चीनी मिलें
11	श्री दल बहादुर कोरी	समाज कल्याण
12	श्री राम आसरे कुशवाहा	अनुसूचित जाति/जनजाति कल्याण
13	श्री लल्लू सिंह चौहान	ऊर्जा
14	श्री वीरेन्द्र सिंह	ऊर्जा
15	श्री भगवान सिंह शाक्य	कृषि
16	श्री संग्राम सिंह	कृषि
17	श्री राकेश धर त्रिपाठी	उच्च शिक्षा
18	श्री यशवन्त सिंह	प्राविधिक शिक्षा
19	श्री शिवेन्द्र सिंह	ग्राम्य विकास
20	श्री बंश नारायण सिंह पटेल	ग्राम्य विकास
21	डा० अरविन्द कुमार जैन	चिकित्सा एवं स्वास्थ्य
22	श्री राम आसरे पासवान	लघु सिंचाई
23	श्री राजेन्द्र सिंह पटेल	ग्रामीण अभियंत्रण
24	श्री गंगा बख्श सिंह	वन
25	श्री चन्द्र किशोर	माध्यमिक शिक्षा
26	श्री विक्रमाजीत मौर्य	आबकारी
27	श्री रामचन्द्र बाल्मीकि	सहकारिता
28	श्रीमती गुलाब देवी	महिला कल्याण

उत्तर प्रदेश विधान सभा

क्र०सं०	नाम	कार्य विभाग (पोर्टफोलियो)
19	श्री राधेश्याम गुप्ता	पशुधन
20	श्री बाबू राम, एम० काम०	लघु उद्योग, निर्यात प्रोत्साहन ।
21	श्री हुकुम सिंह	संसदीय कार्य, पंजीयन, मनोरंजन कर, स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क तथा खाद्य एवं रसद ।
22	श्री शिव प्रताप शुक्ल	कारागार
23	श्री बच्चा पाठक	पर्यावरण, अतिरिक्त ऊर्जा ।
24	श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही	राजस्व
25	श्री हरिशंकर तिवारी	विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी
26	श्री मण्डलेश्वर सिंह	क्षेत्रीय विकास एवं परती भूमि विकास ।
27	श्री राजा महेन्द्र अरिदमन सिंह	राष्ट्रीय एकीकरण एवं इलेक्ट्रानिक्स ।
28	डा० रमेश पोखरियाल "निशंक"	उत्तरांचल विकास
29	चौधरी लक्ष्मीनारायण	उद्यान
30	श्री श्याम सुन्दर शर्मा	खेलकूद, युवा कल्याण, प्रान्तीय विकास दल ।
31	श्री शिवाकान्त ओझा	चिकित्सा शिक्षा
32	श्री सरस्वती प्रताप सिंह	होमगार्ड्स, राजनैतिक पेंशन एवं नागरिक सुरक्षा ।
33	श्री फागू चौहान	संस्कृति एवं पूर्त धर्मस्व
34	श्री राजाराम पाण्डेय	खादी एवं ग्रामीण उद्योग
35	श्री रघुराज प्रताप सिंह "राजा भइया", कुंवर	कार्यक्रम कार्यान्वयन
36	श्री जय नरायन तिवारी	सार्वजनिक उद्यम

राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

क्र०सं०	नाम	कार्य विभाग (पोर्टफोलियो)
1	श्री बालेश्वर त्यागी	बेसिक शिक्षा
2	श्री महेन्द्र नाथ पाण्डेय	नियोजन
3	श्री धर्मपाल सिंह	पंचायती राज
4	श्री जयपाल सिंह	बाढ़ नियंत्रण
5	श्री अशोक यादव	अभाव तथा सहायता एवं पुनर्वास ।
6	श्री राधेश्याम कोरी	अम्बेडकर ग्राम विकास एवं सेवायोजन ।
7	श्री राजा गजनफर अली	अल्पसंख्यक कल्याण, मुस्लिम वक्फ एवं हज ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

क्र०सं०	नाम	विभाग या विषय
29	श्री वेद प्रकाश	श्रम
30	श्री प्रेम प्रकाश सिंह	वस्त्रोद्योग
31	श्री बिहारी लाल आर्य	लघु उद्योग
32	श्री राकेश त्यागी	पंजीयन
33	श्री हरि नारायण राजभर	कारागार
34	श्री विवेक कुमार सिंह	पर्यावरण
35	श्री रामपाल राजवंशी	अतिरिक्त ऊर्जा
36	श्री शिव शंकर सिंह	राजस्व
37	श्री सतीश शर्मा	विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी
38	श्री श्रीराम सोनकर	राष्ट्रीय एकीकरण
39	श्री मातवर सिंह कण्डारी	उत्तरांचल विकास
40	श्री बंशीधर भगत	उत्तरांचल विकास
41	श्री नारायण रामदास	उत्तरांचल विकास
42	श्री अमर मणि त्रिपाठी	युवा कल्याण
43	श्री विनय पाण्डेय	होमगार्ड्स
44	श्री जितेन्द्र कुमार जायसवाल	संस्कृति
45	श्री रामलखन पासी	खादी एवं ग्रामीण उद्योग
46	श्री मुन्ना लाल मौर्य	उद्यान

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नेता विरोधी दल

श्री धनीराम वर्मा

उत्तर प्रदेश विधान सभा के पदाधिकारी

अध्यक्ष

श्री केशरी नाथ त्रिपाठी

उपाध्यक्ष

रिक्त

सचिव

श्री प्रेमचन्द्र सक्सेना

अधिष्ठाता मण्डल

1–डा० सरजीत सिंह डंग, सदस्य, विधान सभा (मिर्जापुर),
2–श्री बाल चन्द्र मिश्र, सदस्य, विधान सभा (कानपुर नगर),
3–श्री निर्भय पाल शर्मा, सदस्य, विधान सभा (सहारनपुर),
4–श्री केदार सिंह फोनिया, सदस्य, विधान सभा (चमोली),
5–श्री लालजी वर्मा, सदस्य, विधान सभा (अम्बेडकर नगर),
6–डा० अशोक बाजपेयी, सदस्य, विधान सभा (हरदोई),
7–श्री मुन्ना चौहान, सदस्य, विधान सभा (देहरादून),
8–श्री गौरी शंकर एडवोकेट, सदस्य, विधान सभा (लखनऊ),
9–डा० अम्मार रिजवी, सदस्य, विधान सभा (सीतापुर),
10–श्री कौकब हमीद, सदस्य, विधान सभा (मेरठ) ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

उत्तर प्रदेश विधान सभा

उत्तर प्रदेश विधान सभा

(तेरहवीं विधान सभा)

मंगलवार, दिनांक 16 मार्च, 1999 ई०

निम्नांकित सदस्यों के अतिरिक्त अन्य सभी सदस्य उपस्थित थे :-

अक्षयवर लाल, श्री	बहराइच
अजय प्रताप सिंह उर्फ लल्ला भइया, श्री	गोण्डा
अजय राय, श्री	वाराणसी
अतीक अहमद, श्री	इलाहाबाद
अब्दुल कलाम, श्री	बस्ती
अब्दुल खालिक, श्री	अलीगढ़
अमित अग्रवाल, श्री	मेरठ
अमीर आलम खान, श्री	मुजफ्फरनगर
अशफाक अहमद, श्री	बरेली
अशोक यादव, श्री	फिरोजाबाद
आचार्य रामदेव वैश्य, श्री	बाराबंकी
आनन्द प्रकाश, श्री	पडरौना
इकबाल महमूद, श्री	मुरादाबाद
इलम सिंह, श्री	सहारनपुर
उबैदुर्रहमान, श्री	गोण्डा
ओइम्वेश, स्वामी	बिजनौर
ओमकार सिंह, श्री	बदायूं
ओम प्रकाश गुप्त, श्री	सीतापुर
कमला प्रसाद रावत, श्री	बाराबंकी
कंवर पाल सिंह मास्टर, श्री	सहारनपुर
काजिम अली खां उर्फ नवेद मियां, श्री	रामपुर
काजी मोहम्मद मुहिउद्दीन, श्री	हरिद्वार
कासिम हसन, श्री	फतेहपुर
किशन लाल बघेल, सेठ	आगरा
केदार सिंह फोनिया, श्री	चमोली
के० सी० सिंह "बाबा", श्री	उधम सिंह नगर
कैलाश, श्री	गाजीपुर
कोबिद कुमार, श्री	शाहजहांपुर
कौकब हमीद, श्री	मेरठ
गजेन्द्र कुमार मुन्ना, श्री	मेरठ
छोटे सिंह यादव, श्री	फर्रुखाबाद
जगपाल, श्री	सहारनपुर
जगदम्बिका पाल, श्री	बस्ती
जमालुद्दीन सिद्दीकी, श्री	फर्रुखाबाद
देवेन्द्र सिंह उर्फ भोले सिंह, श्री	कानपुर देहात
देवेन्द्र सिंह यादव, कुंवर	एटा
नरेन्द्र सिंह शिशौदिया, श्री	गाजियाबाद
नरेश चन्द्र अग्रवाल, श्री	हरदोई
निर्भय पाल शर्मा, श्री	सहारनपुर
नेतराम सिंह, श्री	एटा
परमानन्द दण्डी, स्वामी	रामपुर
पूरन सिंह बुन्देला, श्री	ललितपुर
प्रेमपाल सिंह यादव, श्री	बदायूं
बाबू राम यादव, श्री	मैनपुरी
बावन सिंह, श्री	गोण्डा
ब्रजेन्द्र पाल सिंह, श्री	मुरादाबाद
भाई लाल, श्री	मिर्जापुर
मथुरा प्रसाद, श्री	कानपुर देहात
महराज सिंह यादव, श्री	इटावा
महेन्द्र अरिदमन सिंह, राजा	आगरा
मातवर सिंह कण्डारी, श्री	टिहरी गढ़वाल
मिथलेश कुमारी, श्रीमती	एटा
मुख्तार अंसारी, श्री	मऊ
मुस्ताक सोलंकी, श्री	कानपुर नगर
मुस्लिम, डा०	रायबरेली
रघुराज प्रताप सिंह "राजा भइया", कुंवर	प्रतापगढ़
रतनजीत प्रताप नारायण सिंह, कुंवर	पडरौना
रवीन्द्र प्रताप चौधरी, श्री	सिद्धार्थनगर
राजराय सिंह, श्रीमती	पीलीभीत
राजेन्द्र, श्री	गाजीपुर
राम कृपाल, श्री	इलाहाबाद
राम खिलाड़ी, श्री	बदायूं

राम नरेश रावत, श्री	गाजियाबाद
राम नरेश यादव, श्री	आजमगढ़
राम सिंह, श्री	बुलन्दशहर
राम सेवक सिंह, श्री	बदायूं
राम स्वरूप शर्मा, श्री	मथुरा
राम स्वरूप सिंह, श्री	बिजनौर
राम हर्ष सिंह, श्री	सुल्तानपुर
रामेश्वर दयाल बाल्मीकि, श्री	मैनपुरी
रामेश्वर सिंह यादव, श्री	एटा
रिफाकत हुसैन चौधरी, श्री	मुरादाबाद
लल्लू सिंह, श्री	फैजाबाद
लाखी राम जोशी, श्री	टिहरी गढ़वाल
लालजी टण्डन, श्री	लखनऊ
लोकपति त्रिपाठी, श्री	मिर्जापुर
वकार अहमद शाह, डा०	बहराइच
विजमा यादव, श्रीमती	इलाहाबाद
विजय प्रकाश, श्री	इलाहाबाद
विजय सिंह, श्री	सोनभद्र
विनोद कुमार सिंह उर्फ पंडित सिंह, श्री	गोण्डा
विवेक कुमार सिंह, श्री	बांदा
शिवाकान्त, श्री	प्रतापगढ़
संजय गर्ग, श्री	सहारनपुर
संजय सिंह, श्री	मुजफ्फरनगर
संदीप अग्रवाल, श्री	मुरादाबाद
सर्वेश कुमार उर्फ राकेश कुमार, कुंवर	मुरादाबाद
सुखवीर सिंह पुण्डीर, श्री	सहारनपुर
सुधाकर सिंह, श्री	मऊ
हरि प्रसाद उर्फ घमड़ी, श्री	सोनभद्र

उत्तर प्रदेश विधान सभा

मंगलवार, दिनांक 16 मार्च, 1999 ई०

(विधान सभा की बैठक सभा-मण्डप लखनऊ में दिन के 11 बजे अध्यक्ष श्री केशरी नाथ त्रिपाठी की अध्यक्षता में आरम्भ हुई ।)

नियम–311 के अन्तर्गत दी गई सूचनाओं को उठाने का प्रयास

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

मान्यवर, प्रदेश में भर्ती के नाम पर बड़ा भारी घपला किया जा रहा है ।

श्री अम्बिका चौधरी–

[x x x]

(कई सदस्यों के अपने आसन पर खड़े होकर एक साथ बोलने पर)

श्री अध्यक्ष–

कृपया बैठ जायें । यह कुछ लिखा नहीं जायेगा ।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

मान्यवर, जिन अभ्यर्थियों ने परीक्षायें पास की हैं उनको नियुक्ति के लिए न बुलाकर जिन्होंने परीक्षायें पास नहीं की, फर्जी लोगों को नौकरी के लिए बुलाया जा रहा है ।

श्री अध्यक्ष–

कृपया आप लोग शान्त रहें । कृपया अपना आसन ग्रहण करें ।

आपकी सूचना आई थी वह समय से ले ली जायेगी । यह नई प्रक्रिया क्यों प्रारम्भ कर रहे हैं आप लोग ?

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

नियुक्तियों में बड़ी धांधली की जा रही है ।

श्री अध्यक्ष–

जिन माननीय सदस्यों की नियम 311 में सूचना आई है, मैं नियम 56 के बाद नियम 311 की सूचनाओं पर सुन लूंगा । इस बीच कार्यवाही चलने दें ।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

मान्यवर, समूह–ग की परीक्षाओं में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार किया गया ।

श्री अध्यक्ष–

मैंने देख लिया है आपकी सूचना आयी है ।

प्रश्नोत्तर

प्रदेश में शिक्षा के प्रचार-प्रसार हेतु विशेष कार्य योजना

**1–श्री राम औतार शाक्य–

क्या सरकार प्रदेश में शिक्षा के प्रचार-प्रसार हेतु कोई विशेष कार्ययोजना लागू करने जा रही है ? यदि हां, तो वह क्या है और कब तक उसे कार्यान्वित किये जाने की योजना है ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या सरकार यह भी बतायेगी कि क्या उक्त कार्य योजना लागू होने के फलस्वरूप प्रदेश में शिक्षित जनों का प्रतिशत बढ़ेगा ? यदि हां, तो कितना ?

नोट :–[x x x] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री (श्री बालेश्वर त्यागी)–

जी हां।

शिक्षा के सार्वभौमिकरण के लक्ष्य प्राप्त करने हेतु निम्नलिखित कार्ययोजना प्रस्तावित है :–

1–जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत अगले वित्तीय वर्ष में 42 जनपदों को आच्छादित किया जाना है जिसमें बच्चों का विद्यालय में ठहराव, सामाजिक सहभागिता तथा गुणात्मक शिक्षा पर विशेष बल दिया जायेगा।

2–जनपद आगरा व मथुरा के 5-5 विकास खण्डों में बच्चों के ठहराव, शत-प्रतिशत नामांकन तथा प्रभावी शिक्षण व्यवस्था और शैक्षिक कार्यक्रमों में सामाजिक सहभागिता सुनिश्चित करने के लिए ज्वाइंट जी०ओ०आई०यू०एन० सिस्टम कार्यक्रम के अन्तर्गत (वाह्य सहायतित परियोजना) से अगले वित्तीय वर्ष में आच्छादित किया जाना है।

3–सभी उच्च प्राथमिक विद्यालयों को आपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना से आगामी वर्षों में आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है।

4–आधुनिक शिक्षा विधाओं से अध्यापकों को प्रशिक्षित कराने हेतु नियमित प्रशिक्षण कराये जाने की योजना है।

5–15–35 आयु वर्ग के निरक्षर प्रौढ़ों के लिए सम्पूर्ण साक्षरता कार्यक्रम/पोस्ट लिटरेसी कार्यक्रम/सतत् शिक्षा कार्यक्रम चरणबद्ध ढंग से चलाये जाने की योजना है।

प्रश्न नहीं उठता।

जी हां।

शत-प्रतिशत् साक्षरता प्राप्त करना राज्य सरकार का लक्ष्य है।

श्री राम औतार शाक्य–

मान्यवर, जैसा कि विदित है मान्यवर प्रदेश में प्राथमिक शिक्षकों की हालत बहुत खराब है। जो ग्रामीण क्षेत्र के विद्यालय हैं वहां पर शिक्षा की सुविधा नहीं है वहां पर न तो टाट है न ब्लैक बोर्ड है और न खड़िया। मान्यवर, हमारे जनपद मैनपुरी में ऐसे 60 विद्यालय हैं जिनमें एक भी अध्यापक नहीं हैं और 135 ऐसे विद्यालय हैं जिनमें मात्र एक-एक अध्यापक हैं।

श्री बालेश्वर त्यागी–

मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्यों की जिज्ञासा के सम्बन्ध में अवगत कराना चाहता हूं कि अध्यापकों के रिक्त पदों को भरने के लिए बी० एड० के आवेदन मांगे गये थे, आवेदन-पत्र प्राप्त हो गये हैं और उनमें से चयन कर विशेष प्रशिक्षण देकर जुलाई से इन रिक्त पदों को भरने की योजना है। दूसरा आपने विद्यालयों के सम्बन्ध में बात कही है, 3510 विद्यालयों को आपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना के अन्तर्गत 21.24 करोड़ रुपये दिये जा चुके हैं।

श्री चन्द्र नाथ सिंह–

मान्यवर, आपने उत्तर में कहा कि जुलाई से भर्ती कर रहे हैं, अध्यापक दिए जायेंगे बी० एड० के जो पास हैं, तो उनको रखा जायेगा तो हम जानना चाहेंगे कि इस समय जहां एक भी अध्यापक नहीं है या एक अध्यापक है तो क्या ऐसी स्थिति में यह सरकार उन विद्यालयों को अध्यापकों से बिल्कुल रिक्त रखेगी, वहां पर पढ़ाई नहीं होगी ? क्या एक अध्यापक कक्षा एक से लेकर पांच तक पढ़ा सकता है और जहां पर एक भी अध्यापक नहीं है क्या जुलाई तक पढ़ाई नहीं होगी ?

श्री बालेश्वर त्यागी–

मान्यवर, जैसा अभी पूर्व में बताया है कि अध्यापकों के पद बहुत समय से रिक्त चल रहे थे और बी०टी०सी० की जो हमारी प्रतिवर्ष की क्षमता वह केवल 3 हजार की है। विद्यालयों की संख्या बहुत अधिक हो गयी है। 27 हजार के लगभग अध्यापकों के पद रिक्त हैं। इसलिए निर्णय लिया गया था कि बी० एड० में से मेरिट के आधार पर छांट कर रिक्त पदों को भरा जाये। कुछ विद्यालयों में एक भी अध्यापक नहीं है और कहीं अधिक है। कार्य प्रारम्भ हो चुकी है और इसके अन्तर्गत प्रशिक्षण देकर जहां एक ही अध्यापक है या नहीं है वहां व्यवस्थित नियुक्ति करने का प्रयास करेंगे।

श्री छोटे लाल गंगवार–

मान्यवर, बी०टी०सी० की ट्रेनिंग नहीं करायी गयी। विद्यालयों की यह हालत है कि किसी विद्यालय में जहां चार-साढ़े चार सौ छात्र हैं वहां केवल एक ही अध्यापक है, तो यह समस्या है, यह कैसे व्यवस्थित होगी ?

श्री बालेश्वर त्यागी–

मान्यवर, व्यवहार देखने में यह आया है कि अध्यापकों के जो संघ हैं उनके दबाव में अनेक स्थानों पर अधिकारियों ने नगरीय क्षेत्रों के आसपास अध्यापकों की ज्यादा नियुक्ति कर दी है और अनेक दूरस्थ स्थानों पर अध्यापकों की संख्या कम रह गयी है। अब जनपद के अनुसार अध्यापकों के पद निर्धारण के स्थान पर प्रत्येक विद्यालय में बच्चों की संख्या के आधार पर पदों का निर्धारण करेंगे जिससे उस संख्या से अधिक कोई अधिकारी नियुक्ति न कर सकें। तब सभी जगह अध्यापक व्यवस्थित होंगे, ऐसी व्यवस्था कर रहे हैं।

श्री श्रीराम पाल–

मान्यवर, शहरी क्षेत्र से आठ किलोमीटर की दूरी पर जो विद्यालय स्थित हैं उनमें आठ-दस अध्यापक हैं जबकि छात्र एक भी नहीं है। ऐसे क्षेत्र के छात्र तमाम मान्टेसरी स्कूलों में पढ़ने के लिए चले जाते हैं। तो मैं जानना चाहता हूं कि शहरी क्षेत्र से आठ किलोमीटर के अन्तर्गत जो ऐसे विद्यालय हैं उनमें क्या छात्रों का सत्यापन कराया जायेगा और यदि फर्जी छात्र पाये जाते हैं तो वहां के अध्यापकों को हटाकर सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में भेजा जायेगा जहां पर एकल अध्यापक हैं ?

श्री बालेश्वर त्यागी–

मान्यवर, नगरीय विद्यालय और ग्रामीण क्षेत्र के विद्यालय के कैडर अलग हैं। जैसे-जैसे नगरीय क्षेत्रों का विस्तार हो रहा है तो ऐसे विद्यालयों को अन्य क्षेत्रों से स्थानान्तरित करके अध्यापकों को स्थानान्तरित करने की भी व्यवस्था की गई।

श्री श्रीराम पाल–

मान्यवर, नगरीय क्षेत्र के आठ किलोमीटर के क्षेत्र में जो देहाती क्षेत्र पड़ता है वहां पर भी सिटी एलाउन्स मिलता है वहां के विद्यालयों में छात्र बहुत कम हैं जबकि अध्यापक राजनीतिक प्रभाव से वहां अपनी नियुक्ति करा लेते हैं। क्या इन विद्यालयों में छात्रों का सत्यापन कराया जायेगा और यदि छात्रों की संख्या फर्जी पाई गई तो क्या इन विद्यालयों के अध्यापकों को सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों को उन विद्यालयों में जहां पर एकल अध्यापक हैं स्थानान्तरित किया जायेगा ?

श्री बालेश्वर त्यागी–

मान्यवर, छात्रों की संख्या का वेरिफिकेशन कराया जायेगा। नगरीय और ग्रामीण क्षेत्रों में, जहां पर अध्यापकों की संख्या अधिक पाई जायेगी उनको अन्यत्र स्थानान्तरित किया जायेगा। यदि कहीं पर फर्जी संख्या पाई जाती है तो उनके खिलाफ कार्यवाही की जायेगी।

श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह–

मान्यवर, मैं यह जानना चाहता हूं कि आपरेशन ब्लैक बोर्ड की योजना में जनपद प्रतापगढ़ शामिल है या नहीं जहां तक मुझे जानकारी है यह शामिल नहीं है ।

श्री बालेश्वर त्यागी–

प्रदेश भर में विद्यालयों की संख्या 5310 है ।

श्री अध्यक्ष–

आपका प्रश्न आपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना में प्रतापगढ़ के शामिल होने के बारे में है, प्रतापगढ़ इस योजना में शामिल है या नहीं ?

श्री बालेश्वर त्यागी–

यह सूचना मेरे पास उपलब्ध नहीं है ।

श्री शिशुपाल सिंह यादव–

मान्यवर, मैं जानना चाहता हूं कि अध्यापकों की नियुक्ति का मानक क्या है ? कितने छात्रों पर एक अध्यापक नियुक्त किया जाता है ? दूसरा प्रश्न यह है कि जिन विद्यालयों में मानक के अनुसार अध्यापक अधिक हैं उनको वहां से हटाने की व्यवस्था की जायेगी ?

श्री बालेश्वर त्यागी–

मानक जो है वह 40 बच्चों पर एक अध्यापक का है ।

श्री राम प्यारे सिंह–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जहां 400—500 विद्यार्थी हैं वहां मात्र एक अध्यापक पढ़ाने के लिए है तो यह बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने के लिए कौन जिम्मेदार है, उसके लिए क्या कार्यवाही करेंगे ?

श्री अध्यक्ष–

मानक आ गया है, ज्यादा अध्यापक होंगे तो स्थानान्तरित कर दिया जायेगा । अब खिलवाड़ हुआ कि नहीं यह मंत्री जी अभी कैसे बतायेंगे ?

श्री ज्वाला प्रसाद यादव–

मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि 40 विद्यार्थियों पर एक अध्यापक के मानक को सरकार कब तक पूरी कर देगी ?

श्री बालेश्वर त्यागी–

यथाशीघ्र कर देंगे ।

श्री अम्बिका चौधरी–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने उत्तर में कहा है कि बच्चों के व्यवहार में बदलाव, सामाजिक सहभागिता तथा गुणात्मक शिक्षा पर विशेष बल दिया जाएगा मैं यह पूछ रहा हूं कि यह बच्चों के ठहराव से क्या इनका क्या अभिप्राय है ? क्या हास्टल बनायेंगे ?

श्री बालेश्वर त्यागी–

व्यवहार में यह आया है कि जितने बच्चों के नामांकन होते हैं कुछ समय बाद कुछ बच्चे ड्राप हो जाते हैं, विद्यालय जाना बन्द कर देते हैं उस ड्राप आउट को रोकने के लिए मिड डे मील की व्यवस्था है दूसरे बच्चों की रुचि के अनुसार पढ़ाई की व्यवस्था की जा रही है । सरकार का उद्देश्य ड्राप आउट को मिनिमाइज करने का है ।

श्री राम औतार शाक्य–

मान्यवर, मानव जीवन की शुरुआत बेसिक शिक्षा से होती है । बहुत से परिषदीय विद्यालयों में जो अध्यापक हैं वह समय से पढ़ाने नहीं जाते हैं और कभी-कभी तो दो-दो, चार-चार दिन गायब रहते हैं इस वजह से शिक्षा का स्तर बहुत खराब है । क्या माननीय मंत्री जी उन अध्यापकों में अनुशासन की भावना पैदा करेंगे ? वह अध्यापक पूरे घंटे पढ़ाएं क्या ऐसी कोई कार्य योजना बनाई है ?

श्री बालेश्वर त्यागी–

मैं विनम्रता पूर्वक निवेदन करना चाहता हूं कि जब पांचवें वेतन आयोग के अनुसार वेतन देने की बात उठी तो सभी लोगों ने मांग की कि पांचवें वेतन आयोग के अनुसार इनको वेतन मिले । लेकिन यह किसी ने नहीं कहा कि अध्यापकों की उपस्थिति भी सुनिश्चित हो । सरकार ने समय-समय पर अभियान चलाकर जिलाधिकारियों के द्वारा अध्यापकों की उपस्थिति सुनिश्चित करने का प्रयास किया है लेकिन वह सतत् प्रक्रिया नहीं है । इसके लिए पंचायतों की सहभागिता बढ़ाने पर सरकार योजना बना रही है ताकि ग्राम शिक्षा समिति को भी अधिकृत किया जा सके, वह अध्यापकों की संख्या की चेकिंग कर सके ताकि अध्यापक पूरी संख्या में और पूरे समय उपस्थित रहें ।

सरकारी/अर्द्धसरकारी सेवाओं में आरक्षण कोटा पूर्ण करने हेतु विशेष अभियान चलाने की मांग

**2–श्री अजय कुमार पोइया–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अनुसचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लोगों को सरकारी/अर्द्धसरकारी सेवाओं में आरक्षण कोटे को पूर्ण करने के लिये क्या सरकार विशेष अभियान चला कर आरक्षण कोटा पूर्ण करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

आबकारी मंत्री (श्री सूर्य प्रताप शाही)–

लोक सेवाओं और पदों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को आरक्षण प्रदान करने हेतु उ० प्र० लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1994 में प्राविधान है कि यदि भर्ती के किसी वर्ष में किसी श्रेणी के लिए आरक्षित कोई रिक्ति बिना भरे रह जाय तो उस श्रेणी से संबंधित व्यक्तियों में से ऐसी रिक्ति को भरने हेतु विशेष भर्ती, तीन से अनधिक, उतनी बार की जायेगी जैसा आवश्यक समझी जाय । इस प्रकार आरक्षण कोटा पूर्ण करने हेतु विशेष भर्ती का स्पष्ट प्राविधान है ।

आरक्षण कोटा पूर्ण करने की प्रक्रिया अनवरत है वह इसी कारण एक रोस्टर भी बनाया गया है । अतः इसके लिए निश्चित तिथि नियत करना संभव नहीं है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

श्री अजय कुमार पोइया–

श्रीमन्, आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहूंगा कि आरक्षण कोटा क्या विभिन्न श्रेणियों में पूरा है तथा क्या विकलांग को भी पूरा कर लिया गया है ?

श्री सूर्य प्रताप शाही–

मान्यवर, आरक्षण अधिनियम, 1994 दिनांक 11-12-93 से प्रभावी है । जो व्यवस्था की गयी है उसके अनुरूप ही रिक्तियां भरी जा रही हैं ।

श्री सत्य प्रकाश सोनकर–

मान्यवर, अभी तक जिन विभागों में चतुर्थ श्रेणी और तृतीय श्रेणी के पद अनुसूचित जाति के रिक्त हैं उनमें स्पेशल अभियान चलाकर उसको भरने का काम करेगी ?

श्री सूर्य प्रताप शाही–

मान्यवर, तृतीय श्रेणी की भर्तियों के लिए अभी समूह "ग" की परीक्षायें हुई हैं, साक्षात्कार की प्रक्रिया जारी है । उसमें इस बात को सुनिश्चित किया गया है कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़े वर्गों के लिए जो आरक्षण का प्राविधान है उनको ठीक से लागू करते हुए पूरी तरह से उसे भरा जाय । अगर उसके उपरान्त भी नहीं भरे जाते हैं तो विशेष भर्ती अभियान चलाया जायेगा ।

श्री राम ललित चौधरी–

मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि सरकारी, अर्द्धसरकारी सेवाओं में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लिए कुल कितने पद रिक्त हैं और क्या सरकार विशेष अभियान चलाकर आरक्षण कोटा पूरा करेगी ?

श्री सूर्य प्रताप शाही–

मान्यवर, इसमें जो मूल प्रश्न है वह आरक्षण कोटा को पूर्ण करने के लिए विशेष अभियान चलाने के बारे में है ।

श्री अध्यक्ष–

चौधरी जी ने रिक्त पदों की संख्या पूछी है ।

श्री सूर्य प्रताप शाही–

मान्यवर, रिक्तियों की संख्या के बारे में कोई सूचना नहीं है ।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

माननीय अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि आपने जो जवाब दिये हैं कि आरक्षण कोटा पूर्ण करने का स्पष्ट प्राविधान है । 1998 में इस अभियान के तहत इस भर्ती को पूरा करने के लिए कितनी बार अभियान चलाया ? दूसरी चीज आरक्षण कोटा पूर्ण करने के प्रयास के तहत जो रोस्टर बनाया गया है क्या मान्यवर, उस रोस्टर के अनुसार नौकरियों में आरक्षण कोटा पूर्ण किया जायेगा और तीसरी चीज यह आरक्षण कोटा पूर्ण करने के लिए यदि किसी अधिकारी ने लापरवाही की है तो अब तक क्या किसी दोषी अधिकारी के खिलाफ आपने कार्यवाही सुनिश्चित की ?

श्री सूर्य प्रताप शाही–

मान्यवर, इस अधिनियम में चयन वर्ष की व्याख्या की गयी है जो एक जुलाई से 30 जून तक होता है । उस चयन वर्ष में भर्ती की प्रक्रिया प्रारम्भ की है और जैसा माननीय सदस्य ने बताया कि रोस्टर के अनुसार जो आरक्षण का विज्ञापन निकाला है उसमें इस बात का ध्यान रखा गया है कि रोस्टर के अनुसार विज्ञापित किया जाये और उस नियुक्ति के उपरान्त जो संख्या खाली रह जायेगी उसके अनुसार विशेष भर्ती किया जायेगा और यदि कोई अधिकारी आरक्षण के नियमों का उल्लंघन करते पाया जायेगा तो उसको दण्डित किया जायेगा ।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

मान्यवर, मैंने प्रश्न पूछा था कि 1998 में आरक्षण के कोटे को पूरा करने के लिए कितनी बार अभियान चलाया गया परन्तु माननीय मंत्री जी की तरफ से इसका जवाब नहीं आया । दूसरा, मैंने यह पूछा था कि जिन लोगों ने इस आरक्षण कोटे को पूरा करने में लापरवाही बरती है ऐसे कितने अधिकारियों के खिलाफ अब तक कानूनी कार्यवाही की गयी है, इसका भी जवाब माननीय मंत्री जी की तरफ से स्पष्ट नहीं आया । आरक्षण की नीति पर इस सरकार का रवैया बिल्कुल साफ हो चुका है और यह केवल लीपापोती करना चाहती है और उस पर पर्दा डालना चाहती है इसलिए सरकार की इस आरक्षण विरोधी नीति के खिलाफ बहुजन समाज पार्टी सदन का बहिष्कार करती है ।

(श्री स्वामी प्रसाद मौर्य अपने दल के सदस्यों सहित सदन त्याग कर चले गये ।)

श्री रामजग–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि जिन विभागों में अनुसूचित जाति के अधिकारियों के पद खाली हैं क्या नियमों को शिथिल करते हुए उन पदों पर आरक्षण के कोटे को पूरा करने हेतु अनुसूचित जाति के लोगों को पदोन्नति देकर रिक्त स्थानों को भरेंगे ? दूसरा विभिन्न विभागों में जो खाली पद हैं उन खाली पदों को भरने हेतु कब से अभियान शुरू किया जायेगा ?

श्री अध्यक्ष–

माननीय सदस्य यह जानना चाहते हैं कि बहुत से प्रोन्नति के ऐसे पद हैं जिनमें आरक्षण कोटा पूरा नहीं हुआ है इसलिए ऐसे पदों पर प्रोन्नति हेतु अभियान कब से चलाया जायेगा ?

श्री सूर्य प्रताप शाही–

मान्यवर, 1993 के शासनादेश में यह स्पष्ट है कि अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए क्रमशः 21 परसेन्ट और 2 परसेन्ट कुल मिलाकर 23 प्रतिशत आरक्षण प्रोन्नतियों पर भी लागू होगा और इसी आरक्षण कोटे के हिसाब से विभिन्न विभागों में प्रोन्नतियां दी जा रही हैं ।

श्री रामजग–

मान्यवर, यह सरकार आरक्षण विरोधी है और कोटा पूरा नहीं किया जा रहा है इसलिए मैं अपने दल के साथ सदन का त्याग करता हूं ।

(श्री रामजग अपने दल के सदस्यों के साथ सदन त्याग कर चले गये ।)

श्री मुन्ना चौहान–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ा वर्ग आरक्षण अधिनियम, 1994 में इस बात का प्राविधान था कि सिड्यूल कास्ट और सिड्यूल ट्राइब का आरक्षण का कोटा होगा । उसमें यदि सिड्यूल ट्राइब के पर्याप्त अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होते हैं तो उन पदों को सिड्यूल कास्ट से फिलअप कर दिया जायेगा । इसलिए मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या यह वाइस वरसा व्यवस्था लागू है ? दूसरा चन्द दिन पहले शासन की तरफ से एक शासनादेश जारी हुआ है जिसके अन्तर्गत यह कह दिया गया है कि जितने भी पद 4 वर्षों से अधिक अवधि से रिक्त हैं उनको मृत प्राय घोषित किया जाय तो क्या आरक्षण की श्रेणी में जो पद आते हैं और जो 3-4 वर्षों से रिक्त हैं क्या उनको भी मृत घोषित कर दिया गया है ?

श्री सूर्य प्रताप शाही–

मान्यवर, माननीय सदस्य ने दो प्रश्नों की जिज्ञासा की है । एक तो यह पूछा है कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लिये जो कोटा पूरा नहीं होता है वह अनुसूचित जाति में समायोजित कर लिया जाता है इसमें बाइस बरसा का प्राविधान पूछा है तो इसमें यह प्राविधान नहीं है । प्रयास किया जाता है कि तीन बार विशेष भर्ती करके कोटा पूरा किया जाय ।

श्री मुन्ना चौहान–

इसके पहले जो शासनादेश जारी होते रहे हैं उसमें आरक्षण श्रेणी के पदों पर रोक नहीं लगाई गई थी लेकिन इस बार चतुर्थ श्रेणी के पदों पर आरक्षण कोटे पर रोक लगाई है । पहले रोक लगती रही थी तो उसमें आरक्षण के पदों को एग्जैम्ट किया गया है । क्या इस बार भी इसी तरह से लागू करेंगे ?

श्री सूर्य प्रताप शाही–

जितने आरक्षित होते हैं रोस्टर के अनुसार से आरक्षण की व्यवस्था की जाती है ।

(तारांकित प्रश्न संख्या–1 पुकारे जाने पर)

(कई सदस्यों के एक साथ बोलने पर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

अब और प्रश्न नहीं । मैंने अगला प्रश्न पुकार लिया है । वैसे ही अल्पसूचित प्रश्न के लिये 10 मिनट और समय दे दिया गया था । कल से मैं अल्पसूचित 11.20 पर समाप्त कर दूंगा ।

(श्री राम विशुन आजाद द्वारा बोलने के लिये खड़े होने पर)

अब मैं किसी को अनुमति नहीं दे रहा हूं ।

श्री राम विशुन आजाद–

मान्यवर, सरकार आरक्षण का कोटा पूरा नहीं कर रही है । सरकार की इस नीति के विरोध में, मैं सदन का त्याग करता हूं ।

(श्री राम विशुन आजाद सदन त्याग कर चले गये)

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम–29 (4) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न]

राज्य कर्मचारियों/अधिकारियों को सेवा विस्तार/पुनर्नियुक्ति के संबंध में शासन की नीति की जानकारी

1–डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी–

क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि राज्य कर्मचारियों एवं अधिकारियों के सेवा विस्तार एवं पुनर्नियुक्ति के संबंध में शासन की कोई नीति है ? यदि हां, तो क्या ? क्या शासन की यह भी नीति है कि पुनर्नियुक्ति सरकारी सेवकों को विशेष कार्य अधिकारी/सलाहकार का पदनाम प्रदान किया जाता है और उन्हें विभागाध्यक्ष का अधिकार नहीं दिया जाता है ? यदि हां, तो क्या सरकार यह भी बतायेगी कि इस नीति के अपवाद के रूप में कुछ अधिकारियों की पुनर्नियुक्ति की गयी है तथा उन्हें विभागाध्यक्ष के अधिकार भी प्रदान किये गये हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार ऐसे विभागाध्यक्ष के अधिकार वाले पुनर्नियोजित सरकारी अधिकारियों का विवरण सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सूर्य प्रताप शाही–

जी हां ।

शासनादेश दिनांक 17 नवम्बर, 1997 की प्रति संलग्न है ।

जी नहीं, प्रकरण विशेष का गुण-दोष के आधार पर परीक्षण कर निर्णय लिया जाता है ।

विशेष परिस्थिति में गुण-दोष के आधार पर सीमित कार्मिकों को संविदा/पुनर्नियुक्ति/सेवाविस्तार के आधार पर नियुक्त किया गया है किन्तु उन्हें विभागाध्यक्ष के अधिकार प्रदान नहीं किये गये हैं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि उन्होंने मेरे प्रश्न के पहले भाग का उत्तर दिया है कि "जी नहीं" और एक शासनादेश की प्रति संलग्न की है । प्रश्न का दूसरा भाग था कि शासन की नीति है कि पुनर्नियुक्ति सरकारी सेवकों को विशेष कार्याधिकारी/सलाहकार का पदनाम प्रदान किया जाता है और उन्हें विभागाध्यक्ष का अधिकार नहीं दिया जाता है ? उत्तर है "जी नहीं", प्रकरण विशेष का गुण-दोष के आधार पर परीक्षण कर निर्णय लिया जाता है । जब उत्तर है कि जी नहीं, तो फिर किसी प्रकरण विशेष...

श्री अध्यक्ष–

जी नहीं का उत्तर नीति के बारे में है । आपके प्रश्न के दूसरे भाग का उत्तर शेष है ।

डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी–

उत्तर में जब उन्होंने नीति के बारे में कह दिया कि "जी नहीं" । यानि कि दिया ही नहीं जाता है तो फिर नीति कहां रह जाती है ? मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि प्रदेश में और कितने ऐसे पद हैं जिनमें विशेष पदनाम देकर लोगों की नियुक्ति कर सेवा विस्तार प्रदान किया गया ?

श्री अध्यक्ष–

प्रदेश में कितने पद हैं ? यह बहुत व्यापक प्रश्न है और किस वर्ष से किस वर्ष तक ? आप जरा इसको सीमित करिये । न आपने कोई समय अवधि मांगी है ।

डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी–

1998-99 में बता दें ? आज की तारीख में कितने पद हैं ? यही बता दें ।

श्री सूर्य प्रताप शाही–

6 विभागों में 16 लोगों को सेवा विस्तार के आधार पर नियुक्त किया गया है ।

डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी–

जो शासनादेश संलग्न किया है उसमें 62 वर्ष के ऊपर के व्यक्तियों को पुनर्नियुक्ति और सेवा विस्तार नहीं दी जाती है । एक बार ही पुनर्नियुक्ति और सेवा विस्तार दिया जायेगा । मैं माननीय मंत्री जी से आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि ऐसे कितने लोग हैं जिन्हें पुनर्नियुक्ति और सेवा विस्तार मिला है और वो 62 वर्ष से ऊपर के हैं और एक बार के बाद दोबारा उन्हें दिया गया है ?

श्री सूर्य प्रताप शाही–

मान्यवर, 6 लोगों को पुनर्नियुक्ति का उल्लेख किया है वह 62 वर्ष से कम आयु के हैं और सबको नियमों के अनुसार सेवा विस्तार और पुनर्नियुक्ति मिली है।

डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी–

मान्यवर, शासनादेश में लिखा है कि विधिक और वैज्ञानिक पद हेतु ही जहां कठिनाइयां हों उनको भरने में वहां पर अधिकतम 62 वर्ष की आयु सीमा तक। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जिन 6 लोगों को सेवा विस्तार दिया गया है क्या उनका पदनाम बतायेंगे ? क्या यह विधिक और वैज्ञानिक हैं ?

श्री सूर्य प्रताप शाही–

मैं 16 की सूची बता रहा हूं। पंचायती राज विभाग में संविदा पर शरद चन्द्र अग्रवाल, परामर्शदाता सेवानिवृत्त उप निदेशक जिला पंचायत अनुश्रवण कोष्ठक, बृज किशोर त्रिवेदी परामर्शदाता, संस्थागत वित्त निदेशालय बी० के० गुप्ता विशेष कार्याधिकारी। गृह विभाग बीरेन्द्र किशोर भटनागर प्रवक्ता पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद, विधायी विभाग हरीशंकर त्रिपाठी सहायक विधि आलेखक, वित्त विभाग वेतन समिति आर०सी० अग्रवाल, सदस्य सचिव, वेतन समिति । श्री राजेन्द्र बिहारी लाल निजी सचिव ग्रेड–(4). श्री एस० आर० गर्ग शोध अधिकारी, श्री आदित्य कुमार चतुर्वेदी शोध अधिकारी, श्री सत्य नारायण शोध अधिकारी, श्री शिव कुमार शुक्ला संख्या सहायक, श्री भद्रे कोष लोहानी वरिष्ठ शोध अधिकारी, वित्त सेवायें श्री अवधेश बिहारी लाल माथुर, विशेष कार्याधिकारी। राजस्व विभाग श्री कृष्ण श्रीवास्तव, श्री उम्मेद सिंह विष्ट, भूमि व्यवस्था आयुक्त, श्री श्रीनाथ श्रीवास्तव भूमि व्यवस्था आयुक्त, यह लोग हैं।

डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी–

एक भाग का उत्तर दे दिया। मेरा प्रश्न था विधिक वैज्ञानिक कौन है ? क्या इसको स्पष्ट करने की कृपा करेंगे ? इस सूची के अतिरिक्त कोई अन्य व्यक्ति सेवा विस्तार में तो नहीं है ? अगर नहीं है तो क्या मेरे द्वारा नाम देने पर आप कार्यवाही करेंगे ?

श्री अध्यक्ष–

विधिक वैज्ञानिक मूल प्रश्न में नहीं आता है।

डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी–

जनहित और कार्यहित में बता दें।

मान्यवर, आप मंत्री जी को संरक्षण दे रहे हैं।

श्री अध्यक्ष–

मैं सबको संरक्षण दे रहा हूं।

श्री सूर्य प्रताप शाही–

मैंने पहले जानकारी दी, कुछ लोग इसमें विधायी विभाग के हैं जो विधि से संबंधित हैं जिन्हें राजस्व विभाग में अवसर दिया गया है वह न्याय से संबंधित हैं उनका काम न्यायिक है। कुछ वित्त विशेषज्ञ विभाग से संबंधित हैं वित्त के मामले में रखना आवश्यक है। यह संख्या इतनी सीमित है जिसने यह सुनिश्चित कर दिया है कि हम शासनादेश का पालन करते हैं।

डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी–

क्या इसके अलावा कोई नाम बताऊंगा तो क्या मंत्री जी उसके बारे में विचार करेंगे ?

श्री सूर्य प्रताप शाही–

ठीक है, उसको दिखवा लेंगे ।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

मान्यवर, मंत्री जी ने जवाब दिया है और अभी एक सूची पढ़ी है इस सेवा विस्तार में एक ही संवर्ग के लोग हैं क्या सरकार सुनियोजित तरीके से वर्ग विशेष को लाभ नहीं पहुंचा रही है अगर नजरिया साफ है तो..

श्री अध्यक्ष–

आपने यह नहीं कहा कि फलां व्यक्ति ने आवेदन किया और उसको स्वीकार नहीं किया गया इसमें कोई आधार नहीं है ।

हायर सेकेन्ड्री एवं इण्टरमीडिएट के शिक्षकों द्वारा वर्ष 1998 में असहयोग आन्दोलन में केन्द्रीय वेतन आयोग के अनुरूप पुनरीक्षित वेतनमान की स्वीकृति

*2–श्री राम औतार शाक्य–

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि दिनांक 1-7-98 से हायर सेकेन्ड्री एवं इण्टरमीडिएट के शिक्षकों ने असहयोग आन्दोलन किया था ? यदि हां, तो क्यों ? क्या यह सही है कि वे केन्द्रीय वेतन आयोग के अनुरूप अपने वेतनमानों की मांग कर रहे हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार ने अब तक इस हेतु कोई निर्णय लिया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

माध्यमिक शिक्षा मंत्री (डा० नैपाल सिंह)–

जी हां ।

पंचम वेतन आयोग की संस्तुतियों को लागू किये जाने हेतु ।

जी हां ।

उत्तर प्रदेश शासन द्वारा गठित वेतन समिति की संस्तुतियों को कतिपय संशोधनों के साथ लागू किया जा चुका है । इसी संदर्भ में वेतन समिति, उ० प्र० (1998) के द्वितीय प्रतिवेदन (आंशिक)/छठें प्रतिवेदन की संस्तुति पर लिये गये निर्णयानुसार शासनादेश दिनांक 10 जुलाई, 1998 यथा संशोधित शासनादेश दिनांक 07 अक्टूबर, 1998 के द्वारा शिक्षा संस्थाओं के शिक्षकों/शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को दिनांक 01 जनवरी, 1996 से पुनरीक्षित वेतनमानों की स्वीकृति दी जा चुकी है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

श्री राम औतार शाक्य–

प्रदेश के हजारों शिक्षकों से जुड़ा यह प्रश्न है कई बार आन्दोलन भी हुए इसमें माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं चौथे वेतन आयोग के बाद एक समता समिति बनी, इसमें उसने रिपोर्ट दी उसमें श्रेणियां बंटी थी तो मंत्री जी से आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि जो समता समिति की रिपोर्ट थी उसके परिप्रेक्ष्य में पंचम वेतन आयोग की जो संस्तुति लागू की है क्या यह उससे भिन्न है ?

(देखिए नत्थी 'क' आगे पृष्ठ 195 पर)

डा० नैपाल सिंह–

बजाज समिति की रिपोर्ट मांगी गई थी, हड़ताल हुई उसके बाद जो वेतनमान दिया वह लागू किया जा चुका है ।

श्री नरेन्द्र सिंह–

चतुर्थ वेतन आयोग लागू किया गया उस समय केन्द्रीय शिक्षकों और प्रान्तीय शिक्षकों के वेतनमान में क्या अन्तर था और जो पंचम वेतन आयोग की संस्तुतियां लागू की गई हैं उसमें प्रान्तीय शिक्षक और केन्द्रीय शिक्षकों के वेतनमान में कितना अन्तर है ?

डा० नैपाल सिंह–

यह नीतिगत प्रश्न है । मैं आंकड़े पूरे नहीं लाया हूं । इसमें समय लगेगा ।

श्री अध्यक्ष–

यह शासन की नीति से संबंधित प्रश्न है आप ब्यौरा मांग रहे हैं ।

श्री नरेन्द्र सिंह–

इन्होंने कहा शिक्षकों ने असहयोग आन्दोलन किया यह नहीं कहा कि क्यों किया ?

श्री अध्यक्ष–

आप चौथे वेतन आयोग और पंचम वेतन आयोग में कितना अन्तर है ? यह पूछ रहे हैं इसमें सूचना की आवश्यकता होगी ।

श्री गोरखनाथ पाण्डेय–

इन्होंने बताया कि 1996 से पुनरीक्षित वेतनमानों की स्वीकृति दी जा चुकी है तो 96 से जो अध्यापकों की नियुक्ति हुई है इसमें क्या निर्णय लिया गया है ?

डा० नैपाल सिंह–

प्रश्न दुबारा कर दें ।

श्री गोरखनाथ पाण्डेय–

मैं जानना चाहता हूं इन्होंने अपने उत्तर में कहा है कि 7 अक्टूबर, 1998 के द्वारा शिक्षा संस्थाओं के शिक्षकों/शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को दिनांक 1 जनवरी, 1996 से पुनरीक्षित वेतनमानों की स्वीकृति दी जा चुकी है, तो 1996 के बाद जिन लोगों की नियुक्तियां हुई हैं उसमें शासन ने क्या व्यवस्था दी है ?

श्री अध्यक्ष–

यह पूर्वगामी प्रभाव से दिया है । संशोधित शासनादेश 7 अक्टूबर का है ।

श्री मुन्ना चौहान–

मान्यवर, मैं जानना चाहता हूं कि पंचम वेतन आयोग की सिफारिशों के बाद माध्यमिक शिक्षकों ने आन्दोलन किया चौथे पे कमीशन के बाद प्रदेश शासन ने समता समिति का गठन किया उसने संस्तुति दी । मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि चौथे पे कमीशन के बाद जो समता समिति का गठन हुआ समता समिति ने विसंगतियों को दूर करने की सिफारिश की उसका समावेश बजाज कमेटी की संस्तुति लागू करने में किया गया ।

डा० नैपाल सिंह–

जो बजाज समिति ने रिपोर्ट दी उसको लागू किया गया हड़ताल फिर हो गई उसके बाद वेतनमान की रि-स्ट्रक्चरिंग की गई ।

वेतनमान पूरा लागू हो गया है और सबने स्वीकार कर लिया है । प्रश्न कुछ अजीब सा लग रहा है ।

श्री अध्यक्ष–

माननीय मंत्री जी आप ऐसा नहीं कह सकते हैं ।

श्री नरेन्द्र सिंह–

मान्यवर, प्रश्न के तीसरे खण्ड में देखें । क्या यह सही है कि वे केन्द्रीय वेतन आयोग के अनुरूप अपने वेतनमानों की मांग कर रहे हैं ? तो मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि वेतनमान क्या था और क्या अन्तर हो गया है ?

डा० नैपाल सिंह–

मान्यवर, जो बजाज समिति थी विभिन्न राज्यों तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, राजस्थान की समीक्षा के बाद...

श्री अध्यक्ष–

इनका बहुत सीधा और सरल प्रश्न है कि पहले वेतन क्या था और अब क्या है ?

डा० नैपाल सिंह–

मान्यवर, प्रवक्ता का था 1400 से 2600 अब पुनरीक्षित पांच हजार से आठ हजार का है । रि-स्ट्रक्चरिंग के बाद 5500 वाला वेतनमान दिया जा रहा है ।

श्री नरेन्द्र सिंह–

मान्यवर, मैंने यह पूछा था कि चतुर्थ वेतन आयोग तथा पंचम वेतन आयोग में केन्द्रीय तथा प्रादेशिक वेतनमान में क्या अन्तर है तो इसका उत्तर माननीय मंत्री जी ने नहीं दिया । यदि उनको जानकारी नहीं है तो मैं बता देता हूं । मान्यवर, चतुर्थ वेतन आयोग में 40 रुपये का था और अब पंचम वेतन में एक हजार का हो गया है ।

डा० नैपाल सिंह–

मान्यवर, केन्द्रीय वेतनमानों की लिस्ट मेरे पास नहीं है ।

श्री मुन्ना चौहान–

मान्यवर, मेरा सीधा प्वाइन्टेड सवाल था । चतुर्थ वेतन आयोग में समता समिति का तथा पंचम वेतन आयोग में बजाज समिति का गठन किया गया तो बजाज समितियों की सिफारिश लागू करने से पूर्व क्या समता समिति की सिफारिशों को समन्वय करने का काम किया गया था और नहीं किया है तो उसको करेंगे ?

डा० नैपाल सिंह–

मान्यवर, यह संभवतः बजाज समिति ने की होगी ।

श्री मुन्ना चौहान–

मान्यवर, शिक्षकों से जुड़ा हुआ इससे महत्वपूर्ण संवेदनशील विषय दूसरा कोई नहीं हो सकता है। कृपया इसे स्थगित कर दें।

श्री अध्यक्ष–

यह तो हम अपेक्षा कर सकते हैं कि जो बजाज समिति गठित की गई थी वेतनमानों के बारे में अपनी संस्तुति देने के लिए गठित की गई थी और उसमें चतुर्थ वेतन आयोग की रिपोर्ट को ध्यान में रखा होगा।

*3–श्री गोरखनाथ पाण्डेय–

[कई विभागों से सम्बन्धित होने के कारण निरस्त]

तारांकित प्रश्न

स्थानान्तरण पर व्यय को कम करने संबंधी सरकार की नीति की जानकारी

*1–श्री राम औतार शाक्य–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि स्थानान्तरण नीति के फलस्वरूप होने वाले खर्च को कम करने की सरकार की कोई योजना है ? यदि हां, तो उसका क्या प्रारूप है ? उस पर कब तक अमल हो जायेगा ?

श्री सूर्य प्रताप शाही–

जी हां। वित्तीय वर्ष 1999-2000 के विभिन्न विभागों के बजट में स्थानान्तरण यात्रा व्यय की एक पृथक मद सृजित की गयी है और स्थानान्तरण पर होने वाले कुल व्यय को बजट में प्राविधानित धनराशि तक समिति रखने के निर्देश जारी किए जा रहे हैं।

उपर्युक्तानुसार।

उपर्युक्तानुसार।

श्री राम औतार शाक्य–

मान्यवर, एक-एक आई०ए०एस० और आई०पी०एस० के वर्ष में 6 बार ट्रान्सफर होते हैं बहुत कम सौभाग्यशाली होते है जो 6 महीने तक एक जगह रुक जाते हैं। तो स्थानान्तरण के ठहराव के शासनादेश क्या हैं कि सामान्यतः कितने दिनों में ट्रांसफर हो जाना चाहिए ?

श्री अध्यक्ष–

यह मूल प्रश्न से बात नहीं आती है।

श्री राम औतार शाक्य–

मान्यवर, ट्रान्सफर का जो खर्च है उसे कम करने के लिए कोई योजना बनाई है। यह जो जवाब आया है गोलमोल है।

श्री सूर्य प्रताप शाही–

मान्यवर, सरकार स्वयं इस बात का ध्यान रख रही है कि कम से कम ट्रान्सफर हों पिछले साल हमने नीति बनाई थी इस साल विभाग के बजट में एकमुश्त धनराशि का प्राविधान किया गया है। उस धनराशि के भीतर व्यय आयेंगे। इस संबंध में हम निर्देश शीघ्र ही भेज रहे हैं।

श्री लालजी वर्मा–

मंत्री जी जी सीमित धनराशि का जिक्र किया । मैं जानना यह चाहता हूं कि विभिन्न विभागों में कार्य योजना के अनुसार अधिकतम कितने प्रतिशत तक स्थानान्तरण किये जा सकते हैं ?

श्री सूर्य प्रताप शाही–

मान्यवर, गत वर्ष तक 15 प्रतिशत तक की व्यवस्था थी और इस वर्ष के शासनादेश अभी जारी नहीं हुए हैं ।

प्रशासन को चुस्त-दुरुस्त बनाने एवं भ्रष्टाचार दूर करने हेतु प्रत्येक विभाग से पांच बड़े अधिकारियों को चिन्हित करने के निर्देश

*2–श्री श्याम देव राय चौधरी–

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि प्रशासन को चुस्त-दुरुस्त बनाने एवं प्रत्येक विभाग से भ्रष्टाचार दूर करने हेतु विभाग के पांच बड़े अधिकारियों को नामांकित करने हेतु सरकार ने कोई निर्देश जारी किया है ? यदि हां, तो उसका परिणाम क्या है ?

श्री सूर्य प्रताप शाही–

शासन के पत्र संख्या–1178/कार्मिक–2/97 दिनांक 17 नवम्बर, 1997 द्वारा पांच अकर्मण्यता प्रदर्शित करने वाले अधिकारियों को चिन्हित करने के निर्देश जारी किये गये थे ।

परिणाम सकारामत्क हैं ।

श्री श्याम देव राय चौधरी–

आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैंने विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार के विषय में सवाल किया था और माननीय मंत्री जी ने अकर्मण्यता प्रदर्शित करने वालों के संबंध में जवाब दिया है, इसका शाब्दिक अर्थ यह है कि जो कार्य करने में अक्षम हैं ?

श्री अध्यक्ष–

भ्रष्टाचार और अकर्मण्यता में क्या अन्तर है ?

श्री सूर्य प्रताप शाही–

इस संबंध में दो पत्र भेजे गये थे, एक में तीन की संख्या और दूसरे में 5 की संख्या थी जो भ्रष्टाचार के संबंध में भेजा गया था । भ्रष्टाचार के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही करने के उद्देश्य से प्रत्येक श्रेणी के कम से कम 3 मामलों में कठोर कार्यवाही शीघ्र कर दी जाय, यह 3 अक्टूबर, 97 का भेजा गया पत्र है ।

श्री श्याम देव राय चौधरी–

मान्यवर, आप भी सहमत होंगे । समाज का प्रत्येक व्यक्ति और पूरा समाज भ्रष्टाचार से पीड़ित है । काम तो सभी अधिकारी और कर्मचारी करना चाहते हैं, लेकिन स्वहित और सुविधा शुल्क के साथ । यदि इस शासनादेश का उद्देश्य विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार को दूर करके आदर्श उपस्थित करने का है तो स्वागत योग्य है, लेकिन यदि शाब्दिक जामा पहनाकर इधर-उधर करने का है तो अलग बात है । मैं यह जानना चाहता हूं कि यह शासनादेश लागू करने के बाद से अब तक किन-किन विभागों के, किस स्तर के और किस कैडर के कितने अधिकारियों के विरुद्ध क्या चार्जेज रहे हैं और उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है और उन्हें क्या दण्ड दिया गया है ?

श्री सूर्य प्रताप शाही–

प्रश्न बहुत व्यापक है लेकिन कुछ संख्या बता सकता हूं। भ्रष्टाचार और कदाचार के 629 मामले पाये गये जिसमें से 285 को निलम्बित किया गया, 3 व्यक्तियों को पदावनत किया गया और 160 की वेतन वृद्धि रोकी गई है, चेतावनी और प्रतिकूल प्रविष्टि दी गई है। 125 लोगों के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही प्रचलित है, 5 के विरुद्ध सी०आई०डी० जांच के आदेश, 7 के विरुद्ध सतर्कता जांच के आदेश दिये गये हैं, इसके अलावा 7 को पैतृक विभाग में वापसी की गई है, 10 लोगों के विरुद्ध शोकाज नोटिस दी गई है, 7 की अनिवार्य सेवानिवृत्त और एक की पेंशन कटौती की गई है। मान्यवर, अकर्मण्यता के मामले में संख्या की जानकारी चाहें तो बता सकता हूं।

श्री अध्यक्ष–

नहीं, उसकी आवश्यकता नहीं है।

श्री श्याम देव राय चौधरी–

मान्यवर, मेरी जिज्ञासा यह है कि माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करें, जो उन्होंने सूची पढ़ी हैं, उसमें कितने आई०ए०एस० हैं, कितने पी०सी०एस० हैं और कितने आई०पी०एस० हैं और कितने अभियन्ता हैं ?

श्री सूर्य प्रताप शाही–

मान्यवर, विस्तार से सूचना की आवश्यकता होगी। जो भी जांचे होंगी, उनमें सभी वर्ग के अधिकारी शामिल होंगे, चाहे वह आई०ए०एस० हों या अन्य कोई हों।

श्री श्याम देव राय चौधरी–

जब माननीय मंत्री जी ने संख्या बता दी तो पदधारक का नाम भी होगा। माननीय मंत्री जी नाम छिपा रहे हैं।

श्री अध्यक्ष–

जब संख्या बता दिया, तो पद का नाम भी पता हो तो बता दें।

श्री सूर्य प्रताप शाही–

नाम और पद की सूचना नहीं है, केवल विभागीय सूचना है।

श्री मुन्ना चौहान–

माननीय मंत्री जी ने जो उत्तर दिया है, उससे यह बात स्पष्ट हुई है कि विभागों में जो भ्रष्टाचार है, उसके बारे में है, लेकिन भ्रष्टाचार का जो दूसरा पहलू है, सुविधा शुल्क, जिसके बारे में ट्रैप किये जाने का इन्तजाम है, तो जो यह भ्रष्टाचार है उससे गरीब आदमी का शोषण होता है, तो मैं जानना चाहता हूं कि ट्रैप के कितने मामले हुये हैं, जिसमें उनका प्राजीक्यूशन भी है, कम्पलसरी रिटायरमेन्ट का ही सवाल नहीं है जेल जाने का प्राविधान है ? यह बता दें मंत्री जी ?

श्री अध्यक्ष–

इस प्रकार का शासनादेश है कि अगर कोई कर्मचारी 48 घण्टे से अधिक जेल में रहता है, तो उसे निलम्बित कर दिया जाता है। ट्रैप कितने हुये हैं ? यह आप बता दें।

श्री सूर्य प्रताप शाही–

मान्यवर, इसकी सूचना नहीं है, विजिलेन्स करता है, उसकी सूचना नहीं है।

प्रदेश में गरीबी रेखा के नीचे जीवन-यापन करने वालों को निःशुल्क शिक्षा हेतु सरकार की योजना की जानकारी

*3–श्री गोरखनाथ पाण्डेय–

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले लोगों को प्रदेश में निःशुल्क शिक्षा दिये जाने की कोई योजना सरकार के विचाराधीन है ? यदि हां, तो वह क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा० नैपाल सिंह–

प्रदेश में कक्षा 12 तक निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था पूर्व से लागू है । अतः पृथक से कोई योजना विचाराधीन नहीं है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

श्री गोरखनाथ पाण्डेय–

मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि गरीबी की रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले लोगों को प्रदेश में निःशुल्क शिक्षा दिये जाने की कोई योजना सरकार के पास है, लेकिन माननीय मंत्री जी ने केवल कक्षा 12 तक की बात कही है । मेरा मतलब है कि प्राइमरी से लेकर स्नातकोत्तर और इसी प्रकार की अन्य शिक्षाओं के लिये निःशुल्क शिक्षा देने की व्यवस्था करेंगे, क्या सरकार इस पर कोई विचार कर रही है ?

डा० नैपाल सिंह–

प्राइमरी से उच्च शिक्षा तक प्रश्न किया है, लेकिन मैंने माध्यमिक शिक्षा के बारे में उत्तर दिया है ।

श्री मुन्ना चौहान–

माननीय मंत्री जी ने माध्यमिक शिक्षा के बारे में उत्तर दिया है । चूंकि सरकार ने शिक्षा को एक बुनियादी अधिकार के रूप में स्वीकार किया है, तो निःशुल्क शिक्षा दिये जाने के लिये आपने इस प्रदेश के आय-व्ययक में कोई प्राविधान किया है ? आप निःशुल्क शिक्षा का मतलब क्या मानते हैं ? गरीब लोगों को पढ़ाई लिखाई के सामान की भी जरूरत होती है । क्या उसे भी उपलब्ध करायेंगे ?

डा० नैपाल सिंह–

मान्यवर, प्रदेश में निःशुल्क शिक्षा में सिर्फ ट्यूशन फीस फ्री इस परिधि में लिया गया है जो दूसरा प्रश्न माननीय सदस्यों ने किया, अभी उसके बारे में सरकार की कोई योजना नहीं है ।

श्री अध्यक्ष–

आपका प्रश्न है कि निःशुल्क शिक्षा का अर्थ क्या है ? यह वह जानना चाहते हैं क्या उसमें और सामग्री भी आती है ?

डा० नैपाल सिंह–

इसमें केवल मान्यवर, ट्यूशन फीस आती है । बाकी फीस ली जायेगी ।

प्रदेश में औद्योगिक परिवेश को समृद्ध एवं प्रभावी बनाने हेतु आई०ई०एम० (इन्डस्ट्रियल इंटरप्रोनोट मेमोरेन्डम) के अन्तर्गत रजिस्ट्रीकृत इकाइयों में सुलभ रोजगार के अवसर की जानकारी

*4–श्री राजधारी–

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि उत्तर प्रदेश के औद्योगिक परिवेश को समृद्ध एवं प्रभावी बनाने हेतु सरकार कोई महत्वाकांक्षी योजना बना रही है ? यदि हां, तो वह योजना क्या है ? पिछले सात सालों में दिल्ली में आई०ई०एम० (इण्डस्ट्रियल इंटरप्रोनोट मेमोरेन्डम) के जरिये उ० प्र० में कितनी

धनराशि की कितनी इकाइयां रजिस्ट्रीकृत हुई हैं ? इन इकाइयों से कितने लोगों को रोजगार का अवसर सुलभ कराने का लक्ष्य था ? क्या कम इकाइयों के रजिस्ट्रीकरण एवं वांछित रोजगार के अवसर सुलभ न होने पर सरकार द्वारा कोई प्रभावी कार्यवाही की गयी है ? यदि हां, तो वह क्या हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सहकारिता मंत्री (श्री पटेल राम कुमार वर्मा)–

जी हां ।

उत्तर प्रदेश में औद्योगिक परिवेश को समृद्ध एवं प्रभावी बनाने हेतु उ० प्र० सरकार द्वारा विकास परक औद्योगिक नीति 1998, खनिज नीति एवं निर्यात नीति बनाई गई है । औद्योगिक नीति के अन्तर्गत प्रधानतः निम्नलिखित कार्य योजनाओं का समावेश किया गया है :–

1–औद्योगिक क्षेत्र के निजी क्षेत्र को प्रोत्साहन ।

2–सुरक्षित औद्योगिक वातावरण का निर्माण ।

3–लघु एवं कुटीर उद्योगों का बढ़ावा ।

4–पूंजी निवेश हेतु अनिवासी भारतीयों का आकर्षण ।

5–सहयोग परक एवं संवेदनशील प्रशासनिक व्यवस्था ।

6–पुराने उद्योगों को जीवन्त बनाने पर बल ।

7–अवस्थापना सुविधाओं की उपलब्धता को शीर्ष प्राथमिकता ।

8–प्रदेश की औद्योगिक सम्भावनाओं के पूर्ण उपयोग के लिये औद्योगिक गलियारों का विकास ।

9–उद्योगों को बेहतर विद्युत आपूर्ति ।

10–समस्याओं का समयबद्ध तथा संवेदनशीलता से निस्तारण ।

वर्ष 1991 से माह अगस्त 1998 तक आई० ई० एम० (इण्डस्ट्रियल इन्टर प्रिन्योर मेमोरेन्डम) में 3388 इकाइयां उत्तर प्रदेश में स्थापनार्थ रजिस्ट्रीकृत हुई हैं जिनमें 601 4 करोड़ धनराशि का पूंजी निवेश प्रस्तावित हुआ ।

उपरोक्त इकाइयों में 563323 व्यक्तियों को रोजगार के अवसर प्रदान कराने का प्राविधान हुआ ।

राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में प्रदेश की स्थिति सन्तोषजनक है फिर भी अधिक से अधिक निवेश आकर्षित करने के प्रयास किये गये हैं ।

उपरोक्त अनुसार ।

प्रश्न नहीं उठता ।

श्री राजधारी–

आदरणीय अध्यक्ष जी, मंत्री जी के आंकड़ों की जादूगरी में औद्योगिक विकास काफी फलता-फूलता नजर आया है लेकिन वास्तविकता भिन्न है । वर्ष 91 से 98 तक आई०ई०एम० में 3388 इकाइयां उत्तर प्रदेश में रजिस्टर्ड हुई हैं जिनमें 60174 करोड़ रुपये का पूंजी निवेश हुआ था मैं जानना चाहता हूं जितनी इकाइयां पंजीकृत हुई उसमें से कितनी इकाइयां संचालित हैं और उनमें कितना पूंजी निवेश हुआ है और कितने लोगों को उसमें रोजगार मिला है ।

दूसरा सवाल जो औद्योगिक विकास की बात हो रही है उसमें वित्तीय कठिनाइयों के कारण वास्तव में वह विकास नहीं हो पा रहा है तो उसके कारणों को दूर करने के लिए सरकार क्या कर रही है ?

श्री ''पटेल'' राम कुमार वर्मा–

मान्यवर, प्रश्न के उत्तर में बताया गया है कि वर्ष 1991 से माह अगस्त 1998 तक आई०ई०एम० में 3388 इकाइयां स्थापनार्थ हमारे यहां रजिस्टर्ड हुईं । जिसमें 60174 करोड़ की पूंजी प्रस्तावित है । तो इस प्रकार हमारे प्रदेश का भारत में दूसरा स्थान है, तो यह स्वयं में सिद्ध है कि हमने औद्योगिक स्थित को मजबूत किया है । निश्चित रूप से पहले किसी भी चीज की भूमिका बनती है उसके बाद कार्य प्रारम्भ करते हैं । अब औद्योगिक माहौल पैदा हुआ है औद्योगिक निवेश की स्थिति बनी है और हमारा प्रदेश दूसरे नम्बर पर आया है औद्योगिक वातावरण पैदा हुआ है ।

श्री राजधारी–

मान्यवर, मेरे प्रश्न का उत्तर स्पष्ट नहीं हुआ है जो 1991 से 1998 की बात कही गयी है मैं इस संबंध में जानना चाहता हूं कि कितनी औद्योगिक इकाइयां लगने का लक्ष्य था कितनी लगी और कितनों में उत्पादन हो रहा है और कितना पूंजी निवेश हुआ और कितने लोगों को रोजगार के अवसर मिले ।

श्री ''पटेल'' राम कुमार वर्मा–

मान्यवर, मैं पूर्व में ही निवेदन कर चुका हूं कि भारत वर्ष से जो प्रस्ताव आये हैं उनमें सर्वेक्षण कराया गया तो 3 राज्यों में उत्तर प्रदेश का भी अध्ययन हुआ है । उत्तर प्रदेश की फीड सर्विसेज संस्था ने जो सर्वेक्षण किया है जो उसने अपनी रिपोर्ट में औद्योगिक क्षेत्र में उत्तर प्रदेश का 43 प्रतिशत आया है, दूसरा अध्ययन चेम्बर्स आफ कामर्स द्वारा जुलाई में कराया गया और उसमें हमारे प्रदेश का प्रतिशत 48 है, तीसरा सर्वेक्षण टाइम्स संस्था ने किया है जो 10 नवम्बर, 1998 को सर्वेक्षण किया था । भारत के तुलनात्मक अध्ययन में उत्तर प्रदेश का स्थान 48 प्रतिशत है, जो भारत वर्ष में पहले तृतीय स्थान पर था, वह अब द्वितीय स्थान पर आ गया है ।

श्री राजधारी–

मान्यवर, मैंने पूछा था कि वर्ष 1991 से 1998 तक जो इस दिशा में प्रयास किया उसका परिणाम क्या है ? जो पंजीकृत इकाइयां हैं उसमें मैं जानना चाहता हूं कि कितनी इकाइयां संचालित हैं और उनमें कितना पूंजीनिवेश हुआ है तथा उनकी क्या प्रगति है ?

श्री ''पटेल'' राम कुमार वर्मा–

मान्यवर, मैंने प्रारम्भ में ही कहा है कि जब कोई इकाई स्थापित होती है तो रुपया लगता है और इस प्रकार मैंने पहले ही उत्तर दे दिया है कि 45 प्रतिशत निवेश हुआ है ।

डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी–

मान्यवर, मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि वर्ष 1997 से वर्ष 1998–99 तक कुल कितने आशय पत्रों पर हस्ताक्षर हुये और कितना पूंजी निवेश हुआ है तथा वर्ष 1999–2000 में कितना प्रस्तावित है ?

श्री ''पटेल'' राम कुमार वर्मा–

मान्यवर, दिसम्बर, 1998 तक 3498 इच्छा पत्र प्राप्त हुये थे और 61026 करोड़ रुपया का निवेश है । इस प्रकार उत्तर प्रदेश का जो तृतीय स्थान था वह अब द्वितीय स्थान पर आ गया है ।

राष्ट्रीय प्रान्तीय राज मार्ग में छोटे कस्बे में सड़कों के निर्माण के साथ जल निकासी की व्यवस्था

*5–श्री नरेन्द्र सिंह–

क्या लोक निर्माण मंत्री को जानकारी है कि राष्ट्रीय राज मार्ग प्रान्तीय राज मार्ग, एम०डी०आर० तथा ओ०डी०आर० सड़कों का निर्माण जहां छोटे कस्बों के बीच से होता है, वहां जल निकासी की

व्यवस्था न होने के कारण प्रति वर्ष सड़कें अत्यधिक खराब हो जाती हैं तथा सरकार का करोड़ों रुपये का नुकसान होता है ? यदि हां, तो क्या सरकार कस्बों के अन्दर गुजरने वाली सड़कों के निर्माण के साथ प्राक्कलन में जल निकासी की व्यवस्था सुनिश्चित करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

लोक निर्माण मंत्री (श्री कलराज मिश्र)–

जी हां ।

जी नहीं ।

शहरों एवं कस्बों से होकर निकलने वाले मार्गों की जल निकासी की व्यवस्था एवं रख-रखाव का कार्य स्थानीय निकायों द्वारा किया जाता है ।

श्री नरेन्द्र सिंह–

मान्यवर, मेरे प्रश्न के तीन खण्ड हैं । मंत्री जी ने पहले खण्ड में उत्तर दिया है– जी हां । दूसरे प्रश्न के उत्तर में कहा है–जी नहीं । और तीसरे प्रश्न में मंत्री जी ने उत्तर दिया है–शहरों एवं कस्बों से होकर निकलने वाले मार्गों की जल निकासी की व्यवस्था एवं रख-रखाव का कार्य स्थानीय निकायों द्वारा किया जाता है ।

मान्यवर, मैं जानना चाहता हूं कि एक वित्तीय वर्ष में कस्बों से होकर जो सड़कें जाती हैं उनकी मरम्मत पर कितना खर्च हुआ ?

मान्यवर, मेरा दूसरा प्रश्न है इन सड़कों पर टेलीफोन लाइने डालने हेतु जब खुदाई की जाती है अथवा पाइप लाइनें डालने में खुदाई की जाती है तो स्थानीय विभागों से इनकी क्षतिपूर्ति हेतु पी० डब्लू० डी० धन प्राप्त करता है, स्थानीय निकाय उन सड़कों के लिए जल निकासी की व्यवस्था नहीं करते हैं तो सरकार का रुपया बर्बाद होता है । इसलिए मैं जानना चाहता हूं क्या स्थानीय निकाय की सड़कें पी०डब्लू० डी० जो उससे रुपया प्राप्त करता है उससे क्या वह नालियां बनवायेगा ?

श्री कलराज मिश्र–

मान्यवर, जो भी नगर पंचायत या नगर परिषदें हैं उनके बीच से जो सड़के जाती हैं वहां नालियों के अभाव के कारण सड़कें ध्वस्त हो जाती हैं । प्रश्न पूछा गया था कि इससे करोड़ों रुपयों की क्षति होती है तो मैंने स्वीकार किया कि क्षति होती है । लेकिन लोक निर्माण विभाग द्वारा नालियां बनाने का प्राविधान नहीं है बल्कि यह कार्य नगर पंचायत और नगर निगम के माध्यम से होता है, तो जो भी सड़कें खराब हुई हैं इसमें कितना पैसा खर्च हुआ है तो मैं बताना चाहता हूं कि अनुरक्षण हेतु गत वित्तीय वर्ष में 255 करोड़ रुपया खर्च हुआ है । इसमें सड़कों के नवीनीकरण और रख-रखाव के खर्चे भी शामिल हैं । इस प्रकार अलग-अलग खर्चे नहीं निकाले गये हैं, यह आंकड़े मेरे पास नहीं हैं, बल्कि सब मिलाकर 255 करोड़ रुपया खर्च हुआ है ।

श्री नरेन्द्र सिंह–

मान्यवर, मैंने अनुपूरक प्रश्न पूछा था कि कस्बों से गुजरने वाली सड़कों पर एक वित्तीय वर्ष में कितना खर्च हुआ ? दूसरा प्रश्न था सड़कों की जो दूसरे विभाग जैसे टेलीफोन लाइने अथवा पाइप लाइनें डालने हेतु सड़कों को खोदते हैं तो उनसे लोक निर्माण विभाग क्षति की धनराशि प्राप्त करता है तो मैं जानना चाहता हूं कि इसी तरह अन्य विभागों से भी क्या मंत्री जी क्षति की धनराशि प्राप्त करेंगे ?

श्री कलराज मिश्र–

मान्यवर, मैंने कहा है कि सड़कों का उच्चीकरण इसलिए किया जाता है कि नालियों का पानी सड़कों पर न आने पाये । सम्बन्धित विभाग चूंकि पंचायत निकाय या नगर परिषद हो वे नाली का निर्माण करते हैं ऐसी सड़कों पर उच्चीकरण का काम करने की प्रक्रिया चल रही है । अग्रतन पर 255 करोड़ रुपया खर्च है और उसके अन्तर्गत 116 करोड़ रुपया नवीनीकरण पर खर्च हुआ है ।

लुम्बनी दुद्धी राज मार्ग को राष्ट्रीय मार्ग घोषित करने की मांग

*6–श्री लालजी वर्मा–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लुम्बनी दुद्धी राज मार्ग को राष्ट्रीय मार्ग में परिवर्तित करने हेतु कोई प्रस्ताव शासन के विचाराधीन है ? यदि हां, तो कब तक उसे राष्ट्रीय राज मार्ग घोषित कर दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कलराज मिश्र–

जी नहीं ।

उपरोक्तानुसार ।

उपरोक्तानुसार ।

श्री लालजी वर्मा–

मान्यवर, प्रश्न के उत्तर में मंत्री जी ने कहा है–जी नहीं । लेकिन मैं बताना चाहता हूं कि यह मार्ग लम्बा है और नैपाल तक जाता है । तो क्या इस मार्ग की महत्ता को देखते हुए क्या इसको आप राज मार्ग की श्रेणी में शामिल कराने की कृपा करेंगे ?

श्री कलराज मिश्र–

मान्यवर, माननीय सदस्य ने जो अपेक्षा की है राष्ट्रीय राज मार्ग के संबंध में तो यह मानक के अन्तर्गत आती है । मैं इसके लिए भारत सरकार को प्रस्ताव भेजूंगा ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्नों का समय समाप्त हुआ ।

*7–डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी–

[स्पष्टीकरण हेतु हटाया गया ।]

उत्तराखण्ड में लकड़ी पर आधारित उद्योगों को पूर्व की भांति लकड़ी के आवंटन की मांग

*8–श्री कृष्ण चन्द्र पुनेठा–

क्या वन मंत्री को यह जानकारी है कि उत्तराखण्ड में लकड़ी पर आधारित उद्योगों को कच्चा माल उपलब्ध न हो पाने के कारण उद्योग रुग्ण होते जा रहे हैं ? क्या सरकार इन उद्योगों को पूर्व की भांति लकड़ी का आवंटन कराने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

वन मंत्री (श्री रघुवर दयाल वर्मा)–

वर्तमान में उत्तराखण्ड में लकड़ी पर आधारित विभिन्न उद्योगों को वन निगम द्वारा उपलब्धता के आधार पर विभिन्न प्रजातियों की लकड़ी उपलब्ध करायी जा रही है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

नोट :–नत्थी 'ग' के तारांकित प्रश्न संख्या–6 के उपरान्त प्रश्नों का समय समाप्त हुआ ।

जनपद लखनऊ में आई०ए०एस०/आई० पी० एस० अधिकारी के निजी आवास होने पर उन्हें सरकारी आवास से बेदखल करने का प्रकरण

*9–श्री समरपाल सिंह–

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि कितने ऐसे आई० ए० एस०/आई०पी०एस० अधिकारी हैं जिनके लखनऊ में निजी मकान होने के बावजूद वे सरकारी आवास में रह रहे हैं ? क्या ऐसे अधिकारियों को सरकारी आवास से बेदखल किया जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

मुख्य मंत्री (श्री कल्याण सिंह)–

जी हां । उपलब्ध सूचना के अनुसार ऐसे 60 आई०ए०एस०/8 आई०पी०एस० अधिकारी हैं, जिनके अपने मकान लखनऊ में हैं और वे सरकारी आवास में रह रहे हैं ।

जी नहीं । सरकारी निवास स्थान (लखनऊ स्थित समस्त सामान्य निवास स्थान) आवंटन नियमावली, 1980 में ऐसा कोई प्राविधान नहीं है, जिसके अधीन सम्बन्धित अधिकारियों के लखनऊ में निजी मकान होने पर, आवंटित सरकारी आवास से बेदखल किया जा सके ।

प्रश्न नहीं उठता ।

*10–श्री बनवारी लाल दोहरे–

[6ठे मंगलवार के लिये स्थगित ।]

कक्षा 9 के प्रश्न-पत्र तैयार करने हेतु नीति निर्धारण की जानकारी

*11–श्री केशो मेहरा–

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कक्षा–9 के प्रश्न-पत्र तैयार किये जाने हेतु कोई नीति निर्धारित की गयी है ? यदि हां, तो वह क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा० नैपाल सिंह–

जी हां ।

शैक्षिक स्तरोन्नयन हेतु कक्षा 9 की गृह परीक्षा मण्डल स्तर पर कराये जाने का निर्णय लिया गया है । इसके लिए प्रत्येक मण्डल में मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया है, जो परीक्षा के आयोजन हेतु प्रश्न पत्रों का निर्माण तथा परीक्षा की समय सारिणी निर्धारित करेगी ।

प्रश्न नहीं उठता ।

राजकीय कालोनियों की देखभाल ठीक से न होने विषयक सदस्य, विधान परिषद् के पत्र पर कार्यवाही की जानकारी

*12–डा० धर्मज्ञ मिश्र–

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि राजकीय कर्मचारियों हेतु निर्मित राजकीय कालोनियों की देख-रेख उचित ढंग से न होने के संबंध में श्री राज कुमार अग्रवाल, सदस्य, विधान परिषद् का पत्र दिनांक 4 जनवरी, 1999 पत्र संख्या 502 एवं 503/स०वि०प०, जोकि राज्य सम्पत्ति अधिकारी को प्रेषित एवं दिनांक 4 जनवरी, 1999 का पत्र संख्या–501/स०वि०प०/99 जोकि सचिव, राज्य सम्पत्ति को सम्बोधित था, प्राप्त हुआ ? यदि हां,तो पत्रों के मुख्य बिन्दु क्या हैं तथा उन बिन्दुओं पर अभी तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह–

जी हां ।

पत्र संख्या–501/स०वि०प०/99, दिनांक 4-1-99 एवं 502/स०वि०प०/99, दिनांक 4-1-99 टिकैतराय कालोनी के आवास सं०–आर०एस०–2/311 में पानी की टंकी, सिंक, मिरर बदलने व दरवाजे, खिड़कियों पर पेन्ट करने से सम्बन्धित है, जो सम्प्रति पूर्ण कराये जा चुके हैं ।

पत्र संख्या–503/स०वि०प०/99, दिनांक 4-1-99 बंदरियाबाग कालोनी के आ०सं०–सी–17 के दीवार के प्लास्टर की मरम्मत, लैट्रीन सीट व छत की टंकी बदलने से सम्बन्धित है, जिसमें से प्लास्टर मरम्मत का कार्य तथा लैट्रीन सीट का बदलाव करा दिया गया है । टंकी बदलने के कार्य हेतु स्वीकृति प्रदान कर दी गयी है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रदेश में निजी इंजीनियरिंग कालेज स्थापना की नीति एवं प्रतापगढ़ के पट्टी एवं बीरापुर में निजी इंजीनियरिंग कालेज खोलने की योजना

*13–श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह–

क्या प्राविधिक शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रदेश में निजी इंजीनियरिंग कालेज स्थापना हेतु शासन की नीति क्या है ? क्या जनपद प्रतापगढ़ के विधान सभा क्षेत्र पट्टी एवं बीरापुर में निजी इंजीनियरिंग कालेज खोलने का कोई प्रस्ताव शासन के विचाराधीन है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

प्राविधिक शिक्षा मंत्री (डा० नरेन्द्र कुमार सिंह गौर)–

प्रदेश में वर्ष 1991 की जनगणना के आधार पर डिप्लोमा तथा डिग्री स्तरीय अभियांत्रिकी पाठ्यक्रमों में प्रवेश का अनुपात 4:1 को ध्यान में रखते हुए प्रवेश क्षमता वृद्धि के उद्देश्य से निजी क्षेत्र में अभियांत्रिकी महाविद्यालयों की स्थापना की योजना प्रारम्भ की गयी है ।

जी नहीं । एक प्रस्ताव अंजली कालेज आफ इंजीनियरिंग का है, जिसके भूमि, निधि तथा सोसाइटी की औपचारिकताएं संबंधित संस्था द्वारा पूरी की जानी हैं ।

राजकीय इण्टर कालेजों में प्रवक्ता के रिक्त पदों की संख्या/नियुक्ति की मांग

*14–श्री छब्बू पटेल–

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राजकीय इण्टर कालेजों में वर्तमान समय में प्रवक्ता के कितने पद रिक्त हैं ? उन रिक्त पदों पर कब तक नियुक्ति की जायेगी ? क्या प्रवक्ता पद के चयन के लिये लोक सेवा आयोग को अधियाचन भेज दिया गया है ? यदि हां, तो कब ?

डा० नैपाल सिंह–

राजकीय इण्टर कालेजों में प्रवक्ता के 1700 पद रिक्त हैं । रिक्त पदों पर चयनित अभ्यर्थी उपलब्ध होते ही नियुक्ति की जायेगी ।

जी नहीं । अधियाचन की कार्यवाही गतिमान है ।

प्रदेश को हरा भरा बनाने हेतु क्रियान्वित योजनायें एवं कतिपय जनपदों में वृक्षारोपण की स्थिति की जानकारी

*15–श्री नरेन्द्र सिंह शिशौदिया–

क्या वन मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रदेश को हराभरा बनाने के लिये सरकार कोई योजना बना रही है ? यदि हां, तो उसकी रूपरेखा क्या है ? क्या मंत्री जी को ज्ञात है कि पिछले तीन वर्षों में लखनऊ, देवरिया, गाजीपुर, बाराबंकी एवं गाजियाबाद में ट्री गार्ड लगा कर वृक्षारोपण किये गये हैं ? यदि हां, तो

क्या उसमें से 80 प्रतिशत पेड़ सूख गये हैं या नष्ट हो गये हैं ? यदि हां, तो दोषी अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या वृक्षारोपण के बाद उसकी देखरेख के लिये कोई अधिकारी/कर्मचारी नियुक्त किया जाता है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रघुवर दयाल वर्मा–

जी हां, उत्तर प्रदेश में हरीतिमा संवर्धन हेतु वन विभाग के अन्तर्गत कई योजनाएं बनाकर क्रियान्वित की जा रहा हैं जिनमें से मुख्य योजनायें निम्न प्रकार हैं :–

शहरी क्षेत्र

1–शहरी क्षेत्रों में सामाजिक वानिकी

2–उत्तर प्रदेश वानिकी परियोजना के अन्तर्गत 7 शहरों में वनीकरण ।

ग्रामीण क्षेत्र

1–औद्योगिक एवं पल्पवुड वृक्षारोपण ।

2–सामाजिक वानिकी प्रायोजना ।

3–ईंधन एवं चारा प्रायोजना ।

4–ऊर्जा वृक्षारोपण ।

5–सूख रहे जल क्षेत्रों के लिए वृक्षारोपण ।

6–सिविल सोयम वनों में भूमि संरक्षण कार्य ।

7–राम गंगा के जलागम क्षेत्रों में नदी घाटी परियोजना ।

8–समेकित परती भूमि विकास परियोजना ।

9–सिन्धु बेमिन के बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में जलागम प्रबन्ध ।

10–टिहरी बांध के जलागम क्षेत्रों में भूमि संरक्षण कार्य ।

11–खीर गंगा परियोजना ।

12–माताटीला के जलागम क्षेत्रों में नदी घाटी परियोजना ।

13–उत्तर प्रदेश वानिकी परियोजना ।

जी हां, पिछले 3 वर्षों में लखनऊ, देवरिया, गाजीपुर एवं बाराबंकी में ट्री गार्ड लगाकर एवं ब्रिक गार्ड बनाकर वृक्षारोपण किया गया है । परन्तु कहीं भी 80 प्रतिशत पौध न तो सूखी है न, ही नष्ट हुई है । गाजियाबाद में वन विभाग द्वारा पिछले तीन वर्षों में ट्री गार्ड लगार कोई भी वृक्षारोपण नहीं किया गया है ।

उपरोक्त के दृष्टिगत कोई कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठता है ।

वृक्षारोपण की देख-रेख हेतु दैनिक पारिश्रमिक पर श्रमिक रखे जाते हैं, उसके ऊपर वन रक्षक, वनविद एवं वन क्षेत्राधिकारी आदि तैनात रहते हैं ।

विद्यालयों की मान्यता की प्रक्रिया में संशोधन करते हुए मान्यता समिति को समाप्त कर धारा 9(4) के अन्तर्गत मान्यता प्रदान करने पर विचार

*16–श्री उदय राज यादव–

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि मार्च, 1997 से अब तक कितने विद्यालयों को धारा 9(4) के अन्तर्गत तथा कितने विद्यालयों को मान्यता समिति की संस्तुति के उपरान्त मान्यता प्रदान की

गयी है ? मान्यता समिति की संस्तुति न होने के बावजूद विद्यालयों को धारा 9(4) के अन्तर्गत मान्यता दिये जाने का औचित्य क्या है ? क्या सरकार मान्यता की प्रक्रिया में संशोधन करते हुए मान्यता समिति को समाप्त कर सभी विद्यालयों को शासन से धारा 9(4) के अन्तर्गत मान्यता प्रदान करने पर विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ।

डा० नैपाल सिंह–

मार्च, 1997 से अब तक 1404 विद्यालयों को धारा 9(4) के अन्तर्गत तथा 781 विद्यालयों को मान्यता समिति की संस्तुति के उपरान्त धारा 7क(क) के अन्तर्गत मान्यता प्रदान की गयी है । जिन प्रकरणों पर तत्काल कार्यवाही करना अपेक्षित होता है, वहां पर क्षेत्रीय आवश्यकताओं को देखते हुए शर्तों की पूर्ति होने पर धारा 9(4) के अन्तर्गत मान्यता दी जाती है ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

धारा 9(4) का प्रयोग विशेष परिस्थितियों में तात्कालिक आवश्यकता को देखते हुए किया जाता है ।

जनपद बस्ती लुम्बनी मार्ग को चौड़ा करने की मांग

*17–श्री राम ललित चौधरी–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बस्ती-लुम्बनी मार्ग पर बढ़ते यातायात एवं दुर्घटना को देखते हुए सरकार इसे चौड़ा करने पर विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कलराज मिश्र–

जी हां ।

प्रस्ताव शासन के विचाराधीन है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में समान निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा नीति लागू करने की योजना के प्रारूप की जानकारी

*18–प्रो० रवीन्द्र पुण्डीर–

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि शिक्षा के क्षेत्र में आमूल चूल परिवर्तन हेतु समान निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा नीति लागू करने की सरकार की कोई योजना है ? यदि हां, तो उस योजना का प्रारूप क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बालेश्वर त्यागी–

जी हां ।

प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में परिषदीय प्राथमिक एवं पूर्व माध्यमिक विद्यालयों में निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था है । शिक्षा की अनिवार्यता को दृष्टिगत रखते हुए यह निर्णय लिया गया है कि शिक्षा गारन्टी योजना के अन्तर्गत जिस गांव अथवा उसके मजरे में 30 बच्चे शिक्षा प्राप्त करने हेतु उपलब्ध होंगे वहां शिक्षा की सुविधा उपलब्ध करायी जायेगी । इसकी कार्ययोजना विचाराधीन है ।

2–शिक्षा व्यवस्था के सुदृढ़ीकरण हेतु लगभग 27000 रिक्त पदों के विरुद्ध बी०एड०, एल०टी० आदि को विशेष प्रशिक्षण प्रदान कर नियुक्ति प्रदान की जायेगी जिसके प्रथम फेरे की व्यवस्था की जा चुकी है ।

3–जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत अगले वित्तीय वर्ष में ४२ अतिरिक्त जनपदों को आच्छादित किया जा रहा है जिसके अन्तर्गत आवश्यकतानुसार नये विद्यालय खोलकर शिक्षा की पहुंच बढ़ाई जा रही है ।

4–शिक्षा के सार्वभौमिकरण के लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु पंचायतों की प्रभावी भूमिका सुनिश्चित करने के प्रयास किये जा रहे हैं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

अतारांकित प्रश्न

एम० के० पी० कालेज जनपद–देहरादून की छात्रा के छात्रवृत्ति के भुगतान की मांग

1–श्री लाखीराम जोशी–

क्या उच्च शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि एम० के०पी० कालेज, देहरादून में वर्ष 1992–93 एवं 1993–94 में बी०ए० प्रथम वर्ष व द्वितीय वर्ष की संस्थागत छात्रा कु० निम्मी कुकरेती को पर्वतीय क्षेत्र की असेवित छात्रवृत्ति के भुगतान में उक्त कालेज की तत्कालीन प्राचार्य द्वारा भारी अनियमिततायें की गयी हैं । यदि हां, तो उनके खिलाफ क्या कार्यवाही की जा रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ? उक्त छात्रा को छात्रवृत्ति का भुगतान कब तक कर दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा० नरेन्द्र कुमार सिंह गौर–

जी नहीं । कु० निम्मी कुकरेती की प्रगति आख्या एवं आवेदन पत्र समय से प्राप्त न होने तथा प्राप्त आवेदन पत्र अपूर्ण होने की दशा में यह उल्लिखित वर्षों में छात्रवृत्ति पाने से वंचित रहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

उक्त छात्रा को छात्रवृत्ति के नवीनीकरण/भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित करने के निर्देश निदेशक, उच्च शिक्षा द्वारा दे दिये गये हैं ।

2–श्री कृष्ण चन्द्र पुनेठा–

[4थे शुक्रवार में अता० प्र० सं० 184 के अन्तर्गत स्थानान्तरित ।]

3–श्री कृष्ण चन्द्र पुनेठा–

[4थे शुक्रवार में अता० प्र० सं० 185 के अन्तर्गत स्थानान्तरित ।]

उत्तरांचल के राजकीय महाविद्यालयों के पुस्तकालयाध्यक्षों के पुनरीक्षित वेतनमान/स्थायीकरण का प्रकरण

4–श्री मोहन सिंह रावत गांववासी–

क्या उच्च शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि उत्तरांचल के राजकीय महाविद्यालयों में कार्यरत पुस्तकालयाध्ययक्षों को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा पुनरीक्षित वेतनमान 2200–4000 देना प्रारम्भ हो गया है ? क्या उत्तरांचल के राजकीय महाविद्यालयों में पुस्तकालयाध्यक्षों की नियुक्तियां उच्च शिक्षा निदेशालय उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद की विज्ञप्ति सं०–उ०प्र०/773, दिनांक 11-10-78 के सभी अर्हता द्वारा नियुक्ति आदेशों का परिपालन कर विनियमितीकरण व स्थायीकरण हुआ है ? क्या उत्तरांचल के राजकीय महाविद्यालयों में वर्ष 1981 से पूर्व कार्यरत पुस्तकालयाध्यक्षों को 1 जनवरी,

1986 से यू०जी०सी० पुनरीक्षित वेतनमान 2200–4000 देने का प्रकरण शासन में विचाराधीन है ? यदि हां, तो उसका निस्तारण कब तक कर दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा० नरेन्द्र कुमार सिंह गौर–

जी हां, 1–1–86 से दिया जा रहा है ।

सभी का नहीं । कुल 4 पुस्तकालयाध्यक्षों में से एक का स्थायीकरण किया गया है ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

5–श्री मोहन सिंह रावत गांववासी–

[दिनांक 23-2-99 को अता० प्र० सं०–37 द्वारा उत्तरित ।]

6–श्री दीपलाल भारती–

[5वें गुरूवार में अता० प्र० सं०–141 के अन्तर्गत स्थानान्तरित ।]

आनपारा–उन्नाव 800 के०वी० लाइन निर्माण के टावर हेतु सोनभद्र/मिर्जापुर वन विभाग के अधिकारियों के द्वारा अनुमति पर प्राइस बैरिएशन की मांग हेतु प्राप्त पत्र पर कार्यवाही

7–श्री हरदेव सिंह, श्री अजय कुमार पोइया तथा श्री नरेन्द्र सिंह शिशौदिया–

क्या वन मंत्री कृपया बतायेंगे कि 800 के०वी० आनपारा, उन्नाव ट्रान्समीशन लाइन के निर्माण में जगह-जगह टावर खड़े करने हेतु जनवरी, 1994 से 28 दिसम्बर, 1998 तक जंगल की कटाई के लिये वन विभाग के सोनभद्र एवं मिर्जापुर के अधिकारियों से कब-कब अनुमति उ० प्र० राज्य विद्युत परिषद् के अधिकारियों ने मांगी थी ? क्या जंगल कटाई हेतु अनुमति दे दी गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या विलम्ब का आधार मानकर विदेशी कम्पनी मेसर्स हुण्डई ने 50 करोड़ रुपये से अधिक का प्राईस बैरिएशन की मांग वन विभाग से की है ? क्या इस संबंध में मा० भानु प्रताप सिंह वर्मा, सांसद का पत्र दिनांक 26-12-98 उनको प्राप्त हुआ है, यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रघुवर दयाल वर्मा–

800 के०वी० आनपरा-उन्नाव ट्रान्समिशन लाईन के निर्माण हेतु जगह-जगह टावर खड़ा करने के लिये वृक्षों के कटान हेतु उ० प्र० रा० वि०प० के अधिकारियों द्वारा समस्त कार्यवाही करने के पश्चात वन विभाग से माह सितम्बर–1998 में अनुमति मांगी गयी थी ।

जी हां ।

प्रश्न नहीं उठता है ।

जी नहीं ।

जी हां । कथित पत्र में वृक्षों के कटान हेतु अपेक्षित कार्यवाही पूर्व में ही की जा चुकी है ।

प्रश्न नहीं उठता है ।

8–श्री लाखीराम जोशी–

[4थे शुक्रवार में अता० प्र० सं०–186 के अन्तर्गत स्थानान्तरित ।]

9-श्री मोहन सिंह रावत गांववासी-

[4थे शुक्रवार में अता० प्र० सं०-187 के अन्तर्गत स्थानान्तरित ।]

जनपद हरदोई मल्लावां-सण्डीला मार्ग निर्मल नगर में डामरीकरण की मांग

10-डा० धर्मज्ञ मिश्र-

क्या लोक निर्माण मंत्री को जानकारी है कि जनपद हरदोई के 91- मल्लावां निर्वाचन क्षेत्र के अन्तर्गत मल्लावां-सण्डीला मार्ग पर निर्मल नगर से माझे गांव तक खड़न्जा युक्त जो सड़क पुरानी बनी है वह ध्वस्त हो चुकी है? क्या उसकी मरम्मत कराकर डामरीकरण जनहित में किया जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कलराज मिश्र-

जी हां ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रदेश के सीमित वित्तीय संसाधनों के कारण सम्भव नहीं है ।

जनपद हरदोई, मल्लावां के कथित ग्राम की सड़कों की मरम्मत/डामरीकरण

11-डा० धर्मज्ञ मिश्र-

क्या लोक निर्माण मंत्री को जानकारी है कि जनपद हरदोई के 91-मल्लावां निर्वाचन क्षेत्र के अन्तर्गत बैरिया नजीरपुर रोड से ग्राम शाहपुर पवार तक जो खड़न्जा युक्त सड़क बनी है, जर्जर हो चुकी है ? क्या उस की मरम्मत कराकर जनहित में डामरीकृत कराकर सरकार आवागमन के योग्य बनवायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कलराज मिश्र-

जी नहीं ।

मार्ग पर सामान्य आवागमन जारी है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रदेश के सीमित वित्तीय संसाधनों के कारण सम्भव नहीं है ।

जनपद बलिया, मान्यता प्राप्त सहायक जूनियर हाई स्कूलों में नियुक्त अध्यापकों में से वेतन भुगतान पाने वाले अध्यापकों को वेतन भुगतान के अनुपालन की जानकारी

12-श्री रामतेज यादव एडवोकेट-

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि बलिया जनपद में मान्यता प्राप्त सहायक जूनियर हाई स्कूलों में एक ही साथ तिथि व माह में नियुक्त ऐसे कितने अध्यापक हैं, जिन्हें न्यायालय के आदेश से वेतन भुगतान किया जा रहा है तथा कौन-कौन ऐसे अध्यापक हैं जिन्हें न्यायालय के आदेश के बावजूद वेतन भुगतान नहीं किया जा रहा है ? क्या सरकार ऐसे अध्यापकों को भी वेतन भुगतान सुनिश्चत करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बालेश्वर त्यागी-

सूचना एकत्र की जा रही है ।

प्रदेश में औद्योगिक विकास को चुस्त दुरुस्त बनाने हेतु सम्बन्धित विभागों को एक ही मंत्रालय के अधीन करने के प्रस्ताव की जानकारी

13–श्री कृष्ण चन्द्र पुनेठा–

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि प्रदेश में औद्योगिक विकास के क्षेत्र में व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त किये जाने हेतु औद्योगिक विकास आयुक्त की नियुक्ति की गयी है ? यदि हां, तो किसके अधीन कितने विभाग रखे गये हैं ? क्या समन्वय व त्वरित नीति निर्धारण की सुविधा को दृष्टिगत रखते हुए उद्योग से सम्बन्धित विभागों को एक ही मंत्रालय के अधीन किया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह–

जी हां ।

औद्योगिक विकास आयुक्त के अधीन छः विभाग रखे गये हैं जो निम्नवत हैं :–

औद्योगिक विकास विभाग, लघु उद्योग एवं निर्यात प्रोत्साहन, हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग विभाग, खादी ग्रामोद्योग, इलेक्ट्रानिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी तथा श्रम विभाग ।

ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है ।

जनपद पौड़ी गढ़वाल राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बहेड़ाखाल के श्री राम लाल का स्थानान्तरण अन्यत्र करने हेतु प्राप्त पत्र पर कार्यवाही की जानकारी

14–श्री मोहन सिंह रावत गांववासी–

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बहेड़ाखाल, विकास खण्ड कोट, पौड़ी गढ़वाल में कार्यरत प्रधानाध्यपक श्री रामलाल का स्थानान्तरण विद्यालय एवं क्षेत्र के हित में अन्यत्र किये जाने के संबंध में प्रश्नकर्ता का पत्रांक विधायक/शिक्षा/98–99, दिनांक 17-9-98 तथा पत्रांक विधायक 98-99, दिनांक 23-11-98 के द्वारा उनको तथा पत्रांक विधायक/104/शिक्षा/98-99, दिनांक 4-9-98 के द्वारा शिक्षा निदेशक (माध्यमिक) उत्तर प्रदेश 18, पार्क रोड, लखनऊ को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो इन पत्रों में उठाये गये बिन्दुओं पर अभी तक कार्यवाही न किये जाने के क्या कारण हैं ? क्या प्रश्नगत विद्यालय की दिन प्रतिदिन गिरती जा रही शैक्षणिक, प्रशासनिक, अनुशासनिक व्यवस्था के संबंध में विद्यालय की अभिभावक-अध्यापक एसोसियेशन के अध्यक्ष श्री मदनसिंह नयाल के पत्रांक अ०अ०ए/3–शिक्षा/98–99, दिनांक 25-7-98 उनको प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो प्रश्नगत पत्र में उठाये गये बिन्दुओं पर अब तक क्या-क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा० नैपाल सिंह–

जी हां ।

प्रश्नगत पत्रों में उल्लिखित शिकायतों की जांच जिला विद्यालय निरीक्षक, पौड़ी से करायी गयी और जांच से शिकायतें निराधार पायी गयी है ।

जी हां ।

पत्र में उल्लिखित बिन्दुओं की जांच जिला विद्यालय निरीक्षक पौड़ी से करायी गयी एवं शिकायतें निराधार पायी गयी ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद इटावा/औरैया के जिला विद्यालय निरीक्षक पूर्व में कार्यरत पद पर की गयी अनियमितता की जांच

15–श्री राम औतार शाक्य–

क्या सरकार को ज्ञात है कि वर्तमान जिला विद्यालय निरीक्षक, जनपद इटावा/औरैया श्री साधव सिंह यादव द्वारा पूर्व में कार्यरत पद पर की गयी अनियमितताओं की जांच वर्ष 1998 में की गयी थी ? यदि हां, तो उन पर क्या-क्या आरोप लगाये गये थे ? क्या सरकार उनके विरुद्ध लगाये गये आरोपों के संबंध में कोई कार्यवाही करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बालेश्वर त्यागी–

जी हां ।

श्री साधव सिंह, तत्कालीन जिला प्रौढ़ शिक्षा अधिकारी, जालौन के विरुद्ध उनके कार्यवाहक जिला विद्यालय निरीक्षक, जालौन के कार्यकाल की शिकायतों पर जांच मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक, झांसी द्वारा की गयीं ।

श्री सिंह के विरुद्ध जांच में निम्नांकित अरोप प्रथम दृष्टया प्रमाणित पाये गये :–

1–अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षकों की नियुक्तियों पर शासन द्वारा रोक लगाये जाने के बावजूद एस०एस०वी० इ० कालेज, कालपी में अवैधानिक रूप से नियुक्त श्री अरविन्द कुमार द्विवेदी, सहायक अध्यामक के वेतन भुगतान हेतु अनियमित रूप से वित्तीय अनुमोदन प्रदान करना ।

2–श्रीमती स्नेहलता मिश्रा, सहायक अध्यापिका नगरपालिका इण्टर कालेज, कालपी के अवशेष के भुगतान हेतु निदेशालय द्वारा स्वीकृत धनराशि रु० 85,950.00 का भुगतान वेतन वितरण अधिनियम 1971 के प्रावधानों का उल्लंघन कर चेक के माध्यम से [illegible] मिश्रा को करना ।

प्रथम दृष्टया प्रमाणित आरोपों के आधार पर श्री यादव के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी ।

जनपद इटावा/औरैया के जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा की गई शिक्षकों/लिपिकों की नियुक्ति में माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशों का पालन न करने में दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही की मांग

16–श्री राम औतार शाक्य–

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद इटावा/औरैया में कार्यरत वर्तमान जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा वर्ष 1998 में शासन द्वारा अनुदान प्राप्त विद्यालयों, इण्टर कालेजों में लिपिकों, शिक्षकों एवं चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों की नियुक्तियां की गयी ? क्या उपरोक्त नियुक्तियों में मा० उच्च न्यायालय द्वारा राधा रायजाद प्रकरण में दिये गये निर्देशों का अनुपालन नहीं किया गया ? यदि हां, तो क्या सरकार दोषी अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा० नैपाल सिंह–

जी हां ।

संयुक्त शिक्षा निदेशक, कानपुर को जांच के आदेश निदेशालय द्वारा दिये गये है । जांचोपरान्त सुनिश्चित हो सकेगा ।

जांचोपरान्त दोषी पाये जाने पर कार्यवाही की जायेगी ।

जूनियर हाई स्कूलों के पुरुष एवं महिला प्रधान अध्यापकों को उप विद्यालय निरीक्षक पदों में प्रधान अध्यापिकाओं की प्रोन्नति का प्रकरण

17–श्री कृष्ण चन्द्र पुनेठा–

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि परिषदीय जू० हाई स्कूलों में कार्यरत पुरुष एवं महिला प्र० अध्यापकों को प्रति उपविद्यालय निरीक्षक पदों में वरिष्ठता क्रम से प्रोन्नत किया जा रहा है ? क्या यह सही है कि इस प्रोन्नति में महिला प्रधानाध्यापिकाओं को छोड़ दिया जा रहा है ? यदि नहीं, तो जनपद पिथौरागढ़ में कितनी महिला प्र० अ० को प्रोन्नति दी गयी ?

श्री बालेश्वर त्यागी–

जी हां ।

जी नहीं ।

शिक्षा निदेशालय द्वारा प्रश्नगत पद के प्रति इस जनपद में कोई भी पदोन्नति/नियुक्ति नहीं की गयी है ।

जनपद मैनपुरी में विगत वर्षों में नवीन प्राइमरी विद्यालयों के भवन निर्माण को पूर्ण कराने की मांग

18–श्री राम औतार शाक्य–

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद मैनपुरी में वर्ष 1996-97 एवं 1997–98 में कितने और कौन-कौन से नवीन प्राथमिक विद्यालयों के भवन निर्माणाधीन हैं और उनका निर्माण कार्य पूर्ण न होने के क्या कारण है तथा उक्त विद्यालयों के भवनों का निर्माण कार्य कब तक पूर्ण करा दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बालेश्वर त्यागी–

अपूर्ण प्राथमिक विद्यालयों की सूची संलग्न है ।

सुनिश्चित रोजगार योजना का 60 प्रतिशत धन प्राप्त न होने के कारण ।

शीघ्र ।

प्रश्न नहीं उठता ।

[देखिये नत्थी (ख) आगे पृष्ठ 196 पर ।]

जनपद मैनपुरी के विद्यालयों में अध्यापकों के रिक्त पदों को भरने की जानकारी

19–श्री राम औतार शाक्य–

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद मैनपुरी में कितने ऐसे प्राथमिक विद्यालय हैं, जिनमें एक भी अध्यापक कार्यरत नहीं है और कितने ऐसे हैं जिनमें मात्र एक-एक अध्यापक कार्यरत है ? क्या सरकार उक्त विद्यालयों में अध्यापकों की समुचित व्यवस्था करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बालेश्वर त्यागी–

जनपद मैनपुरी में 60 परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में एक भी अध्यापक कार्यरत नहीं है, तथा 135 प्राथमिक विद्यालयों में एक-एक अध्यापक कार्यरत हैं ।

जी हां ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद मैनपुरी के प्राथमिक/पूर्व माध्यमिक विद्यालय के जर्जर/भवन विहीन विद्यालय के नव निर्माण की मांग

20–श्री राम औतार शाक्य–

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद मैनपुरी में कितने प्राथमिक एवं पूर्व प्राथमिक विद्यालय जर्जर एवं भवन विहीन हैं और उनके नवनिर्माण की क्या कार्य योजना है ? ऐसे विद्यालय भवनों का निर्माण कब तक करा दिया जायेगा ? क्या सरकार जनपद मैनपुरी के विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र भोगांव के भवनों को प्राथमिकता से निर्माण करवायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बालेश्वर त्यागी–

115 प्राथमिक एवं 26 उच्च प्राथमिक विद्यालय भवनहीन एवं जर्जर हैं ।

जिला योजना में धन स्वीकृत कराकर इन भवनों का निर्माण पूर्ण करा लिया जायेगा ।

धन की उपलब्धता के अनुसार भवन निर्मित कराये जायेंगे ।

जी नहीं ।

प्राथमिकता जिला बेसिक शिक्षा समिति निर्धारित करेगी ।

प्रश्न नहीं उठता ।

भवन निर्माण का दायित्व जिला बेसिक शिक्षा समिति का है जिसके अनुमोदन के अनुसार भवन निर्मित कराये जायेंगे ।

प्रदेश में प्राथमिक/पूर्व प्राथमिक विद्यालय खोलने की योजना में जनपद मैनपुरी, भोगांव में विद्यालय भवनों के निर्माण का औचित्य

21–श्री राम औतार शाक्य–

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि वित्तीय वर्ष 1998–99 में प्रदेश में कुल कितने नवीन प्राथमिक एवं पूर्व माध्यमिक विद्यालय खोलने का सरकार द्वारा निर्णय लिया गया और वित्तीय वर्ष 1999–2000 तक कितने नवीन विद्यालय खोलने का कार्य योजना है ? क्या वर्ष 1998–99 का जनपद मैनपुरी में उक्त दोनों श्रेणियों के नवीन विद्यालयों के भवन निर्माण का धन भेज दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या सरकार प्राथमिकता से विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र भोगांव में उक्त वर्ष के विद्यालय भवनों का निर्माण करवाना सुनिश्चित करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बालेश्वर त्यागी–

वर्ष 1998–99 में 1777 प्राथमिक एवं 231 पूर्व माध्यमिक बालिका विद्यालयों को खोलने का निर्णय लिया गया है ।

वर्ष 1999–2000 की कार्य योजना विचाराधीन है ।

जनपद मैनपुरी में प्राथमिक विद्यालयों की स्थापना का लक्ष्य नहीं है, उच्च प्राथमिक विद्यालयों के निर्माण हेतु धन भेज दिया गया है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

विद्यालय भवन के निर्माण का निर्णय जिला बेसिक शिक्षा समिति द्वारा लिया जाता है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद मैनपुरी में विगत वर्ष में प्राथमिक विद्यालय में कार्यरत सहायक अध्यापकों की प्रोन्नति करके उन्हें गृह जनपद में नियुक्ति का प्रकरण

22–श्री राम औतार शाक्य–

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि वित्तीय वर्ष 1998–99 में जनपद मैनपुरी में प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत कुल कितने सहायक अध्यापकों की प्रोन्नति प्रधानाध्यापक के पद पर की गई है और उनमें से कितने 58 वर्ष से अधिक उम्र के हैं ? क्या सरकार 58 वर्ष से अधिक उम्र के प्रोन्नत प्रधानाध्यापकों को गृह जनपद के निकटवर्ती विद्यालयों में नियुक्त करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बालेश्वर त्यागी–

वित्तीय वर्ष 1998–99 में कोई प्रोन्नति नहीं की गई ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जी हां ।

प्रश्न ही नहीं उठता ।

जनपद पिथौरागढ़ के विकास खण्ड गंगोलीहाट में राजकीय महाविद्यालय खोलने का प्रस्ताव

23–श्री कृष्ण चन्द्र पुनेठा–

क्या उच्च शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता के विधान सभा क्षेत्र 9—पिथौरागढ़ के सबसे बड़े एवं दूरस्थ विकास खण्ड गंगोलीहाट में राजकीय महाविद्यालय खोलने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ? यदि हां, तो क्या शिक्षा सत्र 1998–99 में रा० महाविद्यालय खोल दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा० नरेन्द्र सिंह गौर–

जी हां ।

शिक्षा सत्र 1998–99 में महाविद्यालय प्रारम्भ करना सम्भव नहीं है ।

वर्ष 1998–99 का सत्र पूर्ण होने को है ।

24–श्री कृष्ण चन्द्र पुनेठा–

[5वें शुक्रवार में अता०प्र०सं०–182 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

25–श्री कृष्ण चन्द्र पुनेठा–

[5वें शुक्रवार में अता०प्र०सं०–183 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

जनपद मैनपुरी, भोगांव में गिट्टी पड़ी सड़कों का लेपन स्तर तक निर्माण की मांग

26–श्री राम औतार शाक्य–

क्या लोक निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद मैनपुरी के विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र भोगांव में ऐसी कितनी सड़के हैं जो 15 वर्ष पूर्व से बनी हैं और जिनमें गिट्टी पड़ चुकी है किन्तु पेंटिंग न होने के कारण डैमेज हो रही हैं ? क्या सरकार ऐसी सड़कों का लेपन स्तर तक का निर्माण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कलराज मिश्र–

जनपद मैनपुरी के विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र भोगांव में लोक निर्माण विभाग के अंतर्गत 15 वर्ष पूर्व गिट्टी स्तर तक निर्मित निम्नलिखित तीन सड़कें हैं :–

(1) भोगांव–गोविन्दपुर वाया महौली खेड़ा मार्ग ।

(2) एलरऊ से ब्योतीकला वाया ओंग मार्ग ।

(3) बेवर से जल्लापुर वाया मंगरवाला मार्ग ।

जी हां ।

वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद मैनपुरी ग्राम लक्ष्मणपुर मौजा संकट बेवर के प्राथमिक विद्यालय के भवन निर्माण में दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही की मांग

27–श्री राम औतार शाक्य–

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री को ज्ञात है कि ग्राम लक्ष्मणपुर मौजा संकट बेवर, जनपद मैनपुरी में निर्माणाधीन प्राथमिक विद्यालय के भवन निर्माण में वहां के प्रधान श्री वीरेन्द्र सिंह व उससे सम्बद्ध अध्यापक द्वारा विद्यालय मानक के अनुसार नहीं बनाया गया जिसकी पुष्टि आर०ई०एस० विभाग के अभियन्ताओं ने अपनी जांच रिपोर्ट में की है ? यदि हां, तो दोषियों के विरुद्ध अब तक क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या सरकार अविलम्ब प्रधान की बजाय अन्य किसी कर्मचारी से विद्यालय भवन का पूर्ण निर्माण करवायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बालेश्वर त्यागी–

जी हां ।

जी हां ।

धन वसूली की कार्यवाही की जा रही है ।

प्रश्न ही नहीं उठता ।

नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी ।

शीघ्र ।

प्रश्न ही नहीं उठता ।

रोजिन टारपेन्टाइन फैक्ट्री चम्पावत की लीसा प्रोसेस करने की वार्षिक क्षमता/टर्न ओवर तथा रोजगार के विवरण की जानकारी

28–श्री कृष्ण चन्द्र पुनेठा–

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी चम्पावत में कार्यरत रोजिंन एवं टारपेन्टाइन फैक्ट्री की लीसा प्रोसेस करने की वार्षिक क्षमता क्या है ? इस इकाई का वार्षिक टर्न ओवर (आय-व्यय) क्या है तथा कितने लोगों को इससे रोजगार दिया गया है ?

श्री कल्याण सिंह–

रोजिंन टारपेन्टाइन फैक्टरी चम्पावत् की लीसा प्रोसेस करने की वार्षिक क्षमता 10 हजार कुन्तल है ।

इकाई का वार्षिक टर्न ओवर रु० 20.00 लाख है तथा इससे प्रत्यक्ष रूप से 16 कर्मचारी तथा अप्रत्यक्ष रूप से 30 श्रमिक कुल 46 लोगों को रोजगार दिया गया है ।

जनपद फैजाबाद राम चौरा पर्यटन केन्द्र गयासपुर के निर्माण में व्यय विवरण की जानकारी

29–श्री सीताराम निषाद–

क्या पर्यटन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद फैजाबाद में राम वन गमन मार्ग पर राम चौरा पर्यटन केन्द्र गयासपुर का निर्माण कार्य पूरा हो गया है ? यदि हां, तो किन-किन निर्माण कार्यों पर कितना-कितना धन व्यय हुआ है ?

श्री कलराज मिश्र–

जी हां ।

निर्माण कार्यों पर व्यय की गई धनराशि का विवरण निम्नवत् है :–

कार्य का नाम	धनराशि (लाख रु० में)
1—मुख्य सड़क से तमसा नदी तट पर बांध बनाकर पुलिया सहित पहुंच मार्ग का निर्माण	5.10
2—इसी बांध से मंदिर के सामने से होते हुये मुख्य सड़क से दूसरी तरफ के पहुंच मार्ग को जोड़ने वाली सड़क का निर्माण	3.32
3—पार्क सं० 1 में मिट्टी भराई का कार्य	3.06
4—पार्क सं० 2 में मिट्टी भराई का कार्य	1.52
5—मानस भवन का निर्माण	1.824
6—स्नानघाट का निर्माण	4.576
7—हनुमान मंदिर की मरम्मत एवं मन्च का निर्माण	0.70
8–इण्डिया मार्क–2 हैण्ड पम्प	0.20
9–प्रचार पट की स्थापना	0.75
10–पर्यटक छादक का निर्माण	5.70
11–स्थल विकास हेतु मिट्टी भराई	7.245
12–पेड़ों के चारों तरफ मंच का निर्माण	0.75
13–प्रसाधन का निर्माण	0.43
14–कंक्रीट सीमेण्ट बेन्च का निर्माण	0.50
15–लहन खड़ा करने के स्थल का निर्माण	2.225
16–सेन्टेज एवं कन्टीजेन्सी चार्ज	5.381

जनपद फैजाबाद मड़हा नदी में पक्के पुल पर एप्रोच मार्ग, खड़ंजा लेपन स्तर निर्माण की स्वीकृत की जानकारी

30–श्री सीताराम निषाद–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि फैजाबाद जनपद में राम वन गमन मार्ग पर मड़हा नदी पर वर्ष 1988-89 में निर्मित पक्के पुल का एप्रोच मार्ग दशरथपुर गयासपुर का अवशेष भाग 3.5 कि०मी० का खड़ंजा से लेपन स्तर का निर्माण कार्य का आगणन मार्च, 1998 में शासन द्वारा अनुमोदित है ? यदि हां, तो क्या वर्ष 1998-99 की एस० ए० डी० में उक्त अवशेष भाग के निर्माण की वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की जायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कलराज मिश्र–

जी नहीं ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

संसाधनों की कमी के कारण ।

जनपद बलरामपुर विकास खण्ड गैसड़ी/पचपेड़वा में स्वीकृत प्राइमरी/जूनियर विद्यालय भवन के अधूरे कार्य में दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही की मांग

31–श्री बिन्दु लाल–

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विकास खण्ड गैसड़ी व पचपेड़वा जनपद बलरामपुर में कितने प्राइमरी व जूनियर विद्यालयों के भवन वर्ष 1990-91 से अब तक निर्मित किये गये हैं ? क्या उसमें बहुत से भवन अभी तक अधूरे पड़े हैं ? यदि हां, तो किन-किन ग्रामों में भवन अधूरे हैं तथा इसके लिये दोषी कौन लोग हैं ? क्या सरकार इसके लिये दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बालेश्वर त्यागी–

वर्ष 1990-91 से अब तक विकास खण्ड गैसड़ी में 17 प्राथमिक विद्यालय तथा 6 जूनियर हाईस्कूल तथा विकास खण्ड पचपेड़वा में 24 प्राथमिक तथा 4 जूनियर हाई स्कूल विद्यालय भवनों का निर्माण कराया गया ।

जी हां । विकास खण्ड गैसड़ी के वर्ष 1998-99 में स्वीकृत प्राथमिक विद्यालय बिजुलिया, कोडरी, तुर्कौलिया, चौबेपुर, सदवापुर, बुलीहनडीह एवं जूनियर हाईस्कूल महुआ, भोजपुर, कौतुइया तथा विकास खण्ड पचपेड़वा के वर्ष 1998-99 के रमनगरा, मसदा, बड़ईपुरवा, छपिया, सिसहनिया विद्यालयों के भवन अपूर्ण हैं जो शीघ्र पूर्ण हो जायेंगे । इसके लिए कोई दोषी नहीं है ।

पूर्व के स्वीकृत विद्यालयों में केवल सोनपुर ब्लाक (पचपेड़वा) का विद्यालय अपूर्ण है जिसके लिए सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी एवं निर्माण प्रभारी अध्यापक को दोषी पाया गया है ।

जी हां । संबंधित निर्माण प्रभारी अध्यापक को निलम्बित किया गया तथा संबंधित सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी को एक प्रतिकूल प्रविष्टि दी गयी है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद मथुरा, जैन इण्टर कालेज चौरासी में रसायन विज्ञान प्रवक्ता पद पर नियम विरुद्ध नियुक्ति पर विधायक के पत्र पर कार्यवाही की जानकारी

32–डा० मुस्लिम–

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री बतायेंगे कि जैन इण्टर कालेज, चौरासी मथुरा में रसायन विज्ञान प्रवक्ता के पद पर की गयी नियुक्ति में जिला विद्यालय निरीक्षक, मथुरा द्वारा नियमों का उल्लंघन करने के संबंध में श्री भगवान दास, संयोजक संघर्ष समिति, उ० प्र० माध्यमिक शिक्षक संघ, मथुरा के पत्र के साथ श्री अक्षयवर लाल, विधायक का उपरिपत्र माह सितम्बर/अक्टूबर, 1998 में उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा० नेपाल सिंह–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

जनपद पौड़ी गढ़वाल जिला विद्यालय निरीक्षक को राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बहेड़ीखाल के निरीक्षण आदेश के निराकरण की जानकारी

33–श्री मोहन सिंह रावत गांववासी–

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री को जानकारी है कि मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक, गढ़वाल मण्डल ने अपने पत्रांक शि०स०/प्रबन्ध–3/10460–62/1997-98, दिनांक 5-7-97 तथा पत्रांक शि०स०/2465–[illegible]/निरीक्षण/98-99, दिनांक 2-9-98 द्वारा जिला विद्यालय निरीक्षक पौड़ी गढ़वाल को राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, बहेड़ीखाल पौड़ी गढ़वाल का निरीक्षण कर, निरीक्षण आख्या प्रस्तुत करने

हेतु निर्देशित किया गया था ? यदि हां, तो जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा निर्धारित अवधि के अन्तर्गत विद्यालय का निरीक्षण न करने के कारण क्या हैं ? उक्त का निराकरण कब तक कर लिया जायेगा ?

डा० नैपाल सिंह–

जी हां ।

प्रश्नगत अवधि में श्री रमेश चन्द्र प्रेमी जिला विद्यालय निरीक्षक, पौड़ी के पद पर कार्यरत थे । उनके द्वारा विद्यालय का निरीक्षण नहीं किया गया । श्री प्रेमी को आदेश संख्या–239/15–13–99–1(2)/99, दिनांक 28 जनवरी, 1999 द्वारा निलम्बित किया गया और वह दिनांक 31-1-99 को सेवा निवृत्त हो गये ।

प्रभारी जिला विद्यालय निरीक्षक, पौड़ी द्वारा दिनांक 25-2-99 को विद्यालय का स्थलीय निरीक्षण किया गया एवं शिकायतें निराधार पाई गई ।

जनपद–हरदोई विकास खण्ड माधोगंज, ग्राम–मवइया के भवन विहीन विद्यालय का निर्माण

34–डा० धर्मज्ञ मिश्र–

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री को जानकारी है कि 91–मल्लावां निर्वाचन क्षेत्र में विकास खण्ड माधौगंज जनपद हरदोई के ग्राम मवइया में सरकार द्वारा तीस वर्षों से प्राथमिक विद्यालय संचालित हैं ? क्या उक्त विद्यालय भवन विहीन हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त भवन विहीन प्राथमिक विद्यालय का भवन निर्माण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बालेश्वर त्यागी–

जी हां ।

जी हां ।

जी हां, डी० पी० ई० पी० के अन्तर्गत धनराशि स्वीकृत कर धनराशि ग्राम शिक्षा समिति/विद्यालय के खाते में स्थानान्तरित कर दी गयी है । कार्य प्रारम्भ है ।

प्रश्न ही नहीं उठता ।

अध्यक्ष आल इण्डिया फोरम फार नेशनलिस्ट की नवीन ओखला विकास प्राधिकरण के प्रशासनिक भ्रष्टाचार विषयक शिकायती-पत्र

35–श्री अफरोज अली खां–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आल इण्डिया फोरम फार नेशनलिस्ट के अध्यक्ष का पत्र दिनांक 7-10-98 जो नवीन ओखला विकास प्राधिकरण के प्रशासनिक भ्रष्टाचार के संबंध में था, मा० मुख्य मंत्री एवं मुख्य सचिव को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

36–श्री ज्वाला प्रसाद यादव तथा श्री महराज सिंह यादव–

[आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त]

जनपद पिथौरागढ़, वन विभाग की जलौनी लकड़ी की आपूर्ति सस्ती दरों पर करने हेतु पिथौरागढ़ और लोहाघाट में विक्रय केन्द्र खोलने की मांग

37–श्री कृष्ण चन्द्र पुनेठा–

क्या वन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता के विधान सभा क्षेत्र 9–पिथौरागढ़ के लिए वन निगम का लकड़ी विक्रय केन्द्र (प्रभागीय) पर्वतीय क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति को देखते हुए टनकपुर स्थित कार्यालय द्वारा वितरण से उपभोक्ताओं एवं निगम को क्षति पहुंच रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार जलौनी लकड़ी की आपूर्ति व्यवस्था एवं शमशान घाटों पर शवदाह हेतु सस्ती दरों पर उपलब्ध कराने की दिशा में प्रभागीय विक्रय केन्द्र पिथौरागढ़ और लोहाघाट में खोलने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रघुवर दयाल वर्मा–

सामाजिक दायित्वों के निर्वहन हेतु वन निगम के टनकपुर विक्रय प्रभाग द्वारा जलौनी लकड़ी की आपूर्ति लागत मूल्य से कम मूल्य पर करने के कारण यद्यपि निगम को हानि है, किन्तु उपभोक्ताओं को कोई क्षति नहीं हो रही है ।

उ० प्र० वन निगम द्वारा पिथौरागढ़ एवं लोहा घाट में जलौनी लकड़ी की आपूर्ति हेतु टाल पहले ही खोली गई है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

उत्तर प्रदेश भ्रष्टाचार उन्मूलन परिषद् के मण्डलीय अध्यक्ष द्वारा लोक निर्माण विभाग हरिद्वार में भ्रष्टाचार विषयकशिकायती-पत्र

38–श्री चेतराम–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश भ्रष्टाचार उन्मूलन परिषद् के मण्डलीय अध्यक्ष हरिद्वार का लोक निर्माण विभाग हरिद्वार में भ्रष्टाचार संबंधी शिकायती-पत्र दिनांक 12-12-98 उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो शिकायत के मुख्य बिन्दु क्या हैं एवं उन पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री कलराज मिश्र–

जी हां ।

शिकायती-पत्र के मुख्य बिन्दु निम्न प्रकार हैं :–

1–श्री जगदीश प्रसाद रोलर चालक की पिछड़ी जाति का होते हुए भी पदोन्नति नहीं की गयी व सामान्य जाति के रोलर चालकों को 82-83 से पदोन्नति कर सुविधा शुल्क लेकर भुगतान करा दिया गया ।

2–सरकारी रोलर दूसरे जनपद के श्यामपुर ऋषिकेश भेजे गये परन्तु लागबुक नहीं भरी गयी ।

3–ग्राम उन्हेड़ा से खेड़ाजट तक एक कि० मी० की सड़क अधूरी है तथा इस पर 15 से० मी० की जगह 8 से० मी० की रोड़ी पड़ी है ।

4–कटारपुर से विशनपुर कुन्डीमार्ग की रोड़ी कम्पलीट नहीं है ।

5–रावली महदूद में बनाई गयी सड़क में पूरी रोड़ी नहीं डाली गयी और सड़क उखड़ चुकी है । पुलिया भी टूटी पड़ी है ।

6–एम० डी० रोड के दोनों किनारे घटिया व कम मेटीरियल के कारण बैठ चुके हैं ।

7–पुरानी मशीनों को गोपनीय ढंग से अपने परिचितों को कम रेट पर नीलाम किया गया तथा वरिष्ठ अधिकारियों को पता लगने पर नीलाम की गयी मशीन में से एक मशीन को रोक लिया गया तथा शेष सामान चला गया ।

8–सड़कों पर मैटीरियल पूरा नहीं लगाया जाता है ऊपर से तारकोल डाल दिया जाता है ।

जांचोपरान्त शिकायतें निराधार पायी गयी ।

राजकीय पालीटेक्निक के इंजीनियरिंग अनुदेशकों की भांति सहायता प्राप्त पालीटेक्निकों के उक्त अनुदेशकों को सेलेक्शन ग्रेड का लाभ

39–श्री अजय कुमार पोइया–

विधान सभा के तृतीय सत्र 1998 के तीसरे मंगलवार के लिए निर्धारित अता० प्र० सं०–38 के उत्तर के सन्दर्भ में क्या प्राविधिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्राविधिक शिक्षा के आदेश संख्या 6927/प्रा०शि०–2–10(इ)84, दिनांक 30 अक्टूबर, 1986 में 10 वर्ष की नियमित सेवा पूर्ण करने वाले राजकीय पालीटेक्निक के सभी इंजीनियरिंग अनुदेशकों को सेलेक्शन ग्रेड की सुविधा प्रदान की गयी है जबकि शासनादेश संख्या–1107/16–प्रा०शि०–2–30(ई)ई०डी०/74, दिनांक 25-5-95 में सहायता प्राप्त बहुधन्धी संस्थाओं में 10 वर्ष की नियमित सन्तोषजनक सेवा करने वाले इंजीनियरिंग अनुदेशकों में से मात्र 15 प्रतिशत को ही उक्त सेलेक्शन ग्रेड की सुविधा अनुमन्य की गयी है ? यदि हां, तो इस अन्तर का क्या कारण है ? क्या सरकार समानता का दृष्टिकोण अपनाते हुए सहायता प्राप्त पालीटेक्निकों में भी सभी इंजीनियरिंग अनुदेशकों को उक्त सेलेक्शन ग्रेड का लाभ देगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा० नरेन्द्र कुमार सिंह गौर–

संदर्भित शासनादेश दिनांक 30-10-86 द्वारा राजकीय पालीटेक्निकों के सभी इंजी० अनुदेशकों को समयमान वेतनमान की स्वीकृति हेतु व्यवस्था की गई है ।

शासनादेश संख्या : 1107/16–प्रा०–शि०–2–30 (ई) ईडी/74, दिनांक 25-5-95 द्वारा सहायता प्राप्त पालीटेक्निको के अनुदेशकों को चयनमान वेतनमान (सेलेक्शन ग्रेड) देने की व्यवस्था की गयी है, जो 15% स्टाफ को ही अनुमन्य होता है ।

वित्त वेतन आयोग के शासनादेश वे०आ०–1–1763/दस39 (एम)/89 दि० 3 जून, 1989 के द्वारा सहायता प्राप्त पालीटेक्निकों के कर्मचारियों को भी सेलेक्शन ग्रेड/समयमान वेतनमान दिनांक 1-1-86 से अनुमन्य किया है । अतः राजकीय पालीटेक्निक तथा सहायता प्राप्त पालीटेक्निक के कर्मचारियों को प्राप्त इस सुविधा में अब कोई अन्तर नहीं है ।

जनपद मऊ भरथिया कादीपुर प्राथमिक विद्यालय विकास खण्ड कोपागंज के अध्यापकों के स्थानान्तरण/ छात्रों एवं अध्यापकों की संख्या की जानकारी

40–श्री समर पाल सिंह–

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि शिक्षा सत्र 1997-98 के प्रारम्भ होने पर भरथिया कादीपुर प्राथमिक विद्यालय, विकास खण्ड कोपागंज जिला–मऊ में कितने अध्यापक थे ? सत्र के बीच में किन-किन तिथियों में अध्यापकों का स्थानान्तरण किया गया ? क्या विद्यालय में सत्र के मध्य मात्र एक ही अध्यापक था ? एकल अध्यापक के रूप में विद्यालय कितने दिन चलता रहा ? सत्र के दौरान विद्यालय में छात्रों की संख्या क्या थी ?

श्री बालेश्वर त्यागी–

जी हां, 4 अध्यापक थे ।

दिनांक 10-7-97, 7-8-97 तथा दिनांक 5-9-97 को अध्यापकों के स्थानान्तरण किए गये ।

जी हां ।

42 दिन ।

283 ।

बेसिक शिक्षा अधिकारी, मऊ के स्थानान्तरण नीति के कारण प्राथमिक एवं जूनियर विद्यालय बन्द होने में दोषी के विरुद्ध कार्यवाही की मांग

41–श्री समर पाल सिंह–

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि शिक्षा सत्र 1997-98 के दौरान तत्कालीन बेसिक शिक्षा अधिकारी मऊ ने कुल कितने स्थानान्तरण मध्य सत्र में किये ? कितने प्राथमिक एवं जूनियर विद्यालय बेसिक शिक्षा अधिकारी के स्थानान्तरण नीति के चलते सत्र के मध्य कितने-कितने दिनों तक बन्द थे ? संबंधित बेसिक शिक्षा अधिकारी के विरुद्ध सरकार क्या कार्यवाही करेगी ?

श्री बालेश्वर त्यागी–

जी हां ।

42 स्थानान्तरण किये ।

स्थानान्तरण नीति के चलते कोई विद्यालय बन्द नहीं था । मात्र एक विद्यालय 42 दिन बन्द रहा जिसमें अध्यापकों की व्यवस्था कर दी गयी है ।

उत्तरदायित्व निर्धारित किया जा रहा है ।

जनपद गोण्डा के विकास खण्ड छपिया के कस्बा–बभनान में बालिका डिग्री कालेज खोलने की मांग

42–श्री मो० मुकीम–

विधान सभा के तृतीय सत्र 1998 के पहले मंगलवार के अतारांकित प्रश्न संख्या–6 के उत्तर के संदर्भ में क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गोण्डा के विकास खण्ड छपिया के लिए जिला प्रशासन, गोण्डा से कोई प्रस्ताव आया है ? यदि हां, तो क्या सरकार विकास खण्ड छपिया में कन्या इण्टर कालेज खोलने का कार्यान्वियन इसी वित्तीय वर्ष में करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा० नैपाल सिंह–

प्राप्त जानकारी के अनुसार जनपद गोण्डा का विकास खण्ड छपिया असेवित विकास खण्ड की श्रेणी में नहीं है । अतः जिला समिति से प्रस्ताव प्राप्त होने का प्रश्न नहीं उठता है ।

जी नहीं ।

उपरोक्तानुसार ।

उत्तर प्रदेश, सचिवालय कालोनी ऐशबाग, लखनऊ के भवन दर्जनों आवंटियों द्वारा बड़े दर पर किराये पर उठाये जाने का प्रकरण

43–श्री मो० मुकीम–

विधान सभा के तृतीय सत्र 1998 के दूसरे मंगलवार के लिए निर्धारित तारांकित प्रश्न संख्या–14 के उत्तर के पैरा–1 के सम्बन्ध में क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जांच किस-किस निरीक्षक द्वारा की गयी है ? क्या 79 को छोड़कर अन्य आवासों के अध्यासियों का लिखित बयान लिया गया ? क्या सरकार उसे सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह–

जी हां ।

जांच राज्य सम्पत्ति निदेशालय के सम्बन्धित निरीक्षक द्वारा की गयी है।

79 के साथ-साथ शेष ऐसे आवास, जिनके किरायेदारी पर उठाये जाने की पुष्टि हुई थी, के आवंटियों से लिखित स्पष्टीकरण प्राप्त करने के उपरान्त नियमानुसार कार्यवाही विचाराधीन है।

नियमानुसार कार्यवाही विचाराधीन है।

जिला बस्ती बभनान, ग्राम जमुनाहा के पास सड़क पर अवैध कब्जे के विरुद्ध कार्यवाही की मांग

44–श्री संजय गर्ग, श्री विश्व नाथ तथा श्री महराज सिंह यादव–

क्या लोक निर्माण मंत्री को जानकारी है कि बभनान जिला-बस्ती के खोड़ारे जाने वाली सड़क पर ग्राम-जमुनाहा के पास एक सरकारी चिकित्सक एवं फर्नीचर विक्रेता द्वारा अनाधिकृत निर्माण कराया गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त सड़क पर स्थित सभी अवैध कब्जा करने वालों के विरुद्ध कार्यवाही कर अवैध कब्जे हटवायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कलराज मिश्र–

जी हां।

अनधिकृत निर्माण सम्बन्धी वाद पी० पी० ऐक्ट के अन्तर्गत उप जिलाधिकारी मनकापुर के मा० न्यायालय में विचाराधीन है। मा० न्यायालय के निर्णय के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।

लखनऊ–सीतापुर मार्ग, चकरपुर से कोरवा गोहन्त मार्ग के लिए आवंटित धन की जानकारी

45–श्री परवेज हलीम–

विधान सभा के तृतीय सत्र 1995 के तीसरे सोमवार के अता० प्र० सं० 9 के उत्तर के संबंध में क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मा० विधायक श्री सुन्दर लाल दीक्षित का शिकायती-पत्र दिनांक 14-8-95 मा० मुख्य मंत्री को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो क्या शिकायती-पत्र में लगाये गये आरोपों की जांच की गयी ? यदि हां, तो क्या कौन-कौन आरोप सत्य पाये गये ? इसके लिए कौन-कौन अधिकारी/कर्मचारी को जिम्मेदार पाया गया तथा शासन को कितनी हानि हुई ?

श्री कलराज मिश्र–

जी हां।

प्राप्त शिकायती-पत्र का परीक्षण कराया गया जिसमें रु० 3.70 लाख का अनुदान स्वीकृत मार्ग पर दिनांक 31-3-95 को प्राप्त हुआ था जिसके सापेक्ष 0.64 लाख का मैक्सफाल्ट तथा शेष धनराशि अन्य कार्यों पर व्यय कर समायोजित कर लिया गया।

उपरोक्तानुसार।

संबंधित अधिकारियों/कर्मचारियों का उत्तरदायित्व निर्धारण करने के लिये प्रमुख अभियन्ता को निर्देशित किया जा रहा है।

अधिशासी अभियन्ता (लोक निर्माण विभाग) प्रान्तीय खण्ड लखनऊ के विरुद्ध प्राप्त शिकायती-पत्र

46–श्री परवेज हलीम–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विधान सभा के द्वितीय सत्र 1995 के तीसरे सोमवार के अता० प्र० सं०–7 व 8 के उत्तर के सम्बन्ध में मा० सुन्दर लाल दीक्षित विधायक का पत्र दिनांक 17-8-95 मा० मुख्य मंत्री जी के माध्यम से उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो क्या उक्त पत्रों की जांच करायी गयी ? यदि हां, तो शासन को कितनी हानि हुई तथा इस हानि के लिए कौन-कौन जिम्मेदार पाया गया ? क्या इसकी वसूली की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कलराज मिश्र–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

लखनऊ विश्वविद्यालय द्वारा बिना वित्त विभाग की स्वीकृति के कर्मचारियों की नियुक्ति में दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही की मांग

47–श्री कृष्ण चन्द्र पुनेठा–

क्या उच्च शिक्षा मंत्री को यह ज्ञात है कि लखनऊ विश्वविद्यालय द्वारा बिना वित्त विभाग के वित्तीय अनुमोदन एवं शासकीय मापदण्ड के 787 कर्मचारी नियुक्त किए गए हैं जिन पर प्रतिमाह उन्नीस लाख रुपये व्यय किए जा रहे हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार वित्तीय अनुशासन भंग किये जाने एवं शासकीय धन के दुरुपयोग व फिजूल खर्च के लिए जिम्मेदार विश्वविद्यालय के उच्च शिक्षा विभाग के अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा० नरेन्द्र कुमार सिंह गौर–

जी हां ।

निर्धारित मानकों के अन्तर्गत विश्वविद्यालय के कार्यभार की समीक्षा के उपरान्त एवं छात्र-छात्राओं की संख्या को दृष्टिगत रखते हुए विभागवार शासन स्तर पर अतिरिक्त कर्मचारियों की आवश्यकता एवं औचित्य का आंकलन किया गया । तद्नुसार विभिन्न श्रेणी के कुल 330 शिक्षणेत्तर पदों का सृजन किया गया है । जिम्मेदार अधिकारियों का उत्तरदायित्व निर्धारित किया जायेगा ।

प्रश्न नहीं उठता है ।

48–श्री कृष्ण चन्द्र पुनेठा–

[4 थे शुक्रवार में अता० प्र० सं०–188 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

कार्यालय निरीक्षक प्रशासनिक सुधार विभाग के पदों/रिक्त पदों की संख्या एवं उनकी प्रतिवर्ष कार्यवाही रिपोर्ट की जानकारी

49–श्री कृष्ण चन्द्र पुनेठा–

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि प्रशासनिक सुधार विभाग के अधीन कार्यालय निरीक्षकों के कुल कितने पद स्वीकृत हैं तथा वर्तमान में कुल कितने निरीक्षक कार्यरत हैं एवं कुल कितने पद रिक्त हैं ? क्या इन निरीक्षकों को कार्यवाही रिपोर्ट को प्रवर्तन (इन्फोर्समेन्ट) की शक्ति प्राप्त है ? यदि हां, तो क्या प्रतिवर्ष कार्यवाही रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह–

प्रशासनिक सुधार विभाग के अन्तर्गत कार्यालय निरीक्षणालय के अधीन, निरीक्षक, राजकीय कार्यालय के कुल 21 पद स्वीकृत हैं । उक्त स्वीकृत पद के सापेक्ष वर्तमान में 16 निरीक्षक राजकीय कार्यालय, कार्यरत हैं एवं निरीक्षक, राजकीय कार्यालय के 5 पद रिक्त हैं ।

जी नहीं ।

निरीक्षक राजकीय कार्यालय की कार्यवाही रिपोर्ट को प्रकाशित करने की कोई व्यवस्था नहीं है ।

जनपद हरदोई, मल्लावां के ग्राम पंचायतों के वनीकरण में मार्ग निर्माण की मांग

50–डा० धर्मज्ञ मिश्र–

क्या वन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद हरदोई के 91–मल्लावां निर्वाचन क्षेत्र के अन्तर्गत ग्राम पंचायत परचल रसूलपुर से हथौड़ा ग्राम तक तथा ग्राम पंचायत बिरौरी तथा ग्राम रन्दिलपुर पहुंच

मार्ग नहीं बना है ? क्या वहां पर विभाग द्वारा वनीकरण किया जा चुका है ? यदि हां, तो क्या आवागमन की सुविधा हेतु उक्त वनीकरण में मार्ग का निर्माण करवाया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रघुवर दयाल वर्मा–

जनपद हरदोई के मल्लावां निर्वाचन क्षेत्र के अन्तर्गत परचल रसूलपुर से हथौड़ा तक पहुंच मार्ग तथा सदरपुर से ग्राम बिरौरी तक डामर रोड का निर्माण अन्य विभाग द्वारा किया गया है। ग्राम रन्दिलापुर तक कोई पहुंच मार्ग का निर्माण नहीं किया गया है।

ग्राम परचल रसूलपुर एवं हथौड़ा में वन विभाग द्वारा वनीकरण वन ब्लाक (समीपवर्ती) में किया गया है। ग्राम बिरौरी वन ब्लाक में वन विभाग द्वारा वनीकरण किया गया है। ग्राम रन्दिलापुर में कोई वनीकरण वन विभाग द्वारा नहीं किया गया है।

वनीकरण कार्य में आवागमन पहुंच मार्ग निर्माण का कोई प्राविधान नहीं है। अतः मार्ग निर्माण का कोई कार्य नहीं किया जाना है। ऐसे निर्माण का कोई प्राविधान नहीं है।

विश्व खाद्यान्न योजनान्तर्गत टनकपुर एवं पिथौरागढ़ में खाद्यान्न वितरण एवं कार्यरत श्रमिकों को लाभ दिये जाने की जानकारी

51–श्री कृष्ण चन्द्र पुनेठा–

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उ० प्र० वन निगम के माध्यम से क्षेत्रीय प्रबन्धक कार्यालय के अधीन टनकपुर एवं पिथौरागढ़ में विश्व खाद्यान्न योजनान्तर्गत दिस०, 1998 तक कुल कितना खाद्यान्न वितरण किया गया है और वित्तीय वर्ष 1998-99 के लिए निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप कितने वन श्रमिकों को रोजगार उपलब्ध कराया गया है ? क्या यह सही है कि विश्व खाद्यान्न योजना का लाभ कार्यरत श्रमिकों को समय से नहीं दिया जाता है ? यदि हां, तो इस दिशा में सरकार क्या कदम उठा रही है ?

श्री रघुवर दयाल वर्मा–

उ० प्र० वन निगम के कुमाऊं क्षेत्र के अन्तर्गत टनकपुर एवं पिथौरागढ़ में कार्यरत प्रभागीय लौगिंग प्रबन्धकों एवं विक्रय प्रबन्धकों के क्षेत्र में वर्ष 1986-87 से दिसम्बर, 1998 तक नियमानुसार खाद्यान्न वितरण किया गया है :–

टनकपुर

गेहूं–	268.850 मै० टन
दाल–	27.88 मै० टन
तेल–	29.023 मै० टन

पिथौरागढ़

गेहूं–	119.567 मै० टन
दाल–	10.900 मै० टन
तेल–	12.281 मै० टन

वित्तीय वर्ष 1998-99 एवं उसके बाद से वन निगम के अन्तर्गत कार्यरत श्रमिकों को खाद्यान्न वितरण हेतु विश्व खाद्यान्न कार्यक्रम की योजना लागू नहीं है। इस योजना के अन्तर्गत समय से खाद्यान्न उपलब्ध कराये जाने के पूर्ण प्रयास किये गये हैं।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

प्रशिक्षित स्नातक बेरोजगार शिक्षकों (बी०एड०) के भर्ती का निर्णय एवं चयन प्रक्रिया की जानकारी

52–श्री महेन्द्र प्रसाद निषाद–

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रशिक्षित स्नातक बेरोजगार शिक्षकों (बी०एड०) को जुलाई, 1998 माह में प्राथमिक विद्यालयों में भर्ती करने विषयक कोई निर्णय सरकार द्वारा लिया गया है ? यदि हां, तो चयन प्रक्रिया व निर्धारित मानक क्या है ? यदि नियुक्ति दी जायेगी, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बालेश्वर त्यागी–

जी हां, निर्णय जनवरी, 1998 में लिया गया था ।

शैक्षिक एवं अन्य योग्यताओं के गुणांकों के आधार पर श्रेष्ठता सूची तैयार किये जाने का निर्णय लिया गया है, तद्नुसार चयन किया जा रहा है । प्रशिक्षण सफलतापूर्वक सम्पन्न करने के उपरान्त ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद–बांदा, लोक निर्माण विभाग को सुनिश्चित रोजगार योजना में सम्पर्क मार्ग के निर्माण में अनियमितता की जांच पर वसूली की मांग

53–श्री महेन्द्र प्रसाद निषाद–

क्या लोक निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद बांदा के विकास खण्ड बड़ोखर खुर्द अन्तर्गत ग्राम पचउल्ला सम्पर्क मार्ग निर्माण हेतु वर्ष 1996-97 में लोक निर्माण बांदा को सुनिश्चित रोजगार योजना से 1 लाख 50 हजार रुपये की मिट्टी कार्य हेतु अवमुक्त किये गये थे ? क्या यह सही है कि कार्य में अनियमितताओं की शिकायत पाये जाने पर मुख्य विकास अधिकारी बांदा द्वारा जांचकर रु० 65,822 पैसा 30 का गबन पाया था ? यदि हां, तो संबंधित से अपहरित धनराशि कब तक वसूल की जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कलराज मिश्र–

जी हां ।

मुख्य विकास अधिकारी बांदा ने जांच के उपरान्त रु० 65,822.30 का गबन सूचित किया है ।

शीघ्र नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी ।

जनपद–बांदा में सुनिश्चित रोजगार योजना द्वारा प्रदत्त धनराशि से सम्पर्क मार्ग में ट्रैक्टर से कार्य कराने की शिकायत पर कार्यवाही की मांग

54–श्री महेन्द्र प्रसाद निषाद–

क्या लोक निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि अधीक्षण अभियंता लोक निर्माण विभाग बांदा को सम्बोधित मुख्य विकास अधिकारी बांदा का पत्र संख्या–09/आशु/16-4-1998 जो सुनिश्चित रोजगार योजना द्वारा प्रदत्त धनराशि से सम्पर्क मार्ग में ट्रैक्टरों द्वारा कार्य कराने के कारण संबंधित सहायक अभियंता, अवर अभियंता को शासन के दिशा निर्देशों का उल्लंघन करने विषयक था, उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कलराज मिश्र–

जी हां ।

नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी ।

प्रश्न नहीं उठता ।

लखनऊ वाराणसी मार्ग के आंशिक भाग में की गयी वित्तीय अनियमितता की जांच तथा कार्यवाही की मांग

55–श्री परवेज हलीम–

विधान सभा के तृतीय सत्र 1995 के तीसरे सोमवार के अता० प्र० सं०–63 के उत्तर के संदर्भ में क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या पत्र दिनांक 21-5-95 तथा 23-5-95 पर जांच की गयी ? यदि हां, तो शासन को कितनी धनराशि की हानि हुई थी ? इस हानि के लिए कौन-कौन अधिकारी/कर्मचारी जिम्मेदार पाया गया ? उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कलराज मिश्र–

पत्र दिनांक 21-5-95 प्राप्त हुआ था जिस पर जांच की गयी ।

इसमें अन्तर्ग्रस्त सर्वश्री आर०आर० चौधरी तत्कालीन मुख्य अभियन्ता (मध्य क्षेत्र) एवं डी० के० नन्दी, तत्कालीन अधिशासी अभियन्ता के विरुद्ध सी०सी०ए० नियमों के अन्तर्गत अनुशासनिक कार्यवाही की गयी, जिसमें श्री आर०आर० चौधरी तत्कालीन मुख्य अभियन्ता को कार्य बिना शासन की स्वीकृति के सम्पादित किये जाने के लिए चेतावनी दी जा चुकी है एवं श्री डी० के० नन्दी तत्कालीन अधिशासी अभियन्ता को दोषमुक्त किया जा चुका है । इसमें शासन को कोई हानि नहीं हुई है ।

जनपद हाथरस ब्लाक सिकन्दराराऊ हंसायन में प्राइमरी पाठशाला जूनियर हाई स्कूलों में छात्रों की संख्या के अनुपात में शिक्षकों की नियुक्ति की मांग

56–श्री यशपाल सिंह चौहान–

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ब्लाक सिकन्दराराऊ व ब्लाक हंसायन जनपद हाथरस में प्राइमरी पाठशाला एवं जूनियर हाई स्कूलों की संख्या कितनी-कितनी है ? छात्र संख्या के आधार पर अध्यापकों की नियुक्ति का मानक क्या निर्धारित है ? क्या उक्त विद्यालयों में मानक के अनुसार अध्यापक नियुक्त हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ? मानक के अनुसार अध्यापकों की नियुक्ति कब तक कर ली जायेगी ?

श्री बालेश्वर त्यागी–

विद्यालय	ब्लाक हंसायन	सिकन्दराराऊ
प्राथमिक विद्यालय	96	84
उ० प्रा० वि०	24	20

प्राथमिक विद्यालय में सहायक अध्यापकों के पदों की स्वीकृत संख्या के अन्तर्गत 40 : 1 के छात्र अध्यापक के आधार पर तथा उच्च प्राथमिक विद्यालय में सहायक अध्यापक के स्वीकृत पदों के अन्तर्गत एक अनुभाग में 1.1/2 अध्यापक का मानक है ।

जी नहीं ।

नियुक्ति की कार्यवाही गतिमान है ।

माध्यमिक शिक्षण संस्थानों के अवकाश प्राप्त /मृतक कर्मचारियों के सामूहिक जीवन बीमा की लम्बित धनराशि भुगतान के उत्तरदायित्व के निर्धारण की जानकारी

57–श्री यशपाल सिंह चौहान–

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि माध्यमिक शिक्षण संस्थानों के अवकाश प्राप्त कर्मचारियों एवं मृतक कर्मचारियों के सामूहिक जीवन बीमा की धनराशि का भुगतान लम्बित है ? यदि हां, तो इसके लिए कौन उत्तरदायी है ?

डा० नैपाल सिंह–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

58–श्री तेजभान सिंह

[दिनांक 26–2–99 को अता०प्र०सं० 134 द्वारा उत्तरित]

जनपद–सीतापुर, बरई जलालपुर से मछरेहटा मार्ग पर सराय नदी पर पीपे के पुल का निर्धारित तिथि तक निर्माण

59–श्री तेजभान सिंह–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद सीतापुर में बरई जलालपुर से मछरेहटा मार्ग पर सराय नदी पर पीपे के पुल का निर्माण प्रतिवर्ष किया जाता है ? यदि हां, तो इस पुल को बनाये जाने की क्या तिथि निर्धारित की गयी है ? क्या 3 जनवरी, 99 तक की अवधि बीत जाने के बाद भी इस पुल का निर्माण नहीं किया गया ? यदि हां, तो इस विलम्ब के लिए दोषी के विरुद्ध क्या सरकार कोई कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कलराज मिश्र–

जी हां ।

प्रतिवर्ष 15 अक्टूबर की तिथि निर्धारित है ।

जी हां ।

प्रश्नगत पीपे का पुल जिस स्थान पर बनाया जाता है वहां नदी का पाट (चौड़ाई) बाढ़ से कटान के फलस्वरूप अधिक चौड़ा हो जाने व नदी में पानी अधिक होने के कारण यह पुल निर्धारित समय पर नहीं बनाया जा सका । इसमें कोई अधिकारी/कर्मचारी दोषी नहीं है । अतः किसी कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठता ।

उपरोक्तानुसार ।

जनपद सीतापुर, हरगांव में पं० दीन दयाल उपाध्याय योजना में पेंटेड सम्पर्क मार्ग बनाये जाने हेतु प्रश्नकर्ता का पत्र

60–श्री रमेश राही–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे विधान सभा क्षेत्र हरगांव जनपद सीतापुर में पं० दीन दयाल उपाध्याय योजना फेज–II के अन्तर्गत पेंटेड सम्पर्क मार्ग बनाये जाने संबंधी प्रश्नकर्ता के पत्र दिनांक 21-07-98 पर कोई कार्यवाही की गई ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कलराज मिश्र–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न में उल्लिखित पत्र दिनांक 21-7-98 प्राप्त नहीं हुआ है ।

जनपद हरदोई, मल्लावां बिलग्राम रजबहा आदि की पटरी के डामरीकरण की मांग

61–डा० धर्मज्ञ मिश्र–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या प्रश्नकर्ता के निर्वाचन क्षेत्र 91–मल्लावां हरदोई के अन्तर्गत बिलग्राम रजबहा पर ग्राम पंचायत डाभा से जरौली शेरपुर तक खड़न्जा लगा है ? क्या सरकार जनहित में उक्त पटरी को डामरीकरण करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कलराज मिश्र–

जी हां ।

जी नहीं ।

प्रदेश के सीमित वित्तीय संसाधनों के कारण सम्भव नहीं है ।

जनपद प्रतापगढ़ के जिला अनौपचारिक शिक्षा अधिकारी द्वारा समाचार-पत्र में दिये गये विज्ञापन के बिल का भुगतान

62–श्री चेतराम–

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला अनौपचारिक शिक्षा अधिकारी प्रतापगढ़ ने अपने पत्र संख्या 1008-9 जि०अ०शि०अ०प्र०/96-97 दिनांक 20 फरवरी, 1997 द्वारा किसी समाचार पत्र को विज्ञापन निर्गत किया था ? क्या समाचार-पत्र के बार-बार अनुरोध के बावजूद भी अब तक इस विज्ञापन प्रकाशन का बिल भुगतान नहीं किया गया है ? यदि हां, तो क्या मंत्री जी उक्त समाचार-पत्र के प्रश्नगत बिल का भुगतान करवायेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बालेश्वर त्यागी–

जी हां ।

जी हां ।

जी हां । भुगतान के निर्देश दिये जा चुके हैं ।

प्रश्न ही नहीं उठता ।

लोक सेवा आयोग द्वारा पी०सी०एस० परीक्षा के घोषित परिणामों में अनियमितता की जानकारी

63–श्री समर पाल सिंह–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित पी०सी०एस० परीक्षा 1998 के घोषित परिणाम में क्या कोई अनियमितता पायी गई है ? क्या यह सही है कि आयोग द्वारा कुछ ऐसे छात्रों को उत्तीर्ण घोषित किया गया है जो प्रारम्भिक परीक्षा में अनुत्तीर्ण थे ? यदि हां, तो सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की ?

श्री कल्याण सिंह–

जी नहीं ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद–सीतापुर, विकास खण्ड पिसावां, ग्राम सभा-सरोसा के राम दुलारी रामवती कन्या इण्टर कालेज के प्रबन्धक द्वारा छात्रों/अध्यापकों की फर्जी आमद दिखाकर धन के दुरुपयोग की जांच

64–श्री उदय राज यादव–

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री को जानकारी है कि जनपद सीतापुर के विकास खण्ड पिसावां, ग्राम सभा सरोसा में राम दुलारी रामवती कन्या इण्टर कालेज के प्रबन्धक श्री अवनीश बाजपेयी पुत्र श्री पृथ्वीराज बाजपेयी द्वारा छात्र/छात्राओं तथा अध्यापक/अध्यापिकाओं की फर्जी आमद दिखाकर धन का दुरुपयोग किया जा रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार उसकी अविलम्ब जांच करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा० नेपाल सिंह–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

जनपद सुल्तानपुर, राम प्रसाद पूर्व माध्यमिक विद्यालय, कोईरीपुर के नाम से राम प्रसाद शब्द हटाने की जानकारी

65–श्री तेजभान सिंह–

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद सुल्तानपुर में राम प्रसाद पूर्व माध्यमिक विद्यालय, कोईरीपुर नाम से स्थित विद्यालय के नाम में से "राम प्रसाद" शब्द हटा दिया गया था ? क्या दिनांक 27-8-94 को तत्कालीन बेसिक शिक्षाधिकारी सुल्तानपुर तथा 8-12-98 को बेसिक शिक्षाधिकारी सुल्तानपुर द्वारा विद्यालय के आगे "राम प्रसाद" शब्द तत्काल जोड़ने के लिखित आदेश प्रधानाचार्य को दिए हैं ? यदि हां, तो क्या विद्यालय का नाम संशोधित कर दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ? उक्त विद्यालय के नाम में से "राम प्रसाद" शब्द किस के आदेश से किन कारणों से हटाया गया ? इसके लिए कौन दोषी है तथा उसके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ?

श्री बालेश्वर त्यागी–

जी नहीं । शुद्ध नाम राम प्रताप है न कि राम प्रसाद ।

जी हां । तत्कालीन जिला बेसिक शिक्षाधिकारी, सुल्तानपुर द्वारा विद्यालय के पूर्व "राम प्रताप" जोड़ने का लिखित आदेश संबंधित प्रति उप विद्यालय निरीक्षक, को दिया गया था ।

जी नहीं ।

विद्यालय के नाम में से "राम प्रसाद" शब्द निकालने का कोई आदेश नहीं दिया गया है । विद्यालय में "राम प्रताप" नाम बेसिक शिक्षा परिषद् के गठन से पूर्व से ही उपयोग में नहीं लाया जा रहा था ।

इसके लिए कोई दोषी नहीं है । कार्यवाही किये जाने का प्रश्न ही नहीं उठता ।

जनपद–बस्ती, विकास खण्ड सल्टौआ गोपालपुर के कथित गांवों को जोड़ने वाली सड़कों के आंकलन की स्वीकृति जारी कराने की मांग

66–श्री राम ललित चौधरी–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बस्ती में विकास खण्ड सल्टौआ गोपालपुर के अन्तर्गत लगभग पचास गांवों को सोनहा मानपुर तहसील एवं बस्ती डुमरियागंज मुख्य मार्ग से जोड़ने वाली सड़क भहनुआ दसिया का आंकलन वर्ष 1997 के माह मई, जून, जुलाई, अगस्त के दौरान कई बार उपलब्ध कराए जाने के बाद भी संसाधनों का अभाव बताकर राज्य सेक्टर से अब तक स्वीकृति नहीं जारी की गई ? यदि हां, तो क्या इस मार्ग के महत्व और अरजेन्सी को देखते हुए प्राथमिकता के आधार पर सरकार राज्य सेक्टर से इसकी स्वीकृति शीघ्र जारी करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कलराज मिश्र–

जी हां । संसाधनों के अभाव में स्वीकृति नहीं दी जा सकी ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

राज्य सरकार के सीमित वित्तीय संसाधनों के कारण सम्प्रति सम्भव नहीं है ।

बी० टी० सी० प्रशिक्षण के प्रवेश परीक्षा का घोषित परिणाम

67–श्री कृष्ण चन्द्र पुनेठा–

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1996-97 का बी०टी०सी० प्रशिक्षण प्रवेश परीक्षा का परिणाम घोषित कर दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्या वर्ष 1998-99 हेतु बी०टी०सी०

प्रशिक्षण की प्रवेश परीक्षा में सम्मिलित अभ्यर्थियों को आयु सीमा में छूट प्रदान की जायेगी तथा पूर्व में उनके द्वारा जमा परीक्षा शुल्क को समायोजित किया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बालेश्वर त्यागी–

जी हां ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

68–श्री कृष्ण चन्द्र पुनेठा–

[4 थे शुक्रवार में अता० प्र० सं०–189 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

जनपद–बाराबंकी के अध्यापक/अध्यापिकाओं की वरिष्ठता सूची बना-कर अध्यापकों को उपलब्ध कराने की जानकारी

69–श्री सरवर अली–

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सचिव उ० प्र० बेसिक शिक्षा परिषद् इलाहाबाद के पत्रांक बे०शि०प०/4808–5109/93-94 दिनांक 25-6-93 के अनुपालन में नगर शिक्षा अधिकारी बेसिक शिक्षा परिषद् नगर क्षेत्र बाराबंकी ने अध्यापकों/प्रधानाध्यापकों की वरिष्ठता सूची बनवाई तथा इस वरिष्ठता सूची की प्रति प्रत्येक अध्यापकों को हस्तगत करवाई है ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या उक्त की प्रतियां प्रत्येक अध्यापक को उपलब्ध करायी जायेंगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बालेश्वर त्यागी–

जी हां ।

जी नहीं ।

प्रकाशित वरिष्ठता सूची से अध्यापकों को अवगत करा दिया गया था ।

जी नहीं ।

वरिष्ठता सूची से अवगत करा दिया गया है ।

जनपद–हरदोई मल्लावां के नया गांव से दारूकुइयां तक सड़क बनाने की मांग

70–डा० धर्मज्ञ मिश्र–

क्या लोक निर्माण मंत्री को जानकारी है कि जनपद हरदोई के 91–मल्लावां निर्वाचन क्षेत्र के अन्तर्गत नया गांव से दारूकुइयां तक जिसकी आबादी एक हजार से अधिक है, कई वर्ष पूर्व इस गांव में जो खड़ंजा लगाया गया था, वह ध्वस्त हो चुका है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त ग्राम पंचायत तक सड़क बनाने की व्यवस्था करवाएगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कलराज मिश्र–

जी हां ।

जी नहीं ।

प्रदेश के सीमित वित्तीय संसाधनों के कारण सम्भव नहीं है ।

जनपद हरदोई, मल्लावां के कतिपय मार्गों की मरम्मत करवा कर डामरीकरण कराने की मांग

71–डा० धर्मज्ञ मिश्र–

क्या लोक निर्माण मंत्री को जानकारी है कि जनपद हरदोई के 91–मल्लावां निर्वाचन क्षेत्र के अन्तर्गत हरदोई–उन्नाव रोड से सेखवापुर होते हुये सुमेरगंज तक बीस वर्ष पूर्व खड़ंजा लगाया गया था क्या वह पूरी तरह से नष्ट हो चुका है ? यदि हां, तो क्या सरकार उसकी मरम्मत करवाने के पश्चात् डामरीकरण करवायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कलराज मिश्र–

जी हां ।

मार्ग क्षतिग्रस्त है ।

संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है ।

उपरोक्तानुसार ।

जनपद शाहजहांपुर के गांवों में कन्या इण्टर कालेज खोलने हेतु प्राप्त पत्र पर कार्यवाही की मांग

72—श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह–

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 4-8-98 या इसके आस-पास जो बुधवाना, कोनी, मझोला, नया गांव, मसूलपुर या बरूआ पहना विकास खण्ड जलालाबाद जिला शाहजहांपुर में एक असेवित कन्या इण्टर कालेज खोलने के विषय में था, मुख्य मंत्री को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो क्या यह भी सच है कि मंत्री जी ने दिनांक 4-8-98 को सचिव, माध्यमिक शिक्षा को उपरोक्त विद्यालय खोलने के आदेश दिये हैं ? यदि हां, तो सचिव मा० शि० ने उपरोक्त पत्र पर क्या कार्यवाही की ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा० नैपाल सिंह–

इस विषयक प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 21-7-98 प्राप्त हुआ है ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

विकास खण्ड जलालाबाद असेवित विकास खण्ड की सूची में सम्मिलित नहीं है । ऐसी स्थिति में असेवित विकास खण्ड योजनान्तर्गत कन्या विद्यालय की स्वीकृति दिया जाना सम्भव नहीं है । यथास्थिति से मा० सदस्य को पत्र दिनांक 26 दिसम्बर, 1998 द्वारा अवगत कराया जा चुका है ।

जनपद मैनपुरी के जिला विद्यालय निरीक्षक के अधीन विद्यालयों/इण्टर कालेजों के रिक्त पदों को नियमानुसार भरे जाने की कार्यवाही

73—श्री राम औतार शाक्य–

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जनपद मैनपुरी में जिला विद्यालय निरीक्षक के अधीन मान्यता प्राप्त विद्यालयों/इण्टर कालेजों में लिपिकों एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के किस-किस विद्यालय में कितने और कब से पद रिक्त चल रहे हैं और उनमें से इस समय कौन-कौन से पद मृतक आश्रितों के कोटे से भरे जाने है ? क्या सरकार सामान्य एवं मृतक आश्रितों के पदों को भरेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा० नैपाल सिंह–

जनपद मैनपुरी में जिला विद्यालय निरीक्षक के अधीन मान्यता प्राप्त विद्यालयों एवं इण्टर कालेजों में लिपिक का कोई पद रिक्त नहीं है तथा चतुर्थ श्रेणी के रिक्त पदों का विद्यालयवार विवरण निम्नवत् है :–

क्र०सं०	विद्यालय का नाम	रिक्ति का दिनांक	पद संख्या
1	जनता इं०का० नौसेर	6/95, 7/95	2
2	मेजर जगराज सिंह इं०का० जामई	23-11-97	1
3	नेशनल इं०का० भोगांव	30-6-96	1
4	वीरेन्द्र भारतीय इं०का० ज्योति	31-12-97 1-6-98	2
5	मदन इं० कालेज भोगांव	31-12-93	1
6	कैप्टन उन्मेद सिंह इं०का० कल्हौर	31-12-98	1
7	श्री नेहरू स्मारक इं० कालेज समान	31-3-94	1
8	इन्द्रजीत शिक्षा सदन जीत	1-1-95	1
9	डी०ए०वी० इं० कालेज मैनपुरी	1-9-93	2
10	एकरसानन्द आदर्श इं०का० मैनपुरी	31-1-98	1
		योग :	13

उक्त 13 रिक्त चतुर्थ श्रेणी पदों में से कोई भी पद मृतक आश्रित से भरा नहीं जाना है ।

जी हां, नियमानुसार पदों को भरने की कार्यवाही की जायेगी ।

जनपद मैनपुरी, बेसिक शिक्षा अधिकारी जिला कार्यालय में रिक्त पदों को भरने की नीति की जानकारी

74–श्री राम औतार शाक्य–

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि बेसिक शिक्षा अधिकारी मैनपुरी के जिला कार्यालय में तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के कितने पद रिक्त हैं ? क्या सरकार उक्त रिक्त पदों को भरने की कोई नीति बनाने जा रही है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा० नैपाल सिंह–

कोई नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद मैनपुरी जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय में कतिपय रिक्त पदों को भरने की मांग

75—श्री राम औतर शाक्य–

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जनपद–मैनपुरी में जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय के अन्तर्गत तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के कितने-कितने पद रिक्त हैं ? क्या सरकार उक्त रिक्त पदों को भरेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा० नैपाल सिंह–

तृतीय श्रेणी के 5 पद रिक्त हैं । रिक्त पदों के चयन की कार्यवाही गतिमान है । चतुर्थ श्रेणी का कोई पद रिक्त नहीं है ।

जनपद मैनपुरी, बेसिक शिक्षा परिषद् के प्राथमिक/पूर्व माध्यमिक विद्यालयों के अध्यापकों के रिक्त पदों के सृजन की मांग

76—श्री राम औतार शाक्य–

क्या सरकार को जानकारी है कि जनपद मैनपुरी में बेसिक शिक्षा परिषद् के अधीन चल रहे प्राथमिक एवं पूर्व माध्यमिक विद्यालयों में कितने पद अध्यापकों के रिक्त हैं ? उनको कब तक भर दिया जायेगा ? क्या सरकार उक्त विद्यालयों में नये पद सृजित करने जा रही है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बालेश्वर त्यागी–

परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में अध्यापकों के 575 पद एवं पूर्व माध्यमकि विद्यालयों में अध्यापकों के 139 पद रिक्त हैं ।

शीघ्र ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

बेसिक शिक्षा परिषद् के अधीन प्राइमरी/पूर्व माध्यमिक विद्यालय में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के पदों को भरने की नीति की जानकारी

77—श्री राम औतार शाक्य–

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि बेसिक शिक्षा परिषद् के अधीन प्राथमिक एवं पूर्व माध्यमिक विद्यालयों में कितने चतुर्थ श्रेणी के पद रिक्त हैं ? क्या सरकार उक्त रिक्त पदों को भरे जाने की कोई नीति निर्धारित कर रही है ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बालेश्वर त्यागी–

परिषद् के अधीन संचालित प्राथमिक एवं पूर्व माध्यमिक विद्यालयों में चतुर्थ श्रेणी का कोई पद रिक्त नहीं है ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

क्योंकि सम्प्रति कोई पद रिक्त नहीं है ।

जनपद देवरिया, भाटपार रानी के खनुआ नदी तथा छोटी गंडक के शिवघाट पर पुलों के निर्माण की जानकारी

78—श्री योगेन्द्र सिंह सेंगर–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि भाटपार रानी विधान सभा क्षेत्र जनपद देवरिया के खनुआ नदी पर खैराट बलुआ अफगान तथा छोटी गंडक के शिवघाट पर पुलों के निर्माण का प्रस्ताव शासन के विचाराधीन है ? यदि हां, तो उक्त पुलों का निर्माण कब तक शुरू कर दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कलराज मिश्र–

केवल भटनी बलुआ अफगान हंकरपुर–मुसरही (बिहार) मार्ग पर खनुआ नाले पर पुल निर्माण का प्रस्ताव आर०आई०डी०एफ०–4 के अन्तर्गत शासन को प्राप्त हुआ है ।

वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता के अनुसार निर्माण कार्य किया जायेगा ।

प्रश्न नहीं उठता ।

राजकीय पालीटेक्निक फैजाबाद रोड लखनऊ के स्वर्गीय नवाब मिर्जा के मृत्यु पूर्व अभिरक्षण में रखे कम सामानों के धनराशि की वसूली

79—श्री राजधारी–

क्या प्राविधिक शिक्षा मंत्री को जानकारी है कि स्थानीय राजकीय पालीटेक्नीक, फैजाबाद रोड, लखनऊ के प्रधानाचार्य के आदेश संख्या 794-97/कैम्प–92 दिनांक 14-5--1992 के द्वारा श्री एस० एन० कुशवाहा की अध्यक्षता मे एक पांच सदस्यीय जांच समिति स्वर्गीय नवाब मिर्जा, प्रशिक्षण कार्यशाला के मृत्यु पूर्व अभिरक्षा में रखे हुये सर्विसेबिल अनसर्विसेबिल सामानों की जांच के संबंध मे गठित की गयी थी ? यदि हां, तो उक्त जांच समिति की आख्या दिनांक 10-6-1992 के अनुसार प्रस्तर–5 में दी गयी संस्तुति के अनुरूप क्या श्री हसन, कर्मशाला अधीक्षक द्वारा अनसर्विसेबिल घोषित तथा स्टाक में कम पाये गये सामान को स्व० नवाब मिर्जा की मृत्यु के बाद बट्टे खाते में डाला गया है ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या उक्त सामान को बट्टे खाते में डाला जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा० नरेन्द्र कुमार सिंह गौर–

जी हां ।

श्री एनुल हसन, कर्मशाला अधीक्षक प्रश्नगत सामानों को अनसर्विसेबुल घोषित करने के लिये सक्षम नहीं थे । अतः सामानों को बट्टे खाते में डालने का प्रश्न नहीं उठता है ।

भण्डार में वापस की गई सामग्री में जो कम पाई गई थी, उसकी मूल्यांकित धनराशि रु० 65.25/– की वसूली संबंधित कर्मचारी से की जा चुकी है ।

80—श्री रंगबहादुर पटेल–

[न्यायालय के विचाराधीन होने के कारण निरस्त]

जनपद महाराजगंज, सेंचुरी एरिया में अनधिकृत हिरन का शिकार में दोषियों पर जुर्माना/कार्यवाही की मांग

81—श्री बादशाह सिंह–

क्या वन मंत्री को ज्ञात है कि दिनांक 23-24 नवम्बर, 98 की रात्रि में महाराजगंज जिले के सोहगीबरवां के सेंचुरी एरिया में अनाधिकृत रूप से शिकारियों द्वारा दो हिरनों को मारने के आरोप में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 2115/9127/51/1 के तहत अभियोग पंजीकृत कर कुल 11 लोगों को गिरफ्तार किया गया ? क्या 6 लाख रुपये जुर्माना देकर अभियुक्तों को छोड़कर दिया गया है ? यदि हां, तो क्या जुर्माने की उक्त धनराशि सरकारी खजाने में जमा हुई है ? क्या उक्त वन रेन्ज में शिकार करने के कारण वन्य जीवों की संख्या कम हो रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार ने इस हेतु कोई ठोस कार्यवाही की है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रघुवर दयाल वर्मा–

जी हां । वन्य जीव विहार के बाहरी क्षेत्र में दो नर चीतल के अवैध शिकार के मामले में ग्यारह लोगों के विरुद्ध वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 यथा संशोधित 1991 की धारा 9/27, 29/31 के तहत केस पंजीकृत कर पकड़ा गया ।

अभियुक्तों द्वारा अपराध स्वीकार कर लेने पर उनके ऊपर छः लाख रुपये का प्रतिकर लगाया गया जिसके विरुद्ध अभियुक्तों द्वारा 2,50,000.00 रुपया जमा किया गया तथा शेष धनराहि 15 दिन के अन्दर जमा कर देने का आश्वासन दिये जाने एवं लिखित इकरारनामें के आधार पर उन्हें छोड़ दिया गया ।

जुर्माने की इस धनराशि का चालान संख्या 36 व 37 द्वारा दिनांक 27 नवम्बर, 1998 को भारतीय स्टेट बैंक, महाराजगंज में जमा किया गया।

जी नहीं : उक्त के अतिरिक्त अन्य कोई अवैध शिकार का मामला अभी तक प्रकाश में नहीं आया है।

वन्य जीवों के संरक्षण एवं संवर्धन हेतु प्रभावी एवं पर्याप्त व्यवस्था सुनिश्चित की गई है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बरेली में वर्ष 1997–98 में सुनिश्चित रोजगार योजना में लगाये गये पेड़ों एवं वन विभाग को ग्राम्य विकास अभिकरण द्वारा प्राप्त धनराशि का विवरण

82—श्री छोटे लाल गंगवार–

क्या वन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1997-98 में बरेली जनपद में सुनिश्चित रोजगार योजना से वृक्षारोपण हेतु कितना धन वन विभाग को ग्राम्य विकास अभिकरण बरेली से प्राप्त हुआ ? प्राप्त धन से बरेली वन विभाग ने कितने क्षेत्रफल में कितने पेड़ लगाये और कितने लोगों को रोजगार उपलब्ध कराया ? क्या सरकार विकास खण्ड नवाबगंज भदपुरा में वृक्षारोपण में हुई अनियमितता व भ्रष्टाचार की जांच करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रघुवर दयाल वर्मा–

वर्ष 1997–98 में बरेली जनपद में सुनिश्चित रोजगार योजना के अन्तर्गत रु० 36,34,333.00 वन विभाग को ग्राम्य विकास अभिकरण में प्राप्त हुए।

प्राप्त धन में बरेली वन विभाग ने 120 हे० क्षेत्रफल में 1,32,000 पेड़ लगाये तथा कुल 59,326 मानव दिवस का सृजन रोजगार के रूप में किया गया।

विकास खण्ड नवाबगंज व भदपुरा में वृक्षारोपण में कोई अनियमितता व भ्रष्टाचार प्रकाश में नहीं आया है।

प्रश्न नहीं उठता।

आरा मशीनों के नवीन लाइसेन्स जारी करने पर रोक

83—श्री छोटे लाल गंगवार–

क्या वन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आरा मशीनों के नवीन लाइसेन्स जारी करने पर वर्ष 1996-97 से रोक लगा दी गयी है ? क्या इस रोक के कारण आरा मशीन वाले उपभोक्ताओं से मनमानी चिराई (मजदूरी) ले रहे हैं और उपभोक्ताओं का शोषण कर रहे हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त रोक हटाकर आरा मशीनों के नवीन लाइसेंस जारी करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रघुवर दयाल वर्मा–

जी हां। जनहित रिट याचिका संख्या 202/1995–टी०एन० गोडावर्मन थिरुमल्कपाद बनाम भारत सरकार व अन्य में मा० उच्चतम न्यायालय द्वारा दिनांक 4-3-1997 को पारित आदेश के अनुपालन में आरा मशीन के नये लाइसेंस जारी करने पर प्रतिबन्ध लगा दिया गया है।

जी नहीं।

मा० उच्चतम न्यायालय के उक्त आदेश दिनांक 4-3-1997 के दृष्टिगत आरा मशीनों के नये लाइसेंस जारी किया जाना सम्भव नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद हरदोई, अध्यक्ष जिला पंचायत की अध्यक्षता मे बेसिक शिक्षा अधिकारी के विरुद्ध पारित प्रस्ताव शासन को सूचित करने/कार्यवाही की मांग

84—श्री अब्दुल मन्नान–

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री को जानकारी है कि अध्यक्ष, जिला पंचायत, हरदोई की अध्यक्षता में दिनांक 5 सितम्बर, 1998 को बैठक आयोजित की गयी थी, जिसमें पदेन सदस्य, बेसिक शिक्षा अधिकारी, हरदोई उपस्थित नहीं हुये थे ? क्या यह सही है कि उनकी अनुपस्थिति तथा उनकी जनपद में अनुचित कार्यशैली के कारण जिला पंचायत द्वारा एक निन्दा प्रस्ताव पारित कर, शासन को उनके विरुद्ध कार्यवाही किये जाने हेतु लिखा गया था ? यदि हां, तो उक्त के सम्बन्ध में उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बालेश्वर त्यागी–

प्रति वर्ष की भांति दिनांक 5 सितम्बर, 1998 को शिक्षक दिवस के उपलक्ष्य में जिलाधिकारी की अध्यक्षता में शिक्षकों को सम्मानित करने का महोत्सव आयोजित किया गया था । उक्त महोत्सव में अतिव्यस्त रहने के कारण संबंधित बेसिक शिक्षा अधिकारी जिला पंचायत की प्रश्नगत बैठक में उपस्थित नहीं हो सके थे, जिसकी सूचना अध्यक्ष, जिला पंचायत हरदोई को उनके द्वारा दे दी गई थी ।

उपलब्ध अभिलेखों के अनुसार प्रश्नगत प्रस्ताव शासन को प्राप्त हुआ नहीं प्रतीत होता है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद हरदोई के विकास खण्ड बेहदर तथा सण्डीला के प्राइमरी पाठशालाओं में अध्यापकों की नियुक्ति

85—श्री अब्दुल मन्नान–

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री को जानकारी है कि जनपद हरदोई के विकास खण्ड, बेहदर तथा सण्डीला के प्राइमरी पाठशाला जाहिदपुर, तुरना रूद्र पीपर चक, असवर मऊ, सर्वे, हुसैनपुर पलिया, कुदौरी, पहतोइया आदि ग्रामों की पाठशालायें अध्यापकों की नियुक्तियां न होने तथा नियुक्त अध्यापकों की अनुपस्थिति के कारण पूर्ण रूप से पिछले कई माह से बन्द है ? यदि हां, तो क्या सरकार इसकी जांच कराकर छात्र हित में शिक्षण व्यवस्था करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बालेश्वर त्यागी–

जी नहीं ।

सभी पाठशालायें विधिवत् संचालित है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

86—श्री विशन सिंह चुफाल–

[4 थे शुक्रवार में अता० प्र० सं०–191 के अंतर्गत स्थानान्तरित]

87—श्री विशन सिंह चुफाल–

[4 थे शुक्रवार में अता० प्र० सं०–192 के अंतर्गत स्थानान्तरित]

जनपद लखनऊ राजकीय बालिका इण्टर कालेज, शाहमीना रोड, में निर्माण के भुगतान पर कार्यवाही

88—श्री सुरेश चन्द्र तिवारी–

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 29 अगस्त, 1998 जो राजकीय बालिका इण्टर कालेज, शाहमीना रोड, लखनऊ में किये गये निर्माण कार्य का भुगतान न किये जाने विषयक था, उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो क्या प्रश्नगत भुगतान कर दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या सरकार इस में हुए विलम्ब के लिये दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ?

डा० नैपाल सिंह–

जी हां ।

जी नहीं ।

टेण्डर के अनुसार कार्य पूर्ण न होने के कारण शिकायती-पत्र प्राप्त होने पर पूरे प्रकरण की जांच हेतु निदेशालय द्वारा दिनांक 11–12–98 को मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक, लखनऊ को निर्देशित किया गया है । जांच पूर्ण होने पर एवं जांच आख्या प्राप्त होने पर परीक्षणोपरान्त भुगतान के प्रकरण पर तथा दोषी पाये जाने पर दोषी के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी ।

लोक निर्माण विभाग लखनऊ की विभागीय निर्माण इकाई में किराये पर ली गई जीप/कार के व्यय की आवंटन/आवंटन से अधिक व्यय की जांच

89—श्री अम्बरीष कुमार–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विभागीय निर्माण इकाई (राष्ट्रीय मार्ग) लो० नि० विभाग, लखनऊ में एक जीप के अतिरिक्त एक मारुति वेन (जीप/कार) किराये पर ले रखी है ? क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि लाग बुक के आधार पर वर्ष 1993-94, 94-95 व 95-96 में कितना-कितना पी०ओ०एल० पर तथा कितना-कितना खर्च जीप की रिपेयर पर खर्च किया गया है ? जीप के रखरखाव पर कितना आवंटन उपलब्ध था ? क्या आवंटन से अधिक खर्च करने की अनुमति ली गयी ? यदि हां, तो किस अधिकारी द्वारा उक्त अनुमोदन दिया गया ? क्या इसकी जांच कराकर दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही की जायेगी ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री कलराज मिश्र–

जी हां । दिनांक 01 फरवरी, 1994 से ।

लाग बुक के आधार पर जीप के पी०ओ०एल० तथा उसकी मरम्मत पर निम्नवत् व्यय किया गया है :–

वर्ष	पी०ओ०एल०	मरम्मत
1993–94	रु० 21557.50	रु० 31713.00
1994–95	रु० 24872.14	रु० 20275.00
1995–96	रु० 54094.41	रु० 41973.00

जीप के अनुरक्षण पर वर्षवार धन आवंटन की स्थिति निम्नवत् थी :–

वर्ष	धन आवंटन
1993–94	रु० 4,000.00
1994–95	रु० 21,000.00
1995–96	रु० 11,000.00

जीप के अनुरक्षण हेतु आवंटित धनराशि से अतिरिक्त व्यय भार को विभिन्न स्वीकृत कार्यों के आगणनों के गुणवत्ता नियंत्रण के मद हेतु भूतल परिवहन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा उपलब्ध कराये गये धन में से ट्रांसपोर्टेशन हेतु प्राविधानित धनराशि से किया गया ।

जांच कराकर आवश्यक कार्यवाही की जायेगी ।

जनपद चित्रकूट प्रशिक्षित (बी०टी०सी०) सहायक अध्यापकों की नियुक्ति की मांग

90—श्री आर० के० सिंह पटेल–

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद चित्रकूट के प्रशिक्षित (बी० टी० सी०) सहायक अध्यापकों की नियुक्ति पत्रांक बे०शि०प० 27989–28315/98-99 दिनांक 30-10-98 के अन्तर्गत नियुक्ति की गयी ? यदि हां, तो कितने ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बालेश्वर त्यागी–

जी हां ।

15 (पन्द्रह)

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद गोरखपुर ब्लाक चपाली में अनौपचारिक शिक्षा अनुदेशकों के भत्ते का भुगतान

91—श्री सन्त–

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद गोरखपुर के ब्लाक चपाली में अनौपचारिक शिक्षा अनुदेशकों का 2 मार्च, 1997 से 11 मार्च, 1997 तक प्रशिक्षण अवधि का भत्ता एवं जुलाई, 1996 से मई, 1998 तक का एक दिवसीय मासिक बैठक भत्ता एवं मार्च, 1998 से जून, 1998 तक का मानदेयों का भुगतान कर दिया गया है ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो उक्त का कब तक भुगतान कर दिया जायेगा ?

श्री बालेश्वर त्यागी–

जी हां, नियमानुसार भुगतान कर दिया गया है ।

दिनांक 5-2-99, 4-6-98 तथा 9-10-98 को भुगतान कर दिया गया है ।

प्रश्न ही नहीं उठता ।

जनपद हरदोई मल्लावां सन्डीला रोड से बेलवार तक रोड का निर्माण की मांग

92—डा० धर्मज्ञ मिश्र–

क्या लोक निर्माण मंत्री को जानकारी है कि जनपद हरदोई के 91—मल्लावां निर्वाचन क्षेत्र के अन्तर्गत मल्लावां संडीला रोड से सरैया बेलवार तक जिसकी आबादी एक हजार से अधिक है, बीस वर्ष पूर्व खड़न्जा लगाया गया था ? क्या वह पूरी तरह से खराब हो गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त सड़क का निर्माण करवायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कलराज मिश्र–

जी नही, सरिया बेलवार की आबादी 315 है । यहां काफी पहले खड़ंजा लगाया गया था .

जी हां ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

वर्तमान नीति के अनुसार पहले 1000 से अधिक आबादी वाले गांवों को 2005 तक सम्पर्क मार्गों से जोड़े जाने की योजना है ।

जनपद हरदोई, मल्लावां मेंहदीघाट से रामपुर–महमूदपुर तक कच्चे से पक्के सड़क निर्माण की मांग

93—डा० धर्मज्ञ मिश्र–

क्या लोक निर्माण मंत्री को जानकारी है कि जनपद हरदोई के 91—मल्लावां निर्वाचन क्षेत्र के अन्तर्गत मल्लावां मेंहदीघाट रोड से बेरिया नजीरपुर तिराहे से ग्राम पंचायत रामपुर–महमूदपुर तक बीस

वर्ष पूर्व पुराना खड़ंजा लगाया गया था ? क्या वह अतिवृष्टि तथा गंगा की बाढ़ से पूरी तरह से नष्ट हो गया है तथा उस पर आवागमन अवरुद्ध है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त सड़क का निर्माण करवायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कलराज मिश्र–

जी हां ।

मार्ग क्षतिग्रस्त है । आवागमन की कठिनाई है ।

संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है ।

उपरोक्तानुसार ।

उपरोक्तानुसार ।

उ०प्र० शिक्षा विभाग में शैक्षिक सेवा कनिष्ठ वेतनमान सेवा संवर्ग में पिछड़ी जाति का कोटा पूर्ण कराने हेतु कार्यवाही की मांग ।

94—श्री राम सेवक सिंह–

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि उ० प्र० के शिक्षा विभाग में शैक्षिक सेवा कनिष्ठ वेतनमान सेवा संवर्ग में ओ० बी० सी० (पिछड़ी जाति) का आरक्षित कोटा पूर्ण है ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या उक्त सेवा संवर्ग में आरक्षित वर्गों का कोटा पूर्ण करने हेतु शासन स्तर से कोई ठोस प्रभावी कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा० नैपाल सिंह–

जी हां । उ०प्र० शिक्षा सेवा (सामान्य शिक्षा संवर्ग) समूह "ख" उच्चतर (कनिष्ठ वेतनमान) में सीधी भर्ती के कोटे में रिक्त पदों पर की गई नियुक्तियों में ओ०बी०सी० (पिछड़ी जाति) के लिये निर्धारित आरक्षण का कोटा पूर्ण है । पदोन्नति कोटे में पिछड़ी जाति के लिये आरक्षण का प्राविधान नहीं है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जी हां । उ०प्र० शैक्षिक सेवा (सामान्य शिक्षा संवर्ग) सेवा समूह "ख" (उच्चतर) में सीधी भर्ती के कोटे में रिक्त पदों पर चयन हेतु अधियाचन लोक सेवा आयोग, उ०प्र० इलाहाबाद को भेजा गया है जिसमें आरक्षित श्रेणी के लिये रिक्तियों का उल्लेख किया गया है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

95—श्री नरेन्द्र सिंह शिशौदिया–

[दिनांक 11-3-99 को अता०प्र०सं०–96 द्वारा उत्तरित]

जनपद देवरिया बाबा राघव दास स्नातकोत्तर महाविद्यालय के डा० मिहिर कुमार भट्टाचार्य की पूर्व सेवाओं को जोड़कर वेतन निर्धारण हेतु प्राप्त पत्र पर कार्यवाही की मांग

96—श्री श्याम देव राय चौधरी–

क्या उच्च शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पूर्व के दृष्टांतों एवं तत्संबंधी शासनादेश आदि को दृष्टिगत रखते हुए डा० मिहिर कुमार भट्टाचार्य, बाबा राघव दास स्नातकोत्तर महाविद्यालय, देवरिया की पूर्व सेवाओं को जोड़कर वेतन निर्धारण किये जाने के आदेश देने हेतु प्रश्नकर्ता का कोई पत्र दिनांक 30-12-97 उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर सरकार ने क्या कोई आदेश निर्गत किये हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा० नरेन्द्र कुमार सिंह गौर–

जी हां ।

प्रकरण का निस्तारण करते हुये आदेश निर्गत कर दिये गये हैं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद शाहजहांपुर पुवायां के गोमती/मैसी नदी के पुलों का पुनर्निमाण की मांग

97—श्री चेतराम–

क्या लोक निर्माण मंत्री को जानकारी है कि प्रश्नकर्ता के निर्वाचन क्षेत्र पुवायां, जनपद शाहजहांपुर के अन्तर्गत गोमती नदी एवं मैसी नदी के पुल जीर्ण-शीर्ण हो गये हैं जिस कारण कभी भी भयंकर दुर्घटना हो सकती है ? क्या सरकार जनहित में उक्त पुलों का पुनर्निर्माण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कलराज मिश्र–

जी हां ।

जी नहीं ।

सीमित वित्तीय संसाधनों के अन्तर्गत सम्भव नहीं है समय-समय पर आवश्यक मरम्मत की जाती है ।

उपरोक्तानुसार ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद शाहजहांपुर सरदार पटेल इण्टर कालेज के प्रवक्ताओं में अनुसूचित जाति/जनजाति का कोटा पूर्ण करने की मांग

98—श्री चेतराम–

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सरदार पटेल इण्टर कालेज, शाहजहांपुर में प्रवक्ता वेतनक्रम में अनुसूचित जाति/जनजाति के कितने प्रवक्ता कार्यरत हैं ? कार्यरत प्रवक्ताओं को प्रोन्नति में आरक्षण न किये जाने के क्या कारण हैं ? क्या उक्त विद्यालय/कालेज में अनु० जाति/अनुसूचित जनजाति के प्रवक्ताओं का आरक्षण कोटा पूर्ण है ? यदि नहीं, तो क्यों ? आरक्षण कोटा कब तक पूर्ण कर दिया जायेगा ?

डा० नैपाल सिंह–

अनु० जाति का एक प्रवक्ता कार्यरत है । पदोन्नति के दिनांक को स्नातक वेतनक्रम में अनु० जाति के पात्र एवं अर्ह अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं थे इस कारण प्रवक्ताओं का आरक्षण कोटा पूरा नहीं हो सका है । वर्ष 1998 से स्नातक वेतन क्रम के अनु० जाति के एक स०अ० पात्र एवं अर्ह उपलब्ध हुये परन्तु प्रवक्ता संस्कृत के पद पर मा० उच्च न्यायालय के स्थगन आदेश दिनांक 20-2-92 के अनुपालन में सामान्य श्रेणी से प्रवक्ता संस्कृत कार्यरत हैं । उक्त याचिका सम्प्रति मा० उच्च न्यायालय में विचाराधीन है । इसके अतिरिक्त संस्कृत प्रवक्ता का पद नहीं है । प्रवक्ता पद पर सीधी भर्ती से नियुक्ति हेतु अनु० जाति के लिये आरक्षित प्रवक्ता गणित के एक पद का अधियाचन चयन बोर्ड को भेजा गया है जिस पर अभी तक चयनित अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं है । पदोन्नति हेतु प्रवक्ता संस्कृत प्रवक्ता का पद उपलब्ध होने पर तथा चयन बोर्ड से गणित का चयनित अभ्यर्थी उपलब्ध होने पर आरक्षण कोटा पूरा हो जायेगा ।

जनपद लखनऊ, ब्लाक गोसाईगंज के मलौली से महमूदपुर मार्ग का डामरीकरण की मांग

99—श्री अब्दुल मन्नान–

क्या लोक निर्माण मंत्री को जानकारी है कि जनपद लखनऊ के ब्लाक गोसाईगंज के मलौली से महमूदपुर जाने वाले मार्ग से ग्राम रसूलपुर तक जाने वाले सम्पर्क मार्ग पर गत वर्ष 1997-98 में मिट्टी पटाई एवं गिट्टी डालने का कार्य कराया जा चुका है और डामरीकरण न करने के कारण गिट्टी बिखर रही है एवं सड़क के किनारे पड़े डामर का दुरुपयोग हो रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त सम्पर्क मार्ग का डामरीकरण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कलराज मिश्र–

जी हां ।

जी नहीं, समय-समय पर ब्लाइडिंग की जा रही है । जी नहीं, प्रश्नगत कार्य पर डामर का एकत्रीकरण नहीं किया गया है ।

संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है ।

उपरोक्तानुसार ।

उपरोक्तानुसार ।

जनपद पिथौरागढ़ राजकीय इण्टर कालेज में प्रवक्ताओं के रिक्त पदों को भरने की मांग

100—श्री बिशन सिंह चुफाल–

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद पिथौरागढ़ में राजकीय इ० का० में कुल कितने प्रवक्ता पद सृजित हैं ? वर्तमान समय में कितने प्रवक्ता पद रिक्त हैं ? क्या उन रिक्त पदों पर नियुक्ति की जायेगी ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री नैपाल सिंह–

प्रवक्ता के कुल 568 सृजित पदों के समक्ष 251 पद रिक्त हैं । रिक्त पदों पर चयन की कार्यवाही गतिमान है । चयनित अभ्यर्थी उपलब्ध होते ही नियुक्तियां की जायेगी ।

जनपद पिथौरागढ़ के ग्राम पंचायतों/गांव को हक की लकड़ी दिलाने की मांग

101—श्री विशन सिंह चुफाल–

क्या वन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद पिथौरागढ़ में ग्राम पंचायत बारागांव, रैतोली, बर्नाऐरी और दूनाकोट एवं खैतार के गांव को हक की लकड़ी बन्द की गयी है ? क्या भविष्य में गांव को हक की लकड़ी दी जायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रघुवर दयाल वर्मा–

वन बन्दोबस्त के अनुसार प्रश्नगत छः ग्रामों में से केवल 3 ग्राम [illegible] व रैतोली को ही हक-हकूक अनुमन्य किया गया है । उक्त ग्रामों का हक अस्कोट [illegible] के अन्तर्गत पड़ने वाले आरक्षित वनों से स्वीकृत था, परन्तु भारतीय वन्य जीव संरक्षण [illegible] नियम 1991 में भारत सरकार द्वारा संशोधन कर दिये जाने के कारण वर्ष 1991 से स्थानीय ग्रामवासियों को आरक्षित वन दिये जाने वाले हक-हकूक के वृक्षों पर भी प्रतिबन्ध लग गया था । शेष तीन ग्राम वर्नाऐरी, दूनाकोट व खेतार गांव के नाम हक-हकूक हेतु अनुमन्य गांवों की सूची में सम्मिलित नहीं है ।

स्थानीय जनता के अनुरोध पर मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक, उ० प्र० लखनऊ ने अपने पत्र दिनांक 1-12-1998 द्वारा अस्कोट वन्य जीव बिहार के अन्तर्गत स्थानीय ग्रामवासियों को आरक्षित वनों के भीतर गिर पड़े वृक्षों से हक-हकूक की लकड़ी दिये जाने की अनुमति दे दी है, जिसके अनुक्रम में भारतीय वन अधिनियम की धारा–20 के अन्तर्गत निर्गत अधिसूचना में हक-हकूक हेतु अधिसूचित ग्रामों को लकड़ी उपलब्ध कराने हेतु माह फरवरी-99 से छपान कार्य कराकर स्थानीय ग्रामवासियों को हक-हकूक की लकड़ी उपलब्ध करायी जा रही है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद–बहराइच, [illegible] सचिव के आदेश पर अध्यापक/अध्यापकों की वरिष्ठता [illegible] प्रदान करने पर कार्यवाही के संबंध में जानकारी

102—श्री उदय राज [illegible]–

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सचिव, बेसिक शिक्षा परिषद्, इलाहाबाद के पत्रांक–बे०शि०प०/सा-5/28332/98-99, दिनांक 2-11-98 द्वारा नगर क्षेत्र के सभी अध्यापक/अध्यापिकाओं की वरिष्ठता सूची बनाकर नियमानुसार पदोन्नति की कार्यवाही सुनिश्चित करने के आदेश

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, बहराइच को दिये गये थे? यदि हां, तो क्या यह सही है कि बिना वरिष्ठता सूची बनाये दिनांक 30-11-98 को उनके द्वारा पुनः पदोन्नतियां कर दी गयी हैं ? यदि हां, तो क्यों ? क्या सरकार कन्या पूर्व माध्यमिक विद्यालय, गुलाम अलीपुरा, बहराइच के शिक्षक/शिक्षिकाओं की वरिष्ठता सूची बनाकर प्रोन्नति करने के आदेश देने के साथ आदेशों की अवहेलना करने वाले उक्त बेसिक शिक्षा अधिकारी, बहराइच का स्थानान्तरण करते हुए सरकार इनके विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बालेश्वर त्यागी–

जी हां ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जी नहीं ।

वरिष्ठता का प्रकरण मा० उच्च न्यायालय के विचाराधीन होने के कारण मा० उच्च न्यायालय के निर्णयानुसार कार्यवाही की जायेगी ।

103—श्री आर० के० सिंह पटेल–

[दिनांक 21-7-98 को अता० प्र० सं०–36 द्वारा उत्तरित]

जनपद–चित्रकूट, पंडित दीन दयाल उपाध्याय मार्ग योजना में मुख्य सड़क से जोड़ने हेतु कथित गांवों का चयन न करने की जानकारी

104—श्री आर० के० सिंह पटेल–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद चित्रकूट में वर्ष 1997-98 एवं 1998-99 में पंडित दीनदयाल उपाध्याय मार्ग योजना के अन्तर्गत कुल कितने गांवों को सम्पर्क मार्गों से जोड़ा गया है ? क्या ग्रामों के चयन मे जन-प्रतिनिधियों की संस्तुति ली गयी थी ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या यह सही है कि मुख्य मार्गों से जुड़े अधिकतर गांवों को इस योजना में चयनित किया गया है ? क्या ग्राम–कपसेठी, रगौली, ग्राम धुरेटनपुर, ग्राम–कर्बी गांवों को उक्त योजना में चयनित नहीं किया गया है ? यदि हां, तो इसके कारण क्या हैं ?

श्री कलराज मिश्र–

आलोच्य अवधि में प्रश्नगत योजनान्तर्गत 16 ग्रामों को सम्पर्क मार्गों से जोड़ा गया है ।

जी नहीं परन्तु जनप्रतिनिधियों से प्राप्त प्रस्तावों पर भी विचार किये जाने के निर्देश दिये गये थे ।

उपरोक्तानुसार ।

आबादी के मानकों के अनुसार ग्रामों का निर्धारण कर सम्पर्क मार्गों को लेपन स्तर तक किया गया है । जी नहीं, ग्राम कपसेठी, रमौली ग्राम धुरेटनपुर एवं कर्बी का चयन किया गया है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद सुल्तानपुर ग्राम–कुड़वारामपुर, गौरीगंज, महाराजदीन पुत्र गन्नू को सेवानिवृत्ति के पश्चात् नैवृत्तिक लाभ न मिलने हेतु प्राप्त शिकायती पत्र पर कार्यवाही

105—श्री तेजभान सिंह–

क्या लोक निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि अधिशासी अभियन्ता, लो० नि० वि० खण्ड–11, सुल्तानपुर को सम्बोधित प्रश्नकर्ता द्वारा अग्रसारित महराजदीन पुत्र गन्नू निवासी ग्राम–कुड़वारामपुर, गौरीगंज, सुल्तानपुर का दिनांक 14-12-98 का रजि० प्रार्थना-पत्र जो सेवानिवृत्ति के बाद ग्रेच्युटी, नकदीकरण आदि का भुगतान न मिलने की शिकायत के संबंध में है, उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो

इस संबंध में अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? भुगतान कब तक कर दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कलराज मिश्र–

प्रश्न में संदर्भित पत्र अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड नं०–2 लोक निर्माण विभाग, सुल्तानपुर को प्राप्त हुआ ।

श्री महराजदीन दि० 3-12-96 को सेवा निवृत्त हुये थे और उस समय लागू वेतनमान के अनुसार उनके समस्त देयों का भुगतान कर दिया गया था । पांचवें वेतन आयोग की संस्तुतियों पर पुनरीक्षित वेतनमान के लागू होने पर इनका वेतनमान पुनः निर्धारित करके पुनरीक्षित वेतनमान में ग्रेच्युटी, पेंशन की राशिकरण का भुगतान कर दिया गया है । मात्र पुनरीक्षित वेतन का एरियर एवं नकदीकरण का एरियर भुगतान अभी नहीं हुआ है जिसका भुगतान धन उपलब्ध होने कर दिया जायेगा ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद फतेहपुर, प्राथमिक विद्यालयों के अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति प्रदान करने की मांग

106—श्री मुरलीधर–

क्या सरकार कृपया बतायेंगी कि जनपद फतेहपुर में प्राथमिक विद्यालयों में अनुसूचित जाति के कितने विद्यार्थियों को वर्ष 1997 में छात्रवृत्ति प्रदान की गयी तथा कितने प्राथमिक विद्यालयों के छात्रों को छात्रवृत्ति प्रदान नहीं की गयी ? क्या शेष विद्यालयों के छात्रों को छात्रवृत्ति प्रदान की जायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बालेश्वर त्यागी–

65874 छात्रों को छात्रवृत्ति का भुगतान किया गया है । 182 प्राथमिक विद्यालयों के छात्रों को छात्रवृत्ति प्रदान नहीं की गयी ।

धनराशि उपलब्ध होने पर अवशेष विद्यालयों के छात्रों को छात्रवृत्ति प्रदान की जायेगी । छात्रवृत्ति की धनराशि प्राप्त होने पर ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद फतेहपुर थसांव असोधर मार्ग से नहर पटरी के मार्ग के निर्माण की मांग

107—श्री मुरलीधर–

क्या सरकार को जानकारी है कि जनपद फतेहपुर में थसांव असोधर मार्ग से नहर पटरी होकर ग्राम टेकसारी बुजुर्ग सम्पर्क मार्ग स्वीकृत है ? यदि हां, तो उक्त मार्ग कब तक निर्मित हो जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कलराज मिश्र–

जी हां ।

प्रश्नगत कार्य मार्च, 2000 तक पूर्ण किये जाने का लक्ष्य है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद–फतेहपुर वन प्रभाग में कार्यरत रेंजर तथा फारेस्टर मूल निवासी जनपद–फतेहपुर के स्थानान्तरण की मांग

108—श्री मुरलीधर–

क्या वन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद फतेहपुर में वर्तमान में कितने ऐसे रेंजर तथा फारेस्टर हैं जो फतेहपुर के मूल निवासी हैं और फतेहपुर में ही नियुक्त हैं ? क्या सरकार शासन की स्थानान्तरण नीति के तहत ऐसे कर्मियों को जनपद से बाहर स्थानान्तरण करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री रघुवर दयाल वर्मा–

फतेहपुर वन प्रभाग में जनपद फतेहपुर के निम्नलिखित मूल निवासी तैनात हैं–

रेंजर	फारेस्टर (समूह "ग" में वर्गीकृत)
शून्य	03

स्थानान्तरण नीति के अनुसार समूह "ग" के कर्मियों को उनके गृह जनपद में तैनात किया जा सकता है तथा आवश्यकतानुसार उनका स्थानान्तरण अन्यत्र भी हो सकता है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद–हरदोई, विकास खण्ड बेहदर के प्राइमरी पाठशाला सिरौली के निर्माण में अनियमितता हेतु प्राप्त पत्र पर कार्यवाही की मांग

109—श्री अब्दुल मन्नान–

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री को जानकारी है कि जनपद हरदोई के विकास खण्ड बेहदर के निर्माणाधीन प्राइमरी पाठशाला सिरौली में की जा रही अनियमितताओं के संबंध में प्रश्नकर्ता का शिकायती पत्र दिनांक 30/31 दिसम्बर, 1998 जो मुख्य मंत्री जी को सम्बोधित था, प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो क्या उक्त शिकायती पत्र के आधार पर बिन्दुवार जांच करायी गयी ? यदि हां, तो जांच रिपोर्ट क्या है ? क्या दोषी अधिकारी एवं अध्यापक के विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बालेश्वर त्यागी–

जी हां ।

जी हां ।

जांच आख्या संलग्न है ।

प्रकरण में एफ० आई० आर० दर्ज करायी गयी तथा संबंधित अध्यापक का वेतन रोक दिया गया ।

प्रश्न नहीं उठता ।

(देखिये नत्थी (ग) आगे पृष्ठ 197–198 पर ।)

जनपद फतेहपुर, जी०टी रोड से हसवा मार्ग डामर स्तर तक निर्मित कराने की जानकारी

110—श्री मुरलीधर–

क्या सरकार को जानकारी है कि जनपद फतेहपुर में जी० टी० रोड से अम्बेडकर ग्राम सनगांव खण्ड विकास हसवा मार्ग डामर स्तर तक निर्मित होने हेतु स्वीकृत है ? यदि हां, तो निर्माण कार्य क्यों नहीं कराया गया ? क्या उक्त मार्ग मार्च, 1999 तक निर्मित हो जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कलराज मिश्र–

जी हां ।

निर्माण कार्य प्रगति पर है तथा जून 1999 तक कार्य पूर्ण किया जाना वांछित है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद–बरेली, खण्ड विकास अधिकारी नवाबगंज द्वारा ग्राम सैदपुर सरोरा में प्राइमरी विद्यालय भवन निर्माण में मजदूरों की मजदूरी का भुगतान

111—श्री छोटेलाल गंगवार–

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मुख्य विकास अधिकारी, बरेली के आदेश के आधार पर खण्ड विकास अधिकारी, नवाबगंज ने ग्राम सैदपुर सरोरा में प्राथमिक विद्यालय भवन का निर्माण नींव स्तर तक करा दिया गया है ? यदि हां, तो क्या मजदूरों को मजदूरी का भुगतान कर दिया गया है ? यदि हां तो कब और कितना रुपया मजदूरों को भुगतान किया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बालेश्वर त्यागी–

जी हां ।

जी हां ।

दिनांक 22-2-99 को रुपया– 2450.00

प्रश्न नहीं उठता ।

राजकीय बालिका इंटर कालेज शाहमीना रोड लखनऊ के कराये गये कार्यों के भुगतान की जांच तथा कार्यवाही की मांग

112—श्री गोमती यादव–

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि दिनांक 16 दिसम्बर, 1998 को राजकीय बालिका इण्टर कालेज, शाहमीना रोड, लखनऊ में कराये गये कार्य के भुगतान के संबंध में कोई आदेश किये गये थे ? यदि हां, तो क्या उक्त भुगतान कर दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या मंत्री जी भुगतान विषयक प्रकरण की जांच कराकर दोषी के विरुद्ध कार्यवाही किये जाने के आदेश देने की कृपा करेंगे ?

डा० नैपाल सिंह–

जी नहीं ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रकरण की जांच हेतु निदेशालय द्वारा दिनांक 11-12-98 को मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक, लखनऊ को निर्देशित किया जा चुका है । जांच आख्या प्राप्त होने पर परीक्षणोपरान्त आवश्यक कार्यवाही की जायेगी ।

विगत वर्ष जूनियर हाई स्कूल विद्यालयों को अनुदान सूची में सम्मिलित किये जाने की मांग

113—श्री चेनराम–

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वित्तीय वर्ष 1997-98 में जू० हा० स्कूल विद्यालयों को अनुदान सूची पर लिये जाने हेतु शासन के निर्णय पर शासनादेश दि० 28 फरवरी, 1998 जारी किया था ? यदि हां, तो उसे अभी तक प्रकाशित न किये जाने के क्या कारण हैं ?

श्री बालेश्वर त्यागी–

जी हां ।

निर्णय के तारतम्य में शासन द्वारा 220 अशासकीय स्थायी मान्यता प्राप्त अर्ह विद्यालय को शासनादेशक दिनांक 16-12-98 द्वारा अनुदान सूची पर लिया जा चुका है ।

जनपद–एटा, अमापुर के प्राइमरी विद्यालय नम्बर–1 के प्रधान अध्यापक द्वारा छात्रवृत्ति के गबन पर कार्यवाही की मांग

114—श्री नेतराम सिंह–

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि एटा जनपद के वि० ख० अमापुर के प्राथमिक विद्यालय नम्बर–1 के प्रधान अध्यापक ने अनुसूचित जाति, पिछड़ी जाति अल्पसंख्यक छात्रों की छात्रवृत्ति निकाल कर छात्रों के फर्जी हस्ताक्षर बनाकर गबन कर लिया है? यदि हां, तो क्या सरकार इसका सत्यापन कराकर उक्त प्रधानाध्यापक के विरुद्ध कोई कार्यवाही करेगी ?

श्री बालेश्वर त्यागी–

प्रधान अध्यापक के विरुद्ध प्राप्त शिकायत की जांच गतिमान है ।

जांच-आख्या प्राप्त होने के उपरान्त दोषी के विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी ।

जनपद–एटा, राणा इन्टर कालेज ढोलना के प्रबन्धक द्वारा कालेज भूमि को दूसरी समिति के नाम करने हेतु प्राप्त पत्र पर कार्यवाही की जानकारी

115—श्री नेतराम सिंह–

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि एटा जिले के राणा इण्टर कालेज ढोलना की कितनी भूमि किन-किन ग्रामों में है ? क्या यह सत्य है कि कालेज की समस्त भूमि को प्रबन्धक द्वारा दूसरी समिति के नाम हेरा-फेरी करके हस्तान्तरित कर दी गयी है ? क्या इस संबंध में प्रश्नकर्ता का दिसम्बर, 1998 के प्रथम सप्ताह में एक शिकायती पत्र जिलाधिकारी, एटा को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा० नैपाल सिंह–

एटा जिले में राणा इंटर कालेज की ढोलना में भूमि 1.886 है० है ।

मौजा ढोलना	0.376 है०
,, मुहम्मदपुर	1.040 है०
,, ,,	1.586 है०
,, ,,	2.101 है०

पूर्व विद्यालय की समिति श्री राणा इंटर कालेज, ढोलना (एटा) का नाम परिवर्तित कर श्री गोवर्धन सिंह मानव सेवा समिति ढोलना (एटा) कर दिया गया है ।

प्रश्नकर्ता का शिकायती पत्र दिसम्बर, 1998 का नहीं बल्कि दिनांक 20-11-98 का जिलाधिकारी को प्राप्त हुआ है ।

शिकायती पत्र की जांच परगनाधिकारी कासगंज से कराकर राजस्व अभिलेखों में अनियमित प्राविष्टियां ठीक करा दी गई है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद–हरदोई, मल्लावां कटिया भिखारीपुर नहर पुल से इब्राहिमपुर तक सड़क के डामरीकरण की मांग

116—डा० धर्मज्ञ मिश्र–

क्या लोक निर्माण मंत्री को जानकारी है कि जनपद हरदोई के 91—मल्लावां निर्वाचन क्षेत्र के अन्तर्गत कटिया भिखारीपुर नहर पुल से इब्राहिमपुर तक पुराना खडंजा लगा है ? यदि हां, तो क्या वह

पूरी तरह से ध्वस्त हो चुका है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त सड़क का डामरीकरण करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कलराज मिश्र–

जी हां ।

जी नहीं । खड़न्जा कहीं-कहीं पर क्षतिग्रस्त है ।

वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है ।

उपरोक्तानुसार ।

''रगाविक आर्ट फिल्म'' चौमुखा महादेव, हाथरस को आर्थिक सहायता हेतु प्राप्त पत्र पर कार्यवाही

117—श्री अजय कुमार पोइया–

क्या सूचना मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ''रगाविक आर्ट फिल्म'' चौमुखा महादेव, हाथरस को आर्थिक सहायता दिये जाने विषयक विधायक कोष्ठक का पत्रांक : सी०एम०/वि०को०/एम–5/16668/मथुरा/98, दिनांक 28-9-98 निदेशक, सूचना को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? क्या सरकार उक्त संस्थान को आर्थिक सहायता दिये जाने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह–

(क) जी हां ।

(ख) स्थिति से माननीय विधायक को नवम्बर, 1998 में अवगत कराया जा चुका है ।

(ग) प्रदेश में फिल्म निर्माण को उद्योग का दर्जा दे दिये जाने के फलस्वरूप अब फिल्म निर्माताओं को वित्तीय सहायता प्रदेश की वित्तीय संस्थाओं के माध्यम से ही मिल सकेगी ।

जनपद शाहजहांपुर के तिलहर में अवैध कटान की जांच विषयक प्रश्नकर्ता के पत्र पर कार्यवाही

118—श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह ''मुन्ना''–

क्या वन मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 21-6-97 जो उप प्रभागीय वन रेंज अधिकारी, पुवायां, जनपद शाहजहांपुर के तिलहर में हो रहे अवैध कटान की जांच के संबंध में था, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ? क्या सरकार जनपद शाहजहांपुर में हो रहे अवैध कटान की जांच किसी उच्च अधिकारी से करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रघुवर दयाल वर्मा–

जी हां ।

शिकायत की जांच उप प्रभागीय वनाधिकारी, पुवायां द्वारा दिनांक 25-7-97 को मा० विधायक जी के प्रतिनिधि श्री महेन्द्र प्रताप सिंह ''मुन्ना'' एवं श्री सुशील कुमार गुप्ता की उपस्थिति में की गयी । जांच में संबंधित वन क्षेत्राधिकारी को अवैध कटान हेतु उत्तरदायी पाया गया और वन क्षेत्राधिकारी के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही प्रारम्भ कर दी गयी है ।

उपरोक्त के परिप्रेक्ष्य में अन्य किसी कार्यवाही की आवश्यकता नहीं है ।

जनपद–अयोध्या के आन्तरिक मार्गों के निर्माण में अनियमितता की जांच की शिकायत

119—आचार्य रामदेव वैश्य–

क्या लोक निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि अयोध्या में आन्तरिक मार्गों के निर्माण में अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लो० नि० वि० फैजाबाद द्वारा की जा रही अनियमितता तथा भ्रष्टाचार के संबंध में भ्रष्टाचार उन्मूलन संगठन का रजिस्टर्ड शिकायती पत्र दिनांक 11-12-98 को प्राप्त हुआ है ?

यदि हां, तो उस पत्र में क्या-क्या आरोप लगाये गये हैं ? क्या इन आरोपों की जांच मुख्य अभियन्ता/टी०ए०सी० से करायी जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कलराज मिश्र–

जी हां ।

आरोप निम्नवत् हैं :–

1–पर्यटन विभाग से स्वीकृत अयोध्या के आन्तरिक मार्गों के सुधार के कार्यों के अनुबन्ध गठन में अधिशासी अभियन्ता द्वारा कमीशन की मांग ।

2–बिना दर एवं बिना निविदादाता के हस्ताक्षर के अधिशासी अभियन्ता द्वारा निविदा स्वीकृत पत्र जारी करना ।

3–मे० अवध कान्स्ट्रक्शन को स्टाम्प पेपर सुरक्षा धनराशि 7 दिन में उपलब्ध न कराने पर निविदा निरस्त न कर सौदेबाजी करना ।

4–नवीनीकरण के लिये धनाभाव बनाकर फर्जी लेबर इन्डेन्ट स्वीकृत कर गबन करना ।

5–लोक सेवा आयोग द्वारा शासन को श्री आर० बी० सिंह की पदावनति की संस्तुति पर शासन के स्तर पर कार्यवाही न होना ।

6–मुख्य अभियन्ता गोरखपुर द्वारा श्री सिंह के निलम्बन की संस्तुति पर शासन स्तर पर कार्यवाही लम्बित ।

उपरोक्त आरोप संख्या 1 से 4 के संबंध में जांच के आदेश मुख्य अभियन्ता, फैजाबाद को दिये जा चुके हैं । जांच क्रमित है ।

आरोप संख्या–5 के संबंध में शासन के स्तर पर कार्यवाही की जा रही है ।

आरोप संख्या–6 के संबंध में सूचित करना है कि मुख्य अभियन्ता गोरखपुर से श्री आर० बी० सिंह, अधिशासी अभियन्ता को निलम्बित किये जाने की कोई संस्तुति प्राप्त नहीं हुई है ।

जनपद–लखीमपुर, कस्बा–खीरी में बालकों हेतु हाई स्कूल/इंटर कालेज खोलने का प्रस्ताव

120—डा० कौशल किशोर–

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री को जानकारी है कि कस्बा खीरी टाउन, जनपद लखीमपुर में बालकों की शिक्षा के लिये हाई स्कूल या इण्टर कालेज नहीं है ? यदि हां तो क्या सरकार 25 हजार की आबादी वाले इस कस्बे में कोई हाईस्कूल या इण्टर कालेज खोलने पर विचार करेगी ? यदि नहीं तो क्यों ?

डा० नैपाल सिंह–

जी हां ।

जनपद से प्रस्ताव प्राप्त होने पर ।

प्रश्न नहीं उठता ।

121—डा० कौशल किशोर–

[आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त]

जनपद–लखीमपुर खीरी चुवरजात महाविद्यालय में बी० एड० की कक्षाओं में छात्राओं के प्रवेश की संख्या की जानकारी

122—डा० कौशल किशोर–

क्या उच्च शिक्षा मंत्री को ज्ञात है कि चुवरजात महाविद्यालय, लखीमपुर खीरी में बी० एड० की शिक्षा की व्यवस्था नहीं है ? यदि हां, तो क्या उक्त महाविद्यालय में बी० एड० की कक्षाओं में इस वर्ष कितनी छात्राओं को प्रवेश दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा० नरेन्द्र कुमार सिंह गौर–

इस महाविद्यालय का नाम युवराज दत्त महाविद्यालय है। इस महाविद्यालय में छात्र एवं छात्राओं हेतु बी० एड० की सहशिक्षा की व्यवस्था है।

इस वर्ष उक्त महाविद्यालय में स्थानान्तरण के आधार पर एक छात्रा को प्रवेश दिया गया है।

जनपद हरदोई, मल्लावां के ग्राम पंचायत–रुकनापुर तक सड़क निर्माण की मांग

123—डा० धर्मज्ञ मिश्र–

क्या वन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद हरदोई के 91—मल्लावां निर्वाचन क्षेत्र के अन्तर्गत ग्राम पंचायत रुकनापुर में वनीकरण किया जा चुका है ? क्या वनीकरण तक पहुंचने का अभी तक कोई मार्ग नहीं बना है ? यदि हां, तो क्या सरकार आवागमन हेतु उक्त क्षेत्र में सड़क का निर्माण करवायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रघुवर दयाल वर्मा–

हरदोई वन प्रभाग द्वारा ग्राम समाज रुकनापुर में कोई वनीकरण नहीं किया गया है।

बिलग्राम–उन्नाव राज्य मार्ग से ग्राम–रुकनापुर तक एक कि०मी० सम्पर्क मार्ग ग्रामीण अभियंत्रण सेवा (आर० ई० एस०) द्वारा बनाया गया है जिसमें लगभग 200 मी० खड़ण्जा तथा शेष कच्चा मार्ग बना है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद हरदोई, मल्लावां के हथौरा ड्रेन की पटरी को पक्का बनवाने की मांग

124—डा० धर्मज्ञ मिश्र–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद हरदोई के 91—मल्लावां निर्वाचन क्षेत्र के अन्तर्गत हथौरा ड्रेन की पटरी पर ग्राम पंचायत गौरा से तअरवाकुल्ली के मजरा देवी पुरवा तक पटरी को पक्का नहीं किया गया है ? क्या सरकार उक्त पटरी को पक्का बनवायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कलराज मिश्र–

जी हां।

जी नहीं।

प्रदेश के सीमित वित्तीय संसाधनों के कारण सम्भव नहीं है।

जनपद मऊ को मलेरीकोट लखनी माइनर की सर्विस रोड को मुबारकपुर सड़क नहर क्रासिंग से टेल तक पिच स्तर बनाने हेतु प्राप्त पत्र पर कार्यवाही की मांग

125—श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह "मुन्ना"–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या जनपद मऊ की दोहरी घाट पम्प कैनाल की मलेरीकोट लखनी माइनर की सर्विस रोड कच्ची है ? क्या ग्राम लखनी के मौजा बनहीं की अनुसूचित जाति बस्ती, चौहान बस्ती व श्री जमुना यादव की बस्ती आदि अनेकों गांव के निवासियों का आने जाने का एक मात्र रास्ता उक्त सर्विस रोड ही है ? क्या इस संबंध मे श्री सुधाकर सिंह, स० वि० स० एवं अन्य सदस्यों का संयुक्त हस्ताक्षरित पत्र मंत्री जी के कार्यालय रजिस्टर सं०–5678, दि० 24-7-98 जिलाधिकारी, मऊ को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ? क्या मंत्री जी जिला योजना से उक्त सर्विस रोड को मुबारक पुर सड़क नहर क्रासिंग से टेल तक पिच स्तर तक निर्माण करायेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कलराज मिश्र–

जी हां ।

जी हां ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

ग्राम की आबादी 1000 से कम है तथा वर्तमान नीति के अनुसार 1000 से अधिक जनसंख्या वाले ग्रामों को सन् 2005 तक सम्पर्क मार्गों से जोड़ने का लक्ष्य है ।

जनपद मथुरा प्राइमरी पाठशाला हथौड़ा विकास खण्ड बलदेव के निर्माण हेतु मुख्य विकास अधिकारी के आदेश को निरस्त करने हेतु प्राप्त पत्र पर कार्यवाही

126—श्री अजय कुमार पोइया–

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्राइमरी पाठशाला हथौड़ा, विकास खण्ड बलदेव, जिला मथुरा के निर्माण हेतु मुख्य विकास अधिकारी के आदेश को निरस्त किये जाने हेतु विधायक कोष्ठक का पत्रांक सी०एम०/वि०को०/एम–3/15727//मथुरा/98, दिनांक 1-9-98 जिलाधिकारी, मथुरा को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही हुई ?

श्री बालेश्वर त्यागी–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

जनपद बस्ती विकास खण्ड सल्टौआ ग्राम मधवापुर के तीन तरफ चार प्राइमरी विद्यालय होने के पश्चात् पुनः प्राइमरी विद्यालय के निर्माण का औचित्य

127—श्री राम ललित चौधरी–

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री को जानकारी है कि ग्राम मधवापुर,न्याय पंचायत परसादमया, विकास खण्ड सल्टौआ, गोपालपुर, जिला बस्ती के एक किलोमीटर तथा डेढ़ किलोमीटर के अन्दर मधवापुर ग्राम के तीन तरफ चार प्राइमरी विद्यालय क्रमशः हटवा प्राइमरी विद्यालय, पडरियाचेत सिंह प्राइमरी विद्यालय मझौआ बैकुण्ठ प्राइमरी विद्यालय एवं कड़ही प्राइमरी विद्यालय हैं ? यदि हां, तो शासन के नियम और निर्देशों को नजर अन्दाज कर ग्राम मधवापुर में प्राइमरी विद्यालय के निर्माण का क्या औचित्य है ? क्या मंत्री जी यह भी बतलाने की कृपा करेंगे कि मधवापुर ग्राम सभा के ग्राम प्रधान के अनुसार विद्यालय का निर्माण कराया जा रहा है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बालेश्वर त्यागी–

1.5 कि०मी० से 2 कि०मी० की दूरी पर ग्राम मधवापुर न्याय पंचायत परसादमया विकास खण्ड सल्टौआ गोपालपुर, जिला बस्ती के तीन तरफ चार प्राथमिक विद्यालय क्रमशः हटवा प्राइमरी विद्यालय, पड़रिया चेतसिंह प्राइमरी विद्यालय, मझौआ बैकुन्ठ प्राइमरी विद्यालय तथा कड़ही प्राइमरी विद्यालय हैं ।

जी नहीं, नियम एवं निर्देशों को नजर अन्दाज नहीं किया गया है .

जी नहीं ।

प्रकरण विवादित होने के कारण जिलाधिकारी द्वारा जांच करायी गयी और जांच में जिला बेसिक शिक्षा समिति द्वारा चयनित स्थल को सही पाये जाने पर उक्त स्थल पर विद्यालय भवन का निर्माण कराया गया है ।

जनपद बस्ती विकास खण्ड सल्टौआ ग्राम सभा मधवापुर के प्रधान के प्रस्ताव पर प्राइमरी विद्यालय के निर्माण हेतु प्राप्त पत्र पर कार्यवाही

128—श्री राम ललित चौधरी–

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि न्याय पंचायत परसादमया, वि० ख० सल्टौआ, जनपद बस्ती के अन्तर्गत ग्राम सभा मधवापुर के रेवेन्यू ग्राम गोविन्दापुर और बंगरिया के बीच प्रधान के प्रस्ताव के अनुसार प्राइमरी विद्यालय के निर्माण के संबंध में जनवरी, 99 के द्वितीय सप्ताह में प्रश्नकर्ता का पत्र प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बालेश्वर त्यागी–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

129—श्री राजेन्द्र सिंह–

[4थे शुक्रवार में अता० प्र० सं०–193 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

वन पौधशालाओं वृहद वृक्षारोपण कार्यक्रम में अब तक लाभान्वित नवयुवकों के संख्या की जानकारी

130—श्री राजधारी–

क्या वन मंत्री कृपया बतायेंगे कि वन पौधशालाओं एवं वृहद वृक्षारोपण कार्यक्रम से प्रति वर्ष 10 हजार नवयुवकों को स्वतः रोजगार सुलभ कराने की घोषणा के अन्तर्गत अब तक प्रदेश में उक्त योजना से कितने नवयुवक लाभान्वित हुए ?

श्री रघुवर दयाल वर्मा–

उत्तर प्रदेश के मैदानी क्षेत्र में 63 जनपदों में पौधशाला प्रशिक्षण की योजना बनाकर ग्राम विकास अभिकरणों को प्रस्तुत की गयी है । अब तक फैजाबाद, सीतापुर तथा फिरोजाबाद जनपदों में क्रमशः 55, 3, तथा 1 नवयुवक को पौधशाला प्रशिक्षण दिया गया है । फैजाबाद तथा मथुरा में क्रमशः 24 तथा 4 नवयुवकों को प्रशिक्षण दिये जाने का कार्य प्रगति पर है ।

131—श्री राम औतार शाक्य

[गोपनीयता के आधार पर निरस्त]

जनपद मैनपुरी लोक निर्माण विभाग द्वारा दाखिल रिट याचिका संख्या 10300/97 के निर्णय के अनुपालन की जानकारी

132—श्री राम औतार शाक्य–

क्या लोक निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि लो० नि० वि० के अनुसचिव श्री अशोक कुमार श्रीवास्तव उ० प्र० शासन, लखनऊ द्वारा पत्र संख्या एम०एल०ए०10/25-7-98, दिनांक 28 जुलाई, 1998 को मुख्य अभियन्ता, आगरा रेंज, लोक निर्माण विभाग, आगरा को श्री खलक सिंह मेट, निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, मैनपुरी द्वारा दाखिल रिट याचिका संख्या 10300/97 में दिये गये निर्णय के निर्देशों का अनुपालन कराने के लिये भेजा गया था ? यदि हां, तो उक्त पत्र एवं सम्बन्धित रिट याचिका के आदेश के क्रियान्वयन हेतु अब तक क्या कार्यवाही हुई ?

श्री कलराज मिश्र–

संदर्भित शासकीय पत्र दि० 28-7-98 द्वारा प्रश्नगत प्रकरण में श्री खलक सिंह मेट, निर्माण खण्ड मैनपुरी के प्रत्यावेदन दिनांक 5-7-98 पर मुख्य अभियन्ता आगरा क्षेत्र आगरा से शासन को आख्या भेजने की अपेक्षा की गयी थी ।

प्राप्त सूचना के अनुसार उक्त रिट याचिका सं० 10300/97 में पारित मा० उच्च न्यायालय के आदेश के परिप्रेक्ष्य में याची श्री खलक सिंह के दावा पर संगत अभिलेखों के आधार पर विचार कर

अधीक्षण अभियन्ता एटा/मैनपुरी वृत्त लोक निर्माण विभाग, आगरा द्वारा उसका निस्तारण करके मा० उच्च न्यायालय के आदेश का अनुपालन कर दिया गया है ।

जपनद–शाहजहांपुर, वन रेंजर तिलहर के विरुद्ध अवैध कटान हेतु प्राप्त पत्र पर कार्यवाही

133—श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह "मुन्ना"–

क्या वन मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र दि० 15-12-97 या इसके आसपास मुख्य मंत्री को जो वन रेंजर तिलहर, जि० शाहजहांपुर के विरुद्ध अवैध कटान के संबंध में है, दिया गया था, प्राप्त हुआ ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही हुई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रघुवर दयाल वर्मा–

मा० मुख्य मंत्री जी को सम्बोधित प्रश्नकर्ता का शिकायती पत्र दिनांक 26-12-97, जो वन रेंजर तिलहर शाहजहांपुर के विरुद्ध अवैध कटान से संबंधित है, प्राप्त हुआ है ।

प्रश्नगत शिकायत की जांचोपरान्त वन क्षेत्राधिकारी तिलहर प्रथम दृष्टया दोषी पाये गये तथा उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही किये जाने का निर्णय लिया गया है ।

उत्तरांचल के नियुक्ति से वंचित अंशकालिक शिक्षिका/शिक्षकों के समायोजन हेतु पाये गये पत्र पर कार्यवाही की मांग

134—श्री कृष्ण चन्द्र पुनेठा–

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री को जानकारी है कि उत्तरांचल के समस्त मा० विधायकों का पत्र दिनांक 14-7-98 जो उत्तरांचल के नियुक्ति से वंचित अंशकालिक शिक्षिका/शिक्षकों के समायोजन के संबंध में था, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा० नैपाल सिंह–

जी हां । प्रकरण में कोई औचित्य नहीं पाया गया । शेष का प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद हरदोई, मल्लावां के सौहार कोठी से सोनहार माइनर की पटरी को पक्का बनवाने की मांग

135—डा० धर्मज्ञ मिश्र–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद हरदोई के 91—मल्लावां निर्वाचन क्षेत्र के अन्तर्गत सौहार कोठी से खुर्दा मदारपुर तक सोनहार माइनर की पटरी को पक्का नहीं बनाया गया है ? यदि हां, तो क्या इसे पक्का बनाया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कलराज मिश्र–

जी हां ।

जी नहीं ।

प्रदेश के सीमित वित्तीय संसाधनों के कारण सम्भव नहीं है ।

वनीकरण योजना के अन्तर्गत आवागमन हेतु सड़क निर्माण की जानकारी

136—डा० धर्मज्ञ मिश्र–

क्या वन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वनीकरण योजना के अन्तर्गत आवागमन हेतु सड़कों का निर्माण कार्य करवाया जाता है ? यदि हां, तो क्या जासा से ग्राम सथरा तक तीन किलोमीटर मार्ग का निर्माण करवाया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रघुवर दयाल वर्मा–

वन विभाग में वनीकरण योजना के अन्तर्गत आवागमन हेतु सड़कों का निर्माण नहीं कराया जाता है, क्योंकि वनीकरण योजना में सड़क निर्माण का प्राविधान नहीं है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद चित्रकूट राजकीय गोस्वामी तुलसीदास महाविद्यालय कर्वी में विज्ञान संकाय खोलने की मांग

137—श्री आर० के० सिंह पटेल–

क्या उच्च शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद चित्रकूट के राजकीय गोस्वामी तुलसीदास महाविद्यालय कर्वी में प्रधानाचार्य की नियुक्ति की गयी है ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या जनपद मुख्यालय में एक ही महाविद्यालय है ? क्या उक्त महाविद्यालय में कला संकाय के विषय पढ़ाये जाते हैं ? क्या विज्ञान संकाय खोलने के संबंध में शासन के पास प्रस्ताव लम्बित है ? यदि हां, तो उक्त महाविद्यालय में कब तक विज्ञान संकाय खोल दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा० नरेन्द्र कुमार सिंह गौर–

जी हां ।

शासनादेश दिनांक 5-3-99 द्वारा राजकीय महाविद्यालय कर्वी में प्राचार्य के पद पर श्री बृजेन्द्र कुमार तिवारी की तैनाती कर दी गई है ।

प्रश्न ही नहीं उठता ।

जी हां ।

जी हां ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद चित्रकूट पैश्वनी नदी में रपटा के निर्माण के बाद टूट कर बहने की जांच/पुनः निर्माण की मांग

138—श्री आर० के० सिंह पटेल–

क्या लोक निर्माण मंत्री को जानकारी है कि जनपद चित्रकूट में पहाड़ी से देवल अगरहुड़ा मार्ग पर पैश्वनी नदी में रपटा का निर्माण कार्य कराया गया था ? यदि हां, तो कब ? क्या उक्त रपटा निर्माण के कुछ समय बाद वह टूट कर नदी में बह गया था ? यदि हां, तो क्या इसकी जांच कराई जायेगी ? क्या इसका पुनः निर्माण कराया जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कलराज मिश्र–

जी हां ।

वर्ष 1995 में ।

जी हां ।

विभागीय जांच के आदेश दिये जा रहे हैं ।

संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है ।

उपरोक्तानुसार ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद–चित्रकूट, अर्की से अतरौली होकर भदेहदू तक सम्पर्क मार्ग बनाये जाने का शासन के विचाराधीन प्रस्ताव

139—श्री आर० के० सिंह पटेल–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद चित्रकूट में अर्की भदेहदू सम्पर्क मार्ग जिसकी लम्बाई 3.75 कि०मी० है, क्या जल मग्न क्षेत्र के अन्तर्गत आता है ? यदि हां, तो उक्त सम्पर्क मार्ग को अर्की से अतरौली होकर भदेहदू तक बनाये जाने के लिये कोई प्रस्ताव शासन के विचाराधीन है ? यदि हां, तो कब से उक्त सड़क का निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कलराज मिश्र–

जी हां, आंशिक लम्बाई में (चैनेज किमी० 4.75 से किमी० 5.75 तक)

इस आशय का प्रस्ताव जिलाधिकारी से प्राप्त हुआ है ।

वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता कर निर्भर है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद–प्रतापगढ़, ग्राम एवं ब्लाक शिक्षा समिति की सहमति के अभाव में प्राथमिक विद्यालय के निर्माण उद्घाटन का अधिकार

140—श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह–

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्राथमिक विद्यालय के निर्माण उद्घाटन, रख-रखाव के संबंध में ब्लाक शिक्षा समिति के क्या अधिकार हैं ? क्या जनपद प्रतापगढ़ में उसका पालन हो रहा है ? क्या ग्राम एवं ब्लाक शिक्षा समिति की सहमति के अभाव में किसी प्राथमिक विद्यालय का उद्घाटन का कार्यक्रम निर्धारित हो सकता है ? यदि हां, तो उसके नियम क्या हैं ?

श्री बालेश्वर त्यागी–

ब्लाक शिक्षा समिति का कार्य ग्राम शिक्षा समिति द्वारा कराये गये भवन निर्माण रख-रखाव आदि कार्यों की समीक्षा और अनुश्रवण करना है ।

जी हां ।

इस संबंध में कोई शासकीय निर्देश नहीं हैं ।

प्रश्न ही नहीं उठता ।

जनपद–जालौन, के बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा विद्यालयों के रख-रखाव/चयन प्रक्रिया में धन के दुरुपयोग की जांच की मांग

141—श्री श्रीराम पाल–

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रदेश के विभिन्न जनपदों के ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित परिषदीय प्राथमिक व उच्च प्राथमिक विद्यालयों के रख-रखाव व साज-सज्जा हेतु वित्तीय सहायता देने की कोई योजना वर्तमान वित्तीय वर्ष में चल रही है ? यदि हां, तो क्या जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, जालौन द्वारा पक्षपात पूर्ण तरीके से विद्यालयों के चयन की प्रक्रिया तथा धन का दुरुपयोग किया जा रहा है ? यदि हां, तो क्या उच्च स्तरीय जांच कराकर धन का सदुयोग का सत्यापन कराया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बालेश्वर त्यागी–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

जनपद–जौनपुर, विभागीय निर्माण इकाई सी० डी०–2 द्वारा सड़कों के निर्माण कार्य के भौतिक सत्यापन/टी०ए० सी० जांच की मांग

142––श्री श्रीराम पाल–

क्या लोक निर्माण मंत्री को जानकारी है कि जनपद जालौन की विभागीय निर्माण इकाई सी० डी०–2 द्वारा वर्ष 1997-98 तथा 1998-99 में गत माह दिसम्बर, 1998 तक कराये गये कार्य कच्चे सम्पर्क मार्ग, सोलिंग व लेपन कार्य घटिया स्तर के हैं तथा मात्रा से कम निर्माण सामग्री डालकर कराये गये हैं ? यदि हां, तो क्या उक्त अवधि में कराये गये कार्यों का भौतिक सत्यापन एवं मूल्यांकन टी० ए० सी० द्वारा कराया जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कलराज मिश्र–

प्रकरण में टी० ए० सी० से जांच के आदेश जारी कर दिये गये हैं ।

जनपद–जौनपुर, मलंगा नाले पर सेतु निगम द्वारा पुल निर्माण हेतु धन अवमुक्त कर कार्य पूर्ण कराने की मांग

143—श्री श्रीराम पाल–

क्या लोक निर्माण मंत्री को जानकारी है कि जनपद जालौन में बम्हौरा के पास मलंगा नाले पर सेतु निगम द्वारा बनाये जा रहे पुल का निर्माण कार्य धन के अभाव में अवरुद्ध हो गया है ? यदि हां, तो क्या जनहित को दृष्टिगत रखते हुए अवशेष निर्माण हेतु धन अवमुक्त करके पुल का निर्माण कार्य पूर्ण करा दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कलराज मिश्र–

जी नहीं ।

कार्य प्रगति पर है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद जालौन, खण्ड विकास महेवा व डकोर की भूमि संरक्षण परियोजनाओं में पुराने बांधों के निर्माण कार्यों का भौतिक सत्यापन की कार्यवाही की मांग

144—श्री श्रीराम पाल–

क्या क्षेत्रीय विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद जालौन में कार्यरत भूमि संरक्षण इकाई रामगंगा कमाण्ड द्वारा 1997-98 तथा 1998-99 में अब तक खण्ड विकास महेवा व डकोर की भूमि संरक्षण परियोजनाओं में पुराने बांधों पर मात्र 6 इंच मिट्टी डालकर नये बांध बनाकर तथा गलत नाप करके धन का दुरुपयोग किया गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार उपर्युक्त अवधि में कराये गये कार्यों का भौतिक सत्यापन एवं मूल्यांकन कराकर दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

भूमि विकास एवं जल संसाधन मंत्री (श्री मण्डलेश्वर सिंह)–

जी नहीं । जनपद जालौन में कार्यरत भूमि संरक्षण इकाई, रामगंगा कमाण्ड परियोजना, डी० पी० ए० पी० द्वारा वर्ष 1997-98 तथा 1998-99 में विकास खण्ड महेवा की परियोजनाएं रिनिया वेदेपुर धामिनी, न्यामतपुर, सरसई ''बी'' में डी० पी० ए० पी० से संबंधित नये बन्धें व बन्धियों पर ही कार्य कराये गये हैं परन्तु उक्त परियोजनाओं में कराये गये डी० पी० ए० पी० से संबंधित कार्य में गलत नाप करके कोई भुगतान नहीं कराया गया है । इस प्रकार गलत नाप करके धन का दुरुपयोग नहीं किया गया है ।

जनपद जालौन के विकास खण्ड डकोर में वर्ष 1997-98 तथा 1998-99 में रामगंगा कमाण्ड परियोजना की भूमि संरक्षण इकाई द्वारा कोई कार्य नहीं कराया गया है।

जी नहीं।

प्रश्न ही नहीं उठता।

शासन के निर्देशानुसार डी० पी० ए० पी० के अन्तर्गत कराये गये कार्यों का भौतिक सत्यापन एवं मूल्यांकन जिला ग्राम्य विकास अभिकरण, उरई व विभागीय उच्चाधिकारियों द्वारा समय-समय पर किया जाता है। चूंकि प्रश्नगत अवधि में कराये गये भूमि संरक्षण कार्यों में गलत नाप करके धन का कोई दुरुपयोग नहीं किया गया है, अतः किसी अधिकारी/कर्मचारी के विरुद्ध कार्यवाही किये जाने का प्रश्न ही नहीं उठता।

जनपद मैनपुरी, ब्लाक–किशनी, कस्बा–कुसमरा में राइस प्लान्ट की नीलामी हेतु टेण्डर की जमा धनराशि वापस न करने के संबंध में जानकारी

145—श्री राम औतार शाक्य–

क्या क्षेत्रीय विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि आगरा मण्डल विकास निगम आगरा द्वारा संचालित कस्बा कुसमरा ब्लाक किशनी, जनपद मैनपुरी में राइस प्लान्ट बन्द होने के बाद नीलामी हेतु कब-कब कितने टेण्डर स्वीकृत हुए ? क्या सरकार यह भी बतायेगी कि अन्तिम नीलामी हेतु डाले गये टेण्डरों से पूर्व टेण्डर डालते समय जमा की गयी धनराशि को वापस नहीं किया गया है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री मण्डलेश्वर सिंह–

प्रश्नगत राइस प्लान्ट की नीलामी हेतु दिनांक 9-9-97 को श्री राम नरायन वर्मा, 28 मिश्रीटोला इटावा व दिनांक 18-9-97 को सर्वश्री अरविन्द कुमार पुत्र श्री जगदीश प्रसाद वर्मा, 28 मिश्री टोला, इटावा, जय कुमार गुप्ता पुत्र श्री ओम प्रकाश, कुसमरा, लक्ष्मन कुमार यादव पुत्र श्री सुन्दर लाल यादव, कुसमरा तथा दिनांक 29-9-97 को सर्वश्री जय कुमार गुप्ता पुत्र श्री ओम प्रकाश, कुसमरा, उमाशंकर गुप्ता पुत्र श्री विद्यासागर गुप्ता, कुसमरा, अशोक कुमार यादव, कुसमरा, बलवीर सिंह, जगतपुर खास पो० पराख ने टेण्डर डाले।

श्री जय कुमार गुप्ता, कुसमरा का टेण्डर निदेशक मण्डल द्वारा दिनांक 6-3-98 को स्वीकृत हुआ।

जी हां। श्री लक्ष्मन कुमार यादव पुत्र श्री सुन्दर लाल यादव, कुसमरा द्वारा जमा की गई जमानत की धनराशि रु० 5000/- वापस नहीं की गयी।

श्री लक्ष्मन कुमार यादव द्वारा टेण्डर की कार्यवाही में सम्मिलित न होने के कारण उन्हें दिनांक 22-9-97 तक का समय देते हुए सूचित किया गया कि यदि वे अपनी लिखित सहमति नहीं देते हैं तो टेण्डर की शर्तों के अनुसार उनका टेण्डर निरस्त करते हुए उनकी जमानत की धनराशि रु० 5000/- जब्त कर ली जायेगी। श्री यादव के द्वारा लिखित अथवा मौखिक रूप से अपनी सहमति न दिये जाने के कारण जिलाधिकारी द्वारा दिनांक 13-10-97 को उनकी जमानत की धनराशि जब्त किये जाने के आदेश पारित किये गये।

जनपद–बरेली, छत्रपति शिवाजी कन्या हाई स्कूल की द्वितीय किस्त के भुगतान की जानकारी

146—श्री छोटेलाल गंगवार–

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री को जानकारी है कि असेवित विकास खण्ड भदपुरा, जनपद बरेली के "छत्रपति शिवाजी कन्या हाई स्कूल" के द्वितीय किश्त का भुगतान करने हेतु शासन से 3 अक्टूबर, 1998 को आदेश हो जाने के बावजूद अभी तक उक्त किश्त का भुगतान नहीं किया गया है ? यदि हां,

तो क्यों ? क्या सरकार उक्त विद्यालय की द्वितीय किश्त का भुगतान सुनिश्चित करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा० नैपाल सिंह–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

द्वितीय किस्त रु० 5.00 लाख की धनराशि का बैंक ड्राफ्ट जिला विद्यालय निरीक्षक, बरेली को पत्र दिनांक 22 फरवरी, 1999 द्वारा प्रेषित कर दिया गया है ।

संबंधित संस्था को दिनांक 27-2-99 को धनराशि उपलब्ध करा दी गयी है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

उर्दू अध्यापकों की वरिष्ठता सूची बनाकर पदोन्नति हेतु जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी बाराबंकी को दिये पत्र पर कृत कार्यवाही की जानकारी

147—श्री हरदेव सिंह–

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 28-9-1998 जो उर्दू अध्यापकों की वरिष्ठता सूची बनाकर पदोन्नति करने के संबंध में है, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, बाराबंकी को तथा उसकी छायाप्रति नगर शिक्षा अधिकारी, बाराबंकी को प्राप्त हुई है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बालेश्वर त्यागी–

जी हां ।

प्रकरण मा० राज्य लोक सेवा अधिकरण उ० प्र० लखनऊ में विचाराधीन है ।

जनपद हरदोई, मल्लावां के ग्राम पंचायत बरहस में भवन विहीन प्राइमरी पाठशाला के निर्माण की जानकारी

148–डा० धर्मज्ञ मिश्र–

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद हरदोई के 91–मल्लावां निर्वाचन क्षेत्र के अन्तर्गत ग्राम पंचायत बरहस में प्राइमरी पाठशाला पन्द्रह वर्ष पूर्व से चल रही है ? क्या उक्त पाठशाला के भवन का निर्माण नहीं किया गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार इस पाठशाला के भवन का निर्माण करवायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नही, तो क्यों ?

श्री बालेश्वर त्यागी–

जी हां ।

जी हां ।

जी हां । जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत वर्ष 98-99 में भवन स्वीकृत कर दिया गया है ।

निर्माण कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है ।

प्रश्न ही नहीं उठता ।

जनपद–प्रतापगढ़ ब्लाक देवसरा में राजकीय कला इण्टर/हाईस्कूल कालेज खोलने हेतु प्राप्त पत्र पर कार्यवाही

149–श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह–

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री को मा० मुख्य मंत्री का पत्र सी०एम०/ वि०को०/एम–3/ 18357/प्रतापगढ़/98, दिनांक 23-11-98 जो जनपद प्रतापगढ़ के ब्लाक देवसरा में राजकीय कला

इण्टर/हाई स्कूल कालेज स्वीकृत करने के संबंध में था, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा० नैपाल सिंह–

जी हां ।

सीधे इण्टर कालेज खोलने की कोई योजना संचालित नहीं है । जूनियर हाई स्कूल को हाई स्कूल स्तर पर उच्चीकरण/हाई स्कूल को इण्टर स्तर पर उच्चीकरण की योजना संचालित है किन्तु प्रश्नगत विद्यालय का निजी भवन न होने के कारण उच्चीकृत किया जाना सम्भव नहीं हो सका ।

प्रदेश एवं उत्तरांचल में वन पंचायत की संख्या एवं बजट आवंटित किये जाने हेतु प्राविधान बनाने की मांग

150–श्री कृष्ण चन्द्र पुनेठा–

क्या वन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में कुल कितनी वन पंचायत कार्यरत हैं ? इन वन पंचायतों के अधीन उत्तरांचल क्षेत्र में कुल कितनी वन भूमि है ? क्या सरकार यह भी बतायेगी कि पर्वतीय क्षेत्र में गांववासियों हेतु वन संरक्षण व उत्पादन व रोजगार सृजन हेतु जिला पंचायत क्षेत्र पंचायत, ग्राम पंचायतों की भांति वन पंचायतों को भी बजट आवंटित किये जाने का प्राविधान करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं तो क्यों ?

श्री रघुवर दयाल वर्मा–

वन विभाग द्वारा 1993 में संचालित सूचना के अनुसार प्रदेश में 4804 वन पंचायतें गठित हैं जिनके अधीन 3,33,781.552 हैक्टेयर वन भूमि है । सभी वन पंचायतें उत्तरांचल में स्थित हैं ।

वन पंचायत त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था का भाग नहीं है । भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा–28 के अधीन प्रख्यापित "उत्तर प्रदेश ग्राम वन संयुक्त प्रबन्ध नियमावली, 1997" के अन्तर्गत ग्राम वन समिति के रूप में ग्राम पंचायतों की उपसमिति एवं "वन पंचायतों" को मान्यता दी गयी है । इन संस्थाओं के माध्यम से उत्तर प्रदेश वानिकी परियोजना के संयुक्त वन प्रबन्ध कार्यक्रम का कार्यान्वयन की व्यवस्था की गई है ।

जनपद–इलाहाबाद लोक निर्माण विभाग खण्ड नं–4 में वर्ष 1990 से पूर्व कार्यरत दैनिक मजदूरों का समायोजन

151–श्री राजधारी–

क्या लोक निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि लोक निर्माण विभाग, निर्माण खण्ड नं०–4 इलाहाबाद में वर्ष 1990 से पूर्व कार्यरत दैनिक मजदूरों को किस आधार पर सेवा से अलग किया गया ? क्या सरकार उक्त दैनिक मजदूरों के समायोजन हेतु कोई कार्यवाही करने जा रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कलराज मिश्र–

वर्ष 1990 के पूर्व से कार्यरत किसी दैनिक मजदूर को कार्य से हटाया नहीं गया है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद–आजमगढ़, वाराणसी मार्ग से चेवार तक पिच सड़क का निर्माण

152–श्री नरेन्द्र सिंह–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आजमगढ़ में आजमगढ़ वाराणसी मार्ग से चेवार (पश्चिम) के लिए स्वीकृत दो कि०मी० पिच सड़क हेतु धन निर्गत हो गया है ? यदि हां, तो

क्या उक्त सड़क का निर्माण कार्य प्रारम्भ हो गया है ? यदि नहीं, तो क्या सरकार उक्त सड़क का निर्माण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कलराज मिश्र–

प्रश्नगत मार्ग लोक निर्माण विभाग के अन्तर्गत नहीं है ।

उपरोक्तानुसार ।

उपरोक्तानुसार ।

उपरोक्तानुसार ।

उपरोक्तानुसार ।

जनपद–आजमगढ़, जिला विद्यालय निरीक्षकों की स्थानान्तरण नीति के अन्तर्गत तैनाती

153–श्री नरेन्द्र सिंह–

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आजमगढ़ में 1 अप्रैल, 1997 से 31 दिसम्बर, 1998 तक कुल कितने जिला विद्यालय निरीक्षक नियुक्त किये गये ? क्या जल्दी-जल्दी जिला विद्यालय निरीक्षकों के स्थानान्तरण से जनपद आजमगढ़ की माध्यमिक शिक्षा व्यवस्था पर कुप्रभाव पड़ रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार जिला विद्यालय निरीक्षक को जनपद आजमगढ़ में कम से कम एक वर्ष तक कार्यरत रहने की व्यवस्था करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा० नैपाल सिंह–

उक्त अवधि में शासन द्वारा चार जिला विद्यालय निरीक्षक तैनात किये गये ।

जी नहीं । जिला विद्यालय निरीक्षक एवं प्रभारी जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा कार्यों का सम्पादन किया जा रहा है । अतः कुप्रभाव का प्रश्न नहीं उठता ।

शासन के स्थानान्तरण नीति के अन्तर्गत तैनाती की जायेगी ।

प्रश्न नहीं उठता ।

154–श्री राजेन्द्र सिंह–

[4 थे शुक्रवार में अता० प्र० सं०–194 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

जनपद–हरदोई, मल्लावां के ग्राम मवइया तक सम्पर्क मार्ग के निर्माण की मांग

155–डा० धर्मज्ञ मिश्र–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद हरदोई में 91–मल्लावां निर्वाचन क्षेत्र के विकास खण्ड माधौगंज के ग्राम मवइया तक पहुंचने के लिए कोई भी सम्पर्क मार्ग नहीं है ? यदि हां, तो क्या सरकार जनहित में उक्त ग्राम तक सम्पर्क मार्ग का निर्माण कराकर जनता को आवागमन की सुविधा उपलब्ध करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कलराज मिश्र–

जी हां ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

गांव की आबादी एक हजार से कम है । सर्वप्रथम 1000 से अधिक आबादी वाले ग्रामों को सन् 2005 तक तथा अवशेष ग्रामों को 2010 तक सम्पर्क मार्गों से जोड़ने का लक्ष्य है ।

जनपद–हरदोई, बढ़नवा रोड से ग्राम घेघइया तक मल्लावां आवागमन हेतु मार्ग निर्माण की मांग

156–डा० धर्मज्ञ मिश्र–

क्या वन मंत्री को जानकारी है कि प्रश्नकर्ता के निर्वाचन क्षेत्र मल्लावां हरदोई के अन्तर्गत ग्राम घेघइया में वनीकरण किया जा चुका है लेकिन वनीकरण तक पहुंचने के लिए अभी तक कोई मार्ग नहीं बना है ? यदि हां, तो क्या सरकार आवागमन की सुविधा हेतु बढ़नवा रोड से ग्राम घेघइया तक 2 कि०मी० मार्ग का निर्माण करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रघुवर दयाल वर्मा–

हरदोई जनपद के मल्लावां निर्वाचन क्षेत्र स्थित राजस्व गांव बढ़नवा का घेघइया एक पुरवा है, जिसमें वन विभाग द्वारा वनीकरण किया गया है ।

बढ़नवा वन ब्लाक के अन्तर्गत कोई भी गैर वानिकी कार्य, सड़क निर्माण, आदि वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत भारत सरकार की अनुमति के बिना नहीं किया जा सकता है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

157–श्री कृष्ण चन्द्र पुनेठा–

[4 थे शुक्रवार में अना० प्र० सं०–190 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

राष्ट्रीय अध्यापक परिषद् के दिशा निर्देश के विपरीत ग्रामीण क्षेत्र के व्यक्तियों को भागीदारी देने हेतु बेसिक शिक्षा के लिये न्यूनतम शैक्षिक अर्हता इंटरमीडिएट किये जाने की मांग

158—श्री कृष्ण चन्द्र पुनेठा–

क्या सरकार को जानकारी है कि राज्य सरकार द्वारा बेसिक शिक्षा के लिये न्यूनतम शैक्षिक अर्हता स्नातक उत्तीर्ण कर दी गयी है ? यदि हां, तो क्या सरकार को यह भी जानकारी है कि प्रदेश के अधिकतर ग्रामीण क्षेत्र में शिक्षा का स्तर अत्यन्त पिछड़ा होने के कारण निर्धन व्यक्ति मुश्किल से इण्टर तक ही शिक्षा ले पाता है ? क्या सरकार द्वारा घोषित नियम राष्ट्रीय अध्यापक परिषद् के दिशा निर्देशन के विपरीत भी है ? क्या सरकार ग्रामीण क्षेत्र के निर्धन व्यक्तियों को भी पर्याप्त भागीदारी दिये जाने हेतु पुनः न्यूनतम शैक्षिक अर्हता इण्टरमीडिएट ही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बालेश्वर त्यागी–

जी हां ।

जी नहीं । ग्रामीण क्षेत्र के व्यक्ति भी स्नातक स्तर की शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं ।

राष्ट्रीय अध्यापक परिषद् द्वारा प्राथमिक अध्यापक प्रशिक्षण हेतु हायर सेकेन्ड्री (+2) स्कूल सर्टिफिकेट परीक्षा, कम से कम 50% अंकों से उत्तीर्ण, न्यूनतम शैक्षिक अर्हता रखी गयी है ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद हरदोई मल्लावां के ग्राम पुरौली के वनीकरण क्षेत्र पहुंचने हेतु सड़क निर्माण की मांग

159—डा० धर्मेश मिश्र

क्या वन मंत्री को जानकारी है कि जनपद हरदोई के 91–मल्लावां विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत ग्राम पुरौली में वनीकरण किया जा चुका है ? क्या वनीकरण क्षेत्र तक पहुंचने के लिये अभी तक कोई सम्पर्क मार्ग नहीं बना है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त मार्ग का निर्माण करवायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रघुवर दयाल वर्मा–

हरदोई के मल्लावां निर्वाचन क्षेत्र स्थित पुरौली ग्राम में कोई वनीकरण कार्य हरदोई वन प्रभाग द्वारा नहीं किया गया है ।

प्राप्त सूचना के अनुसार ग्राम पुरौली में अभी तक कोई सम्पर्क मार्ग नहीं बनाया गया है और न ही वन विभाग द्वारा इस हेतु अभी तक कोई योजना विचाराधीन अथवा प्रस्तावित है ।

जनपद वाराणसी जूनियर हाई स्कूल बरही नेवादा के उप प्रबन्धक व्यवसायिक पाठ्यक्रम की मान्यता एवं अनुदान के सम्बन्ध में शासन की नीति

160—श्री राजेन्द्र यादव–

विधान सभा के तृतीय सत्र 1995 के पहले सोमवार के लिये निर्धारित अतारांकित प्रश्न सं०–58 के उत्तर के संबंध में क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बरही नेवादा जूनियर हाईस्कूल, बरहीनेवादा, वाराणसी द्वारा उच्च प्राथमिक कक्षाओं (6, 7, 8) में बेसिक क्राफ्ट के अन्तर्गत व्यवसायिक पाठ्यक्रम की मान्यता एवं अनुदान के संबंध में दिये गये प्रार्थना पत्र पर शिक्षा निदेशक (बेसिक) द्वारा शीघ्र कार्यवाही कर शासन को सूचित करने के लिये लिखा गया था ? यदि हां, तो कृत कार्यवाही से शासन को अवगत कराया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बालेश्वर त्यागी–

जी हां । जूनियर हाई स्कूलों में व्यवसायिक पाठ्यक्रम की मान्यता एवं अनुदान दिये जाने का प्राविधान नहीं है ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

भारतीय शिक्षा परिषद् द्वारा संचालित सरस्वती प्रवेशिका परीक्षा/सरस्वती प्रबोध परीक्षा की भांति अन्य संस्थाओं को भी कक्षा–5 से कक्षा–8 की परीक्षा संचालित करने की मान्यता प्रदान करने की मांग

161—श्री राजेन्द्र यादव–

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राजाज्ञा संख्या 2953/15-6-97-3(6)/80, दिनांक 4 अक्टूबर, 1997 द्वारा भारतीय शिक्षा परिषद् द्वारा संचालित सरस्वती प्रवेशिका परीक्षा तथा सरस्वती प्रबोध परीक्षा को क्रमशः कक्षा 5 एवं 8 की परीक्षा के समकक्ष घोषित किया गया है ? यदि हां, तो सरकार ने किस संस्था द्वारा संचालित परीक्षा को कक्षा 5 तथा 8 के समकक्ष मान्यता देने के लिये क्या प्रक्रिया निर्धारित की है ? क्या सरकार प्रदेश स्तर पर कार्यरत किसी अन्य संस्था को भी कक्षा 5 एवं 8 की परीक्षा संचालित करने के लिये अनुमति एवं समकक्ष मान्यता प्रदान करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बालेश्वर त्यागी–

जी हां ।

प्रदेश में कम से कम 400 विद्यालयं संचालित करने वाली संस्था जो राष्ट्रहित एवं उच्च कोटि की शिक्षा देती हो, उन पर विचार किया जा सकता है ।

गुणावगुण के आधार पर विचार किया जा सकता है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद वाराणसी जूनियर हाई स्कूल बरही नेवादा में शिक्षण/शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के सेवा के अनुमोदन हेतु पुनः विज्ञापन/साक्षात्कार में विभागीय प्रतिनिधि भेजने के निर्देश

162–श्री राजेन्द्र यादव–

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, वाराणसी ने अपने पत्रांक शिविर/18019/97-98, दिनांक 9 जनवरी, 1998 द्वारा बरहीनेवदा जू० हा० स्कूल, बरहीनेवादा, वाराणसी में शिक्षण एवं शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के अनुमोदन हेतु पुनः विज्ञापन कराने का आदेश दिया था ? क्या विद्यालय ने 16 जनवरी, 1998 को विज्ञापन प्रकाशित कराकर प्रेषित आवेदन पत्रों की सूची 6-2-98 को कार्यालय को प्राप्त करा दिया था तथा 10-2-98 को साक्षात्कार में विभागीय प्रतिनिधि भेजने का अनुरोध किया था और पुनः 4-3-98, 20-4-98, 24-9-98 को विभागीय प्रतिनिधि भेजने के लिए पत्र कार्यालय में उपलब्ध कराया गया था ? क्या आज तक विभागीय प्रतिनिधि भेजने के लिए आदेश नहीं किया गया और अध्यापकों तथा कर्मचारियों को अनुमोदन हेतु साक्षात्कार नहीं हो पाया है ? यदि हां, तो साक्षात्कार हेतु विभागीय प्रतिनिधि न भेजने के क्या कारण हैं ?

श्री बालेश्वर त्यागी–

जी हां ।

जी हां ।

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, वाराणसी ने दिनांक 15-3-99 को साक्षात्कार की तिथि निर्धारित कर कार्यालय के पत्र दिनांक 9-2-99 द्वारा सम्बन्धित प्रबन्धक को सूचित कर दिया गया है और उक्त साक्षात्कार हेतु विभागीय प्रतिनिधि भेजने हेतु निर्देश दे दिया है ।

श्री कृष्णचन्द्र सिंह रजवार, प्रवक्ता गणित राजकीय इण्टर कालेज, बनभूलपुर, जनपद नैनीताल तथा उनकी पत्नी श्रीमती प्रेमलता रजवार, सहायक अध्यापिका, धौलाखेड़ा के एक ही मकान में रहने पर भी पति/पत्नी द्वारा मकान किराया भत्ता लेने पर कार्यवाही की जानकारी

163–श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री कृष्ण चन्द्र सिंह रजवार, प्रवक्ता, गणित, राजकीय इण्टर कालेज, बनभूलपुरा, नैनीताल एवं उनकी पत्नी श्रीमती प्रेमलता रजवार सहायक अध्यापिका, राज० कन्या इण्टर कालेज, धौलाखेड़ा नैनीताल एक ही घर में रह कर दोनों पति पत्नी मकान किराया भत्ता अवैधानिक तरीके से तथ्यों को छुपा कर ले रहे हैं ? यदि हां, तो क्या इस संबंध में कोई कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा० नैपाल सिंह–

जी हां । प्रश्नगत प्रवक्ता/सहायक अध्यापिका को चेतावनी देते हुए अधिक भुगतान की गयी धनराशि की वसूली प्रतिमाह जनवरी, 1999 से प्रारम्भ कर दी गयी है ।

जनपद बहराइच राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय रामपुरवा के शिक्षकों/कर्मचारियों की सेवा पंजिका तथा सामान्य भविष्य निधि की पास बुक में प्रविष्टियां अद्यावधिक करने की मांग

164–डा० वकार अहमद शाह–

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, रामपुरवा, बहराइच के शिक्षकों एवं कर्मचारियों की सेवा पंजिका और सामान्य भविष्य निधि की पास बुकों में प्रविष्टियां अद्यावधिक हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या शासन इस संबंध में कोई कार्यवाही करेगा ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा० नैपाल सिंह–

जी नहीं ।

1–सेवा पंजिका में प्रविष्टियां अद्यावधिक नहीं हैं ।

2–सामान्य भविष्य निधि की पास बुकों में प्रविष्टियां अद्यावधिक हैं ।

राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय रामपुरवा बहराइच के शिक्षकों एवं कर्मचारियों की सेवा-पुस्तिकायें सेवानिवृत्त प्रधानाध्यापक श्री धर्मपाल मिश्र के कब्जे में हैं जो दिनांक 30-6-97 को सेवानिवृत्त हो चुके हैं जिसके कारण सेवा पंजिकाओं में प्रविष्टियां अद्यावधिक नहीं हैं ।

जी हां । प्रधानाध्यापक द्वारा श्री मिश्र के विरुद्ध एफ०आई०आर० दर्ज करायी गयी है ।

प्रश्न नहीं उठता है ।

जनपद बराइच एवं श्रावस्ती के शासकीय माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों/कर्मचारियों के पुनरीक्षित वेतनमान अवशेष के भुगतान की मांग

165–डा० वकार अहमद शाह–

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि क्या जनपद बहराइच एवं श्रावस्ती के शासकीय माध्यमिक विद्यालयों (बालक/बालिका) के शिक्षकों एवं कर्मचारियों को जनवरी, 1996 से पुनरीक्षित वेतनमान के अवशेष एवं 1997 के बोनस का भुगतान किया जा चुका है ? यदि हां, तो कब ? क्या कुछ विद्यालय ऐसे भी हैं जहां उक्त भुगतान अभी तक नहीं हो पाया है ? यदि हां, तो ऐसे विद्यालय कौन-कौन से हैं ? भुगतान न होने के क्या कारण हैं ? क्या शासन इन विद्यालयों में भी उक्त भुगतान करायेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा० नैपाल सिंह–

जी नहीं ।

जी हां, निम्न विद्यालयों के पुनरीक्षित वेतनमान का अवशेष देयक शेष हैं :–

1–राजकीय इण्टर कालेज, बहराइच ।

2–राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, भगगड़वा, बहराइच ।

3–राजकीय बालिका इण्टर कालेज, बहराइच ।

4–राजकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, कैसरगंज, बहराइच ।

5–राजकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय हुजूरगंज, बहराइच ।

6–राजकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, नवाबगंज, बहराइच ।

जनपद श्रावस्ती के नीलम राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, गिलौला, श्रावस्ती के अवशेष देयक/बोनस का देयक 10 मार्च, 1999 को कोषागार में प्रस्तुत है।

धनाभाव के कारण भुगतान नहीं हो पाया।

जी हां, धन प्राप्त होने पर।

166–श्री हरदेव सिंह–

[मा० सदस्य द्वारा वापस लिया गया]

167–श्री राजेन्द्र सिंह–

[4थे शुक्रवार में अता० प्र० सं० 195 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

जनपद मथुरा, ग्राम अर्डीग, स्थित इण्टर कालेज के उच्चीकरण हेतु प्राप्त पत्र पर कार्यवाही

168–श्री अजय कुमार पोइया–

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गोवर्धन विधान सभा क्षेत्र जनपद मथुरा के ग्राम अर्डीग स्थित इण्टर कालेज के उच्चीकरण के संबंध में विधायक कोष्ठक का पत्रांक सी०एम०/वि०को०/एम–3/8756/मथुरा/98, दिनांक 6-4-98 तथा पत्रांक सी०एम० वि०को०/एम–1/1500/मथुरा/98, दिनांक 27-8-98 प्रमुख सचिव, शिक्षा को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ?

डा० नैपाल सिंह–

जी हां।

वित्तीय वर्ष 1998-99 की जिला योजनान्तर्गत जनपद मथुरा हेतु परिव्यय उपलब्ध न होने के कारण प्रश्नगत विद्यालय के उच्चीकरण की कार्यवाही सम्भव नहीं है।

जनपद फैजाबाद, तहसील मिल्कीपुर, ग्राम सभा–आदिलपुर के वन क्षेत्र कुमारगंज द्वारा फर्जी वृक्षारोपण की जांच की मांग

169–आचार्य रामदेव वैश्य–

क्या वन मंत्री को जानकारी है कि ग्राम सभा आदिलपुर तहसील मिल्कीपुर, जिला फैजाबाद में ग्रामीणों तथा ग्राम समाज की जमीन पर वन क्षेत्र कुमारगंज द्वारा जुलाई, 1998 में फर्जी वृक्षारोपण करवाकर लाखों रुपये के घोटाले किये गये हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार इसकी जांच करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रघुवर दयाल वर्मा–

प्रश्नगत ग्राम समाज की जमीन पर वन क्षेत्र, कुमारगंज द्वारा जुलाई, 1998 में कोई वृक्षारोपण नहीं किया गया है। अतः फर्जी वृक्षारोपण करवाकर लाखों रुपये के घोटाले का कोई प्रश्न ही नहीं उठता।

जांच की आवश्यकता ही नहीं है।

वृक्षारोपण नहीं कराया गया है।

जनपद फैजाबाद, तहसील रुदौली के शिक्षकों के भविष्य निधि की धनराशि बाराबंकी से फैजाबाद हस्तान्तरित होने की जानकारी

170–आचार्य रामदेव वैश्य–

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि तहसील रुदौली, जनपद फैजाबाद के शिक्षकों के भविष्य निधि की धनराशि जनपद बाराबंकी से फैजाबाद स्थानान्तरित हो गयी ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बालेश्वर त्यागी–

जी नहीं ।

भविष्य निधि में जमा धनराशि पर वर्ष 1998-99 तक ब्याज लगाकर लेखे पूर्ण करने के उपरान्त सम्पूर्ण धनराशि शीघ्र हस्तान्तरित कर दी जायेगी ।

प्रश्न नहीं उठता ।

बांदा फतेहपुर, कौशाम्बी को महेबाघाट यमुना नदी से जोड़ने वाले पीपे के पुल निर्माण की जानकारी

171–श्री मुरलीधर–

क्या सरकार को जानकारी है कि महेबा घाट यमुना नदी में बांदा फतेहपुर कौशाम्बी को जोड़ने वाला पीपे का पुल प्रतिवर्ष बनाया जाता है ? यदि हां, तो वर्ष 1998 में महेबा घाट पुल निर्माण में कितनी धनराशि व्यय की गयी ? क्या यह सही है कि प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी पुराने सामान [illegible] पुल निर्मित हुआ ? यदि हां, तो क्या सरकार फर्जी बिल बाउचर लगाकर [illegible] ए० सी० से जांच करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों

श्री कलराज मिश्र–

जी हां ।

शून्य ।

पुल का निर्माण पट्टेदार द्वारा स्वयं की लागत पर किया जाता है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

उपरोक्तानुसार ।

उपरोक्तानुसार ।

उर्दू विषय का पाठ्यक्रम बदले जाने से पाठ्य पुस्तकों [illegible] बाजार में उपलब्ध न होने हेतु प्राप्त पत्र पर [illegible]ग

172–श्री अकबर हुसैन

क्या माध्य[illegible] मंत्री को प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 7 जनवरी, 1999 जो उर्दू विषय का पाठ्यक्रम बदले जाने एवं पाठ्यपुस्तकों के बाजार में उपलब्ध न होने के कारण छात्र-छात्राओं की पढ़ाई में व्यवधान उत्पन्न होने से संबंधित था, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर शासन द्वारा अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा० नैपाल सिंह–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

जनपद मुरादाबाद राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय कुन्दरकी के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता के पत्र पर कार्यवाही की जानकारी

173–श्री अकबर हुसैन–

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री को प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 7 जनवरी, 1999 जो राजकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय कुन्दरकी, जनपद मुरादाबाद के संबंध में है, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा० नैपाल सिंह–

जी हां ।

प्रश्नगत विद्यालय हेतु बजट व्यवस्था की कार्यवाही चल रही है । बजट उपलब्ध होने के उपरान्त [illegible]दि का भुगतान कर दिया जायेगा ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद प्रतापगढ़, जिला नियोजन समिति द्वारा पर्यटन मद में पट्टी क्षेत्र के सुन्दरीकरण हेतु शासन को भेजे गये प्रस्ताव की स्वीकृति की जानकारी

174–श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह–

क्या पर्यटन मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद प्रतापगढ़ की जिला योजना वर्ष 1997-98 में पर्यटन मद में कितनी धनराशि का प्राविधान किया गया था ? प्रत्येक विधान सभा क्षेत्र में धन के आवंटन हेतु जिला नियोजन समिति द्वारा लिये गये निर्णय के अनुसार क्या-क्या कार्य स्वीकृति हेतु शासन को भेजे गये ? उसमें पट्टी विधान सभा क्षेत्र के वर्ष 1990 से 1997 तक सुन्दरीकरण के क्या-क्या प्रस्ताव स्वीकृत किये गये ? यदि नहीं तो क्यों ?

श्री कलराज मिश्र–

जनपद प्रतापगढ़ की जिला योजना वर्ष 1997-98 में पर्यटन मद में रु० 68.00 लाख का प्राविधान किया गया था ।

<u>विधान सभा क्षेत्र सदर</u>

1–बेल्हादेवी मन्दिर का सौन्दर्यीकरण एवं विकास

2–खुइलत धाम मन्दिर का स्थल विकास

3–कम्पनीबाग का स्थल विकास

4–बुद्ध बिहार का सौन्दर्यीकरण एवं विकास

5–मजार प्रतापगढ़ सिटी का विकास

<u>विधान सभा क्षेत्र गढवाड़ा</u>

1–रातीपुर अजगरा का पुनरुद्धार एवं विकास

विधान सभा क्षेत्र बिहार

1–कमसिस देवी चकबड़ का सौन्दर्यीकरण एवं विकास

विधान सभा क्षेत्र वीरापुर

1–चौहरन देवी मन्दिर का जीर्णोद्धार एवं पर्यटन स्थल का विकास

2–बेल्खरनाथ मन्दिर का स्थल विकास

विधान सभा क्षेत्र, रामपुर खास

1–बाबा घुइसरनाथ मन्दिर का स्थल विकास

विधान सभा क्षेत्र पट्टी

1–कहला पर्यटन स्थल का विकास

2–पूरे पर्यटन स्थल का सौन्दर्यीकरण

3–भाउपुर पर्यटन स्थल का सौन्दर्यीकरण

विधान सभा क्षेत्र कुण्डा

1–सिद्धपीठ ज्वाला देवी का सौन्दर्यीकरण एवं विकास

जी हां । पट्टी विधान सभा क्षेत्र में वर्ष 1990 से 1997 तक जिला योजना के अन्तर्गत वर्ष 1994-95 में दाउदपुर झील पट्टी में कुण्डाधाम मन्दिर का पर्यटन विकास कराया गया ।

प्रश्न ही नहीं उठता ।

जनपद कानपुर, आगरा रुहेलखण्ड विश्वविद्यालयों के नाम पूर्व की भांति किये जाने की मांग

175–श्री कृष्ण चन्द्र पुनेठा–

क्या उच्च शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कानपुर, आगरा, रुहेलखण्ड विश्वविद्यालयों के परिवर्तित नामों को पूर्व की भांति रखे जाने हेतु सम्बन्धित विश्वविद्यालयों के कार्य परिषदों का प्रस्ताव शासन को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की जा रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा० नरेन्द्र कुमार सिंह गौर–

केवल महात्मा ज्योतिबा फुले रुहेलखण्ड विश्वविद्यालय, बरेली का प्रस्ताव प्राप्त हुआ है ।

प्रस्ताव पर फिलहाल किसी कार्यवाही की आवश्यकता नहीं पायी गयी ।

जनपद बस्ती, छोटी बाजार से खोडोर सड़क पर अनधिकृत निर्माण तथा जल भराव के कारण सम्बन्धित अभियन्ता के विरुद्ध कार्यवाही की मांग

176–श्री मो० मुकीम तथा श्री दुर्गा प्रसाद यादव––

क्या सरकार को जानकारी है कि बभनान बाजार, जनपद बस्ती की छोटी बाजार में खोड़ारे जाने वाली सड़क परिसर में अनधिकृत निर्माण एवं अतिक्रमण के कारण जल निकास पूर्ण रूप से बन्द हो गया है ? क्या इसी कारण से विगत जुलाई, 1998 से अक्टूबर, 1998 तक आवागमन पूर्ण रूप से बन्द रहा ? यदि हां, तो क्या सरकार लोक निर्माण इकाई, गोण्डा के संबंधित अभियन्ता के विरुद्ध कार्यवाही

करते हुए उक्त सड़क पर से अनधिकृत कब्जा हटाकर जल निकासी की व्यवस्था सुनिश्चित करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कलराज मिश्र–

जी नहीं । पूर्व से निर्मित भवनों तथा कुछ अनधिकृत निर्माण के कारण अतिवृष्टि के समय जल भराव की स्थिति हो जाती है लेकिन जल निकास बन्द नहीं है ।

आवागमन बन्द नहीं रहा ।

वाद मा० न्यायालय में विचाराधीन है ।

मा० न्यायालय के निर्णय के अनुसार कार्यवाही की जायेगी ।

उपरोक्तानुसार ।

177–श्री अखिलेश सिंह–

[दिनांक 23-2-99 को ता० प्र० सं०–1 द्वारा उत्तरित]

जनपद लखनऊ के नारी शिक्षा निकेतन इण्टर कालेज को वर्ष 1999 में परीक्षा सेन्टर न बनाने के कारणों की जानकारी

178–श्री अक्षयवर लाल–

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि हाईस्कूल एवं इण्टरमीडिएट परीक्षा हेतु सेन्टर निर्धारण की नीति क्या है ? क्या यह सही है कि नारी शिक्षा निकेतन इण्टर कालेज, लखनऊ प्रतिवर्ष उक्त परीक्षा हेतु केन्द्र रहा है ? यदि हां, तो वर्ष 1999 में परीक्षा हेतु सेन्टर क्यों नहीं बनाया गया ? क्या यह सही है कि उक्त विद्यालयों की बालिकाओं को इस वर्ष की परीक्षा हेतु दूर के अनेक विद्यालयों में भेजा जा रहा है ? क्या सरकार इस विद्यालय में छात्राओं के हित में उक्त कालेज को परीक्षा केन्द्र बनायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा० नैपाल सिंह–

शासनादेश संख्या–3627/15-7-98-1(13)/90, दिनांक 18-9-98 द्वारा नीति निर्धारित की गयी है ।

जी नहीं । वर्ष 1982 से 1990 तक केन्द्र नहीं बनाया गया ।

केन्द्र निर्धारण के सम्बन्ध में जनपदीय/मण्डलीय समिति द्वारा संस्तुत न किये जाने के कारण ।

जी नहीं ।

जी नहीं ।

उपरोक्तानुसार ।

179–श्री नरेन्द्र सिंह शिशौदिया तथा श्री हरदेव सिंह–

[विस्तीर्णता के आधार पर निरस्त]

उत्तरांचल के सभी राजकीय माध्यमिक विद्यालय के शिक्षकों को शासनादेश के अनुसार समायोजित करने की मांग

180–श्री कृष्ण चन्द्र पुनेठा–

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तरांचल क्षेत्र के सभी राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में वर्ष 1986 से 1989 के मध्य कार्य कर रहे अंशकालिक शिक्षकों को समायोजित करने के संबंध में शासनादेश सं० 9837/15-2-89–27(23)86, दि० 9 अगस्त, 89 जारी किया गया था ? क्या

उक्त शासनादेश के परिपालन में सभी अंशकालिक शिक्षकों को समायोजित कर दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा० नैपाल सिंह--

जी नहीं ।

प्रश्नगत शासनादेश में अंशकालिक स्वयंसेवियों के तदर्थ चयन हेतु वरीयता प्रदान करने के निर्देश प्रसारित किये गये हैं न कि समायोजित करने के ।

जनपद हरदोई के स्व० श्री रमेश चन्द्र वर्मा सेवानिवृत्त प्रसार अध्यापक के एरियर का भुगतान कराने की जानकारी

181-श्री चेतराम--

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि स्व० श्री रमेश चन्द्र वर्मा, सेवा निवृत्त प्रसार अध्यापक, बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय हरदोई के अवशेष वेतन के भुगतान के संबंध में उनकी पत्नी श्रीमती पुष्पा देवी के प्रार्थना-पत्र पर पत्रांक 4552 दिनांक 20-8-98 द्वारा उक्त एरियर के भुगतान हेतु निदेशक, बेसिक शिक्षा को आदेशित किया गया था ? यदि हां, तो अब तक भुगतान न होने के क्या कारण हैं ? उनके एरियर का भुगतान कब तक कर दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बालेश्वर त्यागी--

जी हां ।

स्व० श्री रमेश चन्द्र वर्मा का एरियर बिल कालातीत होने के कारण पूर्व में भुगतान नहीं किया जा सका ।

स्व० रमेश चन्द्र वर्मा का कालातीत बिल प्री आडिट कराकर अधिकार पत्र निदेशालय के पत्रांक बेसिक/1231-34/98-99, दिनांक 12-3-99 द्वारा जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, हरदोई को भुगतान करने हेतु भेज दिया गया है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद कानपुर के विकलांग पालिटेक्निक के पठन-पाठन कार्य एवं छात्रों की संख्या के साथ संस्थान को डिग्री स्तर तक किये जाने के प्रस्ताव की जानकारी

182-श्री कृष्ण चन्द्र पुनेठा--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि कानपुर में स्थित विकलांग पालिटेक्निक में पठन-पाठन कार्य शुरू हो गया है ? यदि हां, तो कुल कितने छात्र प्रशिक्षण पा रहे हैं ? कितने ट्रेड स्वीकृत हैं ? क्या सरकार विकलांगों के लिए सुविधायुक्त इस संस्थान को और सुविधाजनक बनाये जाने के परिपेक्ष्य में संस्थान को शिक्षा डिग्री स्तर तक किए जाने हेतु प्रस्ताव विश्वविद्यालय अनुदान आयोग व अखिल भारतीय तकनीकी परिषद को प्रेषित करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा० नरेन्द्र कुमार सिंह गौर--

जी हां ।

डा० अम्बेडकर इंस्टीट्यूट आफ टेक्नालोजी फार हैण्डीकैप्ड, उ० प्र० कानपुर में 25 छात्र प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं ।

संस्थान के लिए आर्किटेक्चरल असिस्टेंटशिप, स्टेनोग्राफी एवं सेक्रेटेरियल प्रैक्टिस तथा कम्प्यूटर इंजीनियरिंग कुल 3 ट्रेड स्वीकृत हैं।

जी नहीं। संस्थान का विकास डिप्लोमा स्तर की संस्था के रूप में किया गया है और इसमें डिग्री स्तर की संस्था हेतु अपेक्षित सुविधायें उपलब्ध नहीं हैं। अतः विश्वविद्यालय अनुदान आयोग व अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् को अभी कोई प्रस्ताव भेजा जाना प्रस्तावित नहीं है।

जनपद लखनऊ, राज्य सम्पत्ति विभाग, कानपुर रोड स्थित सचिवालय कालोनी से अध्यासियों/पुलिसकर्मियों आदि से अनुरक्षण शुल्क जमा कराने की मांग

183–श्री श्रीराम पाल–

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि राज्य सम्पत्ति विभाग की कानपुर रोड स्थित सचिवालय कालोनी के सभी अध्यासियों पुलिस कर्मियों, शैडों, गनर, कमाण्डों द्वारा मकान किराया भत्ता व अनुरक्षण शुल्क की धनराशि मार्च, 1991 से जमा की जा रही हैं ? यदि नहीं, तो उक्त धनराशि दिनांक 11-2-99 तक सम्बन्धित अध्यासियों से न वसूले जाने के क्या कारण हैं ? उक्त अध्यासियों से उक्त धनराशि कब तक जमा करा ली जायेगी ?

श्री कल्याण सिंह–

जी हां।

अनुरक्षण शुल्क की धनराशि अध्यासियों द्वारा जमा की जा रही है। जहां तक मकान किराये भत्ते का प्रश्न है, आवास आवंटित हो जाने के उपरान्त अनुमन्य मकान किराया भत्ता संबंधित आवंटियों के विभागाध्यक्षों/कार्यालयाध्यक्षों द्वारा समायोजित कर लिया जाता है।

उपरोक्तानुसार कार्यवाही की जाती है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद जालौन के बेसिक शिक्षा परिषद् द्वारा स्वीकृत प्राथमिक विद्यालयों तथा सीनियर बेसिक विद्यालय के भवन निर्माण कार्य पूर्ण कराने की मांग

184–श्री श्रीराम पाल–

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद जालौन के ख० वि० कदौर व महेवा के ग्रामीण क्षेत्रों में वर्ष 1995-96 तथा 1997 में बेसिक शिक्षा परिषद् जालौन द्वारा स्वीकृत प्राथमिक विद्यालयों तथा सीनियर बेसिक विद्यालयों के भवनों का निर्माण कार्य पूर्ण हो गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ? उक्त विद्यालयों के भवनों का निर्माण कार्य कब तक पूर्ण हो जायेगा ?

श्री बालेश्वर त्यागी–

जी हां।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बाराबंकी के श्री ज्ञान प्रकाश मिश्र, अध्यक्ष मण्डल भारतीय जनता पार्टी का शिक्षा निदेशक, (बेसिक) लखनऊ को पत्र एवं मा० उच्च न्यायालय के आदेशों का पालन न करने वाले नगर शिक्षा अधिकारी, बेसिक शिक्षा अधिकारी बाराबंकी के विरुद्ध कार्यवाही

185–श्री हरदेव सिंह–

क्या सरकार को जानकारी है कि दिनांक 29-10-98 को माननीय मुख्य मंत्री, उ० प्र० शासन, लखनऊ को एक पत्र श्री ज्ञान प्रकाश मिश्रा, अध्यक्ष मंडल बंकी ब्लाक भारतीय जनता पार्टी, बाराबंकी

ने प्रेषित किया था और उसकी एक प्रति शिक्षा निदेशक, बेसिक, उ० प्र० लखनऊ के कार्यालय मे प्राप्त कराई थी ? यदि हां, तो उस पत्र में वर्णित बिन्दुओं पर क्या कार्यवाही की गयी ? क्या माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा दिये गये निर्णय दिनांक 7-12-92 के संबंध में निदेशक/अध्यक्ष, उ० प्र० बेसिक शिक्षा परिषद, इलाहाबाद के कार्यालय पत्रांक बे०शि०प०/ 20730–21188/92-93, दिनांक 26-12-92 का पालन नगर शिक्षा अधिकारी, बेसिक शिक्षा परिषद्, बाराबंकी ने किया ? यदि नहीं, तो क्या माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय की अवहेलना करने के कारण इनका स्थानान्तरण करके इनके विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बालेश्वर त्यागी–

श्री ज्ञान प्रकाश मिश्र का उक्त पत्र अद्यतन उपलब्ध नहीं है जिसकी जांच करायी जा रही है ।

जांचोपरान्त कार्यवाही की जायेगी ।

जनपद सुल्तानपुर, प्रबन्धक, ए०एच० इण्टर कालेज मुसाफिरखाना में नियम विरुद्ध अध्यापकों/लिपिकों की नियुक्ति में दोषी के विरुद्ध कार्यवाही की मांग

186–श्री तेजभान सिंह–

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रबन्धक, ए० एच० इण्टर कालेज, मुसाफिरखाना, सुल्तानपुर ने उक्त विद्यालय में वर्ष 1997-98 में अध्यापकों, लिपिक तथा चतुर्थ श्रेणी के कर्मियों की नियुक्तियां की हैं ? यदि हां, तो क्या प्रबन्धतंत्र को उक्त नियुक्तियां करने का अधिकार है ? क्या इन नियुक्तियों में विभागीय नियमों का पालन किया गया है ? यदि नहीं, तो संबंधित अधिकारी तथा प्रबन्धतंत्र के खिलाफ क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि उक्त कालेज की प्राभूति-निधि में बनी 5 दुकानों का किराया किस खाते में जमा होता है तथा उसका आडिट कब किया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा० नैपाल सिंह–

जी हां ।

जी नहीं ।

जी नहीं ।

दोषी अधिकारी के विरुद्ध आरोप-पत्र दिया जा रहा है तथा दिनांक 23-2-99 को साधिकार नियंत्रक की नियुक्ति कर दी गयी है । दिनांक 26-2-99 को मा० उच्च न्यायालय द्वारा स्थगन आदेश दिया गया है ।

प्रश्न ही नहीं उठता ।

खाता संख्या–1063893 पोस्ट आफिस-मुसाफिरखाना सुल्तानपुर । खाते की आडिट करने हेतु निर्देशित कर दिया गया है ।

प्रश्न ही नहीं उठता ।

जनपद लखनऊ, विधायक निवास–6 परिसर की दुकानों के व्यवसायिक गतिविधियों की जांच पर कार्यवाही की मांग

187–श्री कृष्ण चन्द्र पुनेठा–

क्या सरकार को ज्ञात है कि विधायक निवास–6 के परिसर में बनी दुकानें एवं समस्त जलपान गृहों का व्यवसायिक उपयोग किया जा रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार इनकी व्यवसायिक गतिविधियों की जांच कर कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह–

जी हां । एक पान की दुकान श्री कन्हैया प्रसाद गुप्ता तथा दूसरी श्री विजय शंकर गुप्ता द्वारा चाय की दुकान चलायी जा रही है तथा इन दुकानों से मासिक किराया भी प्राप्त होता है ।

जी नहीं । उपरोक्त दोनों में पान तथा चाय की दुकान चलायी जा रही है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्नों के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न

* श्री गोरख नाथ पाण्डेय–

मान्यवर, नत्थी 'ख' तारांकित प्रश्न संख्या–3 की ओर ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूं । मेरा प्रश्न आपकी कार्य सूची में था जिसमें कार्य सूची में लिखा गया है कि यह कई विभागों से सम्बन्धित होने से निरस्त किया जाता है । मैंने इस प्रश्न को 18/1/99 को दिया था यह नीतिगत प्रश्न है ।

श्री अध्यक्ष–

मैं इस सम्बन्ध में पत्रावली मंगाकर देख लूंगा ।

नियम 301 के अन्तर्गत प्राप्त सूचनायें एवं मा० अध्यक्ष की व्यवस्था

श्री अध्यक्ष–

आज दिनांक 16 मार्च, 99 को सदन के संज्ञान में लाने हेतु नियम 301 के अन्तर्गत कुल 21 सूचनायें प्राप्त हुईं । प्राप्त सूचनाओं में से शलाका के आधार पर अग्राह्य को छोड़ते हुए निम्नलिखित सात सूचनायें स्वीकार की गयीं । मैं इससे पूर्व कि माननीय सदस्यों का नाम पढ़, इस ओर ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि 301 की सूचनाओं पर माननीय सदस्यों का नाम पुकारा जाता है और यह हो जाता है कि पढ़ी हुई मान ली जाती है । एक माननीय सदस्य ने सूचना हमारे सचिवालय में दी कि वह खड़े भी हुए और उनकी सूचना पढ़ी हुई मान ली गयी और उसके बाद उन्होंने हमारे सचिवालय को पत्र लिखा है कि हमने कोई सूचना नहीं दी । जबकि वह खड़े होकर उस सम्बन्ध में बोले । आइन्दा इस प्रकार की बात नहीं आना चाहिए ।

आज दिनांक 16 मार्च, 1999 को सदन के संज्ञान में लाने हेतु नियम 301 के अन्तर्गत कुल 21 सूचनायें प्राप्त हुईं । प्राप्त सूचनाओं में से शलाका के आधार पर अग्राह्य को छोड़ते हुए निम्नलिखित 7 सूचनायें स्वीकार की गयीं ।

डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी, श्री दुर्गा प्रसाद यादव, श्री स्वामी प्रसाद मौर्य, श्री अजय कुमार पोइया, श्री राम ललित चौधरी, श्री गोरख नाथ पाण्डेय की सूचनायें स्वीकृत की गयीं । श्री समरपाल सिंह तथा प्रतीक्षा सूची में श्री जय प्रकाश व श्री छोटे लाल राजभर सदन में अनुपस्थित थे ।

जिन मा० सदस्यों की सूचनायें अस्वीकार की गयीं उनके नाम इस प्रकार हैं, श्री राम विशुन आजाद, श्री कृपा शंकर सिंह, श्री विजय पाल सिंह, श्री छोटे लाल, डा० धर्मज्ञ मिश्र, श्री गोपाल कृष्ण, श्री परवेज हलीम, श्री महेन्द्र कुमार सिंह, श्री अम्बरीष कुमार, श्री बाबू लाल कुरील, श्री चन्द्र नाथ सिंह तथा श्री आर० के० चौधरी ।

(स्वीकृत सूचनायें सदन की सहमति से पढ़ी हुई मान ली गयी ।)

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

मेरठ महानगर में पेयजल एवं जल निकासी की स्थिति में गुणात्मक एवं प्रभावी सुधार किये जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी–

[मेरठ महानगर में पेयजल तथा जल निकासी दोनों की स्थिति में गुणात्मक व प्रभावी सुधार हेतु निम्नांकित कार्य किये जाने आवश्यक है ।

पेयजल की दृष्टि से गंगा नहर बोहला से एक रजबाहा मेरठ महानगर के चारों ओर लेकर बीच में 4 जगह पेयजल शुद्धीकरण संयंत्र लगाकर नगर की पेयजल आपूर्ति को बीच-बीच जो जोड़ा जाना जल संकट के निवारण के लिये उपयोगी है । बिजली न आने की स्थिति में भी नगर की 16 लाख जनता को भीषण गर्मी में मात्र 4 जनरेटर लगाकर मकान की निचली मंजिल में पेयजल दिया जा सकेगा ।

इसी प्रकार जल निकासी की दृष्टि से महानगर के चारो ओर रिंग नाला खोदकर ओडियन नाले में मिलने वाले क्षेत्रों के पानी को बाहर रिंग नाले मिलाकर हापुड़ रोड होते हुए काली नदी में मिलाया जा सकता है ।

इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न को तत्काल सदन के संज्ञान में लाते हुए मांग करता हूं कि नगर विकास विभाग के नेतृत्व में जल निगम/प्राधिकरण के योजनाकार इस योजना को तैयार करे तथा शासन इसे लागू करायें ।]

आजमगढ़ शहर में पेयजल की सुचारु आपूर्ति न होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री दुर्गा प्रसाद यादव–

[महोदय, उक्त अति गम्भीर अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न की तरफ आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए यह अवगत कराना चाहता हूं कि आजमगढ़ शहर में इस समय पीने वाले पानी की भारी किल्लत हो रही है । लोगों को पीने के लिये पानी उपलब्ध नहीं है । ग्राउन्ड फ्लोर पर जलापूर्ति नहीं है तो प्रथम तल पर तो एकदम से आशा नहीं की जा सकती । गर्मी पूर्व यह हालात है कि घंटों लोग लाइन लगाकर पानी भरते हैं इण्डिया मार्का–2 हैण्ड पम्प भी नहीं है । जिससे पानी भर सके । कई मुहल्लों में पानी की टंकी नहीं है जैसे बाण बहादुर मोहल्ला, तिधारी मोहल्ला, हर्रा की चुंगी मोहल्ला आदि । यदि इन मोहल्लों में पानी की टंकी का निर्माण हो जाय तो कुछ हद तक जलापूर्ति की समस्या का निदान किया जा सकता है तथा जलदाब को बढ़ाया जा सकता है ।

अतः माननीय अध्यक्ष जी से अनुरोध है कि उक्त लोक महत्व के प्रश्न के संदर्भ में सदन का ध्यान आकृष्ट कर शहर में जलापूर्ति की व्यवस्था की जाय जिससे समय रहते उक्त समस्या का समाधान सम्भव हो सके ।]

राजकीय मोहन होम्योपैथिक अस्पताल लखनऊ की ज्वलन्त समस्याओं के निदान करने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

[मान्यवर, कालेज प्रशासन द्वारा लम्बे अर्से से बिजली, पानी, भवन, वाचनालय, पुस्तकालय, प्रयोगशाला, पुरुष–महिला छात्रावास, अन्तः व वाह्य रोगी विभाग, पी० जी० कोर्स खोलने,

---

नोट :–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

अधिकारियों/कर्मचारियों, छात्र-छात्राओं आदि की ज्वलन्त समस्याओं के निदान हेतु मौखिक/लिखित रूप से अनुरोध किया जा रहा है । होम्योपैथी-निदेशालय उक्त समस्याओं के निदान हेतु किसी भी प्रकार की कोई पहल नहीं किया जा रहा है । निदेशालय के कार्य, आचरण एवं व्यवहार से ऐसा आभास हो रहा है कि होम्योपैथी-निदेशालय इस संस्था से रंजिश रखता है व इसके विरुद्ध साजिशन ऐसा किया जा रहा है । होम्योपैथी निदेशालय की उदासीनता, उपेक्षा व नकारात्मक रवैया के चलते लखनऊ, प्रदेश व देश में होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति की पहचान प्रधानमंत्री–संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का यह कालेज अपना अस्तित्व बचाने की लड़ाई लड़ रहा है । होम्योपैथी निदेशालय के नकारात्मक रवैये से जनता, जनप्रतिनिधि-सामाजिक-राजनैतिक कार्यकर्ता व बुद्धजीवी क्षुब्ध एवं असंतुष्ट है । जनहित में राजकीय मोहन होम्योपैथिक मेडिकल कालेज एवं अस्पताल 2, नविउल्लाह रोड, लखनऊ की समस्या को तत्काल संज्ञान में लिया जाना अपरिहार्य है ।

अविलम्बनीय लोक महत्व के इस मामले को आपकी अनुज्ञा से सदन के संज्ञान में लाते हुए राजकीय मोहन होम्योपैथिक मेडिकल कालेज एवं अस्पताल 2, नविउल्लाह रोड, लखनऊ की ज्वलन्त समस्याओं के तत्काल निदान की मांग करता हूं ।]

जनपद मथुरा के थाना–राया के अन्तर्गत चौंदरी निवासी बुद्धाराम आदि के विरुद्ध झूठे मुकदमों को वापस लिये जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री अजय कुमार पोइया–

[महोदय, आपके माध्यम से लोक महत्व के विषय की ओर सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं ।

मथुरा जनपद के थाना–राया के अन्तर्गत बुद्धाराम पुत्र राम चरन निवासी चौंदरी 3-10-1997 की लूट करने वालों के विरुद्ध 4-10-1997 को थाना–राया में दिया जिस पर कायमी के उपरान्त कार्यवाही किया जाना था, परन्तु तत्कालीन पुलिस अधीक्षक ग्रामीण द्वारा मुल्जिम पक्ष से सांग-गांठ करने के पश्चात् वादी जिसकी लूट हुई, बुद्धाराम आदि को बुलाकर 5 लोगों के विरुद्ध मु० अ० सं० 271/97 थाना–राया धारा 147, 323, 342 आई० पी० सी० तथा अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण की धारा 3 (1) (10) में झूठा चालान कर दिया गया, उक्त प्रकरण की वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मथुरा एवं उच्च अधिकारियों द्वारा जांच की गयी तथा अनुसूचित जाति-जनजाति अत्याचार निवारण की घटना झूठी पायी गयी, इसकी जांच नवनीत कुमार राणा पुलिस अधीक्षक देहात 20-2-1998 को पूरी कर दी गयी है, परन्तु अभी तक झूठा मुकदमा वापसी तथा सही घटना पर मुकदमा कायम नहीं किया गया है तथा गलत रूप में नियम विरुद्ध कार्यवाही करने वाले पुलिस अधीक्षक ग्रामीण तत्कालीन श्यौदान सिंह के विरुद्ध आख्या को संज्ञान में लेने पुलिस अधीक्षक ग्रामीण राना द्वारा प्रेषित पर कार्यवाही किया जाना जनहित में आवश्यक है ।

अतः लोक महत्व को ध्यान में रखकर झूठा मुकदमा समाप्त करते हुये तत्कालीन पुलिस अधीक्षक ग्रामीण श्यौदान सिंह के साथ ही अन्य दोषी पुलिस कर्मियों के विरुद्ध पद के दुरुपयोग करने के साथ नियम विरुद्ध कार्य करने वालों के कार्यवाही मुकदमा कायम कर साक्ष्यों-पत्रावली पर उपलब्ध दंडित किया जाना सुनिश्चित करने का कष्ट करें ।]

नोटः–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

जनपद बस्ती के ग्राम बेलहसा के पास सल्टौआ मानिक चन्द्र मार्ग पर पुलिया बनवाये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री राम ललित चौधरी–

[महोदय, जनपद बस्ती में विकास खण्ड सल्टौआ गोपालपुर के अन्तर्गत ग्राम–बेलहसा के पास सल्टौआ-मानिकचन्द्र मार्ग पर किमी० दो में सरजू नहर क्रास कर रही है लेकिन उक्त स्थान पर किसी प्रकार के पुलिए की कोई व्यवस्था नहीं है जिससे बेलहसा के आसपास के गांवों के लोगों का सल्टौआ विकास खण्ड तथा इण्टर कालेज आदि पर जाने का रास्ता अवरुद्ध हो जाएगा । क्रासिंग स्थान पर पुलिए न लगने से लोगों में असन्तोष है ।

अतः नियम 301 के अन्तर्गत उपरोक्त समस्या के समाधान की तरफ शासन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं ।]

जनपद सन्त रविदास नगर (भदोही) के सेमराधनाथ तथा रमईपुर में 33 के० वी० ए० का पावर हाउस का शीघ्र निर्माण कराये जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री गोरखनाथ पाण्डेय–

- महोदय, ज्ञानपुर विधान सभा क्षेत्र जो ग्रामीण अंचल से बना है दीघ ब्लाक तथा ज्ञानपुर ब्लाक में क्रमशः सेमराधनाथ तथा रमईपुर में 33 के० वी० ए० पावर हाउस का शिलान्यास 1998-99 में मा० ऊर्जा राज्य मंत्री जी द्वारा किया गया । क्षेत्र मे विद्युत समस्या के समाधान हेतु दोनों पावर हाउस आवश्यक हैं । ग्रामीण पिछड़े एवं निर्धन वर्ग के लोग रात्रि में अपने घरों में परिवार के साथ मिलकर कालीन की बुनाई करते हैं । जिससे उन्हें जीवन यापन हेतु धनार्जन होता है । साथ-साथ विदेशी मुद्रा का अर्जन भी होता है भदोही से करोड़ों रु० का कालीन निर्यात किया जाता है जिससे सरकार को विदेशी मुद्रा की प्राप्ति होती है । विद्युत की समस्या बने रहने तथा पावर हाउस न बनाये जाने से गरीबों की रोजी रोटी तथा विदेशी मुद्रा प्रभावित हो रही है ।

कृपया उक्त दोनों पावर हाउस जिसका टेन्डर हो चुका है और निर्माण कार्य रुका पड़ा है शीघ्र निर्मित कराकर चालू कराने की कृपा करें ।]

औचित्य के प्रश्न की सूचनायें

श्री अध्यक्ष–

नियम 300 के अन्तर्गत जो सूचनायें प्राप्त हुई हैं उनमें पहली सूचना श्री सुबाष चन्द्र श्रीवास्तव की है ।

लोक निर्माण विभाग की अनुदानों पर दी गई कटौती के प्रस्ताव को प्रस्तुत न कराये जाने के संबंध में औचित्य का प्रश्न

श्री सुबाष चन्द्र श्रीवास्तव–

मान्यवर दिनांक 12 मार्च, 99 को लोक निर्माण विभाग से संबंधित अनुदान संख्या 54 और 55 के संबंध में प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमावली 189 ग के अन्तर्गत मांग की धनराशि पर कटौती का प्रस्ताव मैंने दिया था । मान्यवर, मेरा कटौती का प्रस्ताव सदन में प्रस्तुत नहीं कराया गया । नियम 189 ग के अनुसार अभिसूचित कटौती के प्रस्ताव को सदन में प्रस्तुत कराया जाता है और इस सदन का अभिमत दिया जाता है ।

नोट :– [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

श्री अध्यक्ष–

मैं 12 मार्च, 99 की कार्यवाही निकाल कर देखे लेता हूं और देखने के पश्चात् अंतिम व्यवस्था दे दूंगा ।

दूसरी सूचना माननीय लक्ष्मीकान्त बाजपेयी की है ।

उपवेशन के दिन जिला स्तरीय समितियों की बैठकें बुलाये जाने तथा ग्राम विकास विभाग की बैठकों में विधायकों के प्रतिनिधि को स्वीकार किये जाने के संबंध में उठाये गये औचित्य के प्रश्न

डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी–

मान्यवर मैं एक गम्भीर प्रश्न पर आपकी व्यवस्था चाहता हूं इस प्रश्न पर पहले कई बार व्यवस्था की जा चुकी है । मान्यवर, मेरठ विकास प्राधिकरण में विधान सभा के दो पदेन सदस्य हैं । 24 तारीख को सदन का उपवेशन है और उसी दिन मेरठ विकास प्राधिकरण ने अपने बोर्ड की बैठक बुलाई है । सत्र के चलते मान्यवर आपके निर्देश है कि ऐसी बैठकों को नहीं रखना चाहिये । लेकिन प्रदेश के अधिकारी सदन का सम्मान नहीं कर रहे हैं । कृपा करके आप इस प्रश्न पर अपनी व्यवस्था दे ताकि ब्यूरोक्रेसी के अधिकारियों को यह सूचना मिल जाये कि सदन अपने सम्मान के प्रति कितना गम्भीर है ।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

कुछ व्यवहारिक कठिनाईयां आ रही हैं । मान्यवर, हमने इस संबंध में जानकारी की इन बैठकों में माननीय सदस्य विधान सभा और विधान परिषद् के नामित सदस्य होते हैं । जैसे ही मुझे इस बात की सूचना प्राप्त हुई मैंने आवास सचिव को सूचित किया और वह बैठक निरस्त कर दी गयी ।

श्री अध्यक्ष–

माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने प्रश्नगत सूचना के संबंध में जैसा कि उल्लेख किया है वह बैठक निरस्त कर दी गई है इसलिये इस सूचना को मैं यही इसी आधार पर निस्तारित कर रहा हूं ।

कुंवर रेवती रमण सिंह–

मान्यवर, इस संबंध में मैं निवेदन करना चाहता हूं कि ग्राम विकास विभाग के संबंध में जो बैठकें होती हैं उसमें माननीय विधायकों का जाना अनिवार्य कर दिया गया है । पहले विधायकों के प्रतिनिधि चले जाते थे लेकिन अब अनिवार्य करने से बड़ी कठिनाई हो जायेगी ।

श्री अध्यक्ष–

एक व्यवहारिक दृष्टिकोण है । बहुत सी ऐसी समितियां हैं जहां माननीय विधायक उपस्थित रहना चाहते हैं उसमें यदि प्रतिनिधि के माध्यम से प्रतिनिधित्व किया जाता है तो थोड़ी सी कठिनाई है ऐसी व्यवस्था करने से वह दूर हो सकती है । जहां आवश्यकता है वहां तो विधायक जी आयेगे ही ।

श्री हुकुम सिंह–

ठीक है ।

[समय 12 बजकर 25 मिनट]

डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी–

ऐसा नहीं है कि इस सदस्यों की जानकारी नहीं है, मेरठ विकास प्राधिकरण की बैठक मेरठ के विकास से संबंधित बैठक थी, जानबूझकर यह बैठक रखी गयी ।

ग्राम्य विकास मंत्री (चौधरी नरेन्द्र सिंह)–

अध्यक्ष जी, पहले यह व्यवस्था थी कि आप अपना प्रतिनिधि भेज सकते थे । जो विधान सभा के सदस्य हैं, सांसद हैं, वे बैठक में उपस्थित होते थे, यही व्यवस्था अब भी है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ है ।

कुंवर रेवती रमण सिंह–

विभाग के प्रतिनिधि भी जाते रहे हैं, विधायक और सांसद भी जाते रहे हैं, वही व्यवस्था होनी चाहिये ।

श्री चौधरी नरेन्द्र सिंह–

मैं निवेदन करूंगा कि इसी सदन से कुछ सम्मानीय सदस्यों ने यह बिन्दु उठाया था कि माननीय विधायकगण के स्थान पर उनके प्रतिनिधि जायें । लिहाजा माननीय विधायक और सांसदगण यदि उसमें हिस्सा न ले सके तो उनका प्रतिनिधित्व हो सके इस को सुनिश्चित किया गया है । माननीय विधायकगण और सांसदगण यदि बैठक में शरीक नहीं हो सकते हैं तो वह अपने प्रतिनिधि को भेज सकते हैं ।

श्री अध्यक्ष–

जो विधान सभा का सदस्य यह समझता है कि उनका प्रतिनिधि उनकी बात ठीक से कह देगा तो उनको अनुमति दे दीजिये । इस पर जरा विचार कर लीजिये ।

श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, जो विधायक अपना प्रतिनिधि भेजना चाहें वह भेज सकते हैं यह उनकी तरफ से स्पष्ट हो जाय । इसमें बहुत असुविधा की बात नहीं हैं ।

श्री अध्यक्ष–

माननीय ग्राम्य विकास मंत्री और माननीय संसदीय कार्य मंत्री इस पर विचार कर लें ।

नियम 301 के अन्तर्गत दी गई सूचना का उत्तर प्राप्त न होने के संबंध में औचित्य का प्रश्न

* श्री मुन्ना चौहान–

मान्यवर, इस सूचना को देने का मेरा मन नहीं था क्योंकि कल इस सदन में माननीय श्रीवास्तव जी की सूचना पर व्यवस्था दी जा चुकी है । लेकिन मैंने मजबूर होकर यह सूचना दी है । मान्यवर, 301 की सूचना माननीय सदस्य सदन के संज्ञान में लाने हेतु देते हैं । आप उन सूचनाओं को स्वीकार करते हैं । आपकी व्यवस्था है कि उन सूचनाओं पर एक माह के अन्दर सरकार की तरफ से जबाब आये । प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमावली के संबंध में जो अध्यक्ष महोदय के निर्देश है उसके निर्देश संख्या 14(1) में इस बात की व्यवस्था है कि संसदीय कार्य मंत्री एक माह के अन्दर अपने हस्ताक्षरों सहित उत्तर भेजेंगे । मैंने एक ऐसे शहीद के मामले में सूचना दी थी ।

श्री अध्यक्ष–

तारीख तो बतायें ।

श्री मुन्ना चौहान–

मैंने कहा है कि विधान सभा के प्रथम सत्र में लगभग 2 वर्ष पूर्व सूचना है । मैंने इस सदन के अन्दर सूचना दी और वह सूचना आयी भी थी । इसलिये दी थी कि आजादी की स्वर्ण जयन्ती वर्ष था । जिस शहीद ने साढ़े 23 वर्ष की आयु में फांसी के फन्दे को चूमा हो, जो आई० एन० ए० का सदस्य था, नेता जी सुभाष चन्द्र बोस का सहयोगी था । मुझे आश्चर्य है कि स्वर्ण जयन्ती वर्ष बीत गया और सरकार की तरफ से दो लाइन का उत्तर नहीं आया कि सरकार क्या कार्यवाही करने जा रही है । उस

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

वर्ष को नेता जी सुभाष चन्द्र बोस जन्मशती वर्ष के रूप में मनाया गया, फिर भी जवाब नहीं आया। इसलिये व्यथित होकर आपका संरक्षण चाहा और मजबूरन नियम 300 की सूचना यहां देनी पड़ी। मैं आपसे प्रार्थना करूंगा कि कुछ संवेदनशील मुद्दे हैं जहां प्रदेश और देश तथा उन लोगों के प्रति सम्मान का प्रश्न है जिन्होंने देश की आजादी के लिये सर्वस्व न्यौछावर किया है, उन लोगों के प्रति उदासीनता का दृष्टिकोण बना रहेगा तो अच्छा सन्देश नहीं जायेगा और हम अपने दायित्वों का निर्वहन करने में सफल नहीं हो पायेंगे। मैं आपसे प्रार्थना करूंगा कि इसे औचित्य के रूप में स्वीकार करते हुए इस पर व्यवस्था देने की कृपा करें।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

माननीय अध्यक्ष जी, सरकार से बहुत अपेक्षा की जाती है और हम उस अपेक्षा के अनुरूप अपने आप को पूरा करने की कोशिश भी करते हैं। माननीय सदस्य ने सूचना औचित्य के प्रश्न के रूप में दी दो साल पुरानी सूचना के बारे में जानकारी चाहते हैं। जब नियम 300 की सूचना दी तो कार्यवाही का अंग बना होगा। यह होमवर्क आप भी कर सकते थे, कार्यवाही देखते कि किस तिथि की सूचना थी। उस पर सुना गया या नहीं सुना गया। मान्यवर, यहां कह देना आसान है इस प्रकार की सूचना देंगे, उस पर अपनी बात कहेंगे। लेकिन तथ्य पूरा करने के लिये नियमों का पालन आप भी करे। क्या आप यह जानकारी नहीं दे सकते थे कि किस तिथि में सूचना दी। आप हमसे यह अपेक्षा करते हैं कि दो साल पुराना सारा रिकार्ड लाकर यहां प्रस्तुत कर देंगे। मान्यवर, जो सूचना 300 में दे रहे हैं वह 300 के अन्तर्गत कैसे आती है। ढाई साल पहले सूचना दी थी।

श्री मुन्ना चौहान–

मान्यवर, मैंने स्पष्ट रूप से सूचना में कहा है कि दो साल पहले प्रथम सत्र में सूचना दी थी। माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी बाल की खाल निकाल रहे हैं। विधान सभा का प्रथम सत्र मात्र 5 दिन तक चला उसमें आपने 15-20 सूचनायें स्वीकृत की होंगी तो क्या माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी 15-20 सूचनाओं की जानकारी नहीं कर सकते।

मान्यवर, आप इस पर व्यवस्था दे दें। सरकार की तरफ से कार्यवाही करने की व्यवस्था आ जाये।

नेता, विरोधी दल (श्री धनीराम वर्मा)–

श्रीमन्, अभी कुंवर रेवती रमण सिंह जी और अन्य माननीय सदस्यों ने प्रश्न उठाया था कि डी० आर० डी० ए० की मीटिंगों में माननीय विधायकों, सांसदों .....

श्री मुन्ना चौहान–

मंत्री जी ने जो तारीख बताने की बात कही है मैं कल तारीख बता दूंगा। अगर कहीं कुछ त्रुटि रह गई होगी तो उसको भी ठीक कर देंगे।

श्री अध्यक्ष–

आज इस सूचना पर आप बल नहीं दे रहे हैं।

आपकी सूचना पर कल व्यवस्था दे देंगे।

डी० आर० डी० ए० की बैठकों में विधायकों के प्रतिनिधि को अधिकृत किये जाने के संबंध में औचित्य का प्रश्न

* नेता विरोधी दल (श्री धनीराम वर्मा)–

माननीय अध्यक्ष महोदय, औचित्य के प्रश्न के रूप में प्रश्न यह प्रस्तुत किया गया है कि जिस तरह से पहले सांसद और विधायकों के प्रतिनिधि डी० आर० डी० ए० की बैठक में भाग लेते रहे हैं वैसे ही आज भी उन्हें भाग लेने के लिये अधिकृत किया जा सकता है। ज्ञात हुआ है कि सांसद और विधायकों के प्रतिनिधियों को न भेजे जाने के लिये कोई आदेश पारित किया है। जैसा कि कुंवर रेवती रमण सिंह एवं अन्य माननीय सदस्यों ने निवेदन किया है बहुत से अपरिहार्य कारणों से माननीय विधायकों को बैठक में भाग लेने पर दिक्कत हो जाती है। उनके प्रतिनिधियों को जैसे पहले स्वीकार किया जाता रहा है वैसे ही स्वीकार किया जाए। इस पर मैं आपकी व्यवस्था चाहता हूं। मैं ग्राम्य विकास मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि इसे स्वीकार कर लेने में कोई दिक्कत भी नहीं है। पहले ऐसा होता रहा है। उसी व्यवस्था को बना रहने दिया जाए।

श्री अध्यक्ष–

चूंकि इसका कई विभागों से संबंध है इसलिये संसदीय कार्य मंत्री जी इसे देख लें। यह सुझाव उचित प्रतीत होता है। यह सुझाव उपयोगी लग रहा है।

यह वैकल्पिक व्यवस्था रहेगी। अगर माननीय सदस्य चाहते हैं कि विधान सभा में उपस्थित रहना जरूरी है तो वह यहां उपस्थित रहें अगर उन्हें लगे कि जिले की बैठक में उपस्थित रहना जरूरी है तो वह वहां उपस्थित रहें।

*श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, यह विषय इसलिये उठा कि विधान परिषद् के कुछ सदस्य कई जनपदों में अपने प्रतिनिधियों को भेज देते हैं कदाचित इसीलिये यह परेशानी आई। विधान सभा के सदस्यों का निर्वाचन क्षेत्र सुनिश्चित होता है। उनके संदर्भ में व्यवस्था कर दी जाए। अगर विधान परिषद् में मांग उठे तो वहां पर जो उचित व्यवस्था हो उसको किया जाए। विधान सभा के सदस्य अपने या अपने प्रतिनिधि को बैठकों में भेज सकें इस आशय की सूचना भेज दें।

श्री लालजी वर्मा–

विधि और स्नातक शिक्षा क्षेत्र के एक एक एम०एल०सी० 20-20 जिलों में अपना प्रतिनिधि भेज देते हैं इससे और असुविधा बढ़ेगी। इसलिये इसकी भी व्यवस्था दे दें।

श्री अध्यक्ष–

अन्य माननीय सदस्यों ने नियम 300 में जो सूचनाएं दी हैं आवश्यक नहीं है कि सबको सुना जाए। श्री जगदीश नारायण की सूचना शासकीय निकाय की बैठकें 10-12 माह पर बुलाए जाने के बारे यह नियम 300 में नहीं आती है। इसका विधान सभा की कार्यवाही से कोई संबंध नहीं है।

इसी प्रकार डा० अशोक बाजपेयी, डा० धर्मज्ञ मिश्र की सूचना भारत के संविधान के अनुच्छेद–23 का होने के बारे में। यह भी नियम 300 में नहीं आती है इसका भी इस सदन की कार्यवाही से संबंध नहीं है। अगली सूचना श्री वीरेन्द्र सिंह सोलंकी जी की जनपद एटा के अध्यक्ष नगरपालिका परिषद् द्वारा

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

भ्रष्टाचार एवं अनियमितताओं के बारे में है, यह प्रथम दृष्टया नियम–300 के अन्तर्गत नहीं आती है, श्री अजय कुमार पोइया जी की सूचना लोक सेवा आयोग द्वारा चयनित सहायक अभियन्ताओं को नियुक्ति पत्र न दिये जाने के संबंध में है, यह भी नियम 300 के अन्तर्गत नहीं आती है । श्री प्रमोद कुमार जी की सूचना विधायकों के संबंध में अधिकारीगण द्वारा आचार संहिता का पालन करने के संबंध में है, कई बार इस पर सदन में चर्चा हो चुकी है और निर्देश भी दिये जा चुके हैं, यह नियम 300 में नहीं आती है । श्री राम औतार शाक्य जी की सूचना विकास योजनाओं के भौतिक सत्यापन के लिये विधायकों को वाहन की व्यवस्था न कराये जाने के संबंध में है, वैसे यह नियम 300 में नहीं आती है, फिर भी विधायकों से संबंधित यह मामला है इसलिये मैं माननीय सदस्य के विचार इस पर सुन लेता हूं । वैसे पहले माननीय विधायक और माननीय सांसद अपनी सुविधाओं के लिये नहीं कहते थे । परन्तु काफी बदल गया है ।

विकास योजनाओं के भौतिक सत्यापन के लिये विधायकों को वाहन की व्यवस्था न कराये जाने के संबंध में औचित्य का प्रश्न

* श्री राम औतार शाक्य–

मान्यवर, सुसंगत नियमों के अन्तर्गत पहले भी यह मामला सदन में आया था और नियम 56 में यह निरस्त हो गया था, दुबारा यह 311 में टेक अप हो नहीं सकता है । आज नियम 300 में यह दिया गया है । माननीय मंत्रीगण विकास योजनाओं के बारे में बजट प्रस्तुत करते हैं और उनके लिये बजट एलाट होता है । अगर विकास कार्यों के संबंध में माननीय सदस्यों की कोई शिकायत है तो वह सदन में शिकायत कर सकते हैं और माननीय सदस्यों के पास वाहन नहीं है । साधन न होने के कारण क्षेत्र में जो विकास के कार्य हो रहे हैं और उन पर जो धन खर्च हो रहा है, उसका तब तक भौतिक सत्यापन नहीं हो सकता है, जब तक शासन स्तर से या प्रशासन स्तर से वाहन मुहैया न करवाया जाय । लोकसभा के माननीय सांसदों को वाहन दिये जाते हैं । इसलिये मान्यवर, इस पर आप व्यवस्था देने की कृपा करें कि महीने में 15 दिन के लिये शासन या प्रशासन द्वारा विधायकों को दौरा करने के लिये वाहन उपलब्ध करा दिये जायं ।

श्री प्रमोद कुमार–

माननीय अध्यक्ष जी जब स्व० हेमवती नन्दन बहुगुणा जी यहां पर मुख्य मंत्री थे तो उस समय यहां पर घोषणा हुई थी कि विकास कार्यों के सर्वेक्षण के लिये और विधायकों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिये यदि कोई विधायक स्थल निरीक्षण करना चाहें तो वे खण्ड विकास अधिकारी के साथ वाहन में जा सकते हैं । श्री वीर बहादुर सिंह जी जब मुख्य मंत्री हुये तो उन्होंने सांसदों को क्षेत्र में भ्रमण के लिये और विशेष रूप से विकास कार्यों के भौतिक सत्यापन के लिये तथा प्रगति जानने के लिये 15 दिन के लिये वाहन उत्तर प्रदेश सरकार के खर्च पर उपलब्ध कराया और विशेष रूप से अब तो सांसद निधि से कितना खर्च हुआ है उसे भी वह भ्रमण के दौरान जान सके । मान्यवर, विकास कार्यों के निरीक्षण के लिये और विशेष रूप से इस समय तो विधायक निधि भी आवंटित हुई है तो उसके क्षेत्र में किस तरह का विकास कार्य हो रहा है, उसे जानने के लिये यदि विधायक को वाहन की सुविधा उपलब्ध करा दी जायेगी तो वह कार्यों का भौतिक सत्यापन भी कर सकेगा भले ही एक माह में आप एक सप्ताह के लिये उसे वाहन की सुविधा दे दें जिससे कि वह कार्य की प्रगति को जान सके । लोकतंत्र में जनप्रतिनिधियों की भागीदारी होनी चाहिये और इसमें कोई अतिरिक्त व्यय होने वाला भी नहीं है । एक-एक निर्वाचन क्षेत्र में तीन-तीन विकास खण्ड हैं । तो महीने में दो दिन से ज्यादा जीप पर भार भी नहीं पड़ेगा । मेरा

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

विनम्रतापूर्वक आग्रह है । ऐसा तो जब विधायक निधि का मामला उठाया गया था तो इसी तरह से सरकार ने नकार दिया था आप के बारम्बार प्रयास से वह तो हो गया है । आज इसको भी सरकार नकार रही है लेकिन फिर सरकार मुसीबत में पड़ेगी तो यह करना पड़ेगा । स्थल निरीक्षण के लिये, भौतिक सत्यापन के लिये निर्वाचन क्षेत्र की सीमा के अन्दर एक सताह के लिये वाहन विधायकों को उपलब्ध कराये जायं ।

श्री अध्यक्ष–

श्री राम औतार शाक्य और श्री प्रमोद कुमार की सूचना को सुनने के बाद यह नियम–300 के अन्तर्गत नहीं आती है इसलिये निरस्त कर रहा हूं । वैसे शासन इस बात के लिये स्वतंत्र है कि जितनी सुविधा चाहे उपलब्ध करा दे ।

श्री अध्यक्ष–

मद संख्या–3 में कुछ नहीं है ।

जनपद लखनऊ के ग्राम बरावन कलां में राजकीय कन्या इंटर कालेज स्थापित किये जाने के संबंध में श्री राज कुमार तिवारी आदि की हस्ताक्षरित याचिका †

श्री अजय कुमार पोइया–

श्रीमन्, मैं आपकी अनुमति से तहसील एवं जिला लखनऊ के ग्राम बरावन कलां में राजकीय कन्या इण्टर कालेज स्थापित किये जाने संबंधी श्री राज कुमार तिवारी व एक अन्य निवासी जनपद लखनऊ द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूं ।

श्री अध्यक्ष–

मद संख्या–5, 6, 7 में कुछ नहीं है ।

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड (संशोधन) विधेयक, 1999 ††

संसदीय कार्य मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

मान्यवर, आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड (संशोधन) विधेयक, 1999 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूं ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड (संशोधन) विधेयक, 1999 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड (संशोधन) विधेयक, 1999 को पुरःस्थापित करता हूं ।

श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, मैं मत विभाजन की मांग करता हूं इस पर ।

---

† छापी नहीं गई ।

†† दिनांक 26 मार्च, 1999 के असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट में छपा है ।

श्री अध्यक्ष–

अब मैंने अगली मद पुकार ली हैं। मेरे बोलने के बाद आप खड़े हो रहे हैं।

कार्य स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं

श्री अध्यक्ष–

आज दिनांक 16-3-99 को नियम–56 के अन्तर्गत कुल 22 सूचनाएं प्राप्त हुईं। शलाका के आधार पर निम्नलिखित माननीय सदस्यों की सूचनायें चयनित की गई। प्रथम 5 सूचनाओं को ग्राह्यता हेतु सुना जायेगा। शेष सूचनाओं पर शासन का ध्यान आकृष्ट किया जा सकता है। पहली सूचना श्री कुंवर रेवती रमण सिंह और अम्बरीष कुमार की है।

(कुंवर रेवती रमण सिंह का नाम पुकारे जाने पर)

श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, मैंने 300 में एक शिष्टाचार की सूचना दी थी।

श्री अध्यक्ष–

आपकी ऐसी कोई सूचना नहीं है।

श्री प्रमोद कुमार–

नहीं है तो मान्यवर, कल दे दूंगा।

*कुंवर रेवती रमण सिंह–

माननीय अध्यक्ष जी, जो नियम–56 में मैंने सूचना दी है यह अत्यन्त लोक महत्व की है, तात्कालिक है और पूरे देश और पूरे प्रदेश से संबंधित है।

(कुछ सदस्य आपस में बोल रहे थे)

श्री अध्यक्ष–

शान्त रहें।

कुंवर रेवती रमण सिंह–

यह सदन इस बात से सहमत होगा कि आयुर्वेद औषधी कार्य के लिये पहली जीवन पद्धति, जीवन शैली है। 100 साल में भारत पर आयुर्वेद का एकाधिकार रहा है। लेकिन अमेरिकी दादागिरी के कारण बासमति चावल, नीम, हल्दी का पेटेन्ट अमेरिका ने ले लिया इस तरह अमेरिका ने भारत पर दबाव डालकर भारत से पेटेन्ट ले लिया। मान्यवर, 19 अप्रैल को व्यापार .....

श्री अध्यक्ष–

यह केन्द्र सरकार का विषय है उत्तर प्रदेश से संबंधित बात कहें।

कुंवर रेवती रमण सिंह–

वही बता रहा हूं राज्य व्यापार संगठन की बैठक–

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

संसदीय कार्य मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

जिस बारे में निर्णय हो ही नहीं सकता है उसको कहने का औचित्य नहीं है ।

श्री अध्यक्ष–

इसीलिये मैंने कहा कि उत्तर प्रदेश से संबंधित बतायें ।

कुंवर रेवती रमण सिंह–

संसदीय कार्य मंत्री जी ने बात सुनी नहीं यह पहले ही टिप्पणी दे देते हैं आपने कह दिया लेकिन आयुर्वेद पर लोकसभा में चर्चा नहीं हुई ।

श्री अध्यक्ष–

पेटेन्ट वाली बात हमारे अधिकार क्षेत्र से बाहर है ।

कुंवर रेवती रमण सिंह–

19 अप्रैल की बैठक होने जा रही है । उत्तर प्रदेश आयुर्वेद का बहुत बड़ा केन्द्र है उत्तर प्रदेश इससे सीधे-सीधे प्रभावित होगा । मेरा कहना है कि उत्तर प्रदेश सरकार भारत सरकार से आग्रह करे उत्तर प्रदेश सरकार यह प्रस्ताव लाये कि 19 अप्रैल को जो मीटिंग होने जा रही है विश्व व्यापार संगठन की उसमें उत्तर प्रदेश की भावनाओं के अनुरूप कार्य करके .....

श्री अध्यक्ष–

इसको नियम 103 में ले आयें ।

कुंवर रेवती रमण सिंह–

इसमें इसलिये आग्रह कर रहा हूं कि यह महत्वपूर्ण विषय है इससे दूसरा महत्वपूर्ण विषय नहीं हो सकता है । 19 अप्रैल को पेटेन्ट कानून विश्व व्यापार संगठन मे लाया जायेगा । अमेरिका पेटेन्ट कराकर तमाम दवाइयों को पेटेन्ट करा लेगी उत्तर प्रदेश के संस्कार मिट जायेंगे ।

कारागार मंत्री (श्री शिव प्रताप शुक्ल)–

वन मंत्री जी जब आपकी अनुमति से बजट कल रख रहे थे तो कह रहे थे कि किसी भी स्थिति में आयुर्वेद की क्षति नहीं होने देंगे ।

कुंवर रेवती रमण सिंह–

क्या यह मेरा उत्तर देंगे ?

श्री अध्यक्ष–

जब संसदीय कार्य मंत्री जी से जवाब मांगा जायेगा तो आप जबाब दे दीजियेगा ।

कुंवर रेवती रमण सिंह–

जब मैं बोल लूं तो यह जबाब दे दें । बड़े विद्वान हैं ।

श्री अध्यक्ष–

शान्त रहें ।

कुंवर रेवती रमण सिंह–

मैं आग्रह कर रहा हूं कि भारत में उत्तर प्रदेश में बड़े पैमाने पर जड़ी बूटियां पैदा होती हैं उत्तर प्रदेश सरकार आग्रह तो कर सकती है इसमें ऐसी कौन सी बात है जो भारत सरकार के कार्य क्षेत्र में आती है । विश्व व्यापार संगठन में यह जाये उससे पहले उत्तर प्रदेश सरकार विशेषज्ञों से बात करके आग्रह करे ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

मान्यवर, मेरा यह कहना है कि यह अत्यन्त लोक महत्व का है, तात्कालिक है इसलिये आग्रह है कि 103 का यह विषय नहीं है, 56 का है इसलिये है कि 19 तारीख को मीटिंग होने जा रही है इससे महत्वपूर्ण कोई दूसरा विषय नहीं हो सकता है।

श्री अम्बरीष कुमार–

मान्यवर, जैसा कि सबने बताया कि लोक स्वास्थ्य राज्य सरकार का विषय है और आयुर्वेद लोक स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ विषय है। मान्यवर, इसपर हमला इसलिये हो रहा है कि यह दवाइयों के सहारे ही नहीं चलता है। यह बिना दवाई के खान-पान में संयम के माध्यम से रोग मुक्त बनाने का काम कर रहे हैं इसलिये इस पर हमला हो रहा है और इसीलिये यह उत्तर प्रदेश के लिये आयुर्वेद का पेटेन्ट भारी समस्या बना हुआ है। प्रदेश सरकार प्रदेश के हितों को ध्यान में रखते हुये केन्द्र सरकार से अनुरोध कर लें कि जो आयुर्वेद के विशेषज्ञ हैं उनकी राय लेकर अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर वार्ता करें।

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, यह केन्द्र सरकार की नीति का प्रश्न है और इसके बारे में सक्षम अगर कोई है तो वह केन्द्र सरकार है। मान्यवर, जहां तक 19-4-99 की बैठक में कहा गया है, बार-बार इस बारे में केन्द्र सरकार द्वारा भी स्पष्ट हो चुका है। जहां तक देश के और राष्ट्र के हितों का प्रश्न है उसके बारे में समझौता नहीं किया जायेगा। आखिर क्यों नहीं आश्वस्त हो पाते हैं। वर्तमान केन्द्र सरकार ने कोई भी ऐसा फैसला नहीं किया है जो हमारे राष्ट्र के और देश के हितों के अनुरूप न हो। इसके बारे में माननीय मंत्री जी ने भी स्पष्ट किया था मैं पुनः उस पर बल देता हूं। आपने कहा कि आयुर्वेद दवा नहीं जीवन की शैली है तो यह पेटेन्ट तो नहीं हो सकती। जहां तक जड़ी बूटी का मामला है पेटेन्ट हो जायेगा तो क्या हो जायेगा ? पहली बात तो यह है कि यह पेटेन्ट नहीं है। बासमती के पेटेन्ट होने के बाद इसके बोने और उत्पादन में क्या कोई फर्क हुआ। मान्यवर, अमरीका जलवायु तो नहीं ले जा सकता है। मान्यवर, पेटेन्ट होने के बावजूद भी बासमती में उत्तर प्रदेश देश में ही नहीं बल्कि एशिया में सर्वप्रथम स्थान रखता है तो इसमें आखिर घबराने की कौन सी बात है। केन्द्र सरकार कोई ऐसा निर्णय नहीं लेगी जो हमारे हितों के अनुरूप नहीं है।

कुंवर रेवती रमण सिंह–

मान्यवर, दूसरी बात माननीय मंत्री जी ने कही है। पेटेन्ट के बारे में खास तौर से बताया बासमती चावल से हम प्रभावित नहीं हैं। मैंने आग्रह किया था कि उत्तर प्रदेश केन्द्र सरकार से आग्रह कर ले, विशषज्ञों की राय लेकर, क्योंकि उत्तर प्रदेश एक बहुत बड़ा केन्द्र है, प्रस्ताव लेकर उसके अनुरूप वार्ता कर ले। इसमें ऐसी कौन सी बात होगी कि आप प्रस्ताव वहां नहीं भेज सकते हैं।

श्री अध्यक्ष–

माननीय कुंवर रेवती रमण सिंह, माननीय अम्बरीष कुमार और माननीय संसदीय कार्य मंत्री को सुनने के बाद मैं इस सूचना को निरस्त करता हूं।

* श्री लालजी वर्मा–

मान्यवर, जो आरक्षण नीति लागू की गई है उसमें यह व्यवस्था की गई है कि हम अति पिछड़ी जाति और अनुसूचित जाति के लोगों को सरकारी नौकरी में आरक्षण देंगे। मान्यवर यह जो समूह 'ग' की परीक्षायें हो रही हैं उसमें पिछड़ी जाति का कोटा अलग करके और उनके बीच कम्पटीशन कराया जा

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

रहा है इसी तरह से अनुसूचित जाति के लोगों को अलग करके उनके बीच कम्पटीशन कराया जा रहा है बाकी गैर आरक्षित पदों पर सर्वोच्च जाति के लोगों को भरने का काम किया जा रहा है । तो यह आरक्षित वर्ग के लोगों के साथ सरकार खिलवाड़ कर रही है । यह 50 फीसदी तक जगहों को सीमित करने का काम किया जा रहा है ।

मान्यवर, अम्बेडकर नगर में ग्राम पंचायत अधिकारियों के 14 पदों पर भर्ती की गई इसमें जो लिस्ट निकली उसमें 3 अनुसूचित जाति, 4 पिछड़ी जाति और 7 सामान्य वर्ग के लोगों को भरने का काम उसमें किया गया है । यह आरक्षण नीति की बिल्कुल अवहेलना करके 50 फीसदी जगह गैर आरक्षित जगहों में करके भर्ती की गई । मान्यवर, 85 फीसदी लोगों को 50 फीसदी में सीमित करने का काम किया गया है और 15 फीसदी लोगों को 50 फीसदी स्थान देकर सरकार ने अपनी मानसिकता को उजागर करने का काम किया है । यह बहुत गम्भीर प्रश्न है इस पर चर्चा कराने का कष्ट करें ।

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, यह पूरे देश की जिसमें यह प्रदेश भी है, की आरक्षण नीति है कि कितना आरक्षण दिया जायेगा किस वर्ग को । समूह 'ग' की भर्ती में अनुसूचित जाति को 21 प्रतिशत अनुसूचित जनजाति को 2 प्रतिशत और पिछड़े वर्ग को 27 प्रतिशत यह आरक्षण प्राप्त हो इसकी अवहेलना कहीं पर भी नहीं की गई है ।

(संसदीय कार्य मंत्री के भाषण के मध्य 1 बजकर 07 मिनट पर अधिष्ठाता डा० सरजीत सिंह डंग पीठासीन हुए ।)

श्री लालजी वर्मा–

आरक्षित वर्ग के लोगों को सामान्य अभ्यर्थियों से अलग किया गया है ।

श्री अधिष्ठाता–

आप पूरा जबाब सुन लें ।

सवाल पिछड़े वर्ग का नहीं है । मैं पूरे उत्तर प्रदेश का हूं, पूरे देश का हूं, यह मानसिकता होनी चाहिये । इस देश में सारे वर्ग हैं । यह लोग हमेशा समाज को वर्गों में बांटते रहते हैं । मान्यवर, जो आरक्षण की नीति है, उसके अनुसार अनुसूचित जाति को 21 प्रतिशत, अनुसूचित जनजाति को 2 प्रतिशत तथा पिछड़े वर्ग को 27 प्रतिशत इस आरक्षण नीति का पालन किया जा रहा है । आपने बताया कि अम्बेडकर नगर में पंचायत राज अधिकारी के पद पर 14 में से 7 उच्च वर्ग के हैं ।

मान्यवर, सर्वोच्च न्यायालय ने इस नीति का परीक्षण करते हुये यह निर्णय दिया कि आरक्षण कोटा किसी भी हालत में 50 प्रतिशत से अधिक नहीं हो सकता । जैसा कि माननीय सदस्य वर्मा जी ने भी उल्लेख किया कि 50 प्रतिशत आरक्षण कोटा देने के बाद 50 प्रतिशत बचा, इस प्रकार 50 प्रतिशत आरक्षण कोटा देने के बाद 50 प्रतिशत में 14 में 7 पद बचे उनको सामान्य से भर दिया गया । यह लोग वर्ग विशेष की बात करके विधान सभा में भी केवल अपने मतदाता को सामने रखकर ही बात करते हैं । हम लोग सारे समाज का प्रतिनिधित्व करते हैं, हम किसी एक वर्ग विशेष का प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं , यह मानसिकता सबकी होनी चाहिये ।

श्री लालजी वर्मा–

50 फीसदी गैर आरक्षित वर्गों के लिये रिजर्व कर दिया गया है, जो आरक्षण की नीति है, उसमें पिछड़े वर्ग के लोग केवल 27 फीसदी ही होंगे, यह बता दें ?

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, यह व्यवस्था की गई है कि पिछड़े वर्ग के लोग कम से कम 27 प्रतिशत अवश्य होंगे ।

श्री लालजी वर्मा–

आपने बताया कि 27 फीसदी अवश्य होंगे, लेकिन आरक्षण की गलत नीतियों के कारण उनको 27 फीसदी पर सीमित कर दिया गया है, इससे गम्भीर और कोई प्रश्न हो नहीं सकता । 52 फीसदी लोगों को 27 फीसदी में सीमित कर दिया जाय, यह अत्यन्त गलत है । 27 प्रतिशत अवश्य होंगे, इस निर्णय की अवहेलना की जा रही है । होना यह चाहिये कि जो आरक्षित वर्ग के लोग हैं, अनुसूचित जाति, पिछड़े वर्ग के लोग हैं, उनको सीमित नहीं किया गया है, उनको पूरे में लेने की व्यवस्था की गई है, लेकिन पिछड़े वर्ग को 27 फीसदी में सीमित कर दिया गया है और माननीय मंत्री जी उसका औचित्य सिद्ध कर रहे हैं । यह जो शासनादेश है, जो आरक्षण का अधिनियम लागू हुआ है, उसकी अवहेलना की जा रही है यह सबसे अविलम्बनीय प्रश्न है, इसलिये मैं आपके माध्यम से चाहता हूं कि इस पर पक्ष और विपक्ष की राय आ जाये, इसलिये यह कार्य-स्थगन का विषय बनता है और इस पर आप चर्चा करा दें जिससे स्थिति स्पष्ट हो जाय ।

(श्री स्वामी प्रसाद मौर्य द्वारा खड़े होकर बोलने का प्रयास करने पर व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता–

मैंने आपको अनुमति नहीं दी है, यह अंकित नहीं किया जायेगा ।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

[× × ×]

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता–

आप विराजें, आप बैठ जायें । माननीय मंत्री जी आप कृपा कर यह बता दें, जो माननीय सदस्य ने सूचना दी है, अगर कहीं पर आरक्षण नीति का उल्लंघन हुआ है तो इसको आप दिखवा लें ।

श्री हुकुम सिंह–

कहीं की जानकारी देंगे कि पालन नहीं किया गया है, तो मैं जानकारी प्राप्त करके उसको देख लूंगा ।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

जो अभ्यर्थी सामान्य परीक्षा में उत्तीर्ण होता है, उन्हें सामान्य माना जायेगा और इसके अतिरिक्त आरक्षण दिया जायेगा यह नीति है ।

श्री अधिष्ठाता–

जब मैंने पीठ से माननीय मंत्री जी से आग्रह कर लिया कि अगर कहीं पर आरक्षण की मंशा का उल्लंघन हुआ है तो उसको दिखलवा लें । इसके बाद अब क्या बचता है, इसके बाद अब कुछ नहीं बचता है ।

(व्यवधान)

नोट :–[× × ×] यह अंश श्री अधिष्ठाता के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, मेरे कहने में और लालजी वर्मा के कहने में कोई अन्तर नहीं है, उन्होंने कहा है कि 50 प्रतिशत कोटा देकर रह गये हैं, तो श्रीमन् इसमें दो बाते हैं, अगर कोई पिछड़े वर्ग का सदस्य अनुसूचित जाति का हो या अन्य किसी वर्ग का हो, जो आरक्षण कोटा के अन्तर्गत आता है, अगर वह मेरिट लिस्ट में है, तो वह आरक्षण में नहीं आयेगा।

(व्यवधान)

आप उत्तर नहीं देने दे रहे हैं, तो मैं क्या करूं। जो आरक्षित श्रेणी का व्यक्ति मेरिट में ऊपर है, तो उसे सामान्य माना जायेगा, जहां तक मेरिट में स्टैन्ड करता है, तो वह उस मेरिट पर स्टैन्ड करेगा, उसके बाद 27 प्रतिशत का आरक्षण सुनिश्चित किया जायेगा और जहां पर इस नीति का पालन नहीं किया गया है और शासनादेश की अवहेलना की है, अगर जानकारी मिलेगी तो संबंधित अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी।

श्री अधिष्ठाता–

इस सूचना को अग्राह्य करते हुये मैं इसे निरस्त करता हूं।

श्री लालजी वर्मा–

मान्यवर, मैंने ग्राम पंचायत का उदाहरण दिया है, वहां पर 27 प्रतिशत तक सीमित कर दिया गया है, आप इसकी जांच करा लें सारे लोग जितने बैकवर्ड थे चाहे वह सामान्य की मेरिट में थे उनको 27 फीसदी में सीमित कर दिया उसकी आप जांच करा लें।

श्री अधिष्ठाता–

वर्मा जी मैंने पहले ही कह दिया कि अगर आरक्षण नीति या उसकी मंशा का उल्लंघन हुआ है तो उसको दिखवा लें मैंने इसे इतना व्यापक कर दिया है।

श्री अधिष्ठाता–

अगली सूचना माननीय नरेन्द्र सिंह भाटी जी की है।

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी–

मान्यवर, इस विधान सभा ने लोक महत्व के प्रश्न को रखने का मौका दिया मैं आपका आभारी हूं। गौतमबुद्ध नगर के अन्तर्गत ग्रेटर नोएडा में एक गांव डेरीन खेड़ा चौगानपुर है उसमें चकबन्दी 1984 में हो चुकी है और ग्रेटर नोएडा 1991 में बना है। 1995 में 8 जुलाई को सेक्शन 4 का नोटिफिकेशन हुआ खेड़ा चौगानपुर में आबादी बनी हुई थी। चकबन्दी में भी आबादी छोड़ी गई है। ग्रेटर नोएडा की भी आबादी भी उसमें आयी हुई है लेकिन जबर्दस्ती नियम कानूनों को ताक में रखकर पुरानी आबादी का अधिग्रहण कर लिया गया। किसानों ने यद्यपि मुआवजा नहीं उठाया था कहीं जहां खाता एक था उसमें मुआवजा निर्गत हो गया।

मैं सिर्फ एक पत्र इस संबंध में ग्रेटर नोयडा के अध्यक्ष का है उसके आदेश को आपके संज्ञान में लाना चाहता हूं। उसके अध्यक्ष टी० जार्ज जोसफ ने लिखा है मैंने दिनांक 17–1–98 को गांव का तथा मकानों का निरीक्षण किया और मकान की बनावट से पता चलाने का प्रयास किया कि मकान पुराने हैं या नये बनाये गये हैं। इसी तरह मकान के अहाते में जो पेड़ खड़े हैं उसकी भी आयु मैंने आंकी और इस आधार पर मैंने देखा कि संलग्न सूची में दिये गये मकान भूमि अध्याप्ति विज्ञप्ति के पहले के हैं और उसे भूमि अध्याप्ति से बाहर कर देना चाहिये। इन मकानों को आबादी मान कर भूमि अध्याप्ति से छोड़ना चाहिये था जो नहीं हुआ है। एक दो मकान ऐसे भी अध्याप्ति हुये हैं जो आबादी के अन्दर हैं

और उसके चारों ओर ऐसे मकान हैं जो अध्याप्ति नहीं हुये हैं । सारी बातों को ध्यान में रखते हुये मैंने यह निर्णय लिया है कि निम्न व्यक्तियों को मकान गलती से अध्याप्ति हुये हैं उन्हें वापस मिल जाना चाहिये । उनके नाम उन्होंने दिये हैं । कुल नौ व्यक्ति हैं ।

श्री किरन सिंह खसरा नं० 284, 248, रकवा 1–7–0, श्री गोपी चन्द्र बुधराम, श्री भीम पाल खसरा नं० 306, रकबा 0–6–13, बुधराम पुत्र जयराम खसरा नं० 306 रकवा 13.6/2/3, श्रीमती ब्रह्मा देवी खसरा नं० 258 रकबा 1.10 सोहन पुत्र भूले खसरा नं० 258 रकवा 1.10, हुकुम सिंह, लखीचन्द्र, गोपी चन्द्र व खेम चन्द्र खसरा नं० 259 रकवा 1.4, वीर सिंह, सुरेन्द्र पाल खसरा नं० 244 रकवा 1.00 अनन्तराम 281 रकवा 1.00, शिम्बू खसरा नं० 282, रकवा 1.20 इनको भूमि वापस देने के आदेश दिये गये थे लेकिन वह अभी तक नहीं हुआ है । इन मकानों के क्षेत्रफल नपवाने हेतु सर्वे किया गया । सर्वे के आधार पर मकान मालिक एवं क्षेत्रफल दर्शाया गया है उन्हें मकान मालिक को वापस किया जाता है । और उनसे उतनी ही धनराशि जमा कराई जाय जितनी राशि उन्हें भूमि अध्याप्ति में इस भूमि के लिये दी गई थी । उन्हें भूमि वापस दिये जाने हेतु 99 वर्ष का लीज डीड भरवाया जाय जिस प्रकार प्राधिकरण की विकसित कालोनी में भूमि आवंटियों से भरवाया जाता है । पट्टा निष्पादन से पूर्व आबादी में निहित क्षेत्रफल की चौहद्दी का वर्णन किया जाय ।

[समय 1 बजकर 25 मिनट]

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी–

मान्यवर, वहां श्री जोजफ अध्यक्ष थे और इस समय जो वहां अध्यक्ष कार्यपालक अधिकारी हैं, 15 अप्रैल, का आदेश है उनको यह अधिकारी नहीं मान रहे हैं । यह अध्यक्ष जो अब हैं वह 66 रुपये प्रति गज के हिसाब से डबलपमेंट चार्जेज मांग रहे हैं और 10 प्रतिशत जमीनें जो किसानों को मिलनी हैं उसको काट देंगे, इस प्रकार यह भ्रष्टाचार का सीधा मामला है । इसलिये मैं सदन को अवगत कराना चाहता हूं कि 15 अप्रैल, 1998 का अध्यक्ष का जो आदेश है उसी के अनुसार आबादी छोड़ी जाय और अतिरिक्त अधिकार न दिया जाय । जिसके अनुसार वह गांव में गये हैं, इंजीनियर से वृक्षों और मकानों का सत्यापन कराया है तब आदेश दिया है । किसानों का वहां उत्पीड़न किया जा रहा है । अदालत में कोई नहीं गया है । आज कार्यपालक अधिकारी अपनी मनमानी कर रहे हैं । इसलिये मान्यवर, मैं आपका संरक्षण चाहूंगा और संसदीय कार्य मंत्री जी से अनुरोध करते हुये कहना चाहता हूं कि वह 4 तारीख को वहां गये थे तो उनके सामने किसान रो रहे थे, आज वे किसान लखनऊ में आये हैं । इसलिये इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न पर आपसे अनुरोध है कि सारे कार्य रोककर इस पर चर्चा करायें ।

नेता विरोधी दल (श्री धनीराम वर्मा)–

श्रीमन्, यह विषय पूरी तरह से कार्य-स्थगन का है । यह प्रश्न कार्य-स्थगन से सीधा जुड़ा हुआ है इसलिये है कि जब 1964 में चकबन्दी हुई, आबादी के लिये जगह छोड़ी गई और कहा गया कि मकान बनायें । वर्ष 1991 में ग्रेटर नोएडा अस्तित्व में आया और उसके बाद अध्यक्ष ने जांच 1998 में किया तो यह पाया कि यह पुरानी आबादी है और जहां आबादी होती है वृक्ष भी वहां लगाये जाते हैं, उनकी आय भी पहले से हो रही है । तो फिर उस आबादी को किसानों को 10 प्रतिशत भूमि छोड़े जाने का प्राविधान है इसलिये इसे शामिल नहीं किया जाना चाहिये बल्कि वह जमीन मकानों के रूप में पहले से है । इसलिये यह प्रश्न जो माननीय सदस्य ने रखा है वह पूरी तरह से कार्य-स्थगन में खरा उतरता है और तथ्यपूर्ण है । इसलिये इस प्रश्न को सारे कार्य रोक कर आप इसमें चर्चा करायें । इसके साथ ही मेरा अनुरोध है कि उस जमीन को इसमें शामिल न किया जाय और न अधिभार लिया जाय ।

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, माननीय सदस्यों ने जो सदन की सारी कार्यवाही रोकने के संबंध में ध्यान आकर्षित किया है तो मैं कहना चाहता हूं कि इस संबंध में मुख्यालय पर कोई जानकारी प्राप्त नहीं है । लेकिन मैं जो बात समझ पाया हूं उसके अनुसार 15 अप्रैल, 1998 को जब स्थानीय निरीक्षण किया गया था तो तत्कालीन अध्यक्ष, कार्यपालक अधिकारी ने ग्रेटर नोएडा का निरीक्षण किया और जो विवरण दिया है उसमें गांवों का भी निरीक्षण किया गया उल्लेख है । यह सही है कि कोई अधिकारी ने जब निर्णय लिया है तो उसमें संशोधन नहीं होना चाहिए । मैं इसका परीक्षण करवा लूंगा और फिर जो तथ्य सामने आयेंगे उसके अनुसार कार्यवाही करेंगे ।

श्री अधिष्ठाता–

मैं माननीय सदस्य श्री नरेन्द्र सिंह भाटी, माननीय नेता प्रतिपक्ष और संसदीय कार्य मंत्री जी को सुनने के पश्चात् इस सूचना को आग्रह्य पाते हुए इसे अस्वीकार करता हूं ।

* श्री राम विशुन आजाद–

मान्यवर, प्रदेश में सार्वजनिक वितरण प्रणाली को चुस्त-दुरुस्त करने और व्यवहारिक बनाने के लिए इस सरकार ने पुराने राशन कार्डों को निरस्त करके नये राशन कार्डों को उपलब्ध कराने की घोषणा किया । मान्यवर, इस सरकार से प्रदेश की जनता को गरीबी की रेखा से नीचे और गरीबी रेखा के ऊपर बांटने का काम किया है । लेकिन आज तक गरीबी रेखा के नीचे के व्यक्तियों को समुचित राशन कार्ड उपलब्ध नहीं कराया गया है जिससे कि गरीबों को जो आधे दामों पर राशन उपलब्ध कराने की बात सरकार ने किया किन्तु सरकार आज उन्हें राशन नहीं उपलब्ध करवा पा रही है । जिन एजेन्सियों से कहा गया कि गरीबी रेखा से नीचे और ऊपर राशन कार्ड धारकों को राशन दिया जाय वे एजेन्सी वास्तव में जो गरीब हैं और जो पात्र हैं उन्हें राशन न देकर गरीबी रेखा से ऊपर लोगों को राशन उपलब्ध करवाया जा रहा है । वास्तव में जो गरीबी रेखा से नीचे हैं उनको गरीबी रेखा से ऊपर का राशन कार्ड दिया जा रहा है । इसलिए जो पात्र हैं उनको राशन कार्ड न दिये जाने की सरकार ने योजना बनाई है जिससे उपभोक्ताओं को दैनिक वस्तुएं जैसे चीनी, मिट्टी का तेल आदि चीजें गरीबी रेखा से नीचे वालों को पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं हो रही हैं । इसलिए यह सरकार जो अपने को गरीबों के प्रति संवेदनशील कहती है वह वास्तव में उनके प्रति संवेदनशील नहीं है ।

चूंकि सरकार जो काम कर रही है उसके अनुसार गांवों के लोगों को गरीबी रेखा से नीचे वालों को आज राशन कार्ड उपलब्ध नहीं कराये जा रहे हैं । तहसील स्तर पर 10–15 रुपये जो देता है उसको राशन कार्ड दिया जा रहा है । मान्यवर गोण्डा जनपद में हमारी विधान सभा क्षेत्र मनकापुर में वास्तव में गरीबी रेखा से नीचे के लोगों को राशन कार्ड की व्यवस्था अभी तक नहीं कराई गई है जिससे उन लोगों को मिट्टी का तेल, चीनी और अन्य सामग्री नहीं मिल रही है और जो कोटेदार हैं एजेन्सी से मिलकर चीनी, मिट्टी का तेल और अन्य चीजें लेकर ब्लैक में बेंचते हैं । इसलिये नियम 56 में इस अविलम्बनीय लोक-महत्व के प्रश्न पर एक घण्टे की चर्चा कराने की मैं मांग करता हूं ।

श्री धनीराम वर्मा–

मान्यवर, यह प्रश्न केवल गोण्डा का नहीं है बल्कि सारे प्रदेश से जुड़ा हुआ है । श्रीमन् जो सरकारी कर्मचारी राशन कार्ड बनाने का काम कर रहे हैं वे निश्चित रूप से इसमें धांधली कर रहे हैं । जो प्रश्न माननीय सदस्य ने नियम 56 में उठाया है उस पर मैं बल देता हूं । जो राशनकार्ड बनाये जायं, उन

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

राशन कार्डों को बनाने में ग्राम प्रधान तथा बी०डी०सी० के मैम्बर्स को भी जोड़ दिया जाय । इसको केवल कर्मचारियों के ऊपर ही न छोड़ा जाय । इसलिये इस पर सदन की कार्यवाही रोक कर चर्चा करा ली जाय ताकि माननीय सदस्यों के इस पर विचार आ सकें ।

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, पूरे प्रदेश में खाद्य प्रणाली को सही करने के लिये निर्णय लिया गया कि पुराने राशन कार्डों को बदलकर नये राशन कार्ड बनाये जायं । यह भी शिकायत आ रही थी कि दुकानदारों के पास कार्ड एकत्रित रहते हैं और वह राशन तो नहीं देते हैं परन्तु राशन चढ़ा देते हैं । यह कार्ड बनाने का कार्य केवल एक एजेन्सी द्वारा नहीं किया जा रहा है विभिन्न एजेन्सीज द्वारा यह कार्य किया जा रहा है । इसमें अध्यापक भी लगे हैं, लेखपाल भी लगे हैं और अन्य कर्मचारी भी लगे हैं । 95 लाख 68 हजार आदमियों को पूरे प्रदेश में चिन्हित किया गया है । उसी के अनुसार कार्ड वितरित किये गये हैं, जिन्हें हम बी०पी०एल० भी कहते हैं और जो गरीबी की रेखा से ऊपर हैं उन्हें ए०पी०एल० कहते हैं ।

यह संख्या निर्धारित है । केन्द्र सरकार ने प्रदेश सरकार के लिये यह किया है । 95 लाख 68 हजार का कोटा यहां के लिये निर्धारित किया गया था, उनके राशन कार्ड बन गये । माननीय सदस्य ने शिकायत की है कि धांधली हुई जो पात्र थे, उनको नहीं दिया गया बल्कि जो पात्र नहीं थे उनको आवंटित कर दिया गया है । मैं माननीय सदस्य को आश्वस्त करना चाहता हूं कि अगर कहीं पर ऐसा हुआ है तो वह मुझे विवरण सहित लिखकर दे दें, हम उस पर कार्यवाही करेंगे । वैसे मान्यवर, 19 तारीख को खाद्य विभाग का बजट आ रहा है, उस दिन मैं विस्तार से इस पर बताऊंगा कि हम और क्या-क्या करने जा रहे हैं ।

श्री धनीराम वर्मा–

मान्यवर, मैंने कहा था कि इसमें ग्राम प्रधान तथा बी०डी०सी० के सदस्यों को भी जोड़ दिया जाय क्योंकि वह गांव के प्रत्येक व्यक्ति को भलीभांति जानते हैं कि कौन गरीबी की रेखा से नीचे हैं और कौन ऊपर । इससे सही लोगों को लाभ मिल सकेगा ।

श्री राम विशुन आजाद–

मान्यवर, लेखपाल द्वारा जो कार्ड बनाये जा रहे हैं वह घर-घर न जाकर बल्कि प्रधान के घर पर ही बैठकर बनाये जा रहे हैं और द्वेशवश वह अपने व्यक्तियों का नाम करवा देता है । जो गरीबी की रेखा से नीचे होता है, उसको ऊपर करवा देता है और जो गरीबी की रेखा से ऊपर होता है उसे नीचे करवा देता है । वहां पर इस तरह से भेद-भाव हो रहा है । इसलिये ब्लाक स्तर पर एक कमेटी बनाई जाय, जिसमें ग्राम पंचायत अधिकारी हों, क्षेत्र पंचायत के सदस्य हों और ब्लाक प्रमुख हों । तहसील दिवस या फिर घर-घर जाकर इन राशनकार्डों को बनाया जाय, तभी जाकर गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले लोगों को राशन कार्ड मिल पायेगा । दूसरा यह है कि जो पुराने यूनिट हैं, अब यदि किसी की यूनिट संख्या बढ़ गई है तो उन्हें बढ़ाया नहीं जा रहा है । इसलिये मेरा अनुरोध है कि समितियों का गठन किया जाय और घर-घर जाकर वास्तव में जो लोग गरीबी की रेखा से नीचे हैं, उनका राशन कार्ड बनाया जाय, जिससे गरीबों को लाभ मिल सके और काला बाजारी न हो सके ।

श्री अधिष्ठाता–

माननीय मंत्री जी ने स्पष्ट कर दिया है । यदि आपके पास इस संबंध में कोई सूचना है तो आप उसे दे दें । आप लिखकर दे दें ।

श्री राम विशुन आजाद–

यह मान्यवर, बहुत बड़ी समस्या है जो लोग गरीबी की रेखा से नीचे हैं उन्हें ऊपर कर दिया गया है और जो ऊपर हैं उन्हें नीचे । मैं जनपद गोण्डा से आता हूं । मान्यवर, इस विषय पर एक डेढ़ घंटा चर्चा करा दीजिये, यह सरकार कितनी गरीबों के प्रति संवेदनशील है, स्पष्ट हो जायेगा ।

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, राशन कार्ड बनाने में ग्राम प्रधान तथा बी०डी०सी० को विश्वास में लेकर कार्य किया गया था । अगर किसी को ग्राम प्रधान से शिकायत है तो यह बी०डी०ओ से सम्पर्क करे ।

श्री अधिष्ठाता–

प्रस्तुत सूचना पर और संसदीय कार्य मंत्री जी को सुनने के बाद मैं इस सूचना को निरस्त करता हूं ।

* श्री आर०के० चौधरी–

मान्यवर, जो प्रश्न मैं आपके समक्ष उठाना चाहता हूं वह बहुत ही महत्वपूर्ण है और लोक महत्व का है । इस सरकार द्वारा अम्बेडकर गांवों के लिये उनके विकास के लिये कोई योजना पूरी नहीं की गई है । पूरे प्रदेश में हर साल अम्बेदकर गांवो का चयन होता है लेकिन कोई कार्य योजना समय से पूरी नहीं की गई है । मान्यवर सुश्री मायावती के शासन काल में अम्बेदकर गांवों का चयन करके पूरे प्रदेश में गांवों का विकास किया गया । भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में अम्बेदकर गांवों में एक पैसे का काम नहीं किया गया है । मान्यवर, 31 मार्च, 99 को वित्तीय वर्ष का समापन होगा परन्तु पूरे वित्तीय वर्ष में न तो कोई कार्य हुआ और न ही अगले वित्तीय वर्ष के लिये कोई योजना तैयार की गई है । इस सरकार द्वारा भी कुछ अम्बेदकर गांवों का चयन किया गया लेकिन उनका विकास नहीं । यदि सरकार के पास पैसा नहीं था तो फिर चयन क्यों किया गया । मान्यवर, जनता तो हम विधायकों को ही घेरती है वह कहती है कि आप हमारे क्षेत्र के विधायक हैं और आपके रहते हुये हमारे गांव में एक भी विकास कार्य नहीं हुआ । मान्यवर, हम लोग जनता के सामने कैसे जाये ? इसलिये मैं अनुरोध करता हूं कि इस विषय पर चर्चा कराई जाये ।

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, श्री आर०के० चौधरी बहुत वरिष्ठ सदस्य हैं मैं उनका आदर करता हूं । मैं उनको जानकारी दे देना चाहता हूं कि जितने अम्बेदकर गांवों का चयन 1997–98 में हुआ था उनमें 31 मार्च, 99 तक सारे विकास के काम पूरे हो जाने चाहिये ।

डा० आर०के० चौधरी वरिष्ठ सदस्य हैं, जिम्मेदारी के साथ बात भी करते हैं । मान्यवर, जिन अम्बेदकर ग्रामों का चयन वर्ष 1997–98 में हुआ था उसके लिये 31 मार्च की तिथि निर्धारित है । जिनका चयन 1998–99 मे हुआ था उसके लिये 30 जून, 1999 है । जहां पर कार्य अवशेष है वहां पर प्राथमिकता दी जा रही है । हमने तो एक-एक मंत्री ग्राम्य विकास एवं अम्बेदकर ग्राम विकास को दे दिया है । वह पूरे प्रदेश में घूम-घूम कर यह सुनिश्चित कर रहे हैं कि इन गांवों के लिये जो विकास कार्य निर्धारित था, तय किया गया था, वह काम पूरा हो जाये । उनके अधीनस्थ अधिकारी देख रहे हैं कि जो कार्य इस सरकार ने लिये हैं इन गांवों के लिये वह पूरे हों । हमारी तो प्रतिबद्धता है बाबा साहब अम्बेदकर के नाम से जो चयन किया गया है वे गांव पीछे न रह जायें, विकास की श्रेणी में, विकास की परिधि में आगे आयें । इसलिये हम प्रतिबद्धता से काम कर रहे हैं ।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री आर०के० चौधरी–

मान्यवर, मैं यह जानना चाहूंगा कि इस सत्र को समाप्त होने में मात्र 15 दिन रह गये हैं और 11 महीने 15 दिन बीत गये हैं। माननीय मंत्री बता दें कि अम्बेदकर गांवों के विकास पर कितना हिस्सा रह गया है। मात्र 15 दिन रह गये हैं और मान्यवर, बाबा साहब अम्बेदकर के नाम पर भारतीय जनता पार्टी ने अपनी ज्वैलसी भावना से काम किया है, विरोध किया है। भारतीय जनता पार्टी उसे बर्दास्त नहीं करती। अब तक 11 महीने 15 दिन में कहां-कहां काम किया है, बता दें।

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, अम्बेदकर योजना का काम निर्धारित था, इसमें कई काम थे, इसमें विद्युत का काम था इसमें और भी काम निर्धारित थे। हमने इसमें 31 मार्च की अन्तिम तिथि दी है। जहां पर यह काम पूरा नहीं हुआ है, वहां पर कार्यवाही की जायेगी। जिनका चयन 1998–99 में हुआ है उनमें अगर 30 जून को काम पूरा नहीं होगा तो वहां भी कार्यवाही की जायेगी। वैसे तो आप बहुत ही सज्जन हैं लेकिन जो काम कर रहे हैं, हम विकास का अम्बेदकर के नाम पर राजनीतिक रूप से भेदभाव का काम नहीं कर रहे हैं।

श्री आर०के० चौधरी–

आपने कहां-कहां काम किया है, यह बता दें।

श्री हुकुम सिंह–

मैंने तो वही काम किया है जो आपने निर्धारित किया था, आप हर जनपद में पांच-पांच गांव लेकर चल रहे थे।

(कई सदस्यों के एक साथ खड़े होकर बोलने पर व्यवधान)

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

मैं संरक्षण चाहता हूं। माननीय मंत्री जी यह बता दें कि अम्बेदकर गांव में कहां-कहां पर काम कराने के लिये सरकार ने संकल्प लिया है और कितने प्रतिशत काम अब तक सरकार ने करा लिया है ?

श्री अधिष्ठाता–

एक माननीय सदस्य के हस्ताक्षर हैं। यदि इस पर सभी माननीय सदस्य अपने विचार प्रकट करना चाहेंगे तो कठिनाई होगी।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

मान्यवर, हम आपका संरक्षण चाहते हैं। हम इस आशा में बोल रहे हैं कि आपके संरक्षकत्व में हमारी जो समस्यायें हैं वह पूरी होंगी। यदि आपका संरक्षण नहीं मिल सकता है तो फिर यह समस्यायें हम कहां उठायें। इन समस्याओं का निराकरण होना जरूरी है।

श्री लालजी वर्मा–

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री अधिष्ठाता–

कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है।

श्री लालजी वर्मा–

मान्यवर, अमूमन यह होता है कि जो विभिन्न दलों के नेता होते हैं विशेष परिस्थिति में उनको उनके हस्ताक्षर न होने पर भी बोलने के लिए समय दिया जाता है। मैं 1986 से लगातार इसे देख रहा

हूं । दलीय नेताओं को हस्ताक्षर से बांध कर नहीं रखा जा सकता । माननीय मौर्या जी बहुजन समाज पार्टी के नेता हैं उनको अपने विचारों को रखने में प्राथमिकता दी जानी चाहिये यही परम्परा रही है । दल के नेताओं को इस सीमा में न बांधने की कृपा करें इस पर मैं आपकी व्यवस्था चाहता हूं ।

श्री अधिष्ठाता–

माननीय सदस्यगण, पीठ का संरक्षण प्रत्येक सदस्य को प्राप्त होना चाहिये चाहे वह सत्ता पक्ष का हो या विपक्ष का हो मगर संरक्षण नियमों के अनुसार प्राप्त हो सकता है । माननीय आर० के० चौधरी की एक सूचना है जिन पर उनके हस्ताक्षर हैं । उनकी विद्वता और विषय के बारे में उनकी जानकारी के बारे में कोई विवाद नहीं हो सकता ।

आपने जो व्यवस्था का प्रश्न उठाया है तो व्यवस्था का प्रश्न तो कहीं से पैदा ही नहीं होता । दल के नेताओं को वरीयता उन मामलों में दी जाती है जो सूचना अन्य विषयों पर होती हैं । जिन माननीय सदस्यों के हस्ताक्षर हैं वह अपनी बात कह सकते हैं । सब लोग खड़े होंगे तो और बार-बार वही बात कहेंगे तो सदन की व्यवस्था नहीं चल पायेगी । माननीय चौधरी जी अगर आप कोई स्पष्टीकरण चाहते हैं तो मैं अनुमति देता हूं ।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

मान्यवर, आपके संरक्षण में मैं माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी से यह स्पष्टीकरण चाहता हूं कि अंबेदकर गांवों में किन-किन चीजों को मानक बनाकर उनको पूरा कराने की व्यवस्था की है । मार्च के महीने में मात्र कुछ दिन शेष हैं । अब तक कितने परसेंट काम अम्बेदकर गांवों में बाकी है ।

श्री आर० के० चौधरी–

मान्यवर, मैंने पहले भी निवेदन किया था, मैं जानना चाहता हूं कि अंबेदकर गांवों में कितना काम पूरा कर लिया गया है । इस वित्तीय वर्ष के मात्र 15 दिन शेष रह गये हैं । 11 महीने 15 दिन का समय बीत गया है । अब तक कहां-कहां कितना काम हुआ है और कितना रह गया है जो इन 15 दिनों में पूरा हो जायेगा ।

श्री अधिष्ठाता–

क्या आपके पास आज पूरे अम्बेदकर गांवों की सूचना है कि इन गांवों में कितना काम होना था और कितना हुआ है । अगर हो तो बता दें ।

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, पूरे प्रदेश के गांवों की सूची मेरे पास उपलब्ध नहीं है, प्रत्येक गांव वाइज भी सूची उपलब्ध नहीं है कि किस गांव में कितना-कितना काम हुआ है । मैं सामान्य जानकारी दे रहा था और उसके आधार पर यह कहा कि निर्देश शासन की ओर से स्थानीय अधिकारियों को दिये गये हैं । माननीय मौर्या जी ने अलग से एक प्रश्न किया कि क्या-क्या मानक रखे गये हैं और कितने प्रतिशत काम कराये गये हैं । कई माननीय सदस्यों ने प्रश्न उठाया । अम्बेडकर गांव की जो कल्पना है, उसके आधार पर पूरे गांव के विकास की कल्पना है जिससे सर्वांगीण विकास हो सके । इसमें चिकित्सा, शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल और ऊर्जीकरण भी आयेगा । हम सर्वांगीण विकास की कल्पना को ले करके चले थे उसको साकार करने का हमारा दायित्व है ।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

मानीनय अधिष्ठाता महोदय, पूरे उत्तर प्रदेश में किसी भी अम्बेडकर गांव में कोई भी विकास का काम आज तक नहीं हुआ है । आज 16 तारीख है, मात्र 14 दिन इस महीने को बीतने में अवशेष है ।

माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने कहा कि पहले तो आपने यह कहा कि कुल कितने अम्बेडकर गांव हैं यह संज्ञान में नहीं है । मैं केवल इतना कहना चहाता हूं आपके माध्यम से कि प्रत्येक विधान सभा से 10 अम्बेडकर गांव चयनित किये गये थे । माननीय अधिष्ठाता जी, माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी को अपने शासनादेश का खुद पता नहीं है तो विकास की चिन्ता कैसे रहेगी ? विधान सभा क्षेत्रों में भ्रमण के दौरान हम सारे माननीय सदस्यों ने देखा है कि एक भी अम्बेडकर गांव का कोई भी विकास सुनिश्चित नहीं किया गया है ।

जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आयी है, अम्बेडकर गांव की घोर उपेक्षा कर रही है और अम्बेडकर गांवों के नाम पर जो धन आवंटित हुआ है यह सरकार और सरकार के लोग उसका मनमाने ढंग से दुरुपयोग कर रहे हैं और अपने पोषण में उसको लगाने का काम कर रहे हैं । यह सरकार अम्बेडकर के नाम पर जो भी चयनित अम्बेडकर गांव है उनके सारे विकास कार्यों की अनदेखी कर रही है, जो विकास कार्य सुनिश्चित किया जाना था उसमें व्यवधान पैदा कर रही है । इसलिये बहुजन समाज पार्टी के माननीय सदस्य, भारतीय जनता पार्टी की सरकार की अम्बेडकर ग्राम विकास विरोधी नीति के विरोध में सदन का बहिगर्मन करते हैं ।

(श्री स्वामी प्रसाद मौर्य अपने दल के सदस्यों सहित सदन त्याग कर चले गये ।)

श्री अधिष्ठाता–

श्री आर० के० चौधरी, श्री स्वामी प्रसाद मौर्य एवं माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी को सुनने के पश्चात् इस सूचना को अग्राह्य पाते हुये निरस्त करता हूं ।

5 सूचनाओं की ग्राह्यता पर सुना जा चुका है, इसके अतिरिक्त 4 सूचनायें और हैं । अगर माननीय सदस्यों की इच्छा हो तो 2-3 मिनट में अपने विचार व्यक्त कर लें क्योंकि नियम 311 की भी सूचनायें हैं उनको भी सुनना है । छठी सूचना श्री भीम प्रसाद सोनकर की है ।

श्री भीम प्रसाद सोनकर–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया इसके लिये मैं आभारी हूं । मेरे विधान सभा क्षेत्र से जहांगीरगंज बाजार से सटा नरियांव है । जोखू अन्सारी की हत्या होने पर 302 के अन्तर्गत अतरौलिया थाने में अभियोग पंजीकृत हुआ था । कल दिनांक 15-3-99 को उसका एकतरफा फैसला होने से वहां की कचेहरी में लोग आन्दोलित हो गये उसके बाद लोग वकीलों से मिले और अपनी व्यथा कही । वहां के वकील न्यायाधीश से मिलने गये । मिलने के बाद जनता ने कुछ कहा, उसमें कहा सुनी हो गयी । कहा सुनी के बाद वहां के अधिवक्ताओं के साथ अन्याय हुआ । अन्याय होने के बाद उन्हीं अधिवक्ताओं के नाम एफ० आई० आर० हुआ । मैं चाहता हूं कि उनके विरुद्ध जो मुकदमा पंजीकृत हुआ है उसको वापस लिया जाए और इसके साथ ही इस प्रकरण की निष्पक्ष जांच कराकर उचित कार्यवाही की जाए ।

श्री हुकुम सिंह–

यह सूचना माननीय सदस्य ने दी है इसमें भारतीय दण्ड विधान की धारा 383/97, 147/504/506/353/332 के तहत मुकदमा कायम कराया गया है । यह न्यायपालिका और वकीलों में आपस में टकराव का मामला है । प्रयास यह होना चाहिये कि स्थिति और न बिगड़े । इसमें सरकार अपनी ओर से क्या हस्तक्षेप कर सकती है । इसमें चिन्ता यह होनी चाहिये कि उस जनपद का माहौल और न बिगड़े ।

श्री अम्बिका चौधरी–

माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने जिस बात से सदन को अवगत कराया है सिर्फ उतनी बात नहीं है । सभी न्यायिक अधिकारी एक तरफ हो जाएं, सभी वकील दूसरी तरफ हो जाएं तो यह मामला सिर्फ कानून व्यवस्था तक ही नहीं है इससे भी गम्भीर स्थिति ब्रेक डाउन आफ कांस्टीट्यूशन मशीनरी का मामला है इससे कैसे काम चलेगा ?

श्री अधिष्ठाता–

इस सूचना पर माननीय सदस्य भीम प्रसाद सोनकर और संसदीय कार्य मंत्री को सुनने के उपरान्त इस सूचना को और अग्राह्य पाते हुए निरस्त करता हूं ।

अगली सूचनाएं जिन माननीय सदस्यों की हैं वह दो-दो मिनट में अपनी बात कहें ।

श्री सुबाष चन्द्र श्रीवास्तव–

अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे कार्य स्थगन के प्रस्ताव की ग्राह्यता पर बोलने का अवसर दिया । इस सूचना के माध्यम से मैं आपका ध्यान अत्यन्त लोक महत्व के इस विषय की ओर ले जाना चाहता हूं । आज पूरे प्रदेश में प्राइवेट फाइनेंस कम्पनियों की बाढ़ सी आ गई है । रोज एक न एक फाइनेंस कम्पनी के प्रदेश से भागने की खबर आ रही है । आज जनता की गाढ़ी कमाई की लूट इन प्राइवेट कम्पनियों द्वारा हो रही है । प्राइवेट कम्पनियां जहां कहीं भी खुलती हैं । आकर्षक नामों से अनेक योजनाओं की शुरुआत करती है । और वहां के शिक्षित बेरोजगारों को मुलाजिमत पर रखती हैं और उनके माध्यम से लोगों को आकर्षित करके धन जमा कराती हैं । जब उन योजनाओं के अन्तर्गत बड़ी धनराशि जमा हो जाती है तो परिपक्वता की अवधि पूरी होने के पूर्व ही कम्पनियां अपनी दुकानें समेट कर वहां से गायब हो जाती हैं । क्षेत्रीय जनता की गाढ़ी कमाई के करोड़ों रु० इन चिट फण्ड प्राइवेट कम्पनियों द्वारा लूटी जा रही है । इस सदन में भी पूर्व में इस पर चर्चा हो चुकी है लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार इस मामले में गम्भीर नहीं है ।

यदि प्रदेश सरकार द्वारा सख्ती से कार्यवाही की गई होती तो रोज नये नये नामों से प्रदेश के किसी न किसी हिस्से में नई प्राइवेट फाइनेंस कम्पनियां न खुलती । देवरिया में विगत मार्च, 99 की 8 तारीख की घटना है देवरिया में मौलिक ग्रुप आफ कम्पनी के नाम से जिसकी शाखायें पूर्वी उत्तर प्रदेश के तमाम जनपदों में थीं करोड़ों रुपये लूट कर भाग गई । यह विगत 8 मार्च को अपनी शाखा देवरिया से बन्द करके भाग गई । जिसका मुकदमा वहां के थाना कोतवाली में पंजीकृत हुआ 8 मार्च, 1999 को । लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार इस ज्वलंत सवाल पर अभी तक कोई कार्यवाही नहीं कर रही है । इसलिये मेरा निवेदन है कि इस ज्वलन्त सवाल पर सदन की समूची कार्यवाही रोककर इस पर चर्चा कराई जाए ।

(श्री कौकब हमीद का नाम पुकारे जाने पर)

* श्री अवधेश प्रसाद–

मान्यवर, एक व्यवस्था का सवाल है । अभी अभी विधान सभा के अध्यक्ष जी के कार्यालय के सामने आग लगी हुई है । यह बहुत ही निन्दनीय और शर्मनाक बात है । उससे ज्यादा इस सरकार की अक्षमता आज क्या हो सकती है । अध्यक्ष जी के कार्यालय के सामने आग लगी हुई है, यह व्यवस्था का सवाल है । सारी कार्यवाही रोक दी जाय और इसको दिखवा लिया जाय ।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री अधिष्ठाता–

आप अपना स्थान ग्रहण करें। आप लोग तिल का ताड़ बना देते हैं। शार्ट सर्किट से कुछ समस्या हो गयी थी उसको ठीक कर दिया गया है। आप कृपया अपना स्थान ग्रहण करें।

*श्री कौकब हमीद–

मान्यवर, यह बड़ा महत्वपूर्ण और लोक महत्व का प्रश्न है। गौर करने की बात भी है नई कम्पनियां खुल भी रही हैं और बन्द भी होती चली जा रही हैं। जो छोटी-छोटी कम्पनियां खुल रही हैं उसमें गरीब लोग या वह लोग जिनके पास बहुत ज्यादा पैसा नहीं है अच्छा सूद लेने के लिये अपनी गाढ़ी कमाई वहां जमा करवाते हैं। जब उन कम्पनियों के एडर्वटइजमेंट की अवधि पूरी हो जाती है, वह अवधि पूरी हो जाती है जितने समय के लिये पैसा जमा करवाया जाता है तो उससे कुछ दिन पहले वह कम्पनियां अपना नाम पता बदल कर दूसरी कम्पनी शुरू कर देती हैं या फिर वह जगह छोड़ कर चली जाती है।

इस तरह से उन गरीब लोगों का पैसा डूब रहा है जो किसी तरह से पैसा कमाकर ज्यादा सूद पाने के लालच में इन कम्पनियों में पैसा जमा करते हैं। इस सरकार को कम से कम संवेदनशील तो होना चाहिये कि रोज कम्पनियां खुल रही हैं उसके बारे में पता लगायें कि किस तरह से खुल रही हैं, जो कम्पनियां भाग गई हैं उनसे पैसा लेकर उनके बारे में कार्यवाही की जाय। यह लोक महत्व का अविलम्बनीय प्रश्न है, इस पर सदन की कार्यवाही रोककर बहस करवायें।

श्री प्रमोद कुमार–

अधिष्ठाता महोदय एक अत्यन्त गम्भीर मुद्दे की ओर नियम–56 में ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं यह घटनायें लगातार घटित हो रही है। प्रत्येक वर्ष अरबों रुपये का घपला होता है। आज भी नगरों में भी और कस्बों में भी यह बीमारी है और अब तो यह गांव में भी फैल गई है तमाम फाइनेंस कम्पनियों बन रही हैं, चिट फण्ड कम्पनियां बनती हैं वह बैंक रेट, पोस्ट आफिसेज के रेट से, या सरकार द्वारा जो प्रदत्त एजेन्सी हैं उनसे कई गुना ब्याज देने की बात करती हैं, नतीजे के तौर पर मध्यमवर्गीय लोग भोले-भाले लोग और गांव के लोग आकर्षित हो जाते हैं और अपने जीवन की गाढ़ी कमाई इन कम्पनियों में लगा देते हैं। 10 में से सात फाइनेंस कम्पनियां या तो भाग जाती हैं या उनका अस्तित्व ही समाप्त हो जाता है, या दिवालिया हो जाती हैं, यह विषय उठाने की मंशा यह थी कि सरकार सुनिश्चित करें कि बड़े-बड़े विज्ञापन जो बने हैं ब्याज की दर जो बताई जाती है वह असंभव है तो जो इतने बड़े बड़े विज्ञापन होते रहते हैं, समाचार पत्रों में विज्ञापन हो रहे हैं तो जनता की गाढ़ी कमाई पर इससे ज्यादा और क्या डकैती हो सकती है स्थानीय पुलिस मिली रहती है मान्यवर असमा कम्पनी और तमाम ऐसी कम्पनियां हैं मेरा प्रश्न तो उठाने का मतलब यह था कि ब्याज के बारे में जो व्यवहारिक है,उत्तर प्रदेश के बैंक हैं, राष्ट्रीयकृत बैंक हैं जो 11, 12 या 9 प्रतिशत ब्याज देते हैं और यह कम्पनियां 30-40 प्रतिशत देती हैं यह कैसे संभव है ..

श्री अधिष्ठाता–

पुनरावृत्ति हो रही है।

श्री प्रमोद कुमार–

यह मेरा प्रश्न नहीं है करोड़ों लोग धोखा खा रहे हैं इतना गम्भीर मामला है इसे गम्भीर ढंग से सुनिश्चित करें। ब्याज की दर में व्यवहारिकता नहीं है। अगर कोई नियंत्रण नहीं है तो उत्तर प्रदेश सरकार रिजर्व बैंक को लिखे और अनुरोध करें। सारी कम्पनियां की बैलेन्स शीट देखें .....

श्री अधिष्ठाता–

समाप्त करें।

श्री प्रमोद कुमार–

क्या इसके अनुसार उनको बनाये रखने का अधिकार है । अगर नहीं है तो उसको तत्काल स्थगित करायें । मान्यवर, यह अविलम्बनीय लोक महत्व का मामला है इस पर चर्चा करायें ।

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, अभी तक रिजर्व बैंक आफ इण्डिया 34 के अन्तर्गत सारे अधिकार रिजर्व बैंक में नहीं थे रिजर्व बैंक को अधिकार था ऐसी कम्पनियों के बारे में नियम बना सके कार्यवाही कर सके । 9-1-97 को व्यवस्था की गई कि ऐसी कम्पनियां जिनका रजिस्ट्रेशन रिजर्व बैंक में नहीं होगा उस काम को नहीं करेंगे । रिजर्व बैंक ने जो कम्पनियां चल रही थीं उनको देखने का काम किया उत्तर प्रदेश में 28 कम्पनियों को निरस्त कर दिया गया । यह ब्याज की भारी दर की घोषणा करती हैं इनाम बांटती हैं और सीधे-साधे लोगों को आकर्षित करती हैं, 33 कम्पनियां ऐसी हैं उत्तर प्रदेश में जो भोले भाले लोगों से पैसा लेकर भागती रही हैं । 33 के खिलाफ अपराध पंजीकृत हुए हैं और वह आर्थिक अपराध अनुसंधान शाखा को संदर्भित किये गये हैं । अभी हाल ही में 12-10-98 को वित्त विभाग ने आर० बी० आई० से आग्रह किया है यह बीमारी फैलती जा रही है इस पर नियंत्रण किया जाय । 4-1-99 को प्रदेश सरकार ने जनपद स्तर पर पुलिस अधीक्षक, जिलाधिकारी, अपर जिलाधिकारी, वित्त को आदेश कर दिये हैं कि अपने-अपने क्षेत्र में आपकी जिम्मेदारी होगी । जहां ऐसी फाइनेंस कम्पनियां ठगने का कार्य करेंगी उस पर आपको नजर रखनी है और यह सुनिश्चित करें कि वह ऐसा कार्य न कर पायें । मान्यवर, कार्यवाही की गयी है और सरकार सजग है और उम्मीद है कि माननीय सदस्यों के सहयोग से ऐसे तमाम फाइनेंस कम्पनियों पर अंकुश लगायेंगे । यह मामला कार्य स्थगन का नहीं बनता है इसलिये इस सूचना को अग्राह्य किया जाय ।

(श्री प्रमोद कुमार और श्री सुबाष चन्द्र श्रीवास्तव के खड़े होकर बोलने पर)

श्री अधिष्ठाता–

मैंने ग्राह्यता पर सुन लिया है । दो-दो मिनट की जगह पांच-पांच मिनट सुन लिया है । आज तीन-चार विभागों का बजट है । आप दोनों में से एक कोई अपना स्पष्टीकरण पूछ लें ।

श्री सुबाष चन्द्र श्रीवास्तव–

श्रीमन्, मैं आपके माध्यम से माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी के संज्ञान में यह बात डालना चाहता हूं कि जिस मौलिक ग्रुप आफ कम्पनी का मैंने जिक्र किया है, जो 25, 30 लाख रुपया देवरिया नगर से लेकर भाग गयी है, तो जो 8-3-99 को मुकदमा पंजीकृत किया गया है क्या इस प्रकरण को भी अपराध अनुसंधान शाखा को संदर्भित करेंगे ?

श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, मेरा एक सुझाव है । सरकार एक सघन अभियान चलाकर एक माह की समय सीमा निर्धारित कर दे । जब चाहे अप्रैल में मई में या जब चाहे कर लें । एनुवल चैकिंग हो जाय जो उन्होंने ब्याज की घोषणा की है, कुल जो उसकी सम्पत्ति है क्या यह उसमें संभव है कि इतना ब्याज दे पायेगी । तो क्या यह कार्य सरकार करेगी ?

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, यह चैकिंग का काम समय-समय पर चलता रहता है। और 4-1-99 को स्पष्ट आदेश दिये गये हैं और अधिकारियों की जिम्मेदारी फिक्स की है, उनका उत्तरदायित्व निर्धारित किया है। पुलिस अधीक्षक, जिलाधिकारी, अपर जिलाधिकारी, वित्त को कहा गया है कि वह यह सुनिश्चित कर लें कि इस प्रकार की फाइनेंस कम्पनियां न चलें।

श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, 15 दिन का अभियान चला दें।

श्री अधिष्ठाता–

मैंने प्रस्तुत सूचना पर माननीय श्री प्रमोद कुमार, श्री सुबाष चन्द्र श्रीवास्तव व श्री कौकब हमीद तथा माननीय संसदीय कार्य मंत्री को सुना और सुनने के बाद मैं इस सूचना को अग्राह्य करता हूं अब मैं अगली सूचना ले रहा हूं।

श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, [xxx]

श्री अधिष्ठाता–

यह अंकित नहीं किया जायेगा। मैंने आपको अनुमति नहीं दी है।

श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, [xxx]

(श्री प्रमोद कुमार अपने दल के सदस्यों सहित सदन का बहिष्कार करके चले गये।)

श्री सुबाष चन्द्र श्रीवास्तव–

मान्यवर, [xxx]

श्री अधिष्ठाता–

मैंने आपको अनुमति नहीं दी है। यह अंकित नहीं किया जायेगा।

श्री सुबाष चन्द्र श्रीवास्तव–

[xxx]

(श्री सुबाष चन्द्र श्रीवास्तव अपने दल के सदस्यों सहित सदन का बहिष्कार करके चले गये।)

श्री कौकब हमीद–

मान्यवर, [xxx]

श्री अधिष्ठाता–

यह अंकित नहीं किया जायेगा।

श्री कौकब हमीद–

[xxx]

(श्री कौकब हमीद अपने दल के सदस्यों सहित सदन त्याग कर चले गये।)

* श्री अब्दुल कलाम (वाराणसी)–

मान्यवर, बनारस में बी० डी० ए० विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष हरदेव सिंह जिस दिन से उन्होंने बनारस के अन्दर कदम रखा और उस दिन से लगातार गरीबों को उजाड़ने का काम कर रहे हैं। जन-

---

नोट :– [xxx] यह अंश श्री अधिष्ठता के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

प्रतिनिधि चाहे सत्ता पक्ष के हों या चाहे विपक्ष के उनकी बातों को वे अनदेखी कर रहे हैं । सत्ता पक्ष के विधायक भी इस बात को बराबर कहते हैं और जानते हैं । मेरी समझ में नहीं आता है कि क्या मजबूरी है कि लगातार शिकायत के बावजूद बी०डी०ए० के अन्दर उपाध्यक्ष नियुक्त कराये जाने में दिक्कत हो रही है । एक व्यक्ति को दो जगह का चार्ज दिया गया है । मान्यवर, अभी तक वहां पर कोई उपाध्यक्ष नियुक्त नहीं किया है । अभी 12 तारीख की घटना है संजय नगर कालोनी बी०डी०ए० की कालोनी है जिस तरीके से कालोनी के आवास लोगों को आवंटित किये जाते हैं और उनमें जो सुख-सुविधा की बात कही गयी है लिखा-पढ़ी में है कि सड़क, बिजली देंगे एक प्रेम चन्द्र के नाम से सामुदायिक केन्द्र बनाकर देने की बात भी कही गयी है परन्तु कुछ नहीं दिया गया है ।

श्री अधिष्ठाता–

अब आपका समय समाप्त हुआ ।

श्री धनीराम वर्मा–

मान्यवर, दो मिनट इन्हें सुन लें ।

श्री अधिष्ठाता–

मैंने उनको 2 मिनट का समय दे दिया । आज कई बजट हैं ।

श्री अब्दुल कलाम (वाराणसी)–

मान्यवर, आप कोई बात कहें जितना समय लेना चाहें । [xxx]

श्री अधिष्ठाता–

मैं अनुमति नहीं दे रहा हूं यह अंकित नहीं होगा । माननीय मंत्री जी भी संज्ञान में नहीं लेंगे ।

श्री अब्दुल कलाम (वाराणसी)–

मान्यवर, [xxx]

श्री अधिष्ठाता–

5 सूचनाओं पर ग्राह्यता पर सुनने के पश्चात्, आपकी नोटिस पर मैंने 2 मिनट की अनुमति दे दी कि इसमें अपनी बात कह दें ।

[समय 2 बजकर 25 मिनट]

मैंने मान लिया कि यह नये सदस्य हैं लेकिन प्रत्येक आदमी को समय के अन्दर अपनी बात कहने की कला तो सीखनी ही पड़ेगी । इसी सूचना पर मुन्ना चौहान जी के हस्ताक्षर हैं, वह पुराने सदस्य हैं, वह समय के भीतर अपनी बात कह लेंगे ।

श्री मुन्ना चौहान–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, अभी माननीय सदस्य श्री अब्दुल कलाम साहब ने जिस सूचना पर अपनी बात कही, मैं उसी के क्रम में आगे कहना चाहता हूं कि वाराणसी विकास प्राधिकरण द्वारा संजय गांधी नगर, वाराणसी के अन्दर जो आवासीय भवन वहां के नागरिकों को आवंटित किये गये थे, वह आवंटन के समय कुछ शर्तों और वायदों के साथ आवंटियों को दिये गये थे जैसे सड़क, पेयजल, पार्क, कम्युनिटी हाल आदि सुविधायें उसमें होंगी लेकिन श्रीमन् जब यह तमाम सुविधायें आवंटियों को नहीं मिली, तो इन्हीं बातों को लेकर, सुविधायें दिलाये जाने के लिए वह सिविल कोर्ट में गये ।

नोट :–[xxx] यह अंश श्री अधिष्ठाता के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

सिविल कोर्ट, बनारस ने अपने दिनांक 25-8-87 के आदेश में वाराणसी विकास प्राधिकरण तथा संबंधित पक्षों को निर्देश दिया और कहा कि जब तक आवंटियों को, जिन सुविधाओं का वायदा किया गया था, वह सारी सुविधायें नहीं दे दी जातीं, तब तक पैसे की वसूली नहीं की जा सकती, कुछ दिशा-निर्देशों का पालन आवंटियों को भी करना था और कुछ का विकास प्राधिकरण द्वारा किया जाना था। लेकिन विकास प्राधिकरण ने एक धींगामुश्ती का वातावरण बनाकर, तानाशाही का वातावरण बनाकर 12 मार्च को पुलिस बल के सहारे मासूम बच्चों, औरतों आदि लोगों को घरों से निकाल कर सड़कों पर कर दिया, इस समय हाईस्कूल और इण्टरमीडिएट की परीक्षायें चल रही हैं।

आज विकास प्राधिकरण ने उन 9 परिवारों के लोगों को सड़कों पर रहने को मजबूर कर दिया है, उससे ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गयी है कि विकास प्राधिकरण ने न्यायालय के निर्देशों के मुताबिक सुविधायें देना तो दूर, उन नागरिकों को मौलिक अधिकारों से वंचित करने का काम किया है। इस घटना की गम्भीरता का पता आप इससे लगा सकते हैं कि एक नौजवान ने जिला प्रशासन को इस बात की नोटिस दी है कि अगर आज शाम तक इन 9 परिवारों के घरों के ताले नहीं खुलवाये जाते और पुनः कब्जा नहीं दिलाया जाता तो वह आत्मदाह कर लेगा, इससे ज्यादा संवेदनशील विषय और कोई हो नहीं सकता। मेरी आपसे प्रार्थना है कि शलाका में न होते हुए भी आपने इसको सुना, आप इसे कार्य-स्थगन के रूप में स्वीकार कर लें और चर्चा करा दें। मैं संसदीय कार्य मंत्री से भी चाहता हूं कि उनकी तरफ से इस विषय पर संवेदनशील प्रदर्शित की जायेगी, यह कलाम साहब के निर्वाचन क्षेत्र का सवाल है। मान्यवर, आप सरकार को निर्देश दें ताकि कोई अनहोनी घटना न घटे। न्यायालय ने उन परिवार से कहा है कि वह किश्तों में पैसे की अदायगी करेंगे। मैं चाहता हूं कि आप इस पर आवश्यक निर्देश जारी करने की कृपा करें।

श्री अधिष्ठाता–

संसदीय कार्य मंत्री जी, आपकी कोई प्रतिक्रिया है!

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, कोई प्रतिक्रिया नहीं है।

श्री अधिष्ठाता–

इस सूचना पर श्री अब्दुल कलाम तथा माननीय मुन्ना चौहान को सुनने के पश्चात् तथा माननीय संसदीय कार्यमंत्री की कोई प्रतिक्रिया नहीं है, के उपरान्त इस सूचना को अग्राह्य पाते हुए अस्वीकार करता हूं।

अगली सूचना श्री अवधेश प्रसाद की है।

श्री अवधेश प्रसाद–

मान्यवर, मैं आपका बहुत आभारी हूं कि आपने एक ऐसे मुद्दे पर, उसकी ग्राह्यता पर सुनने का अवसर दिया जो बहुत तात्कालिक है, अविलम्बनीय है और लोक महत्व का विषय है, जिसका सीधा संबंध चाहे वह सत्ता पक्ष के माननीय सदस्य हों और चाहे विरोध पक्ष के माननीय सदस्य हों, सभी से है। मान्यवर, 23 मार्च से उत्तर प्रदेश में हाई स्कूल और इण्टर की बोर्ड की परीक्षायें होने जा रही हैं जिस परीक्षा में 33 लाख 85 हजार के लगभग परीक्षार्थी परीक्षा में बैठने जा रहे हों, अगर उनको बिजली नहीं मिलेगी तो वह किस प्रकार से अपनी परीक्षाओं को दे पायेंगे। मान्यवर, मैं आज ही फैजाबाद से आ रहा हूं और जहां-जहां पर मैं गया, बिजली के बारे में शिकायत की गयी। वहां पर मान्यवर, आर०डी० इण्टर कालेज है, उसका वार्षिक जलसा था और वहां पर लगभग 3000 विद्यार्थियों ने इस बात को एक स्वर से उठाया कि परीक्षायें होने वाली हैं और बिजली की आपूर्ति नहीं हो रही है, तो वह किस प्रकार से

अपनी तैयारी कर पायेंगे । वहां पर बताया गया कि 6 बजे से 10 बजे रात तक अंधेरा रहता है और छात्र अपनी पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं, उनके जीवन का सवाल है और बिजली की समस्या है ।

मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि बिजली की समस्या केवल हमारे यहां की नहीं है, बल्कि पूरे प्रदेश की है और यह छात्रों के जीवन का सवाल है । इसलिए मेरा आपसे अनुरोध है कि आप सदन की कार्यवाही को रोककर चर्चा करा दें और अच्छा होता, नेता सदन इस समय सदन में मौजूद हैं, वह घोषणा कर दें कि बिजली की कटौती को समाप्त किया जायेगा, 6 बजे से 10 बजे तक जो कटौती हो रही है उसको समाप्त किया जायेगा और इस सम्बन्ध में जो भी विभागीय अधिकारी दोषी पाया जायेगा, उसके विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी ।

श्री धनीराम वर्मा–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहता हूं कि परीक्षार्थियों के सामने बिजली की बहुत समस्या है । आप बिजली की कटौती दिन में कर लें या और किसी अन्य समय में कर लें, कोई आपत्ति नहीं है, जितनी बिजली होगी उतनी ही तो देंगे. लेकिन मेरा अनुरोध है कि 7 बजे से लेकर 10 बजे रात्रि तक और 4 बजे से लेकर 10 बजे दिन तक बिजली की आपूर्ति कराने की व्यवस्था कर दें, तो छात्रों को सुविधा होगी ।

*श्री उदयराज यादव–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे इस लोक महत्व के प्रश्न पर बोलने का अवसर प्रदान किया । मान्यवर, उत्तर प्रदेश की सरकार संवेदनशीलता की बात करती है, जैसा कि आपको जानकारी है कि 23 मार्च, 1999 से उत्तर प्रदेश हाई स्कूल और इण्टर की परीक्षायें प्रारम्भ होने जा रही हैं, लेकिन आज समस्या क्या है, समस्या यह है कि जिस समय छात्रों के पढ़ने का समय है, उस समय बिजली की कटौती की जा रही है, जिससे उन्हें अपने कोर्स की तैयारी में बड़ी दिक्कत हो रही है । मैं अपने उन्नाव जनपद की बात आपको बताना चाहता हूं, वहां पर पूरी रात बिजली नहीं आती है, जिसके कारण छात्र अपनी पढ़ाई नहीं कर पाते हैं । यह बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है और छात्रों के जीवन से जुड़ा हुआ है, इसलिए मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप इस पर सदन की कार्यवाही रोककर चर्चा करा दें ।

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, मैं संक्षेप में दो बातें कहना चाहता हूं जो चिन्ता माननीय सदस्यगण ने रखी हैं उस पर स्वाभाविक है सारा सदन चिन्तित है कि छात्रों की परीक्षा के समय रोशनी कैसे किया जाय । जो बिजली की स्थिति है उसमें इस वक्त हमारे पास इसकी उपलब्धता है वह 4700 मेगावाट की है और हमें आवश्यकता करीब 5300 मेगावाट की है तो उसे पूरा करने का प्रयास हम कर रहे हैं । उसके लिए 500 मेगावाट आयात करके पूरा करने का प्रयास है और इसी महीने जो हमारे आनपारा की जो चौथी यूनिट 500 मेगावाट की बन्द हो गयी थी । उसे शुरू करेंगे तो इससे उपलब्धता हमारी बढ़ जायेगी ।

ग्रामीण अंचलों के बारे में पहले भी मुख्य मंत्री जी ने कहा था कि छात्रों के हित को भी प्रमुखता दी है, क्योंकि उनको परीक्षा के समय कठिनाई न हो हमने आदेश दिये हैं कि बाजार बन्दी का समय एक घण्टा पहले कर दिया जाय भले ही सुबह एक घण्टा पहले खोल लें । ताकि छात्रों को बिजली उपलब्ध करायी जा सके । ग्रामीण अंचलों की ज्यादा शिकायत है, हमने घोषणा भी की है कि उनकी आवश्कता को देखते हुए पहले जो 5 लीटर मिट्टी तेल प्रति परिवार मिलता था उसे बढ़ाकर 10 लीटर प्रति परिवार कर दिया है । यह सारे कदम इसी दिशा में उठाये गये हैं ताकि छात्रों को पढ़ने के लिए मिट्टी तेल और बिजली उपलब्ध रहे । यह हमारा प्रयास रहा है । समस्या के रहते हुए उसका निराकरण हम करके रहेंगे ।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री अधिष्ठाता–

माननीय अवधेश प्रसाद, माननीय उदयराज यादव एवं संसदीय कार्य मंत्री को सुनने के बाद में इसे अस्वीकार करता हूं। (व्यवधान) अब इसमें कोई स्पष्टीकरण की गुंजाइश नहीं है।

(श्री अवधेश प्रसाद विरोध स्वरूप सदन को त्याग कर चले गये।)

निम्नलिखित माननीय सदस्यों की सूचनाएं चयनित नहीं की गयीं अतः अस्वीकृत की गयीं।

1–श्री भोला शंकर मौर्य, 2–श्री राम चन्द्र यादव, 3–डा० धर्मज्ञ मिश्र, 4–श्री रमेश राही, 5–श्री विजय पाल सिंह, 6–श्री राम औतार शाक्य, 7–श्रीमती गौरी देवी, 8–श्री बनारसी दास चान्दना, 9–श्री हरदेव सिंह, 10–छब्बू पटेल, 11–डा० अशोक बाजपेयी, 12–श्री दुर्गा प्रसाद यादव, 13–श्री समर पाल सिंह, 14–श्री राज पाल सिंह व श्री कौकब हमीद।

प्रदेश में समूह ''ग'' की परीक्षा में हुई कथित धांधली से उत्पन्न स्थिति विषयक नियम 311 के अन्तर्गत दी गयी सूचना

श्री अधिष्ठाता–

अब मैं 311 की सूचना ले रहा हूं।

श्री राम औतार शाक्य–

हमारी सूचना और अम्बिका चौधरी जी की सूचनाएं एक सी हैं। माननीय अध्यक्ष जी ने कहा था जब नियम 56 की सूचनाएं सुनी जायेंगी उसी में 311 की सूचना भी ले लेंगे।

श्री अधिष्ठाता–

(श्रीमती गौरी देवी के खड़े होने पर) अब अस्वीकार हो चुकी हैं। जिनकी सूचनाएं अस्वीकार हुई हैं उनके नाम भी पढ़ दिये हैं। आप फिर दे दें श्लाका में आयेगा तो सुन लिया जायेगा।

श्री राम ललित चौधरी–

मान्यवर, एक गम्भीर समस्या का जिक्र मैं करने जा रहा हूं लगभग साल भर पहले एक लाख लोगों को समूह ''ग'' में भर्ती के लिए अभियान चलाया गया और 50 रुपया प्रति व्यक्ति इसमें फीस ली गयी। जिससे 25 करोड़ रुपया लगभग सरकारी खजाने में जमा हुआ और उसके इक्जाम भी हो गये जब इक्जाम हुए तो कहा गया साढ़े बारह हजार वैकेंसी हैं तो उनको भरने के लिए एक-एक लाख रुपया लिया गया। अखबार में भी अनियमितता की बातें आ रही हैं। इसकी जांच सी०बी०आई० से करा ली जाय क्योंकि बहुत बड़ा घपला इसमें निकलेगा इसलिए इस पर मैं चर्चा की मांग कर रहा हूं।

श्री अधिष्ठाता–

श्री राम ललित चौधरी जी इस विषय पर पिछले दिनों चर्चा हो चुकी है। इसलिए मैं आपको अनुमति नहीं देता हूं।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपके माध्यम से इस लोक महत्व के प्रश्न पर सरकार का ध्यान आकर्षित करते हुए आपकी व्यवस्था चाहता हूं कि आज पूरे प्रदेश में बेरोजगारों की भरमार है। दूसरे नौकरियों के नाम पर समूह ''ग'' में लाखों बेरोजगार लोगों को लिखित परीक्षा के लिए बुलाया गया था और उसमें 12 हजार लोगों को ही इन्हें लेना था। मान्यवर, यह सही है कि मुख्य मंत्री जी ने कहा है कि परीक्षा में पारदर्शिता बरती जायेगी लेकिन ऐसा हुआ नहीं और इसके तमाम उदाहरण आज हमारे सामने आ रहे हैं।

मान्यवर, जो लिखित परीक्षा में लोग बैठे भी नहीं थे किन्तु उन्हें सर्विस में लेने के लिए इन्टरव्यू हेतु काल लेटर आ रहे हैं। इस प्रकार जो अभ्यर्थी रीटेन परीक्षा में बैठे भी नहीं हैं किन्तु उन्हें काल लेटर

भेजे जा रहे हैं, यह पारदर्शिता की धज्जियां उड़ा रहे हैं । इसलिए नौजवान बेरोजगारों को पूरी तरह से ठगा जा रहा है और लेन-देन करके अपने चहेतों को नौकरियों में रखा जा रहा है । मान्यवर, मुझे जानकारी है और सूचना मिली है कि इसमें आर० एस० एस० और विश्व हिन्दू परिषद् तथा भा०ज०पा० के लोगों को रखा जा रहा है एवं योग्य अभ्यर्थियों को नौकरियों से वंचित किया जा रहा है जिससे जनमानस में और बेरोजगारों में आज पूरे प्रदेश में जनाक्रोश है । इसलिए मैं चाहता हूं कि इस सम्बन्ध में सही तथ्य उजागर हों, इसलिए इसकी सी०बी०सी०आई०डी० से जांच कराई जाय । मान्यवर, इस लोक महत्व के प्रश्न पर मैं चर्चा कराने की मांग करता हूं ।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

माननीय अधिष्ठाता जी, मैं सदन को बताना चाहता हूं कि कुल रिक्तियां 14747 थीं, इसमें 12,69,000 अभ्यर्थियों ने आवेदन-पत्र भेजे थे जिनमें से लगभग 8 लाख अभ्यर्थी 13 दिसम्बर, 1998 को परीक्षा में बैठे थे । मान्यवर, मैं सदन को बताना चाहता हूं कि यह संसार का आठवां अजूबा है कि एक दिन में 8 लाख अभ्यर्थियों की एक दिन में परीक्षा ले ली जाय और एक भी शिकायत न आय । इसके साथ ही ऐसी पारदर्शिता कहीं नहीं मिलेगी कि जो परीक्षा देंगे उनको एक कापी उत्तर की लेकर बाहर आयें और सही उत्तर की जानकारी बोर्ड में लिखकर उनको दे दी जाय ताकि उन्हें शिकायत न रहे । मान्यवर, विश्व में ऐसी कभी परीक्षा संभव नहीं हो पायी है ।

मान्यवर, श्री राम ललित चौधरी जी ने कहा है कि एक-एक लाख रुपये की घूस ली गयी और श्री स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने शिकायत किया है कि विश्व हिन्दू परिषद् और आर० एस० एस० के लोग नौकरियों में रखे जा रहे हैं, तो मैं पूछना चाहता हूं कि क्या उनसे एक-एक लाख रुपया लेकर रख रहे हैं, मान्यवर, माननीय सदस्य ने यह भी शिकायत करते हुए कहा कि ऐसे लोगों के पास साक्षात्कार के पत्र आये हैं जो परीक्षा मे बैठे भी नहीं थे ।

आप केवल दो उदाहरण दे दे जिनमें कि परीक्षा हुए बिना किसी का साक्षात्कार हुआ हो । मान्यवर मैं आरोप लगाने में विश्वास नहीं करता हूं ।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

मान्यवर मैं मंत्री जी से यह पूंछना चाहता हूं कि इस प्रकार की सूचना देने पर वह क्या कार्यवाही करेंगे ।

श्री अधिष्ठाता–

कृपया आप बैठ जायें ।

श्री हुकुम सिंह–

यह पूरे विश्व में एक अजूबा है कि एक साथ इतने लोगों की परीक्षा हो और कोई भी शिकायत न आई हो । यदि आप ऐसा कोई उदाहरण दे जिसमें कोई अनियमितता हो तो ऐसे अधिकारी को छोड़ा नहीं जायेगा, वह अपनी कुर्सी पर नहीं रह पायेगा ।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

मान्यवर, बेरोजगारों को नौकरी के नाम पर ठगा गया है । माननीय मंत्री जी को मैं बता दूं कि भ्रष्टाचार के एक नहीं सैकड़ो उदाहरण पेश किये जायेंगे । आपको सूचना दी जायेगी ।

श्री राम ललित चौधरी–

मान्यवर, एक अभ्यर्थी मेरिट लिस्ट में 40 पर था और एक क्रमांक आठ पर था उसमें से 40 क्रमांक के अभ्यर्थी को साक्षात्कार हेतु बुलाया गया ।

श्री अधिष्ठाता–

माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर में आपकी बात कह दी है। आप बैठ जाइये। कृपया आप बैठें।

श्री राम ललित चौधरी–

मान्यवर, इन परीक्षाओं में भ्रष्टाचार हो रहा है इसकी सी० बी० आई० जांच कराई जाये।

श्री अधिष्ठाता–

कृपया इस प्रकार के आरोप सदन में न लगायें।

श्री राम ललित चौधरी–

यह सरकार भ्रष्टाचारियों की है।

श्री अधिष्ठाता–

अब आप कृपया शान्त रहे। माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने अपने उत्तर में स्पष्ट कर दिया है कि अगर इस प्रकार का कोई उदाहरण है तो आप लिख कर दे दें। जांच की जायेगी और अगर ऐसा पाया गया तो ऐसा अधिकारी सेवा में नहीं रहेगा जो इससे सम्बन्धित हो।

श्री राम ललित चौधरी व श्री स्वामी प्रसाद मौर्य एवं संसदीय कार्य मंत्री जी को सुनने के बाद यह सूचना निरस्त की जाती है।

(व्यवधान)

हम कोई बात नहीं सुनेंगे, पहले आप सब शान्त हो जायें।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

सी०बी०आई० की जांच करायें, सी०आई०डी० की जांच करायें।

श्री अधिष्ठाता–

माननीय मौर्य जी, आप कुछ कम गम्भीर बातों पर भी इतना तेज बोलते हैं कि आपके गले का क्या होगा। एक साथी के नाते मेरा अनुरोध है कि आप कुछ धीरे-धीरे बोलें।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

यह गूंगी-बहरी सरकार नहीं सुनती है, इसलिए तेज बोलना पड़ता है।

(व्यवधान)

(ब०स०पा० सदस्यों ने नारे लगाये)

श्री अधिष्ठाता–

माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर में यह स्पष्ट कर दिया है कि इस प्रकार की कोई घटना हुई हो तो उसकी आप सूचना दे दें और अगर किसी अधिकारी ने बिना परीक्षा में भाग लिए हुए साक्षात्कार में बुला लिया गया है और यदि कोई अनियमितता हुई है तो वह नौकरी में नहीं रहेगा। अगर ऐसी कोई घटना है तो उसे लिखकर दे दीजिये।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

हर विभाग की भर्ती में इस प्रकार का भ्रष्टाचार व्याप्त है। माननीय अधिष्ठाता महोदय इस पूरे मामले पर ठीक-ठीक काम हो इसलिए सी०बी०आई० जांच सरकार करायें। मैं आपका संरक्षण चाहूंगा। इसलिए जो सरकार की इसमें पारदर्शिता है जो नारा देती है पारदर्शिता का कि बड़े साफ तरीके से काम हो रहा है ताकि आपको मालूम हो सके कि वाकई में पारदर्शिता है। समूह "ग" की भर्ती में 12 ऐसे परीक्षार्थी हैं जो परीक्षा में नहीं बैठे, इन्टरव्यू में उन्हें बुलाया गया है। इसी तरीके से पूरे प्रदेश की पूरे जिलों में मान्यवर, सी०बी०आई० की जांच करायें, इस पर मान्यवर, मैं आपका संरक्षण चाहूंगा।

श्री अधिष्ठाता-

यह अंकित नहीं किया जायेगा । आप लिखकर दे दीजिये ।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

[xxx]

(श्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने अपने दल के सदस्यों के साथ सदन का त्याग किया ।)

श्री अम्बिका चौधरी-

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे और मेरे साथियों की नियम 311 में दी गयी नोटिस पर बोलने का अवसर दिया । 22 फरवरी को मोठ कस्बे में शर्मनाक हादसा हुआ । चन्द्रपाल सिंह जो सदन के सदस्य हैं उनका मकान गिराया गया और पुलिस ने लूटपाट की । दीपनारायण यादव जो लोहिया वाहिनी के अध्यक्ष हैं उनको पुलिस फर्जी इन्काउन्टर में मार देना चाहती थी इसलिए ऐसा किया गया । यह प्रकरण पहले आया था और आपका संरक्षण मिला था और निर्देश जारी किये गये थे लेकिन वहां जो घटनायें हुई जब उस क्षेत्र की जनता ने, पूरे बुन्देलखण्ड की जनता जब आन्दोलित हुई और वह इस दमन को पचा पाने में असमर्थ हुई तो 11 मार्च को समाजवादी पार्टी ने बुन्देलखण्ड बन्द का आह्वान किया । उस दिन जब जनता अपने लोकतन्त्रीय अधिकारों का शान्तिपूर्वक प्रयोग कर रही थी तो समाजवादी पार्टी के नेताओं पर दमन चक्र चलाने के ऊपर के निर्देश हुए और अनेक लोगों को फर्जी मुकदमों में गिरफ्तार किया गया ।

समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष वीरपाल सिंह तथा अन्य 67 आदमियों को फर्जी डकैती तथा दूसरी दफाओं में ले जाकर बन्द किया गया । भाजपा में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी रहा हो लेकिन एक महान स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी, चन्द्रपाल जी के पिताजी, तक हाथ पहुंचाने का काम किया गया । इनके छोटे भाई शिशुपाल सिंह यादव जो जिला पंचायत के अध्यक्ष हैं, उनको फर्जी मुकदमों में पंजीकृत किया गया और जालौन, उरई, बांदा में जो शान्तिपूर्वक बन्द का आयोजन हुआ था, तो जिन लोगों ने उसमें सहयोग दिया, श्री सभाजीत यादव व रमेश कुरील, जो अपने साथियों के साथ जा रहे थे उनको तथा अन्य लोगों पर फर्जी मुकदमे कायम किये गये । यह सिलसिला बराबर जारी है । 14-15 तारीख तक यह कृत्य हुआ । पूरे बुन्देलखण्ड में दहशत फैलाने का काम किया गया है । जो वीरपाल सिंह पर मुकदमा कायम किया गया उसमें अरुण कुमार गुप्ता ने बयान हल्फी दे दिया है कि उनके यहां कोई डकैती नहीं हुई ।

पुलिस ने कहा कि जैसा हम कहते हैं वैसा लिखवा दो तो तुमको मुआवजा दिया जायेगा इसलिए जबरदस्ती अरुण कुमार गुप्ता का बयान पुलिस ने लिखा । जिनके इशारे पर चन्द्रपाल सिंह यादव के साथ यह बदसलूकी की गयी है वह आज भी जारी है । इस सूबे के प्रशासन के सबसे बड़े मुख्य मंत्री जी यहां पर मौजूद थे लेकिन जब नोटिस पर सुनने का समय आया तो उठकर चले गये । इसलिए मैं मुख्य मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि समाजवादी पार्टी के कार्यकताओं की हत्या हो रही है और फर्जी मुकदमों में फंसाया जा रहा है । जो मुकदमे 22 फरवरी और 11 मार्च के बीच में बुन्देलखण्ड में फर्जी कायम किये गये हैं उनको वापस लिया जाय और जिन पुलिस अधिकारियों ने, कर्मचरियों ने फर्जी मुकदमे कायम किये हैं उनके खिलाफ कार्यवाही की जाय और इसके साथ मैं आपसे यह प्रार्थना करता हूं कि इस प्रकरण के महत्व को देखते हुए, इसकी अविलम्बनीयता को देखते हुए कि यह गम्भीर प्रकरण है । इस लोकतन्त्र में जब विरोध करने का तरीका खत्म हो जायेगा । यह फासिस्ट लोग लोकतान्त्रिक प्रक्रिया से हमारी बात को नहीं दबा पाते हैं तो तमाम हथकण्डे अपनाते हैं, इसका कोई विश्वास लोकतन्त्र में नहीं

नोट :- [xxx] यह अंश श्री अधिष्ठाता के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

है। यह पुलिस का इस्तेमाल करके, गुण्डों, अपराधियों का इस्तेमाल करके, दहशतगर्दी फैलाकर के हमारी बात नहीं सुन रहे हैं। जब लोकतांत्रिक प्रक्रिया ही समाप्त हो जायेगी तो इस विधान सभा का अस्तित्व ही नहीं रह जायेगा। इससे महत्वपूर्ण कोई बात नहीं हो सकती इसलिए मेरी आपसे विनती है कि सदन के सारे नियमों को निलम्बित करके चर्चा करा लें, इस पर पहले व्यवस्था आ जाये फिर दूसरा कार्य लें।

* चन्द्रपाल सिंह–

माननीय अधिष्ठाता जी, पिछले 22 फरवरी को झांसी जनपद के मोंठ कस्बे में सहकारिता चुनाव में एक छोटा सा विवाद सामने आया था उस विवाद में समाजवादी पार्टी के प्रतिष्ठित लोग थे, नेता थे, उनके खिलाफ फर्जी मुकदमा कायम करने का काम किया गया। डकैती का मुकदमा कायम करने की बात आयी। मान्यवर, ब्लाक प्रमुख, प्रधान के घर की कुर्की करने का काम भी इस सरकार के इशारे पर किया गया। मान्यवर, यह जो बहरी-गूंगी सरकार है उसको बताना चाहता हूं कि पिछले दिनों सहकारिता के चुनाव में जो ब्लाक यूनिट का चुनाव हो रहा था, एक भारतीय जनता पार्टी के नेता ने इसी झांसी जनपद में बबीना क्षेत्र में चुनाव अधिकारी को जूतों, लाठियों से मारा-पीटा और गलत काम करने के लिए दबाव डाल रहे थे। उसकी जिलाधिकारी से शिकायत की गयी। जनता के दो पक्षों में झगड़ा था उस पर धारा 395 का मुकदमा कायम करा दिया गया, रासुका लगाने की धमकी दी गयी। दूसरी तरफ चुनाव अधिकारियों को जूतों से मारा जा रहा है और सरकार के कानों पर जूं तक नहीं रेंग रही है, उसके खिलाफ कार्यवाही करने पर सरकार किसी भी सूरत में तैयार नहीं है।

मान्यवर, आपने देखा लोहिया वाहिनी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष दीप नारायण यादव की हत्या करने का षडयन्त्र किया जा रहा था। लेकिन श्रीमन्, आज की जो परिस्थितियां हैं, उन परिस्थितियों में देख रहे हैं, एक मोंठ कस्बे में नहीं पूरे बुन्देलखण्ड में अन्याय और अत्याचार का दौर जारी है, कुर्की की गयी, हत्या करने की साजिश की गयी। 11 मार्च को समाजवादी पार्टी ने बुन्देलखण्ड बन्द का आह्वान किया। बन्द ऐतिहासिक रूप से सफल रहा। आजादी के बाद कोई भी आन्दोलन ऐसा नहीं हुआ। 11 मार्च की घटनाओं में आपने देखा जालौन जनपद के उरई कस्बे में सफल बन्द का आन्दोलन पूरा हो गया। प्रशासन और सरकार पूरी तरह से बौखला गयी। 67 लोगों को शान्ति व्यवस्था खराब करने के मामले में गिरफ्तार करके जेल भेजा गया। रात में 60 लोगों को छोड़ दिया गया और 9 लोगों के खिलाफ फर्जी ढंग से 395 का मुकदमा कायम करा दिया गया, उन्हें जेल में रखा हुआ है।

श्री अधिष्ठाता–

कृपया समाप्त करें, पुनरावृत्ति हो रही है।

श्री चन्द्रपाल सिंह–

मान्यवर, हमसे जुड़ी हुई समस्या है, इसलिए निवेदन करना चाहता हूं।

श्री अधिष्ठाता–

अब कितने घण्टे का समय लेंगे ?

श्री चन्द्रपाल सिंह–

दो मिनट में अपनी बात कहना चाहता हूं। जिलाध्यक्ष श्री वीरपाल सिंह, हमारे छोटे भाई जिला पंचायत उपाध्यक्ष शिशुपाल यादव, अशोक गुप्ता एवं छात्र संघ के अध्यक्ष के खिलाफ मुकदमा कायम किया गया है। ऐसे व्यक्ति से मुकदमा कायम कराया गया जो अपनी शिकायत ले करके गया था। उसने एस०एस०पी० और जिलाधिकारी को लिखकर दिया। कलेक्टर और एस०पी० जो बयान लेना चाहें पूछ

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

लें कि हकीकत क्या है ? हकीकत क्या है । उसने अपनी हैण्ड राइटिंग में लिखकर दिया है कि हमारे साथ कोई घटना नही हुई है लेकिन पुलिस ने धमकी देकर एफ०आई०आर० लिखाने का काम किया है ।

श्री अधिष्ठाता–

आप केवल ग्राह्यता पर बोलें ।

श्री चन्द्रपाल सिंह–

यह मामला जब कल विशेष सत्र न्यायाधीश डकैती के यहां गया तो उन्होंने रिमाण्ड देने से मना कर दिया । जब यह जानकारी जिला प्रशासन को हुई तो उन्होंने 10 फरवरी की पिछली तारीख को जिला पंचायत राज अधिकारी एवं जिलाध्यक्ष समाजवादी पार्टी के बीच गालीगलौज का मुकदमा कायम कर दिया गया और फिर जेल में बन्द करने का काम किया । यह हठधर्मिता कर रहे हैं ।

श्री अधिष्ठाता–

अब अंकित नहीं किया जायेगा ।

श्री चन्द्रपाल सिंह–

[xxx]

श्री अधिष्ठाता–

नेता प्रतिपक्ष को चन्द्रपाल सिंह को कम वाक्य में अपनी बात कैसे रखी जाए, यह बताने की जरूरत है ।

श्री चन्द्रपाल सिंह–

श्री राम नरेश कुरील के साथ भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने मारपीट की उसकी रिपोर्ट नहीं दर्ज की गयी । लेकिन बांदा में तीन समाजवादी पार्टी के नेताओं के खिलाफ फर्जी मुकदमा कायम कर लिया गया । बांदा में जब समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष के नेतृत्व में धरने पर जा रहे थे तो जिला प्रशासन ने 50 लोगों को गिरफ्तार कर लिया । आज तक सैकड़ों समाजवादी पार्टी के लोग अशोक की लाट के नीचे धरने पर बैठे हैं । एक आतंक का वातावरण व्याप्त हो गया है । इससे महत्वपूर्ण प्रश्न क्या हो सकता है । समस्त कार्यवाही रोककर इस पर चर्चा करायी जाए ।

नेता विरोधी दल (श्री धनीराम वर्मा)–

यह प्रश्न बहुत गम्भीर और लोकमहत्व का है और अविलम्बनीय भी है । प्रजातन्त्र में धरना प्रदर्शन और अनशन यह सब प्रजातान्त्रिक तरीके हैं । अपनी बात कहने के लिए 11 तारीख को लोग इसीलिए गये कि 22 तारीख को मनमाने तरीके से चन्द्रपाल सिंह जी के मकान को क्षति पहुंचायी जाती है, दीप नारायण यादव की हत्या का प्रयास करने की तमाम कोशिश की जाती है । जब समाजवादी पार्टी बुन्देलखण्ड बन्द का आह्वान करती है और सफल बन्द होता है तो यह सरकार पता नहीं क्यों इस प्रजातान्त्रिक तरीके से भी नाराज हो जाती है । और उरई में बांदा में तमाम लोगों को गिरफ्तार किया जाता है । उसके बाद पूर्व की घटना को लेकर अध्यक्ष, समाजवादी पार्टी को एरेस्ट करने का प्रयास किया जाता है । बांदा में तीन लोगों को अवैधानिक तरीके से गिरफ्तार किया जाता है । फिर धरना प्रदर्शन होता है और लोगों को पुनः बन्द किया जाता है । इस तरह से प्रजातंत्र में जनवाणी को दबाया नहीं जा सकता है, जिस तरह से दबाने का कार्य यह फासिस्टवादी सरकार कर रही है, मैं मांग करता हूं कि जितने लोगों को 11 तारीख को गिरफ्तार किया गया है या उसके बाद किया है, उन्हें अविलम्ब रिहा किया जाय और जिन दोषी अधिकारियों ने श्री चन्द्रपाल यादव, सदस्य विधान सभा के मकान को क्षति

नोट :– [xxx] यह अंश श्री अधिष्ठाता के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

पहुंचाई है और श्री दीप नारायन सिंह यादव जी को मारने की कोशिश की है उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाय । इन्हीं शब्दों के साथ इस स्थगन प्रस्ताव पर बल देते हुए मैं कहना चाहता हूं कि सारे सदन की कार्यवाही रोक कर इस पर चर्चा करायी जाय जिससे सम्पूर्ण तथ्य उजागर हो और पता चल सके कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी प्रजातंत्र पर आघात कर रही है, सारे नियमों को निलम्बित करके इस पर चर्चा करायी जाय ।

श्री अधिष्ठाता–

माननीय नेता प्रतिपक्ष बहुत अनुभवी सदस्य हैं पहले वह स्थगन बोल गये थे फिर नियमों के निलम्बन की बात कही ।

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, लगभग पिछले 55 मिनट से धारा प्रवाह भाषण माननीय श्री अम्बिका चौधरी जी, श्री चन्द्रपाल जी का मैं सुन रहा था और माननीय नेता विरोधी दल जी की विद्वता को भी सुनने का मुझे सुअवसर मिला ।

श्री अधिष्ठाता–

विद्वता में तो आप सभी लोग बेजोड़ हैं ।

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, मैं एक-दो बातें कहना चाहूंगा मैं माननीय नेता विरोधी दल के किसी कथन का प्रतिवाद करने की धृष्टता नहीं कर सकता । बुन्देलखण्ड में 7 जिले हैं । 7 जिलों की जनपद वाइज रिपोर्ट मेरे पास है । ललितपुर में गिरफ्तारी शून्य । जैसा यहां पर कहा गया कि हजारों लोगों के खिलाफ मुकदमें दर्ज किये गये और पूरा बुन्देलखण्ड अस्त-व्यस्त हो गया । दूसरा चित्रकूट में गिरफ्तारी शून्य, झांसी में केवल 151 और 116 के अन्तर्गत प्रीवेटिव एक्शन लिया गया फिर कुछ घंटों बाद छोड़ दिया गया, महोबा में भी 151 में कुछ प्रीवेटिव एक्शन लिया गया तत्पश्चात् छोड़ दिया गया, हमीरपुर में कोई भी गिरफ्तारी किसी भी धारा में नहीं हुई । मैं सुन-सुन कर आश्चर्य चकित हो गया कि आखिर क्या हो रहा है और बुन्देलखण्ड अस्त-व्यस्त हो गया । अब दो जनपद बचे-जालौन और बांदा ।

बांदा में जैसा आपने उल्लेख किया श्री अरुण कुमार गुप्ता और श्री संतोष कुमार गुप्ता । उनकी लिखित सूचना पर मुकदमा कायम किया गया, अपराध सं० 116/99 और 116 ए/99 दोनों मुकदमें कायम किये गये । जालौन की जो सूचना है उसका उल्लेख मैं पहले ही कर चुका हूं । दो केसेज सामने आये, एक जालौन की और एक बांदा की । मान्यवर, किसी भी शासकीय कार्य के विरुद्ध और प्रशासनिक अधिकारियों के कार्य के विरुद्ध हमें नाराजगी हो सकती है और लोकतंत्र में हमारा अधिकार है कि हम अपनी लोकतांत्रिक सीमा में रहकर अपना रोष व्यक्त करें । आपने एक आह्वान किया, बुन्देलखंड बन्द का आह्वान किया । आपकी कृपा पूर्वक अनुमति से मान्यवर इस पर तीसरी बार चर्चा हो रही है और इसकी अविलम्बनीयता को भी काफी महत्व दिया गया । आपका आभारी हूं कि तीसरी बार चर्चा में भाग लेने का मुझको भी अवसर दिया ।

श्री अधिष्ठाता–

नहीं–नहीं यह कोई चर्चा नहीं हो रही है ।

श्री हुकुम सिंह–

मैंने इसलिये कह दिया कि 3 सम्मानित सदस्यों ने समय के अनुरूप अपनी बात कही और उनको अवसर दिया गया ।

श्री धनी राम वर्मा–

नियमों के अन्तर्गत हमने मांग की है कि इस पर चर्चा करायी जाय ।

श्री हुकुम सिंह–

मैं अपने को सही कर लेता हूं। नियमों के विपरीत यह कार्य हो रहा है। नियमों के निलम्बन की बात कही गई लेकिन आपके सामने न कोई प्रस्ताव आया न अनुमति दी, ग्राह्यता का आवरण पहनकर यह सारी बातें कही गई। यह तो ठीक है कि हमको एक अधिकार है लेकिन उस अधिकार क्षेत्र की कुछ सीमा होगी, किस सीमा तक जायेंगे। क्या यह मेरा अधिकार है कि जब कोई व्यक्ति अपनी इच्छा से मेरी बात में शामिल न होकर अपनी दुकान, प्रतिष्ठान को बन्द न करे तो मुझको यह अधिकार नहीं है कि मैं अपनी शक्ति का प्रदर्शन करके उसको बन्द करवाऊं और शासन और प्रशासन मूक दर्शक बनकर देखता रहे। अगर उन्होंने अपनी जिम्मेदारी का पालन किया है तो उसकी प्रशंसा करनी चाहिए। दो बातें कही गई। एक तो मुकदमें की वापसी की।

सबसटैन्शियल औफेंस में दर्ज हुआ है। जांच चल रही है, न्याय पालिका ने उनको जेल में भेजा है, जांच चल रही है, उनकी कस्टोडी में हैं। न्याय पालिका में जाकर जमानत लेने का अधिकार प्राप्त है। गलत है, तथ्यहीन है। एक घंटे में जाकर सारी कार्यवाही हो सकती थी। सामान्य प्रक्रिया के अन्तर्गत यह सारी कार्यवाही हुई है। कोई ऐसा दृष्टान्त यहां नहीं दे सके कि यह इतना अविलम्बनीय है जिस पर नियमों को निलम्बित करके चर्चा करायी जाय। मेरा यह आग्रह है कि चन्द्रपाल जी से विशेष रूप से, वे सम्मानित सदस्य हैं उन्होंने अपने अधिकारों का दुरुपयोग, सदुपयोग जो भी किया हो लेकिन आज तीसरी बार इसमें जो यह प्रश्न उठाया गया है मेरा यह आग्रह है कि यह नियम–311 का विषय नहीं बनता है। इसको अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। आज भी 6 बजट हैं और मान्यवर, घड़ी 3.17 दर्शा रही है। आप तो कह कर चले जायेंगे। मेरा आग्रह है कि आज की कार्य सूची को देखकर इस प्रकरण को समाप्त किया जाय और आगे का कार्यक्रम लिया जाय।

(श्री चन्द्र पाल सिंह के बोलने के लिये खड़े होने पर)

श्री अधिष्ठाता–

इसमें यह परम्परा नहीं है। मैंने आपकी बात ग्राह्यता पर सुन ली।

श्री चन्द्रपाल सिंह–

मान्यवर, अभी-अभी बात हुई है। उस पर लीपा पोती कर दी गई है। मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने कहा जालौन जिले में मुकदमें कायम हो गये जो बताया गया कि कोर्ट के रिमान्ड पर जेल गये। कोर्ट ने रिमान्ड नहीं दिया इसके बाद इन्हें 10 फरवरी की बात याद आ गई कि एक अधिकारी को उन्होंने गाली गलौज की थी 10 फरवरी को उसको 15 मार्च को मुकदमा कायम किया जा रहा है। दूसरी बात जो डकैती का मुकदमा कायम करने की बात थी जितने मुकदमें हुए हैं यह 395 में ही हुए हैं। यह सरकार 395 के अलावा कोई और धारा नहीं जानती। जिन लोगों ने मुकदमा लिखाया पुलिस ने डंडों के बल पर सुबह जाकर अपना हैंड राइटिंग में दिया इसका कहीं उल्लेख नहीं किया गया। उसके बारे में नहीं बता रहे हैं। उसने प्रार्थना पत्र दिया तो मुकदमा नहीं लिखा गया। उससे कहा गया कि समाजवादी पार्टी के खिलाफ मुकदमा लिखवाये नहीं तो जेल में बन्द कर देंगे। यह तथ्य छिपाये जा रहे हैं। मैं बार-बार अनुरोध कर रहा हूं कि मुकदमा वापस लिया जाय और जो दोषी हैं उनको दंडित किया जाय। जिन्होंने डंडे के बल पर समाजवादी पार्टी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का काम किया है उनके खिलाफ कार्यवाही की जाय। मैं इस पर आपकी व्यवस्था चाहता हूं।

श्री अधिष्ठाता–

माननीय श्री अम्बिका चौधरी, श्री चन्द्रपाल सिंह जी, नेता प्रतिपक्ष को और माननीय संसदीय कार्य मंत्री को सुनने के बाद मैं नियम–311 की सूचना को निरस्त करता हूं।

श्री चन्द्रपाल सिंह–

मान्यवर, हमारे साथ अन्याय हो रहा है और माननीय संसदीय कार्यमंत्री जी कह रहे हैं कि तीन दिन से इसमें बहस हो रही है। इसमें चर्चा करायी जाय।

(श्री चन्द्रपाल सिंह, श्री अम्बिका चौधरी तथा श्री रामतेज यादव एडवोकेट के साथ समाजवादी पार्टी के कई सदस्य सदन के वेल पर आ गये)

श्री अधिष्ठाता–

कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। मैं चर्चा कराने के लिए बाध्य नहीं कर सकता हूं। जो माननीय सदस्य सदन के वेल पर खड़े होकर अपनी बात कह रहे हैं वह अंकित नहीं किया जायेगा। आप लोग कृपया अपने स्थान पर जायें।

(श्री चन्द्रपाल सिंह वेल से [x x x])

आप लोग कृपया अपने स्थान पर जायें। आपने अपनी बात कह दी और माननीय संसदीय कार्य-मंत्री जी ने भी जवाब दे दिया है।

(सदन के वेल पर खड़े सदस्यगण नारे लगाते रहे जिससे सदन में व्यवधान जारी रहा।)

मेरे निवेदन को सुन लें। आपने जो नियम–311 की सूचना दी थी उस पर मैंने दो माननीय सदस्यों को और नेता प्रतिपक्ष को सुन लिया तथा माननीय संसदीय कार्य-मंत्री जी के भी विचार आ गये। आप नियमों और परम्पराओं की दुहाई देते हैं और उसका पालन नहीं करते हैं तो यह ठीक नहीं है। लोकतंत्र में आग्रह महत्वपूर्ण है लेकिन पूर्वाग्रह और दुराग्रह से यह नहीं चलता है। आज पांच-छः विभागों का बजट है। कृपया अपने स्थान पर जायें और आगे की कार्यवाही चलने दें।

(घोर व्यवधान)

वेल में आये हुए माननीय सदस्यों से अनुरोध है कि वे कृपया अपने-अपने स्थान पर वापस जायें।

श्री धनीराम वर्मा–

मान्यवर, प्रश्न यह है कि माननीय सदस्य बार-बार अनुरोध कर रहे हैं।

श्री अधिष्ठाता–

आपके माननीय सदस्य वेल में खड़े हैं।

(इसके पश्चात् वेल में आये माननीय सदस्य सदन के फ्लोर पर बैठ गये)

श्री धनीराम वर्मा–

माननीय संसदीय कार्य-मंत्री जी मान्यवर, गलत सूचना दे रहे हैं हमीरपुर में 35 लोगों को कोतवाली में रखा गया। कह रहे हैं कि किसी को बन्द नहीं किया गया इस तरह से मिथ्या भाषण करके प्रजातंत्र का गला घोंटा जा रहा है। मान्यवर, यह प्रजातंत्र का तकाजा है कि विरोध पक्ष की बात बहुत शालीनता से सुननी चाहिए और उसका उत्तर भी शालीनता से और सही देना चाहिए। माननीय संसदीय कार्य-मंत्री जी ने सही बात नहीं बताई है हमने डी० एम०, एस० एस० पी० से बात की स्वयं कोतवाली गया था जो माननीय संसदीय कार्य-मंत्री जी ने मिथ्या भाषण किया है उसके लिए क्षमा याचना करें या अगर मैं गलत हूं तो जो चाहे आप दण्ड दें, हम तैयार हैं इस तरह से मिथ्या भाषण करना अच्छी बात नहीं है। अब मान्यवर, जब माननीय सदस्य अपनी बात उठाते हैं उन्हें न्याय नहीं मिल पाता है तभी सदन में अव्यवस्था फैलती है। मैं मांग करता हूं कि 22 तारीख से लेकर 11 तारीख तक और आज तक तथा बंद के दौरान, जो मुकदमें कायम किये गये हैं सब वापिस लिए जायें। वे सब अलोकतांत्रिक तरीके से

नोटः–[x x x] यह अंश श्री अधिष्ठाता के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

मुकदमें कायम किये गये हैं। प्रजातंत्र का गला घोटने के लिए और समाजवादी पार्टी को दबाने के लिए यह सब किया गया है। इसमें मान्यवर, 311 में चर्चा करा लीजिए और मुकदमें वापस लिये जायें।

श्री अधिष्ठाता–

मैं 3.45 बजे तक सदन को स्थगित करता हूं।

(इसके बाद श्री अधिष्ठाता ने 3 बजकर 30 मिनट पर सदन की कार्यवाही 3 बजकर 45 मिनट तक के लिए स्थगित कर दी। 3 बजकर 45 मिनट पर सदन की कार्यवाही अधिष्ठाता डा० सरजीत सिंह डंग के सभापतित्व में पुनः आरम्भ हुई।)

श्री अधिष्ठाता–

माननीय नेता प्रतिपक्ष, कुछ कहना चाहेंगे ?

श्री धनीराम वर्मा–

मैं इस सदन को अवगत कराना चाहता हूं कि स्थगन के पश्चात आपने मुझे बुलाया। मैं भोजन कर रहा था और भोजन करने के पश्चात तुरन्त मैं आपके कक्ष में गया, आपने कहा नहीं, नहीं अब कुछ नहीं सुनेंगे। इस तरह से प्रजातांत्रिक और जनतांत्रिक तरीके में, [x x x] मैं भोजन कर रहा था, भोजन में थोड़ा विलम्ब होना स्वाभाविक है, आपने कह दिया, नहीं, नहीं, अब कोई जरूरत नहीं। [x x x]

श्री अधिष्ठाता–

आप मेरा निवेदन सुन लें, कहीं बहुत बड़ी गलतफहमी है।

श्री धनीराम वर्मा–

आपका जो व्यवहार सदन के बाहर है, उसके लिये [x x x] आपने मुझे बुलाया और फिर कह दिया कि नहीं, नहीं, अब कुछ नहीं सुनेंगे, [x x x] क्या हो गया भारतीय जनता पार्टी को क्या यही [x x x] इस भारतीय जनता पार्टी को, आप डंग साहब को [x x x] चाहिये। मार्शल साहब भी आपके साथ थे, आप मार्शल को भी साथ में ले लीजिये।

(शेम-शेम की आवाजें)

मैं आपके कक्ष में गया और आपने कहा कि अब कुछ नहीं।

श्री अधिष्ठाता–

जब आप मिले, तो मुझे ऐसा लगा कि आप कह रहे हैं कि खाना खाने जा रहे हैं।

(व्यवधान)

श्री धनीराम वर्मा–

मैं भोजन करने के तुरन्त बाद पहुंचा, लाजमी है कि भोजन करने में कुछ समय लग गया हो।

श्री अधिष्ठाता–

आप मेरा निवेदन सुन लें, मुझे ऐसा लगा कि आप कह रहे हैं, कि भोजन कर लेने दें। आप को किसी प्रकार से छोटा करने की मेरी मंशा नहीं है, मैं इस पीठ पर बैठा हूं, आपको गलत फहमी हो गयी है।

श्री धनीराम वर्मा–

[x x x]

नोटः–[x x x] यह अंश श्री अधिष्ठाता के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं, जिनमें आप को कहीं न कहीं शिथिलता देनी पड़ेगी । यह प्रकरण कई बार आ चुका है, श्री चन्द्र पाल सिंह यादव के घर पर कुर्की की गयी और उस मकान से उनका कुछ लेना देना नहीं था, उनकी प्रताड़ना की गयी, सरकार का जोर जुल्म हुआ, तो उसके विरुद्ध लोकतांत्रिक प्रक्रिया ही अपनायी जा सकती है, यह हमारा अधिकार है, अगर चन्द्र पाल जी गिरफ्तार हुये तो लोकतांत्रिक ढंग से बुन्देलखण्ड बन्द का आह्वान किया गया और हम लोगों ने पीठ को सूचित किया कि चन्द्र पाल सिंह गिरफ्तार हो गये हैं समाजवादी पार्टी के विभिन्न अध्यक्षों को गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन सरकार की ओर से बराबर यह कहा गया कि कहीं कोई प्रताड़ना नहीं की गयी है, मैं चाहता हूं कि आप अपने विवेक का प्रयोग करें, अगर 395 का मुकदमा कायम किया जायेगा, तो यहां पर कितने दिन लोकतंत्र कायम रह सकेगा । धारा 395 सीधे-सीधे डकैती है । माना आप इस समय सरकार में हैं, लेकिन सरकार में रहने का आशय यह नहीं है कि आप डकैती का मुकदमा कायम कर दें, आन्दोलन होते रहे हैं, और होते रहेंगे ।

ब्रितानिया सरकार के समय में भी आन्दोलन होते रहे हैं, यह सरकार जो दल बदल पर टिकी है, इस सरकार के जाने का समय आ गया हैं, मुझे तो ऐसा लगता है, जिस प्रकार से आप माननीय सदस्यों को दबाने का प्रयास कर रहे हैं, ऐसा उदाहरण कहीं पर नहीं मिलेगा, अगर श्रीमन् ऐसा होगा तो सदन का क्या औचित्य है ? जो बात आ रही है उसको आप धैर्यपूर्वक सुनें और आप निर्देश दें । अगर सदस्य पर कोई कार्यवाही होती है, उसे आप समझेंगे और अगर गलत कार्यवाही होती है तो उसे आप समाप्त करेंगे, इस विषय पर हम सब एक मत होंगे । मैं आपसे बहुत ही विनम्रता के साथ कहना चाहता हूं कि लोकतंत्र में किसी की बपौती नहीं होती है कि वह सदा सत्ता पक्ष में रहे । लगातार कोई यहां नहीं बैठता है । कभी इधर के उधर जाते हैं कभी उधर के इधर आते हैं । अगर जनतांत्रिक शासन में कोई गलती कर दे तो उसे सम्मान पूर्वक मान लेना चाहिए । माफी मांग लेनी चाहिए कि हमसे गलती हो गयी है । उसकी जगह आप तमाम मुकदमें कायम करते जा रहे हैं, उस पर भी कोई व्यक्ति खड़ा हो उसकी बात भी सुनने को तैयार नहीं होंगे तो फिर लोकतंत्र का क्या होगा ? आप सम्पूर्ण पत्रावली मंगाकर देखें और उसके बाद निर्णय लें । इससे विधान सभा की गरिमा भी बढ़ेगी । सम्मानित सदस्य का अधिकार सुरक्षित रहे यदि यह अधिकार सुरक्षित नहीं रहेगा तो इस सदन को चलाने का कोई औचित्य नहीं रह जायेगा ।

श्री अधिष्ठाता–

मैं इस पर चर्चा नहीं करा रहा हूं । (कई सदस्यों के खड़े होने पर) आप अपना स्थान ग्रहण करें । अब मैं इस पर अनुमति नहीं दूंगा । यह प्रकरण समाप्त हो चुका है । मैं इस सूचना को निरस्त कर चुका हूं । (व्यवधान) माननीय संसदीय कार्य मंत्री खड़े हैं उनको पहले सुन लें ? (व्यवधान)

श्री रामतेज यादव एडवोकेट–

विधान सभा को एक सूचना नहीं दी गयी । माननीय सदस्य अरिमर्दन सिंह (व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता–

किसी की बात नहीं अंकित की जायेगी । मैं निर्णय कर चुका हूं । (व्यवधान)

(डा० धर्मज्ञ मिश्र, श्री वसीम अहमद, श्री अब्दुल कलाम, श्री योगेन्द्र सिंह तथा श्री चन्द्रपाल सिंह आदि कई सदस्य सदन के मध्य आ कर नारे लगाने लगे ।)

(व्यवधान के कारण श्री अधिष्ठाता ने 4 बजे सदन की कार्यवाही 4 बजकर 15 मिनट तक के लिए स्थगित कर दी । 4 बजकर 15 मिनट पर डिप्टी मार्शल ने सदन को सूचित किया कि मा० अध्यक्ष ने सदन का स्थगन 4 बजकर 30 मिनट तक के लिए बढ़ा दिया है । 4 बजकर 30 मिनट पर सदन की कार्यवाही श्री अध्यक्ष की अध्यक्षता में पुनः आरम्भ हुई ।)

श्री धनीराम वर्मा–

श्रीमन्, अभी माननीय विधायक श्री चन्द्रपाल जी की कुछ समस्याओं को लेकर नियम–311 के अन्तर्गत उसकी ग्राह्यता पर हमारे बहुत से सदस्यों ने अपनी बात कही, उसी सन्दर्भ में हम अपने सुझाव में दो मिनट लेकर अपनी बात समाप्त करना चाहेंगे । श्रीमन्, प्रजातन्त्र में कभी भी यह नहीं होना चाहिए । कभी भी व्यक्ति को, साधारण व्यक्ति को भी जबर्दस्ती दबाव में लाकर हैरेस किया जाये और परेशान किया जाये । प्रश्न तो यहां पर माननीय विधायक का है । 5 तारीख को पर्चा दाखिल करने के दिन जो घटना घटी और उसके विरुद्ध कुर्की आदि की जो कार्यवाही हुई वह शर्मनाक है । रेल बन्द समाजवादी पार्टी ने आयोजित किया था । चाहे महोबा हो, हमीरपुर, बांदा या ललितपुर हो, में जो गिरफ्तारियां की गई हैं वह भी प्रजातंत्र पर एक हमला है और प्रजातंत्र के लिए एक कलंक है ।

श्रीमन्, मैं आपके संज्ञान में लाना चाहता हूं, अभी माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने कहा कि हमीरपुर में कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है । श्रीमन्, मैं अवगत कराना चाहता हूं, मैं मौके पर था, महोदय डी०एम० और एस०पी० भी बंगले पर आये थे, मैंने कहा कि आपने जो 39 लोगों को अरेस्ट कर रखा है और कोतवाली में रख छोड़ा है, वह प्रजातंत्र का तरीका नहीं है । यह प्रजातंत्र का गला घोटना है अगर इस तरह से जनता का शोषण करेंगे, इस तरह से दहशत का रवैया अपनायेंगे और हम लोगों की बात आप नहीं सुनेगें तो यह सरकार आप पर भी हावी हो जायेगी । इसके बाद मैं दो बजे वहां मिलने भी गया, कोतवाली में फोटोग्राफी भी हुई और श्रीमन्, इसके पश्चात् भी माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी को कैसे अधिकारियों ने सूचना दें दी कि वहां किसी को अरेस्ट नहीं किया गया । श्री राम अधार जी को वहां अरेस्ट किया गया । यह बात अलग है कि 1 घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे या 10 घंटे के लिए अरेस्ट किया गया । तो श्रीमन्, इस तरह की बात सदन में आनी चाहिए जो तथ्यपरक हों, तथ्यहीन बात लाकर सदन को गुमराह नहीं करना चाहिए । हमरी छोटी सी मांग है कि 22 तरीख को जो मुकदमें कायम हुए हैं और कुर्की के सम्बन्ध में जो कार्यवाही की गयी है । 11 तारीख को बन्द के दौरान जो मुकदमें कायम हुए हैं और 10 फरवरी की गाली की बात लेकर जो मुकदमा कायम किया गया है, इनकी श्रीमन्, मैं आपके माध्यम से मांग करता हूं कि सरकार इसे वापस ले । यह कोई बड़ी समस्या सरकार के लिये नहीं है । अगर इतना नहीं कर सकते हैं तो सी०बी०आई० की जांच न करवायें सी० आई०डी० की जांच करवा लें दूध का दूध पानी का पानी हो जायेगा । वैसे तो मैं आशा करता हूं कि और आपसे निवेदन भी किया था और माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी से आशा है कि वह मुकदमों को वापस ले लेंगे और माननीय चन्द्रपाल सिंह जी और जनता से जुड़े व हमारी पार्टी से जुड़े जो लोग हैं उनका शोषण और दमन न हो ।

श्री हुकुम सिंह–

मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि कहीं न कहीं भ्रम की स्थिति जरूर है । 7 जनपद बुन्देलखण्ड में हैं । इसमें चित्रकूट, ललितपुर, में कोई गिरफ्तारी नहीं हुयी है । झांसी, महोबा, हमीरपुर वहां पर प्रिवेंटिव एक्शन हुआ और गिरफ्तारी प्रिवेंटिव धाराओं में हुयीं हैं । सब्सटेंटिव आफेन्स 107/16, 151 की कार्यवाही की गयी है । यह स्थिति मैंने रखी थी और अब भी रख रहा हूं । जहां तक मुकदमों का संबंध है मैं आश्वासन देने के लिये तैयार हूं कि जांच पूरी तरह से निष्पक्ष होगी और यदि झूठे मुकदमें दायर हुए हैं तो कार्यवाही नहीं होगी लेकिन यह जांच के निष्कर्ष पर ही बन पायेगा कि कौन सा मुकदमा झूठा है या कौन सा सच्चा । अगर नेता प्रतिपक्ष किसी अधिकारी पर शंका करते हैं तो मैं उनको आश्वस्त करता हूं कि पूरी पारदर्शिता, निष्पक्षता से जांच की कार्यवाही होगी ।

श्री अध्यक्ष–

मेरा एक अनुरोध है, आय-व्ययक पर विचार प्रारम्भ हो रहा है । मेरा अनुरोध है कि बहुत संक्षेप में अपने विचार रखें । आज हमारे पास 7 विभागों के आय-व्ययक हैं । एक साथ सब अपनी मांग प्रस्तुत कर दें और कटौती के प्रस्ताव अलग-अलग प्रस्तुत कर दें । 5-7 मिनट मंत्री जी अपने विचार रख लें

और 5-7 मिनट कटौती के प्रस्ताव के समर्थन में बोल लें और समय का विनियमन करते हुए माननीय सदस्यों को अवसर दे दिया जाय ।

माननीय मंत्री जी आप बैठ जायं, मैं सदन को एक सूचना दे रहा हूं ।

कार्य-मंत्रणा समिति का कार्यक्रम निर्धारण का प्रस्ताव

उत्तर प्रदेश विधान सभा की कार्य मंत्रणा समिति ने अपनी दिनांक 16 मार्च, 1999 की बैठक में दिनांक 17 मार्च, 1999 से 24 मार्च, 1999 तक के कार्यक्रम को निम्नलिखित संशोधित रूप में रखे जाने की सिफारिश की है :—

मार्च, 1999	
17 बुधवार	1—वित्तीय वर्ष 1999–2000 के आय-व्ययक के अनुदानों की मांगों पर विचार एवं मतदान ।
	2—वर्ष 1998-99 में जनपद सीतापुर में सुरक्षित रोजगार योजना के अन्तर्गत वृक्षारोपण हेतु स्वीकृत धनराशि रु० 1.20 करोड़ के दुरुपयोग के संबंध में श्री बुनियाद हुसैन अंसारी, सदस्य, विधान सभा द्वारा नियम 52 के अन्तर्गत अभिसूचित सूचना पर चर्चा —— एक घण्टा ।
	3—निम्नलिखित विधेयकों पर विचार एवं उनका पारण :——
	(क) उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 1999—आधा घण्टा ।
	(ख) उत्तर प्रदेश राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय विधेयक, 1999 —आधा घण्टा ।
18 गुरुवार	वित्तीय वर्ष 1999–2000 के आय-व्ययक के अनुदानों की मांगों पर विचार एवं मतदान ।
19 शुक्रवार	1—वित्तीय वर्ष 1999–2000 के आय-व्ययक के अनुदानों की मांगों पर विचार एवं मतदान ।
	2—उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड (संशोधन) विधेयक, 1999 पर विचार एवं उसका पारण——आधा घण्टा ।
20 शनिवार	बैठक नहीं होगी ।
21 रविवार	
22 सोमवार	वित्तीय वर्ष 1999-2000 के आय-व्ययक के अनुदानों की मांगों पर विचार एवं मतदान ।
23 मंगलवार	
24 बुधवार	1—वित्तीय वर्ष 1999–2000 के आय-व्ययक के अनुदानों की मांगों पर विचार एवं मतदान ।
	(4.00 बजे अपराह्न तक)
	2—4.00 बजे अपराह्न
	उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक, 1999 पर सदन की अनुज्ञा से पुरःस्थापन, उस पर विचार एवं उसका पारण ।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

मान्यवर, मैं प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन कार्य-मंत्रणा समिति की सिफारिशों से जिसकी सूचना आज श्री अध्यक्ष द्वारा सदन को दी गयी है, सहमत है ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि कार्य मंत्रणा समिति विषयक प्रस्ताव जिसकी सूचना संसदीय कार्य मंत्री द्वारा दी गयी है, से सदन सहमत है ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ)

वित्तीय वर्ष 1999–2000 के आय-व्ययक की अनुदानों पर चर्चा एवं मतदान–अनुदान संख्या–13

कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (ग्राम्य विकास)

संसदीय कार्य मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

मान्यवर, 7 विभागों के बजट हैं इसलिये मैं चाहूंगा कि एक समय सीमा निर्धारित कर दी जाये ।

श्री अध्यक्ष–

माननीय मंत्री 10 मिनट में बजट प्रस्तुत कर लें, 5 मिनट में कटौती का प्रस्ताव माननीय सदस्य रख लें और कुछ माननीय सदस्य अपने विचार रख लें, उनके समय का विनियमन कर दिया जायेगा । माननीय ग्राम्य विकास मंत्री जी बजट प्रस्तुत करें ।

(चौधरी नरेन्द्र सिंह के खड़े होने पर सत्ता पक्ष के सदस्यों ने मेजें थपथपायीं)

ग्राम्य विकास मंत्री (चौधरी नरेन्द्र सिंह)–

मान्यवर, आपकी अनुज्ञा से तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 2000 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 13—कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (ग्राम्य विकास) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये 12,93,30,38,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ।

माननीय अध्यक्ष जी, जैसा आपने निर्देशित किया है, मैं बहुत संक्षेप में कुछ बातें रखूंगा । हमारे प्रदेश की 80 प्रतिशत जनता गांवों में रहती है और गांवों की जो स्थिति है वह किसी से छिपी नहीं है । हम सभी लोग किसी न किसी रूप में गांवों से सम्बद्ध हैं लेकिन पिछले दिनों 1998-99 में गुणवत्ता कैसे बेहतर हो, कैसे सुधार हो, कैसे पारदर्शिता आये, कैसे समयबद्ध ढंग से काम किया जाये, इसके लिये हमने कुछ कदम उठाये हैं । ग्राम्य विकास विभाग की तरफ से 18 कार्यक्रम संचालित होते हैं ––एकीकृत ग्राम्य विकास योजना कार्यक्रम, ट्राईसेम योजना, श्रम परक योजनायें, जवाहर रोजगार योजना, दस लाख कूप योजना, सुनिश्चित रोजगार योजना, ग्रामीण महिला एवं बालोत्थान कार्यक्रम, ग्रामीण पेयजल योजना, उत्तर प्रदेश ग्रामीण पेयजल एवं पर्यावरण स्वच्छ कार्यक्रम (विश्व बैंक द्वारा पोषित), राष्ट्रीय बायोगैस, राष्ट्रीय उन्नत चूल्हा प्रशिक्षण कार्यक्रम, इन्दिरा आवास योजना, स्वर्ण जयन्ती कार्यक्रम, सामुदायिक विकास कार्यक्रम, अम्बेडकर विशेष रोजगार योजना, आदर्श ग्राम विकास खण्ड योजना, पक्के पेयजल कूपों की निर्माण योजना, रोजगार संकल्प और रोजगार छतरी एवं विधायक निधि जिसका अभी सृजन हुआ है ।

अध्यक्ष जी, 1998-99 में 1997-98 की तुलना में हमने कार्यों को अधिक गति दी है और फरवरी, 1999 तक गत वर्ष की तुलना में हमने 734 करोड़ रुपये अधिक व्यय किये हैं, उनका उपयोग कराया है प्रदेश के हित में, विभिन्न योजनाओं में । यह अपने आप में एक उपलब्धि है । अगर मैं विस्तृत ब्यौरा दूं एक-एक योजना का तो इसमें समय लगेगा । लिहाजा संक्षेप में सभी योजनाओं को मिलाकर जो फरवरी, 1998 तक जितने धन का उपयोग हुआ था । उसके मुकाबले हमने करीब साढ़े सात सौ करोड़ अधिक

व्यय किया है और अधिक काम कराया है । विभिन्न एकीकृत ग्राम्य विकास योजनाओं के अन्तर्गत जो परिव्यय निर्धारित था उसमें हमने 85 प्रतिशत की उपलब्धि की है । ट्राइसम में हमने 15,946 बेरोजगार नौजवानों को स्वरोजगार में लिया है । महिला उत्थान के लिए भी बहुत सी महिलाओं के समूह गठित किए हैं और जवाहर रोजगार योजना, सुनिश्चित रोजगार योजना, उन्नत टूल किट्स, में प्रभावी ढंग से कार्य करने की कोशिश की गई है । दस लाख नलकूप योजना में भी बहुत प्रभावी ढंग से कार्य किया गया है और ग्रामीण पेयजल में भी अभी तक जो चिन्हित किया जाता था एक लाख 12 हजार गांव को, उसकी जगह हमने 2 लाख 74 हजार बस्तियों को चिन्हित किया है ।

इस समय सात लाख से अधिक हैण्ड पम्प उत्तर प्रदेश में लगे हैं और इस वर्ष भी आगामी वर्ष में भी एक लाख से अधिक हैण्ड पम्प गांव में स्थापित करेंगे और जो पेयजल की सुविधा जिन बस्तियों में नहीं है उन बस्तियों में पेयजल की सुविधा उपलब्ध करायेंगे । पेयजल की सुविधा के लिए हमने एक और निर्देश दिया है कि अभी तक कहीं आधे गांव तो ऐसे थे कि संतृप्त हो गए और आधे गांव में पेयजल की समस्या है इस सम्बन्ध में हमने पूरे गांव का एक नक्शा बनाकर पूरी बस्ती पूरे गांव को संतृप्त करने के निर्देश दिए हैं । चूंकि सारे कार्यक्रमों का केन्द्र बिन्दु विकास खण्ड है लिहाजा विकास खण्ड को हमने सुदृढ़ करने का बहुत बड़ा कार्यक्रम बनाया है और 904 ब्लाक हैं उन ब्लाकों में सभी ब्लाकों के जो मुख्यालय हैं उनमें विद्युत की व्यवस्था उपलब्ध करा दी जाएगी । टेलीफोन वहां लगा दिया जाएगा । जिन ब्लाकों के मुख्यालयों की बाउण्ड्री नहीं बनी हुई है वहां बाउण्ड्री बना दी जाएगी । जहां सभा कक्ष छोटे हैं एक अतिरिक्त सभा कक्ष और कार्यालय कक्ष का निर्माण करा दिया जाएगा ब्लाक में महिला और पुरूष शौचालय अलग से बनाया जाएगा ।

हमने ब्लाक को हर तरह से सुदृढ़ करने की कोशिश की है । इसके नतीजे भी अच्छे आ रहे हैं । 31 मार्च, 1999 तक हमारा लक्ष्य है कि अधिकांश ब्लाक सुदृढ़ हो जाएं और उनमें यह व्यवस्था स्थापित हो जाए । गुणवत्ता को बेहतर बनाने के लिए हमने कई स्तर पर सत्यापन की कार्यवाही की है । शत प्रतिशत सत्यापन भी शुरू किया गया और राज्य स्तर पर टेक्निकल आडिट सेल बनाया । मण्डल स्तर पर आडिट सेल बनाया इसके साथ ही साथ जो टेक्निकल आडिट सेल के लोग हैं यह सिर्फ शिकायतों की जांच नहीं करेंगे बल्कि जो आन गोइंग प्रोजेक्ट हैं उसकी भी देख-रेख करेंगे । हमने सुनिश्चित रोजगार योजना में एक वर्ष की योजना बनाने की जगह तीन वर्ष की योजनाएं बनाने के लिए ब्लाकों को कहा है । चूंकि ब्लाक में ही योजना बनती हैं उसमें जनप्रतिनिधियों की भागीदारी होती है । वह अपनी राय दे सकते हैं और उनकी राय से भी योजनायें बनेंगी । हर वर्ष जो समय लगता था, वह समय भी अब नहीं लगेगा तीन वर्ष में प्रोजेक्ट तैयार हो जायेगा । इस प्रकार के तमाम कार्यक्रम हैं और इन्हें सुचारु रूप से चलाने के लिये हमने कदम भी उठाये हैं । डी० आर० डी० ए० में पहले शिकायतें आती थी अब हमने वहां पर भी वित्त नियंत्रक नियुक्त करने का निर्णय लिया है और जिन अधिकारियों ने गलत काम किया है और धन का दुरुपयोग किया है, उनके विरुद्ध भी कार्यवाही की है ।

साढ़े तीन दर्जन खण्ड विकास अधिकारियों को मुअत्तल किया है । इन्दिरा आवास में भी पहले शिकायतें आती थीं । हमने इसमें भी चयन की प्रक्रिया निर्धारित कर दी है और मुझे यह कहने में प्रसन्नता हो रही है कि जितनी शिकायतें पहले आती थी, अब उससे कम शिकायतें आ रही हैं । मैं यह तो नहीं कह सकता कि सब बिल्कुल ठीक हो गया है । लाभार्थियों के चयन में भी पारदर्शिता लाने का हमने प्रयास किया है । हर ब्लाक में एक सूचना पट होगा, जिस पर सूचना अंकित होगी ताकि लोगों को जानकारी हो सके और कहीं पर भी धन का दुरुपयोग न हो सके । मैं ज्यादा समय न लेकर माननीय सदस्यों के सुझावों को सुनना ज्यादा पसन्द करूंगा ताकि उनके रचनात्मक सुझावों का उपयोग करके हम विभाग को और गतिशील बना सकें । आपने मुझे अवसर दिया अपनी कुछ बात कहने का, इसके लिये मैं आपका आभारी हूं (धन्यवाद) ।

श्री लालजी वर्मा–

मान्यवर, सभी मंत्रीगण एक साथ अपनी बजट मांगें रख दें ।

श्री अध्यक्ष–

विभागों का अलग-अलग मंत्रिगण में बटवारा हुआ है ।

* श्री राम तेज यादव एडवोकेट–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से अनुदान संख्या 13–कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (ग्राम्य विकास) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय । कमी करने का उद्देश्य विभागीय नीति की आलोचना करना और सुझाव देना ।

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी को बताना चाहता हूं कि प्रदेश की तरक्की खेती और गांवों की उन्नति से ही हो सकती है । जो भी सरकारें आती जाती रहीं, उन्होंने कोई न कोई निश्चित मत ग्रामों के विकास के बारे में बनायी । माननीय मंत्री जी ने ग्राम विकास के बारे में जो भी विचार यहां पर रखे और जो आंकड़े उन्होंने दिये, उससे ऐसा महसूस होने लगा कि शायद उनकी कोई ऐसी सोच नहीं है कि मौजूदा सरकार गांवों की तरक्की कर सकती है । महात्मा गांधी जी, डाक्टर लोहिया जी, जय प्रकाश जी तथा बड़े-बड़े महापुरूषों तथा पंडित दीन दयाल उपाध्याय सरीके सोच वाले व्यक्तियों ने कहा था कि गांव के विकास से ही देश और प्रदेश का समग्र विकास हो सकता है । महात्मा गांधी जी भी कहते थे कि समग्र विकास हो और मौजूदा राजनैतिक परिस्थितियों में गांवों का विकास हो, पहली बार माननीय समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय नेता माननीय श्री मुलायम सिंह जी ने इस प्रदेश की कृषि पर, जब उन्होंने दूसरी बार सत्ता सम्भाली थी तो उन्होंने गांव के विकास के लिये सभी योजनाओं का 72 प्रतिशत हिस्सा गांव को दिया । उसी की नकल करने की मौजूदा सरकार ने कोशिश की है लेकिन योज़नाओं में खोट पैदा कर दिया । मान्यवर, मैं आपके संज्ञान में कुछ आंकड़े लाना चाहता हूं और आपकी अनुमति से उनको पढ़ना चाहता हूं ।

(इस समय 4 बजकर 55 मिनट पर अधिष्ठाता श्री बाल चन्द्र मिश्र पीठासीन हुए)

(व्यवधान)

मान्यवर, गांव की बेरोजगारी दूर करने के लिये, किसान की बेरोजगारी और उस पर लगे हुए मजदूरों की बेरोजगारी को दूर करने के लिये जब कृषि पर से भार कम कर दिया जायेगा उस समय गांव की तरक्की होगी । इस बात को स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह ने और मौजूदा किसान और गांव के हितकारी नेता श्री मुलायम सिंह यादव ने भी जोरदार ढंग से कहा । मैं आपके संज्ञान में लाना चाहता हूं अमेरिका वह देश है जिसने आंकड़े दिये और साबित करने की कोशिश की । 1920 में 87 प्रतिशत किसान खेत में 1985 में 3 प्रतिशत और 90-91 में 2% । इसी तरह इंग्लैंड का भी मैं आपके सामने रख सकता हूं ।

अमेरिका और इंग्लैंड में उस खेती पर से बराबर भार कम करना शुरू कर दिया । इसलिये कम करना शुरू कर दिया कि किसान का जो बेटा है किसान जाति बिरादरी का है वह गांव से हटकर शहर आयेगा किसी रोजगार में लग जायेगा तो खेत पर जो भार है वह कम हो जायेगा । किसी रोजगार, व्यवसाय नौकरी से लौटकर जब वह अपने घर आयेगा तो ऐसा लगेगा कि उसके घर में आशा की कोई किरण फूटी है । जो हमारी पर कैपिटा इनकम आई है, माननीय मंत्री जी आपके संज्ञान में होगा उसमें उत्तर प्रदेश बिहार से भी पीछे चला गया जबकि लोग बिहार की स्थिति के बारे में, वहां की आर्थिक स्थिति के बारे में काफी चिन्ता करते हैं । वह भी आपको मैं थोड़े में बताना चाहता हूं 90-91 से 95

* वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया ।

तक 6,851 रुपये, हरियाणा की 13,771 रुपये, गुजरात की 12 हजार रुपये, वेस्ट बंगाल की 10 हजार रुपये और इस समय की जो हमारी आर्थिक स्थिति है 96-97 की वह 6,733 रुपये यानि इस आधार पर आमदनी के स्रोत से गरीबी की तरफ बराबर बढ़ते चले जा रहे हैं ।

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने अपनी चर्चा में कहा कि प्रदेश की तरक्की के लिये मैं ग्राम्य विकास को 4/5 मोटे-मोटे हिस्सों में बांटकर तरक्की करना चाहता हूं । सबसे पहली योजना केन्द्र सरकार के द्वारा प्रदेश में दी गई जो शत प्रतिशत उन्हीं के द्वारा धन दिया जाता है और उससे वह पोषित होती है । दूसरी योजना जिनमें 80 प्रतिशत केन्द्र सरकार का अंश और 20 प्रतिशत राज्य सरकार का अंश होता है । इस योजना को ग्राम्य विकास के लिये पोषित किया जा रहा है । तीसरी योजना में 50 प्रतिशत केन्द्र का और 50 प्रतिशत राज्य सरकार को होता है उसमें विभिन्न योजनाएं चलाकर प्रदेश को तरक्की की तरफ ले जाने की कोशिश चाहे कोई भी सरकार आती है, वह करती है । इतना ही नहीं राज्य ने इसके बाद भी सोचा कि राज्य की तरक्की के लिये व्यवस्था होनी चाहिए और उसने अपनी व्यवस्था के आधार पर अपनी सुनिश्चित पूंजी के आधार पर योजना तैयार की ।

श्री अधिष्ठाता–

अब आप समाप्त करें ।

श्री रामतेज यादव एडवोकेट–

मैं आपके संज्ञान में लाना चाहता हूं जो योजनायें चलीं गांव पर बोझ बन गई किसानों की तरक्की के लिए योजनायें चलीं लेकिन किसानों के कंधों पर लद गई, यह बोझ हटे इसके लिए मैंने शुरू में अमेरिका और इंग्लैंड का उदाहरण दिया । उन्नत बायो गैस के बारे में कहना चाहूंगा महिलायें समय से पहले अंधी हो जाती हैं ईंधन जलाते-जलाते परेशान हो जाती हैं ..

श्री अधिष्ठाता–

समाप्त कर दें ।

(श्री रामपाल सिंह का नाम पुकारा गया)

श्री रामतेज यादव एडवोकेट–

जवाहर योजना बताई इन्दिरा आवास योजना है तमाम योजनायें हैं सबसे पहले दीन दयाल उपाध्याय जी के नाम से जो योजना बनाई गई उसके बारे में कहना चाहूंगा, भारतीय जनता पार्टी के दिल दिमाग में खोट है, इसके बारे में कहीं बजट में उल्लेख नहीं किया, मान्यवर, मैं जानता हूं आप भी दिल से दीन दयाल उपाध्याय जी को बहुत मानते हैं, उनके नाम से योजना चलाई गई या तो दिल में अन्तर है इसलिए नहीं लागू की । मान्यवर, ग्राम्य विकास, सामुदायिक निर्बल विकास योजना के नाम से जो योजनायें हैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार....

श्री अधिष्ठाता–

सहयोग करें, अब आप समाप्त कर दें । 5–5 मिनट कटौती के लिए निर्धारित है, 7-8 मिनट हो गए ।

श्री लालजी वर्मा–

जब मैंने माननीय अध्यक्ष जी से निवेदन किया कि जो कटौती का प्रस्ताव है उनको 15 मिनट और मंत्री जी को 20 मिनट दे दें, उन्होंने कहा विचार करेंगे ।

श्री अधिष्ठाता–

ऐसा नहीं है 10 मिनट मंत्री जी को और पांच मिनट कटौती के लिए दिए जायेंगे ।

श्री रामतेज यादव एडवोकेट–

मान्यवर, यह गांधी ग्राम का सपना देख रहे हैं । दीनदयाल योजना अधूरी पड़ी है उसको पूरा करना चाहिए....

श्री अधिष्ठाता–

समाप्त करें ।

श्री रामतेज यादव एडवोकेट–

सुनिश्चित रोजगार योजना के अन्तर्गत जिलाधिकारी किसी की नहीं सुनता है ।

श्री अधिष्ठाता–

अब कृपया समाप्त कर दें ।

श्री रामतेज यादव एडवोकेट–

मैं जानता हूं.इस पर काफी चर्चा हुई और सदन में भी सवाल आया इसका जवाब मंत्री जी ने दिया ।

श्री अधिष्ठाता–

समाप्त कर दें सात-आठ मिनट हो गये हैं ।

श्री रामतेज यादव एडवोकेट–

विधायक निधि के बारे में कहना चाहूंगा विधायक निधि से कोई कार्य नहीं हुआ है चाहे सत्तापक्ष के विधायक हों चाहे विपक्ष के विधायक हों विधायक निधि से कोई काम नहीं हुआ मेरी जानकारी में यह भी आया है कि यह पैसा वापस होने के लिए हो रहा है । कहीं भी महिलाओं का उत्थान नहीं हो रहा है ।

श्री अधिष्ठाता–

समाप्त करें ।

श्री रामतेज यादव एडवोकेट–

मान्यवर, जनपद बहराइच के बारे में कहना चाहूंगा । पूरे प्रदेश के जितने जिले हैं कहीं पर भी माननीय मंत्री जी ने विजिट नहीं किया है और फर्जी आंकड़े प्रस्तुत कर रहे हैं...

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता–

आप कृपया समाप्त करें । आप 11 मिनट बोल चुके हैं ।

श्री लालजी वर्मा–

जब मान्यवर, चर्चा होनी है तो सार्थक चर्चा होनी चाहिए । हम यहां पर बजट पर चर्चा करने के लिए आते हैं । अगर आप चर्चा नहीं कराना चाहते हैं तो वोटिंग करा दीजिये ।

श्री अधिष्ठाता–

समय का ध्यान सभी लोग रखें । सभी माननीय सदस्य इस तरह से बोल लेंगे । मैंने पोइया जी को पुकार लिया है ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

श्री लालजी वर्मा–

अगर आप नहीं सुनना चाहते हैं तो हम लोगों से आप कह दें कि बाहर निकल जायें ?

श्री अधिष्ठाता–

मैं खूब सुनना चाहता हूं। 11 मिनट बोल चुके हैं। अब और कितने मिनट बोलेंगे।

(व्यवधान)

आप सभी अनुभव कर रहे होंगे कि विलम्ब होता है। माननीय सदस्य धीरे-धीरे चले जाते हैं।

श्री लालजी वर्मा–

मान्यवर, जो बजट सत्र आहूत किया जाता है.....

(व्यवधान)

मान्यवर, आपने मुझे बोलने की अनुमति दी है। माननीय मंत्री जी बीच में व्यवधान कर रहे हैं। तो मैं यह कह रहा था कि जो बजट सत्र आहूत किया जाता है वह मंत्रि-परिषद् की सिफारिश से महामहिम राज्यपाल आहूत करते हैं। माननीय मंत्री जी बजट सदन में प्रस्तुत करते हैं और उसके बाद फिर विरोध पक्ष द्वारा कटौती का प्रस्ताव रखा जाता है। अभी तक जो परम्परा है, यह सदन नियमों से और परम्पराओं से चलता है। जो अब तक की परम्परा रही है उस परम्परा के अनुसार 25 मिनट कटौती के प्रस्ताव के लिए दिया जाता है।

श्री अधिष्ठाता–

कृपया शांत रहें।

श्री लालजी वर्मा–

जिससे सार्थक बहस हो सके यही हमारा उद्देश्य है।

(सत्ता पक्ष के सदस्यों द्वारा टोका टाकी किये जाने पर–व्यवधान)

अगर सार्थक चर्चा नहीं करानी है तो आप कह दीजिये, हम लोग बाहर चले जायें।

श्री अधिष्ठाता–

मानीनय वर्मा जी, माननीय मंत्री जी को 10 मिनट का समय दिया गया। इसकी कोई निश्चित समय सीमा तो नहीं है कि मंत्री जी एक घंटा बोलेंगे या आधा घंटा बोलेंगे और कटौती पर फिर एक घंटा बोला जायेगा, यह प्रक्रिया में तो कहीं नहीं है। यह इस बात पर निर्भर करता है कि सदन के पास कितना समय है, और माननीय सदस्य कितने हैं जो अपने विचार देने वाले हैं, इसलिये आपसे सौहार्द, सामंजस्य की अपेक्षा करता हूं ताकि अधिक से अधिक माननीय सदस्यों के विचार आ जायं।

कोई माननीय सदस्य अगर एक घंटा बोलने चाहें तो यह संभव नहीं है। वैसे सभी विद्वान माननीय सदस्य हैं, कहने के लिये बहुत ढेर सारे सुझाव हैं लेकिन समय की भी अपनी एक सीमा है, उसके भीतर ही बोलना है। मंत्री जी ने 10 मिनट में अपने विचार रखें और कटौती का प्रस्ताव 5 मिनट, शेष सदस्यों की उनकी संख्या के हिसाब से 5 मिनट या उससे कम। अब माननीय रामतेज जी पहले ही 10-11 मिनट बोल चुके हैं। 4.54 से बोल रहे हैं, पहले ही उन्हें काफी समय दे दिया गया, बीच-बीच में व्यवधान के नाम पर सुझाव भी आते जायेंगे तो वह समय भी इसी में से जायेगा, इसलिये पहले ही समय से समाप्त कर देना चाहिये।

श्री रामतेज यादव एडवोकेट–

मान्यवर, आपकी कृपा, आपके निर्देश का पालन तो मुझे करना ही है।

श्री अधिष्ठाता–

उत्तर भाषण में शेष जो होगा, वह कह लीजियेगा।

(सत्ता पक्ष की ओर से टोकाटाकी किये जाने पर–व्यवधान)

आप लोग शान्त रहें और सारे लोग मुझे सुझाव न दें।

श्री रामतेज यादव एडवोकेट–

माननीय अधिष्ठाता जी, माननीय मंत्री जी ने मधुमक्खी पालन, रेशम उद्योग व्यापार का जिक्र किया जो गांव-गांव स्तर पर हो रहा है, उसमें काफी सुधार की आवश्यकता है और जो बोरिंग हो रही है, हैण्डपम्प लग रहे हैं, वह मानक के आधार पर कम लग रहे हैं । माननीय मंत्री जी ने कहा है कि शिकायत आयेगी तो जांच करेंगे । मैं चाहता हूं कि कोई ऐसी टीम बनायें जो सरप्राइज चैक करें ।

श्री अधिष्ठाता–

आपसे विनम्र निवेदन है कि अब बैठ जायें, मैं आपको अनुमति नहीं दूंगा । रामतेज जी कृपया स्थान ग्रहण करें ।

श्री रामतेज यादव एडवोकेट–

मान्यवर, यह भारतीय जनता पार्टी की सरकार धुंघरुओं और पायल की सरकार है । जो माननीय मंत्री जी की योजना है, वह सुनिश्चित तरीके से लागू नहीं है, मैं कहना चाहता हूं कि यह व्यवस्था ठीक ढंग से लागू हो, इसलिये मैं अपने कटौती प्रस्ताव पर बल देता हूं ।

श्री अजय कुमार पोइया–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे ग्राम्य विकास विभाग के बजट पर बोलने के लिये अवसर दिया । मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले लोगों का गांव में जो सर्वेक्षण रजिस्टर तैयार किया जाता है, उसी के आधार पर सभी योजनाओं का लाभ उनको मिलता है, इसके लिये माननीय मुख्य मंत्री श्री कल्याण सिंह और ग्राम्य विकास मंत्री जी बधाई के पात्र हैं । मान्यवर, ग्राम्य विकास विभाग के अन्तर्गत लघु सिंचाई विभाग के भूगर्भ जल विभाग में भारत सरकार द्वारा सेन्ट्रली स्पान्सर्ड स्कीम के तहत वर्ष 1989-90 में लगभग एक करोड़ 23 लाख रुपये उत्तर प्रदेश सरकार को रिंग मशीनें तथा उससे संबंधित उपकरण खरीदने के लिये दिया गया था, जबकि प्रदेश के कई जनपदों में वाटर टेबुल डाउन हो गया है तथा कई ब्लाक तथा जनपद डार्क श्रेणी में आ गये हैं, इसलिये प्रदेश में कृषकों को सिंचाई के लिये जल उपलब्ध कराने हेतु गहरे छिद्रण कर नलकूप निर्माण कराये जाने की नितान्त आवश्यकता है, इसलिये माननीय मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि किसानों के हित में उक्त भारत सरकार द्वारा दी गयी एक करोड़ 23 लाख रुपये की धनराशि से गहरे नलकूप लगवाने हेतु रिंग मशीन तथा उससे संबंधित उपकरण क्रय कराये जायं ।

मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि जो फ्री बोरिंग हो रही है उसमें बहुत घपले हो रहे हैं लेकिन उनके विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की गयी है । मेरे ब्लाक मथुरा में फरह गांव में बहुत गड़बड़ी की गयी है । मान्यवर, इसके अतिरिक्त मैं यह कहना चाहता हूं कि निदेशक ग्रामीण अभियंत्रण सेवा, मुख्य अभियन्ता लघु सिंचाई और निदेशक भूगर्भ के पद खाली चल रहे हैं उनको शीघ्र भरा जाना चाहिये . मान्यवर, अब मैं इन्दिरा आवास के बारे में कहना चाहता हूं । इन्दिरा आवासों की जो सूची बनायी गयी उसमें बहुत गड़बड़ी की जा रही है और क्रमांक के अनुसार कार्य नहीं किया जा रहा है और बीच-बीच में चयन किया जा रहा है । ऐसा करने वाले अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही की जाय । यह भी अनुरोध करना चाहूंगा कि मथुरा ब्लाक में भ्रष्टाचार पनप रहा है उसको समाप्त किया जाय । मान्यवर, मैं यह चाहता हूं कि गांवों का समन्वित विकास हो और इसके लिये योजनायें लागू की जायं । माननीय मंत्री जी द्वारा जो स्कीम तैयार की गयी है उससे सभी लोगों को लाभ मिल सकेगा । इन शब्दों के साथ माननीय मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट का समर्थन करता हूं ।

श्री लालजी वर्मा–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे कटौती के प्रस्ताव पर बोलने का अवसर दिया । मैं केवल तीन बिन्दुओं की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं । मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने सुनिश्चित रोजगार योजना का जिक्र किया, मैं कहना चाहता हूं कि इसमें माननीय सांसदों और विधायकों के सुझाव नहीं लिये जा रहे हैं, मैं अपने क्षेत्र टाण्डा की बात कहना चाहता हूं एक भी योजना मेरें सुझाव पर नहीं ली गयी है । दूसरा बिन्दु है कि इन्दिरा आवास योजना में शासन ने निर्धारित किया है 60 प्रतिशत मकान अनुसूचित जाति के लोगों को दिये जायेंगे । मेरे जनपद में जो

गाइड लाइन दी गयी है उसके अनुसार कार्य नहीं किया जा रहा है। हमारे जनपद में माझा गांव है और औसानपुर गांव है वहां पर 60 प्रतिशत इन्दिरा आवास अनुसूचित जाति के लोगों को नहीं दिये गये हैं।

डी० आर० डी० ए० की 10 लाख की योजना है उसके सांसद और विधायक सदस्य होते हैं जो योजनायें बनाई जाती हैं उनके प्रस्ताव पर बनाई जाती हैं लेकिन जिलाधिकारी तमाम योजनायें बिना उनकी परामर्श के ले रहे हैं और बाद में उन्हें पास करा लेते हैं। हमारे यहां ऊसर सुधार की योजना ली गयी है इसमें घोर अवहेलना की गयी है और ऐसे लोगों को लिया गया है तो पात्रता की श्रेणी में नहीं आते हैं, तो इस तरह से गलत कार्य किये जा रहे हैं, कमीशन लेकर दूसरे काम किये जा रहे हैं। इन बिन्दुओं की ओर माननीय मंत्री जी ध्यान दें और आवश्यक कार्यवाही करें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं कटौती के प्रस्ताव पर बल देता हूं।

*श्री राजधारी–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपने मुझे बजट के पक्ष में अपनी बात कहने का अवसर दिया मैं आपका बहुत आभारी हूं। मंत्री जी ने जो बजट रखा है और जो संकल्प और इच्छा शक्ति व्यक्त की है उसके लिये वह बधाई के पात्र हैं। निर्माण कार्यों में गुणवत्ता में सुधार हो इस पर उन्होंने निर्णय लिया है और विभिन्न कार्यक्रमों की चर्चा की है और जो शत प्रतिशत सत्यापन की कार्यवाही हो रही है तथा आडिट सेल एवं टेक्निकल सेल बनाये गये हैं उसका विकास कार्यों में अच्छा प्रभाव पड़ेगा। मान्यवर, दो-एक सुझाव देना चाहता हूं।

हमारे डी० आर० डी० ए० के जो कार्यक्रम हैं उसमें जो कर्मचारी काम करते हैं वह स्थानीय होते हैं उसके नाते काफी मनमानी वहां होती है इसलिये इनका स्थानान्तरण जनपदीय किया जाय। दूसरे जनपद में रखा जाय जिससे काम करने में नियंत्रण हो पायेगा। इसके अलावा जो हमारे विकास के कार्यक्रम हैं उनके लिये जो गाइड लाइन्स बनी हैं उसके अनुरूप काम नहीं हो रहा है। मेरा सुझाव है कि इस पर विचार किया जाय। इनकी व्यवहारिकता को ध्यान में रखकर गाइडलाइन तय की जाय। एक ही तरह की योजनायें काफी दिनों से चल रही हैं जैसे पुल-पुलिया बनाना, सड़क बनाना या मिट्टी का काम करना इनमें अब कुछ परिवर्तन किया जाय और कुछ प्रोडेक्टिव वर्क किये जायं तथा जो विकास के कार्य छूट गये हैं उनको इनके माध्यम से चलाया जाय।

अभी इन्दिरा आवास के बारे में जैसे लालजी वर्मा जी ने कहा उनकी शिकायत अलग है हमारे जनपद की शिकायत अलग है जो लक्ष्य उसका रखा गया है उसमें 40 और 60 का अनुपात रखा है जो आवास विहीन हैं उनको आवास देने की बात है। हमारे यहां बलिया में अभी जब बाढ़ आयी थी तो बहुत भारी उससे नुकसान हुआ है लेकिन वहां जो आवास दिये गये हैं वह शतप्रतिशत अनुसूचित जाति के लोगों को ही दिये गये हैं जिससे काफी परेशानी लोगों को हुई है तो उसका 60 और 40 के अनुपात में वितरण होना चाहिये था जैसा कि उनके लिये व्यवस्था निर्धारित की गयी थी चाहे वह किसी भी वर्ग का आदमी हो, यदि वह निर्बल है, और भवन विहीन है तो उनको मकान मिलना चाहिये। अन्यथा उनके मन में असंतोष पैदा होगा।

आपने जो दूसरी डवारका के माध्यम से या दूसरी एन० जी० ओ० के माध्यम से महिलाओं को प्रशिक्षण देने की योजनायें चल रही हैं वह बहुत अच्छी हैं लेकिन उसके व्यवहारिक पक्ष को भी देखने की बात है। उसमें महिला समूह को प्रशिक्षण देने की योजनायें चलाने की बात है डवारिका में जो प्रशिक्षण के लिये बिल्डिंग बनी हैं सुदूर इलाके में रहने वाली महिलायें उसका उपयोग नहीं कर पा रही हैं। इस योजना को रोजगार परक बनाने की बात है जो अभी नहीं हो रही है। इसलिये इनको व्यवहारिक रूप दिया जाय।

[समय 5 बजकर 25 मिनट]

इसलिये जो योजनाओं की घोषणायें माननीय मंत्री जी ने की हैं, वह अच्छी योजनायें हैं लेकिन उनके कार्यान्वयन में जो त्रुटियां हैं उन पर पुनर्विचार करना चाहिये। व्यवहारिकता के पक्ष को अपनाकर

मौजूदा जो स्थिति हैं जो योजनाओं की कमियां हैं उन पर ध्यान रखा जाये ताकि जो विकास के काम हैं, अपना लक्ष्य प्राप्त करें । मैं इस बजट का समर्थन करता हूं ।

* श्री राम पाल सिंह–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने जो योजनाएं गिनायी हैं वह नयी नहीं हैं, पुरानी हैं । इन योजनाओं का क्रियान्वयन मौके पर कैसे हो रहा है, यह देखने की बात है । आपने बताया कि जिन लोगों ने गलती की है उनको पनिश किया गया है । मान्यवर, गोण्डा जनपद में मुझैना विकास खण्ड में इन्दिरा आवास योजना में मार्च के महीने में चयन करके रुपया खा लिया गया । एक ऐसे व्यक्ति का चयन किया गया जिसके पास पक्का मकान था और जो 5-6 हजार रु० की मास्टरी करता है । चेक इश्यू होता है 29 मार्च को और उसका भुगतान होता है मई में 30 मार्च को दरख्वास्त पड़ती है कि दीवार पड़ गयी है 31 तारीख को 7 हजार रु० मिल जाते हैं चेक कट जाता है मकान खड़ा कर दिया जाता है । कम्पलेंट हुई, बैंक से सत्यापन हुआ तो पता चला कि मई में पैसे की निकासी हुई है तो मार्च में कार्य हुआ कैसे दिखा दिया गया ।

मैं इस विषय को माननीय मंत्री जी, माननीय पटेल जी, आयुक्त के संज्ञान में लाया । फिर भी एफ० आई० आर० इसमें नहीं हुई है । डी० एम० ने आदेश किये वह कागज दबा दिया गया । बी० डी० ओ० को लाभ देने के लिये यहां फाइल दबा दी जाती है । यह उदाहरण को आप दिखवा लीजिये । इन्दिरा आवास योजना में जो योजना ब्लाक में जाती है उसमें कौन चयन करेगा, बी० डी० ओ० जिसको गांव में चाहते हैं दे देते हैं । इसमें चयन की प्रक्रिया निश्चित कराइये चाहे बी० डी० सी० से करायें । सुनिश्चित रोजगार योजना ब्लाकों के विकास के लिये, रोजगार के लिये है । गोण्डा बलरामपुर इटियाथोक पर सुनिश्चित रोजगार योजना से पक्का पुल बना दिया गया । आयुक्त की साख हमारे यहां अच्छी है लेकिन नीचे के लोग कागज दबाते हैं । अभी कहा गया कि विभाग में तमाम सेल बना दिये गये हैं तो इससे तो भ्रष्टाचार का और मौका दिया गया है । आपका टेरर होना चाहिये, लोग डरें । इसी के साथ कटौती के प्रस्ताव पर बल देता हूं ।

श्री अधिष्ठाता–

7 मदें हैं, मैं चाहता हूं कि 2-2 लोग ही बोल लें ।

(व्यवधान)

एक-एक मिनट अगर एक-एक सदस्य को दिया जायेगा तो बहुत समय लग जायेगा ।

(शोर)

आप लोग जरा शान्त रहें ।

(शोर)

कृपया शान्त रहें ।

मेजर जगत पाल सिंह–

अधिष्ठाता महोदय आपने मुझे ग्राम्य विकास विभाग के बजट पर बोलने का अवसर दिया इसके लिये मैं आपका आभारी हूं । मैं इस बजट का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं । उत्तर प्रदेश के ग्रामीण अंचलों के विकास में ग्राम्य विकास विभाग का महत्वपूर्ण योगदान रहा है । मान्यवर, ग्रामीण क्षेत्रों में 80 प्रतिशत जनता को राष्ट्रीय प्रसार सेवाओं के संचालन द्वारा लोकप्रिय बनाकर ग्राम्य विकास विभाग ने उनको अच्छा जीवन स्तर पर उपलब्ध कराया है । ग्रामीण क्षेत्रों में प्रमुख कार्यक्रम जो सकरार चला रही है वे सभी जनता में लोकप्रिय हैं । वह कार्यक्रम है एकीकृत ग्राम्य विकास कार्यक्रम, ग्रामीण महिला एवं बालोत्थान योजना, ट्राइसैम योजना, जवाहर योजना, सुनिश्चित रोजगार योजना, इन्दिरा आवास योजना, ग्रामीण अनुसूचित जाति जनजाति पेयजल योजना, दस लाख कूप योजना, राष्ट्रीय उन्नत चूल्हा, राष्ट्रीय वायोगैस कार्यक्रम, गंगा कल्याण योजना, सामुदायिक विकास कार्यक्रम, कृषक प्रसार प्रशिक्षण कार्यक्रम, दीनदयाल प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान, अम्बेडकर विशेष रोजगार योजना । कृषकों को ऋण देने वाली भूमि विकास बैंक राष्ट्रीय बैंकों द्वारा योजनाओं द्वारा किसानों को आर्थिक रूप से स्वावलम्बी बनाया है । मान्यवर, मेरे क्षेत्र मुरादाबाद में जो ग्रामीण क्षेत्रों में मैने स्वयं देखा है और मैं कुछ सुझाव देना चाहता हूं कि एकीकृत ग्राम्य विकास कार्यक्रम

में लघु एवं सीमान्त कृषकों को ऋण उपलब्ध करावे । मान्यवर, इन्दिरा आवास योजना के अन्तर्गत मान्यवर, पात्र व्यक्तियों का कैम्प लगाकर चेक द्वारा धन वितरित किया जाये अन्त में मान्यवर, मैं अपनी बात समाप्त करता हूं और ग्राम्य विकास बजट का समर्थन करता हूं ।

श्री अधिष्ठाता–

माननीय सदस्य इसका ध्यान रखे कि यदि आपको समय दिया जा रहा है तो उस निश्चित समय से आगे न बढ़े ।

* श्री रामजग–

मान्यवर, ग्राम्य विकास विभाग का बजट बहुत ही महत्वपूर्ण बजट है । यह ग्राम समाज से जुड़ा विभाग है । मान्यवर, ग्राम्य विकास के अन्तर्गत चलने वाली जितनी भी योजनायें है उनको सही ढंग से नहीं चलाया जा रहा है । हमारे मंत्री जी ने ऐसी कोई नई योजना प्रस्तुत नहीं की है जिससे आम जनता को लाभ मिल सके । एकीकृत ग्राम्य विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत गरीबी की जीवन रेखा से ऊपर उठने के लिए तमाम ऋणों की जो व्यवस्था की गई है उसमें जनता को पूरा पैसा नहीं मिलता क्योंकि बैंक ऋण देने में पैसा ग्राम सेवक बी०डी०ओ०, ढाई से तीन हजार रुपये ऋण दिलवाने में रिश्वत के रूप में लेते हैं ।

जहां पर 5–6 घर हैं, इण्डिया मार्का हैण्डपम्प लगे हुए हैं । जो गरीब और अति पिछड़े लोग हैं उनके 25–25 घर हैं, 50–50 घर हैं, वहां एक भी इण्डिया मार्का हैण्ड पम्प नहीं है । माना कि सुनिश्चित रोजगार केन्द्र सरकार की एक बेहतर योजना है जो गरीबों के लिए रोजगार की व्यवस्था के लिए है ।

मान्यवर, जहां तक मुझे ज्ञात है, सुनिश्चित रोजगार योजना के अन्तर्गत अच्छे ढंग से काम नहीं होता है । इस प्रकार से मान्यवर, हमारा यह कहना है कि माननीय मंत्री जी अपनी तमाम योजनाएं चलाते हैं लेकिन उनका लाभ गरीबों को नहीं मिलता है । यदि आप वास्तव में चाहते हैं कि इसको सही ढंग से लागू किया जाये तो इसको ईमानदारी के साथ करें क्योंकि गांव में रहने वाले जो सामंती हैं, जो प्रभावशाली हैं, वह नहीं चाहते हैं कि बेहतर ढंग से उनको ऋण मिले, इनके बेहतर काम हों और उनके घरों के पास इण्डिया मार्का हैण्ड पम्प लगेंगे । केवल प्रभावशाली लोग इसका लाभ उठाते हैं । इसलिए मंत्री जी से मैं चाहूंगा कि इस सम्बन्ध में जैसा कि सुनिश्चित रोजगार योजना के अन्तर्गत डी०एम० के यहां जो ठेकेदार हैं, पैसे वाले हैं, ठेकेदार पैसा देकर अपने ढंग से काम ले जाता है, इसलिए मेरा यह कहना है कि ग्रामीण अंचल में जो योजनाएं हैं, सही ढंग से लागू नहीं हो पायेंगी, उसमें जनप्रतिनिधियों की भागीदारी हो, तभी कुछ बेहतर ढंग से काम हो सकेगा । अन्त में मैं माननीय रामतेज जी के कटौती प्रस्ताव का समर्थन करता हूं ।

(श्री भोला शंकर मौर्य का नाम पुकारे जाने और उनके अनुपस्थित होने पर श्री आर० के० सिंह पटेल को कटौती के प्रस्ताव पर बोलने के लिए पुकारा गया ।)

*श्री आर० के० सिंह पटेल–

मान्यवर, कटौती के प्रस्ताव पर बोलने का अवसर दिया, मैं आपका बहुत-बहुत आभारी हूं । मान्यवर मेरे जनपद चित्रकूट में बुन्देलखण्ड में एक योजना उत्तर प्रदेश ग्रामीण पेयजल एवं पर्यावरणीय कार्यक्रम के अन्तर्गत एक कार्यक्रम चलाया जा रहा है । मान्यवर, उसमें विश्व बैंक के माध्यम से जो पैसा

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

आ रहा है, समाज सेवी संस्थाओं के माध्यम से कार्य कराये जायें । गांवों में उसमें 50 परसेन्ट अनुदान है, 10 प्रतिशत गांव के लोगों का सहयोग है, मान्यवर, स्वजल परियोजना के नाम से जो काम कराये जा रहे हैं वह मौके पर 27 लाख, 30 लाख, 25 लाख जो पानी की टंकियां बनाने के लिए गांव में पैसा दिया जा रहा है, मान्यवर, 10 परसेन्ट गांव से जो श्रमदान है वही दिखायी दे रहा है परन्तु 90 परसेन्ट विश्व बैंक का जो पैसा आ रहा है वह दिखायी नहीं दे रहा है । इसी तरह से ट्राइसेम योजना, 10 लाख कूप योजना आदि जो चल रही हैं । उसमें कोई ऐसी योजना नहीं है जो बिना पैसे के लेन-देन के गरीब को मुहैया हो ।

मान्यवर, हर योजना पर मेरे जनपद में जो पात्र व्यक्ति हैं उनमें 3-5 हजार रुपयों की वसूली की जाती है । मान्यवर, मैं पहली बार बोल रहा हूं मुझे समय दे दें । इसी तरह से 10 लाख कूप योजना में बुन्देलखण्ड में कुएं बनवाये जा रहे हैं लेकिन मौके पर देखा जाय तो एक कुआं भी नहीं बना है और 40 हजार रुपया जो दिया जा रहा है वह बरबाद हो रहा है । मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि जो तथ्य मैंने रखे हैं उनकी जांच करायी जाय । इसी तरह से डवाकरा योजना चल रही है उसमें ट्रेनिंग के नाम पर, ट्राईसेम योजना में प्रशिक्षण देने के नाम पर फर्जी भुगतान निकाल लिया जाता है और एक भी व्यक्ति को योजना का लाभ नहीं मिल रहा है । सरकार की नीयत और नीति में फर्क है । सरकार की नीतियां पुरानी हैं लेकिन नीतियों के हिसाब से नीयत ठीक नहीं है । इन्हीं शब्दों के साथ मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करते हुये अपनी बात समाप्त करता हूं ।

* श्री शिव सिंह चक–

मान्यवर, आपने ग्राम्य विकास विभाग के बजट पर बोलने के लिये अवसर दिया इसके लिये आपका आभारी हूं । इस विभाग के द्वारा चलायी जा रही है। जवाहर रोजगार योजना में वर्ष 99-2000 में 2500 करोड़ रुपये खर्च करने का प्राविधान रखा गया है । जबकि पिछले वर्ष यह धनराशि, 2000 करोड़ रुपये की योजना थी । इस साल 500 करोड़ रुपये यानी 25 प्रतिशत अधिक धन दिया गया है । ग्रामीण क्षेत्रों में 1 लाख 20 हजार इण्डिया मार्का–II हैण्ड पम्प लगाये जायेंगे । गांवों को सम्पर्क मार्गों से जोड़ने के लिये 5 हजार कि० मीटर सड़कें बनाकर उनसे 3100 गांव पक्के सम्पर्क मार्ग से जोड़े जायेंगे । इसमें 425 करोड़ रुपये व्यय किये जायेंगे । मान्यवर, इसी तरह से 10 लाख कूप योजना में, इन्दिरा आवास योजना में और अन्य योजनाओं में पहली बार भाजपा की सरकार ने अनेक योजनायें चलायी हैं ।

मान्यवर, इसी तरह से हर विधायक को अपने क्षेत्र के अन्दर विकास कार्यों के लिए पहली बार 50 लाख रुपये दिये जा रहे हैं जिससे कि जनहित के काम हो सकेंगे । मैं माननीय मुख्य मंत्री कल्याण सिंह और माननीय ग्राम्य विकास मंत्री के बजट का समर्थन करता हूं और यह कहना चाहता हूं कि हमारे यहां टूण्डला विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत मिलिट एक गांव है उस गांव का पानी इतना खारा है कि उस गांव में लोगों के कूबड़ की बीमारी और बच्चे लंगड़े हो जाते हैं । उस गांव की पेयजल व्यवस्था में जल्द से जल्द सुधार किया जाय । यही पर मैं अपनी चर्चा को खत्म करता हूं ।

श्री राम विशुन आजाद–

मान्यवर, आपने मुझे कटौती प्रस्ताव पर बोलने का अवसर दिया इसके लिए मैं आपका आभारी हूं । जनपद गोण्डा में इन्दिरा आवास योजना के अन्तर्गत जो पात्र व्यक्ति हैं उनका चयन न करके अपात्र व्यक्तियों को लाभ पहुंचाया जा रहा है । मैंने कई बार इस संबंध में प्रशासन को अवगत कराया । हमारे विधान सभा क्षेत्र मनकापुर में जो अम्बेडकर गांवों का स्वर्ण जयन्ती वर्ष में गांधी ग्रामों का चयन

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

हुआ है उसमें पात्र व्यक्ति लाभान्वित नहीं हो रहे हैं । ट्राईसम योजना के अन्तर्गत जिन व्यक्तियों का चयन होता है और जो टूल किट्स दिये जाते हैं वह घटिया किस्म की होती है, सही काम नहीं करती है । ग्रामीण पेयजल योजना में पक्के कुंए बनाये जाने की बात कही गयी है ।

आज गांवों में इण्डिया मार्का–II हैण्ड पम्प लगाये जा रहे हैं वह उन्हीं व्यक्तियों के दरवाजे पर लगाये जा रहे हैं जो प्रभावशाली हैं और उसका लाभ छोटी जाति के लोगों को नहीं मिल रहा है । मेरा सुझाव है कि पक्का कुआं बनाने की योजना बृहद रूप से चलायी जाये । गांवा में जब आग लगती है उस समय इण्डिया मार्का–II काम नहीं कर पाते हैं । कुओं के पानी से ही काम चल पाता है । मान्यवर, पक्के कुएं की योजना बनायी जाये जिससे गांवों को लाभ मिल सके । जो सुनिश्चित रोजगार योजना चल रही है । हमारे जनपद गोण्डा में सुनिश्चित रोजगार का पैसा सारा का सारा पक्के कामों पर खर्च किया जा रहा है जबकि नियम यह है कि 60 प्रतिशत पैसा कच्चे कामों पर तथा 40 प्रतिशत पक्के कामों पर खर्च किया जायेगा । लेकिन हमारे यहां ऐसा नहीं हो रहा है ।

मान्यवर, सम्पर्क मार्गों की बात कही गयी है हम एक हजार की आबादी के ग्रामों को सम्पर्क मार्गों से जोड़ रहे हैं । हमारे जनपद गोण्डा में ऐसा नहीं किया जा रहा है । मान्यवर, जो प्रस्ताव दिये जाते हैं उनका प्राथमिता के आधार पर चयन करके इसको लिया जाये जिससे ग्रामों को सम्पर्क मार्ग से जोड़ने का लाभ मिल सके । इन्हीं शब्दों के साथ मैं कटौती के प्रस्ताव पर बल देता हूं ।

(श्री उदय राज यादव के बोलने के लिए खड़े होने पर)

श्री अधिष्ठाता–

उदयराज जी आप अगले बजट पंचायत राज पर अपनी बात रखियेगा क्योंकि काफी समय हो रहा है ।

श्री उदय राज यादव–

मान्यवर, दो मिनट का मौका दे दें ।

श्री अधिष्ठाता–

मैं तो चाह रहा था कि अब माननीय सदस्य अगली मद पर अपना विचार रखते । अगर आप लोग नहीं मान रहे हैं तो पहले इधर से भी बुलवाना पड़ेगा । श्री शेर बहादुर जी अपनी बात रखें ।

* श्री शेर बहादुर–

माननीय अधिष्ठाता जी, मैं आपके प्रति आभार व्यक्त करता हूं कि आपने माननीय ग्राम्य विकास मंत्री जी द्वारा पेश किये गये क्रांतिकारी बजट का समर्थन करने का अवसर दिया है । हिन्दुस्तान की 80 फीसदी जनता गांवों में रहती है । देश, विदेश का विकास तब तक संभव नहीं है जब तक गांवों का शहरीकरण न हो जाये । आज गांवों की शिक्षित जनता शहरों की तरफ भाग रही है। माननीय मंत्री जी ने जो बजट पेश किया है, उससे गांवों के शिक्षित लोग गांव में ही रह जायेंगे । गांवों का विकास तब तक संभव नहीं है जब तक सूझबूझ से रहने वाले व्यक्ति गांवों में न रहें, उसके विकास के बारे में न सोचे । इन्दिरा आवास योजना जो गरीबी की रेखा से नीचे हैं और आवास विहीन हैं उनको आवास देने की योजना है । गांवों में शुद्ध पेयजल और हैण्डपम्प लगाये जाने की योजना है । जवाहर रोजगार योजना के पैसे गांवों को सड़कों से जोड़ा जा रहा है ।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

गांवों में ट्राईसेम योजना के अन्तर्गत प्रशिक्षण दिया जा रहा है । जिससे गांवों की महिलायें रोजगार युक्त हो रही हैं । उन्हें डवाकरा योजना के अन्तर्गत प्रशिक्षण दिया जा रहा है । गांवों के विकास के लिए जो क्रांतिकारी कदम उठाया है उसे पिछली सरकारों ने नहीं उठाया था । मान्यवर, ग्रामों में हर चीज की सुविधा उपलब्ध कराने हेतु स्वतः रोजगार योजना के अन्तर्गत गांवों में दुकानें खुल रही हैं ताकि आदमी की हर आवश्यकता की चीज गांवों में मिले और लोगों को शहर में न जाना पड़े । इसीलिए कि गांवों में लोग रुकें, गांवों की प्रगति हो, गांवों की प्रगति तभी संभव है जब गांवों को सुविधा मिले । मंत्री जी इस क्रांतिकारी बजट में यह धन दे रहे हैं । मैं विपक्षी भाइयों से कह रहा हूं कि कटौती का प्रस्ताव न रखकर बल्कि आप लोगों को समर्थन करना चाहिए । यह आवश्यकता से कम धन है और धन दिया जाए तभी गांवों का विकास संभव है तभी हमारा विकास संभव है तभी प्रदेश का विकास संभव है । इन शब्दों के साथ मैं प्रस्तुत बजट का समर्थन करता हूं ।

श्री भीम प्रसाद सोनकर–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे कटौती के समर्थन में बोलने का अवसर दिया । मैं केवल दो तीन बातें कहना चाहता हूं । सुनिश्चित रोजगार योजना के अन्तर्गत डी० एम० अपने मनमाने तरीके से पूरे प्रदेश मे जहां चाहते हैं वहां पैसा दे देते हैं । माननीय सदस्यों की संस्तुति नहीं ली जाती है । इन्दिरा आवास में जो 20 हजार रुपये मिलते हैं यह रुपये कम हैं इनको 25 हजार रुपये किया जाए । क्योंकि इसमें आवास नहीं बन पा रहा है । लेट्रीन नहीं बन पा रही है । इसी के साथ पूर्व में 96-97, 97-98, 98-99 में जो फ्री बोरिंग चलाई गई थी उसकी जांच कराई जाये । जो मजदूर लगाए गये थे उनको मजदूरी नहीं मिली है । उनकी मजदूरी दिलाई जाए इन शब्दों के साथ मैं श्री रामतेज यादव एडवोकेट द्वारा रखे गये कटौती के प्रस्ताव पर बल देता हूं ।

श्री जगदीश नारायण राय–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे ग्राम्य विकास विभाग के कटौती प्रस्ताव पर बोलने का अवसर दिया । बजट में अभी कहा गया कि विकास खण्डों में टेलीफोन लगायेंगे, विद्युत की व्यवस्था की जायेगी । मैं मंत्री जी से अनुरोध करना चाहूंगा 40 वर्ष पूर्व बने हुए विकास खण्ड हैं जिनका आवास जर्जर हो चुके हैं । उनके लिए धन की व्यवस्था की जाए अगर बजट न हो तो अवस्थापना मद से धन निकालकर भवनों का निर्माण कराया जाए आप इस कार्य को शुरू करवा दें तो दो तीन साल में पूरा हो जायेगा । डी०आर०डी०ए० की बैठकें तीन महीने में होने का प्राविधान है लेकिन कभी 6 महीने में यह बैठक होती है कभी साल भर में डी०आर०डी०ए० की बैठक होती है इसकी तीन महीने में करवाना सुनिश्चित करें । आर्थिक रजिस्टर जो बहुत पहले इस प्रदेश में बनाया गया था उसमें पुनः परीक्षण कराकर कम्प्यूटरीकृत कराकर उसको सही करने की व्यवस्था की जाए जिससे भ्रष्टाचार मुक्त व्यवस्था हो सकेगी । इन शब्दों के साथ मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं ।

श्री गोरखनाथ पाण्डेय–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट का समर्थन करने के लिए बोलने का अवसर दिया । उत्तर प्रदेश जो गांवों में बसता है उस गांव के विकास के लिए अनके योजनाओं के माध्यम से जो बजट प्रस्तुत किया गया है । वास्तव में वह सराहनीय है । प्रशंसनीय है । विभिन्न योजनाओं के माध्यम से गांवों के निचले दबे कुचले निर्धन परिवारों को लाभान्वित करने का प्रयास किया गया है जिसमें जे०आर०आई०एस०आर०वाई० ट्राईसेम योजना है महिला कल्याण योजना अन्य सारी योजनाओं के माध्यम से गांवों को विकसित करने का लक्ष्य रखा है । बजट में प्राविधान किया है । इसके लिए मंत्री जी बधाई के पात्र हैं ।

मैं मंत्री जी का ध्यान भदोही जनपद की तरफ आकृष्ट करना चाहता हूं। एक भू-सर्वेक्षण हुआ है और उस सर्वेक्षण की रिपोर्ट में यह आया है कि भू-गर्भ का जो जल स्तर है, जहां से हम हैण्डपम्प और कुंए के माध्यम से पीने के लिए पानी लेते हैं, उसमें एक पदार्थ क्रोमियम होता है जो जहर होता है वह उस जल में मिश्रित हो गया है। भदोही जनपद के ऐसे स्थानों को उन्होंने चयनित किया है जहां पर क्रोमियम की मात्रा 0.25 तक है। माधो सिंह एरिया में मसरनपुर में 0.06, औरैया में 0.08 और गोपीगंज में 0.07 परसेन्ट है जबकि क्रोमियम की मात्रा जीरो से कम होनी चाहिए परन्तु यह 0.25 प्रतिशत तक पायी गयी है। इस पानी को पीने से वहां के लोग कैंसर रोग से पीड़ित हो रहे हैं या ऐसा रोग उन्हें हो रहा है जिससे वे लूले-लंगड़े हो रहे हैं इसलिए आप इसका सर्वेक्षण करा लें और इस जल को पीने से जो बीमारियां उत्पन्न हो रही हैं उनकी रोकथाम के लिए व्यवस्था करें।

मान्यवर, ग्रामीण अंचलों में 25 हैण्डपम्प 1997-98, 1998-99 और 1999-2000 के लिये दिये गये हैं वह 25 हैण्ड पम्प हर वर्ष प्रत्येक विधायक को मिले इसकी व्यवस्था बजट में होनी चाहिए। मान्यवर, कुछ ग्रामीण अंचलों में राजीव फाउण्डेशन के माध्यम से हैण्डपम्प लगे। उसका सर्वेक्षण हुआ था और उस सर्वेक्षण के माध्यम से विभिन्न योजनाओं के द्वारा ऐसे गांवों को चयनित किया गया जो आज भी अन्य योजनाओं के आधार पर वहां पर हैण्ड पम्प लगाये जा रहे हैं जहां पर उनकी आवश्यकता नहीं है। ऐसे गांवों में नयी योजनाओं के तहत हैण्ड पम्प तो लगाये ही जा रहे हैं। परन्तु वहीं पर पुरानी योजनाओं के माध्यम से भी हैण्ड पम्प लगाये जा रहे हैं इसलिए मेरा अनुरोध है कि इसका आप सर्वेक्षण करा लें और ऐसे स्थलों का चयन करें जहां पर हैण्डपम्प न लगे हों वहां पर हैण्ड पम्प लगायें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं बजट का समर्थन करता हूं।

श्री उदय राज यादव–

मान्यवर, आपने मुझे कटौती के प्रस्ताव के समर्थन में अपने विचार रखने का अवसर दिया इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। माननीय मंत्री जी ने ग्रामों के विकास के लिए तमाम योजनायें रखीं और इन्दिरा आवास योजना का उदाहरण दिया और सुनिश्चित रोजगार से मिलने वाले धन की बात कही जिनका गांव के विकास से सीधा सम्बन्ध है चाहे डी०आर०डी०ए० की ही योजना क्यों न हो। इसमें सच्चाई कितनी है। माननीय मंत्री जी ने जो तमाम योजनायें यहां पर बताई उसमें से अधिकांश योजनायें इस सरकार से पहले से चल रही हैं। फिर जिन योजनाओं का जिक्र मंत्री जी ने यहां पर किया क्या वास्तव में वे योजनायें ठीक ढंग से चल रही हैं ? इन्दिरा आवास योजना की बात उठायी गयी। मेरे जनपद में विकास खण्डों में जो इन्दिरा विकास योजना चल रही है उसमें हो रही धांधलियों की बात तो मैंने कई बार रखा और अधिकारियों को पत्र भी लिखे मेरा यह मानना है कि मेरे ही विधान सभा क्षेत्र में नहीं,अपितु पूरे प्रदेश में कोई भी ऐसा खण्ड विकास अधिकारी नहीं है जो 2 हजार से 5 हजार रुपया देकर इन्दिरा आवास देने का काम न करता हो। आज उन लोगों को इन्दिरा आवास आवंटित हो रहे हैं जो इसके पात्र ही नहीं हैं। जहां तक सुनिश्चित रोजगार योजना का सवाल है जो पैसा जनपद स्तर तक दिया जाता है पहले से ही एक गाइड लाइन्स इस सदन में घोषित की गयी थी और कहा था माननीय विधायकगण से प्रस्ताव लेने के बाद उस पैसे को खर्च करने का काम किया जायेगा। आज अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है उत्तर प्रदेश सरकार के जो अधिकारी हैं वह सरकार के आदेशों का पालन नहीं कर रहे हैं। सुनिश्चित रोजगार योजना के पैसे के बारे में सरकार द्वारा गाइड लाइन दी गई थी कि उसका पैसा किस तरह से खर्च किया जायेगा लेकिन उस तरीके से उस पैसे को खर्च करने का काम नहीं किया जा रहा है। मैंने यहां तक देखा है कि ग्राम प्रधान के प्रस्ताव पर या पूर्व विधायकों के प्रस्ताव पर भी .....

श्री अधिष्ठाता–

अब समाप्त करें।

श्री उदय राज यादव–

मान्यवर, एक मिनट में समाप्त करता हूं। इसी तरह से मान्यवर, चाहे यह ट्राईसेम योजना हो या अन्य कोई योजना हो, गांवों के नौजवान बेरोजगारों को शिक्षण देने के लिये कोई योजना बनी हो, मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि आप इसकी जांच करा लें कि कहीं भी यह पूरे उत्तर प्रदेश में अगर चल रही हों। सत्ता में बैठे लोग और उनका जो समर्थन करते हैं एक फर्जी कम्पनी बनाकर उस पैसे को हड़पने का काम कर रहे हैं। तमाम योजनाएं जो गांवों से संबंधित हैं, अम्बेदकर गांव हो, गांधी ग्राम घोषित करने का काम कहीं अगर किया गया हो। यह सब काम कागज तक ही सीमित रह गया है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि इंदिरा आवास की बात हो, जवाहर रोजगार हो, सुनिश्चित रोजगार योजना हो, ग्राम विकास का जो पैसा डी०आर०डी०ए० के अन्तर्गत जा रहा है, इन सब योजनाओं के बारे में जांच करवायें और जो दोषी अधिकारी पाये जायं उनके खिलाफ कड़ी कार्यवाही करें।

श्री अधिष्ठाता–

अब आप समाप्त करें।

श्री राम चन्दर यादव–

मान्यवर, कटैती के प्रस्ताव पर आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, उसके लिये मैं आपका आभारी हूं। मान्यवर, ग्राम्य विकास विभाग के बजट में माननीय मंत्री जी ने जो उपलब्धियां और योजनायें रखी हैं उसमें खास तौर से ग्रामों के विकास के नाम पर जिलों में ब्लाकों का गठन किया गया है, तथा ग्राम पंचायतों और क्षेत्र पंचायतों में पंचायत प्रतिनिधि की भागेदारी और दूसरी तरफ जो सरकारी ग्राम्य विकास के नाम पर लगाई गई टीम निश्चित तौर से ब्लाक मुख्यालयों पर पहुंचने के नाम पर विकास के योजनाओं को ग्राम वार के चिन्हित करके समस्या के निदान हेतु बने सभाकक्ष छोटे है उनको बटांया जाने का कोई प्राविधान नहीं किया गया है। इसके साथ-साथ ग्राम प्रधानों और क्षेत्रीय पंचायतों में महिला प्रतिनिधि की भागीदारी की वजह से महिलाओं की संख्या भी ज्यादा हो गयी है। महिलाओं के लिये ब्लाक मुख्यालय पर शौचालय नहीं है।

जो ब्लाक के खण्ड विकास अधिकारी हैं, या जिला विकास अधिकारी हैं उनसे कहने के बावजूद भी महिलाओं के लिये अलग से शौचालय की व्यवस्था के नाम पर कोई उपाय नहीं किये जा रहे हैं। इस बजट में इसके लिये भी प्राविधान होना चाहिए। आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से निवेदन है कि जब वह अपना उत्तर भाषण दें तो इस पर पूरी तरह से व्यवस्था सुनिश्चित करे आज गांव में हैण्ड पम्प लगाये जाने के नाम से जिस तरह से विवाद हो रहा है अव्यवस्था पैदा हो रही है, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि जिस तरह से ग्राम पंचायत को छूट दे दी गई है कहीं पर बैठक नहीं हो रही है बार-बार डी०एम० के संज्ञान में लाने के बाद भी उचित स्थान पर हैण्ड पम्प स्थापित नहीं किये जा रहे हैं। मैं अपने विधान सभा क्षेत्र की तरफ ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। जहां इस प्रकार की खामियां हैं उन्हें दूर करने के प्रभावी आदेश दिये जायं।

श्री अधिष्ठाता–

माननीय सदस्य अब समाप्त करें।

श्री राम चन्दर यादव–

मान्यवर, जो 97-98 में माननीय सदस्यों को 25-25 हैण्ड पम्प लगाने की सुविधा दी गई थी 98 में भी वह सुविधा प्रदान की जानी चाहिए थी लेकिन नहीं दी गई । माननीय मंत्री जी से निवेदन है कि इसकी भी घोषणा करें । सुनिश्चित रोजगार योजना के सम्बन्ध में कहना है कि खास तौर से जनपद फैजाबाद में जिस तरह से सुनिश्चित रोजगार योजना में धन दिया गया और धन की मांगों के विपरीत धन का दुरुपयोग किया गया । भूमि संरक्षण जल संरक्षण वनीयकरण के नाम पर दूसरी तीसरी प्रस्तावित योजनायें बनाकर धन खर्च किया गया । मान्यवर, विकास के नाम पर कहीं बाउन्ड्री वाल बनाई गई, कहीं हैण्डपम्प लगाए गए कहीं बिजलीकरण के नाम पर जिले के प्रभावी लोगों के कहने पर बिजलीकरण पर पैसा खर्चा किया गया यह गाइड लाइन के विपरीत है इस तरह से पैसा खर्चा किया जा रहा है । इसमें जांच करावें अगर अधिकारियों का दोष है तो उनको दण्डित करें ।

श्री अधिष्ठाता–

समाप्त करें ।

श्री राम चन्दर यादव–

मेरे क्षेत्र में आग से कई गांव प्रभावित हुए हैं सेतवां, इटौंजा आवास आदि की एक दर्जन गांव आग से प्रभावित पिछले साल हुए मैंने निवेदन किया था । अनुसूचित जाति के जिनके मकान जले थे उनके लिए अलग से आवास की सुविधा की मांग की गई थी आपके संज्ञान में लाने के बावजूद कोई कार्यवाही नहीं की गई है । उसका मऊ जनपद सुल्तानपुर व वरईपारा त० मिलकी के फैजाबाद में सैकड़ों घर जलकर राख हो गए । अग्निकाण्ड की घटनायें फिर शुरू हो गई हैं अग्नि से प्रभावित लोग जो हैं उनको आवास की सुविधा आदि प्रदान करने का कष्ट करें इसी के साथ मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं ।

श्री रामतेज यादव एडवोकेट–

मान्यवर, सत्ता पक्ष और विपक्ष के राभी साथियों ने ग्राम्य विकास मंत्री जी के बजट और मेरे कटौती के प्रस्ताव पर बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया और अपने विचारों को रखा मैं साथियों के सुझाव पर हार्दिक अभिनन्दन देता हूं । इसलिए कि सभी साथियों ने एक आवाज दी कि ग्राम्य विकास के लिए गांव के विकास के लिए बहुत काम करना है कीमती सुझाव दिए माननीय नेता सदन ग्राम्य विकास बजट के बीच में आ गए थोड़ी देर और पहले आते तो वह और अच्छी तरह जान जाते । ग्राम्य विकास का विकास उनके कन्धों पर है ग्राम्य विकास विभाग का विकास उन्हीं के संज्ञान से होना है । मान्यवर, प्रदेश में बाढ़ बहुत आती है सुनिश्चित रोजगार योजना है घाघरा, सरजू, राप्ती और दूसरी नदियों के कटान से बाढ़ से तबाही हो जाती है उन गांवों को ऊंचा कर दिया जाए ताकि बाढ़ का पानी उनके घरों में न घुस के गांव को इतना ऊंचा किया जाए ताकि बाढ़ का पानी सीधा न जा सके और जानमाल की सुरक्षा हो सके ।

मान्यवर, ब्लाक में भवन बनाए गए हैं वहां कुर्सी नहीं है दरी नहीं है प्रधान बी०डी०सी० या क्षेत्र समिति के लोग आते हैं वह कहां बैठें इस पर मंत्री जी को कोई सोच पैदा करनी चाहिए । मान्यवर, आपने वह निश्चित किया कि गांवों के विकास के लिए जो भी बजट हो सके वे ज्यादा से ज्यादा देना चाहिए यह मंत्री जी ने सोच पैदा करने की कोशिश की यह अच्छी पहल है लेकिन शुरू से यह चिल्लाए जा रहे हैं बजट नहीं है, पैसा नहीं है इस पर आपको मंत्री जी को चिन्तन करना है । विकास में जो सहयोग हो सके वह दें । जो आलोचना होती है उस आलोचना को आलोचना के रूप में मत लीजिए आलोचना और सुझाव को तरक्की के रास्ते में अच्छा कदम मानकर चलिए ।

अगर यह महसूस करेंगे कि यह कम्युनिस्ट पार्टी, कांग्रेस पार्टी या समाजवादी पार्टी ने सुझाव दिये हैं और इसको स्वीकार नहीं करना है तो जनतंत्र में बहुत बड़ी भूल होगी, सरकार की भूल होगी । तमाम महापुरुषों के नाम पर विकास योजनाएं चलायी गयी हैं, यह कहा गया । बहुत से ऐसे महापुरुष हैं जैसे रफी अहमद किदवई साहब, अबुल कलाम आजाद जी, मौलाना मोहम्मद अली जौहर और मोहम्मद खुमानी साहब, अब्दुल हमीद इनके नाम से ग्रामीण विकास योजनाएं चलायी जा सकती हैं । इससे यह सिद्ध हो जायेगा कि यह धर्मनिरपेक्ष हैं ।

माननीय मंत्री जी सोच सकते हैं नेता सदन और उस दल के लोग सोचें तो अच्छी बात होगी । मान्यवर, माननीय कल्याण सिंह जी बैठे हुए हैं मैं यह कहना चाहूंगा कि ग्रामीण विकास में और रुचि लें । माननीय मंत्री जी आप गांव के हैं भी और नहीं भी हैं । आपके नाम के आगे चौधरी शब्द जुड़ा हुआ है और चौधरी चरण सिंह जी ने चाहा था कि गांव का समग्र विकास हो, तभी प्रदेश का विकास होगा । आप करीब भी रहे हैं । बहुत सी बातें आप उनकी भूल गये होंगे । आपने अपनी बात कही है । ग्रामीण क्षेत्रों में अनुसूचित जाति तथा जनजाति पेयजल योजना, निर्बल वर्ग आवास योजना, सामुदायिक विकास कार्यक्रम कृषक प्रसार प्रशिक्षण कार्यक्रम, सुनिश्चित रोजगार योजना, अम्बेडकर विशेष रोजगार योजना पर आपने कोई ध्यान नहीं दिया है । मैं कहना चाहता हूं कि इन योजनाओं पर ध्यान दें । अभी हमारे तमाम साथियों ने यह कहा कि विकास का कार्यक्रम केवल कागजी घोड़े पर दिखाया जा रहा है तो यह ठीक नहीं है । आप गांव के विकास की तरफ ध्यान दें और जहां-जहां भ्रष्टाचार है आप लोग उसको देखें । इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं ।

चौधरी नरेन्द्र सिंह--

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं विपक्ष और सत्ता पक्ष के सभी सम्मानित सदस्यों का बहुत आभारी हूं जिन्होंने ग्राम्य विकास जैसे महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा में भाग लिया । समय कम है इसलिए लोगों को मैंने अपना समय दिया था । मैंने अपनी तरफ से यह प्रयास किया था कि मैं अपना समय दे दूं क्योंकि समय कम था । फिर भी कुछ अच्छे सुझाव आये और सभी के मन में यह वेदना है कि किस तरीके से गांव की हालत में बढ़ोत्तरी हो, गांव की गरीबी दूर हो और गांव के लोगों का रहन-सहन का स्तर ऊंचा उठ सके । यह सभी के मन में हैं कि किसी तरीके से बेरोजगार लोगों की बेरोजगारी दूर हो । मैं यह कहना चाहता हूं कि माननीय सदस्यों ने जो-जो सुझाव दिये हैं अगर हम उनका विश्लेषण करें तो 4-5 बिन्दु आते हैं उसमें पेयजल, इंदिरा आवास, सुनिश्चित रोजगार योजना, महिलाओं से संबंधित योजना, गरीबी की रेखा के नीचे जीवन बिताने वालों की समस्या के बारे में । इंदिरा आवास योजना के बारे में मैं सदन को आपके माध्यम से यह आश्वस्त करना चाहता हूं कि हमने इस बात का पूरा प्रयास किया है कि जो पात्र व्यक्ति हों उन्हीं को इन्दिरा आवास आवंटित किये जायें, फिर गाईडलाइन्स में हमने सुधार कराया है । जहां से शिकायतें आयी हैं हमने जांच भी करायी है । जो लगभग चार दर्जन बी०डी०ओ० के खिलाफ कार्यवाही हुई है उनमें से आधे से ज्यादा के खिलाफ कार्यवाही इन्दिरा आवास में चयन को लेकर हुई है । अगर किसी अपात्र व्यक्ति को आवास आवंटित हो जाता है और जांच में यह पाया जाता है कि उसके लिए वह पात्र नहीं है तो उसका आवंटन रद्द करके उससे रिकवरी करके पात्र व्यक्ति को आवास आवंटित किया जाता है ।

अगर कहीं अपात्र व्यक्ति को कोई लाभ दिया गया और आप हमारी संज्ञान में लायेंगे तो पूरी तरह से जांच करके और जरूरत होगी तो मुख्यालय से टीम भेजकर जांच करवायेंगे और उनके खिलाफ कार्यवाही करायेंगे । माननीय सदस्यों ने कुछ उदाहरण दिये हैं उसे हम दिखवा लेंगे और जांच करवायेंगे और उसमें कार्यवाही की जायेगी । सुनिश्चित रोजगार योजना के बारे में बात कही गयी, माननीय मुख्य मंत्री जी के नेतृत्व में और उनके निर्देशन में डलटेलिंग शुरू हुई उससे अच्छा उपयोग होने लगा ।

97-98 तक बहुत से ब्लाकों में एक किश्त ली जाती थी 98-99 में हमने 2-2 किश्तें करीब-करीब सभी ब्लाकों में ले ली हैं और उस धन का उपयोग भी सुनिश्चित कराया है । एस०आर०वाई० में ग्राम्य विकास से निर्देश दे दिये हैं चूंकि योजना ब्लाक के हिसाब से बनती है इसमें माननीय विधायक की सांसद की उनकी भी राय ले ली जाय उनके भी प्रस्ताव इसमें भी लिये जायें । आज योजना सिर्फ एक वर्ष की नहीं 3 वर्ष के लिए नहीं, चौथी बन रही है, एक-एक योजना को सम्मिलित करके सम्मिलीकरण करा दिया है ।

श्री रामतेज यादव एडवोकेट–

माननीय सांसद और विधायकों के भी न लिये जायें, बल्कि अधिकारियों के ही लिये जायें और किसी के न लिये जायें, यह सुनिश्चित करा लें ।

श्री चौधरी नरेन्द्र सिंह–

माननीय सांसद और विधायकों से ही प्रस्ताव लिये जायेंगे और उनका ही प्रस्ताव माना जायेगा, यह निर्देश दिये गये हैं, हमारे यहां से जो गाइडलाइन गई हैं, उसकी एक कापी भिजवा दूंगा । दूसरी बात डी०आर०डी०ए० की कार्य पद्धति में सुधार की कही गई । इसमें सुधार की गुंजाइश है, हम इसका परीक्षण करा रहे हैं । चूंकि डी०आर०डी०ए० का गठन भारत सरकार के निर्देशों के माध्यम से हुआ है, यह अपने आप में एक स्वायत्तशासी संस्था होती है, तो इसमें हमारी दखलन्दाजी कठिन होती है, परन्तु फिर भी हम इस प्रयास में है कि यू०पी० का कोई माडल तैयार किया जाय और केन्द्र के सामने रखा जाय जो डी०आर०डी०ए० में सुधार प्रस्तावित हों । पेयजल की जो समस्या है, उसके बारे में हमारी सरकार ने सदन के नेता माननीय कल्याण सिंह जी के नेतृत्व में संकल्प लिया है कि अगले 2 वर्षों में, उत्तर प्रदेश में जो 2 लाख 74 हजार बस्तियां चिन्हित की गई हैं, उन सभी बस्तियों में पेयजल सुविधा उपलब्ध करा दी जायेगी ।

जैसा मैंने पहले अवगत कराया कि अभी तक यह जरूर होता रहा है कि आधे गांव में इतने हैण्ड पम्प लग गये कि पूरा गांव संतृप्त हो गया । अब हम गांव का नक्शा बनायेंगे और पेयजल की जो सुविधा होगी, वह उस नक्शे के आधार पर होगी, जिससे अनुसूचित जाति, कमजोर लोगों की जो बस्तियां हैं, उनमें भी पेयजल की व्यवस्था सुनिश्चित हो सके । मुझे उम्मीद है कि आगे आने वाले दिनों में इसमें निश्चित रूप से सुधार होगा और सभी लोगों को पेयजल की सुविधा उपलब्ध हो सकेगी ।

सभी माननीय सदस्यों ने बेरोजगारी पर भी अपनी चिन्ता व्यक्त की है । मैं सदन को अवगत कराना चाहता हूं कि सदन के नेता माननीय मुख्य मंत्री जी के नेतृत्व में रोजगार छतरी योजना बनाई गई है और उसका प्रभावी कार्यान्वयन कराया जा रहा है और इसके अन्तर्गत 10 लाख नौजवानों को स्वरोजगार में लगाया जायेगा, ऐसा कार्यक्रम चलाया जा रहा है ।

मान्यवर, बहुत सी बातें कहने की हैं, मैं आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा । चन्द बातों की तरफ आपका ध्यान ले जाना चाहूंगा । पेयजल की कठिनाई आजकल प्राइमरी स्कूलों में, जूनियर हाई स्कूल, हाई स्कूल, इन्टर कालेजेज और डिग्री कालेजेज में है, जो ग्रामीण क्षेत्रों में हैं, वहां पर बराबर पेयजल की कठिनाई महसूस की जा रही है । हमने यह निश्चय किया है कि शिक्षा विभाग तो कर ही रहा है, पंचायती राज विभाग भी कर रहा है, लेकिन कोई भी प्राइमरी स्कूल, कोई भी जूनियर हाई स्कूल, इन्टर कालेज ऐसा नहीं रह जाये, उत्तर प्रदेश में, जहां पर हैण्ड पम्प के द्वारा पेयजल की व्यवस्था न हों, इसको हम इसी 1999-2000 में सुनिश्चित करेंगे, ऐसा हमने संकल्प लिया है ।

[समय 6 बजकर 25 मिनट]

बहुत सी दूसरी पाइप लाइनें हैं उनको पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है । मान्यवर, जल प्रबन्धन पर बहुत ध्यान देने की जरूरत है, इसीलिये हम एक जल नीति बना रहे हैं, जिससे जो जल भूमि से निकाला जाता है और नदियों में पाया जाता है, उसका समन्वय हो सके, इससे जो वाटर लेबिल नीचे जा रहा है, उसको बनाये रखने में सुविधा मिलेगी । माननीय अधिष्ठाता महोदय, जो हैण्ड पम्प लग रहे हैं, उनकी गुणवत्ता ठीक हो, इस पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है और हम एक विशेष अभियान चलायेंगे । अधिष्ठाता महोदय हमने 2-3 कार्यक्रम और तय किये हैं, जैसे ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत से स्कूल ऐसे हैं जहां तक पहुंचने के लिये मार्ग नहीं है और छात्र छात्राओं को वहां तक पहुंचने में बड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है, इसलिये सुनिश्चित रोजगार योजना में इस तरह से पहुंच मार्गों को प्राथमिकता दी जायेगी ।

अधिष्ठाता महोदय, ग्रामीण क्षेत्र में जो दस्तकार हैं, उनको जो टूल्स दिये जाते हैं, उनकी गुणवत्ता के विषय में शिकायतें आयी हैं, उनको दूर करने का प्रयास किया गया है । एक एक्जीविशन लगायी गयी थी और वहां पर यह तय किया गया था कि इस मानक के टूल्स होंगे जो दस्तकारों को दिये जायेंगे और उनका जो वितरण हो वह जन-प्रतिनिधियों की उपस्थिति में किया जाये, जिससे उनकी गुणवत्ता सुनिश्चित की जा सके । अधिष्ठाता महोदय, अभी कुछ चर्चा हो रही थी, समूह ''ग'' की भर्ती के संबंध में, तो मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि नेता सदन के नेतृत्व में जो नीति बनायी गयी है और जो पारदर्शिता रखी गयी है, उससे भ्रष्टाचार की शिकायतें नहीं आयी हैं और पूरी निष्पक्षता के साथ चयन किया जाये, इसका ध्यान रखा गया है, इस बात को मैं पूरी हिम्मत के साथ कह सकता हूं और माननीय अधिष्ठाता महोदय इस बात को विरोधी पक्ष के भी सदस्यों ने कहा है ।

माननीय अधिष्ठाता महोदय, इस चर्चा में समय कम मिला है । मेरा विचार था कि और अधिक इस पर चर्चा होती । मैंने सभी विधान मण्डल दलों के नेताओं को पत्र लिखा है कि वह 10 सदस्यों में से एक सदस्य का नाम नामित कर दें और इस तरह से 40-42 सदस्य बैठकर विभिन्न योजनाओं पर चर्चा करें और अगर किसी सुधार की आवश्यकता हो तो उसको किया जायेगा । यह हमारी दिली पेशकस है । माननीय अधिष्ठाता महोदय, लखनऊ में हमारा मुख्यालय जवाहर भवन में है । वहां पर कार्य करने में कठिनाई होती है, इसलिये यह प्रयास किया जा रहा है कि लखनऊ में एक ग्राम विकास भवन निर्मित किया जाये तो इस तरह का प्रयास हो रहा है । मैंने कुछ बिन्दु रखने का प्रयास किया है, इसके अतिरिक्त जो कठिनाई हो माननीय सदस्य मुझे अवगत करा दें उनको निबटाने का पूरा प्रयास किया जायेगा ।

मैं इन शब्दों के साथ अपने भाई रामतेज यादव जी से निवेदन करूंगा कि वह अधिक धन दिलाने की बात करें और कटौती के प्रस्ताव को वापस लें ।

श्री अधिष्ठाता –

माननीय रामतेज जी क्या आप अपना कटौती प्रस्ताव वापस ले रहे हैं ?

श्री रामतेज यादव एडवोकेट –

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने बड़े पारदर्शिता की बात और गुणवत्ता की बात कही ।

श्री अधिष्ठाता–

यह बातें आपके उत्तर भाषण में आ गयीं अब आप इसे वापस ले रहे हैं, यह बतायें ।

श्री रामतेज यादव एडवोकेट–

नहीं, मान्यवर, भारतीय जनता पार्टी के लोग [xxx] कर रहे हैं । मैं कटौती के प्रस्ताव पर पुनः जोर देता हूं ।

नोट :–[-] यह अंश श्री अधिष्ठाता के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

श्री अधिष्ठाता–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या–13 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (ग्राम्य विकास) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

श्री अधिष्ठाता–

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2000 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–13 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (ग्राम्य विकास) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए 12,93,30,38,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

वित्तीय वर्ष 1999-2000 के आय-व्ययक के अनुदानों की मांग पर चर्चा एवं मतदान–अनुदान सं०–14 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पंचायती राज)

पंचायती राज राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (श्री धर्मपाल सिंह)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 2000 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–14 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पंचायती राज) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए 7,99,71,94,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

श्री अधिष्ठाता–

माननीय मंत्री जी 10 मिनट में अपनी बात पूरी कर लें ।

श्री धर्मपाल सिंह–

मान्यवर, भारत गांव का देश है, भारत की आत्मा गांवों में निवास करती है चाहे ऋगवेद हो, चाहे सामवेद हो, चाहे बौद्ध संस्कृत का जमाना हो सभी जमानों में पंचायतों का महत्व आया है । पंचायतों के माध्यम से ही गांवों की उन्नति हुई है । चाहे वह पंडित व्यक्ति हो, दलित व्यक्ति हो, उपेक्षित व्यक्ति हो, असहाय व्यक्ति हो उस तक न्याय की किरण पहुंचाने का काम पंचायत राज व्यवस्था में ही संभव हो पाया है । ग्रामीण विकास एवं ग्रामवासियों को सस्ता एवं सुलभ न्याय प्रदान करने में पंचायतों का महत्वपूर्ण स्थान रहा है । 73वें संविधान संशोधन के परिप्रेक्ष्य में उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश पंचायत विधि संशोधन अधिनियम, 1993 द्वारा संशोधित संयुक्त प्रान्त पंचायत राज अधिनियम, 1947 एवं उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत अधिनियम, 1961 दिनांक 22 अप्रैल, 1947 को लागू हुआ ।

पंचायती राज के दोनों अधिनियमों में संशोधन के उपरान्त त्रि-स्तरीय पंचायतों के चुनाव वर्ष 1995 में सम्पन्न कराये गये इसके फलस्वरूप 58,620 ग्राम पंचायतें, 904 क्षेत्र पंचायतें तथा 83 जिला पंचायतें गठित हुई ।

73वें संविधान संशोधन में निहित भावना के अनुरूप त्रिस्तरीय पंचायतों को स्वायत्त शासन की इकाई के रूप में कार्य करने हेतु आवश्यक शक्तियां और अधिकार प्रदान करने के उद्देश्य से श्री जे०एल० बजाज की अध्यक्षता में प्रशासनिक सुधार एवं विकेन्द्रीकरण आयोग का गठन किया गया था । उक्त आयोग की संस्तुतियों का अध्ययन करने तथा उस पर अपनी संस्तुतियां राज्य सरकार को देने हेतु एक उच्च स्तरीय समिति तत्कालीन कृषि उत्पादन आयुक्त की अध्यक्षता में गठित की गई थी । उच्च स्तरीय समिति की संस्तुतियों को राज्य सरकार ने वर्ष 1997 में स्वीकार कर लिया । समिति की

संस्तुतियों के आधार पर उत्तर प्रदेश सरकार, शासन के 32 विभागों के कृत्यों और अधिकारों को त्रिस्तरीय पंचायतों को देने के लिए कटिबद्ध है। अब तक 28 विभागों के कृत्यों और अधिकारी को त्रिस्तरीय पंचायतों को प्रतिनिधानित किया जा चुका है ।

माननीय मुख्य मंत्री श्री कल्याण सिंह जी के नेतृत्व में पहली बार ग्राम पंचायतों को विकास की इकाई घोषित किया गया है । इससे पूर्व विकास की इकाई ग्राम पंचायत नहीं होती थी । माननीय कल्याण सिंह जी के नेतृत्व में वर्तमान लोकप्रिय सरकार पंचायतों को सही अर्थों में सत्ता सौंपने के लिए कटिबद्ध है और पंचायतों को सशक्त बनाने और उनकी स्थिति सुदृढ़ करने के लिए सरकार द्वारा अनेक महत्वपूर्ण निर्णय लिये गये हैं जिनमें से कुछ महत्वपूर्ण निर्णयों की जानकारी मैं सदन के समक्ष प्रस्तुत करना चाहता हूं :–

बजाज आयोग की संस्तुतियों के आधार पर जिन विभागों के कृत्यों को पंचायतों को सौंपा गया है उन सभी विभागों के ग्राम पंचायत स्तर, विकास खण्ड स्तर और जिला स्तर के अधिकारियों एवं कर्मचारियों को सम्बन्धित स्तर की पंचायत के प्रशासनिक नियंत्रण में रखे जाने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार दृढ़ संकल्प है । प्रथम चरण में कुल 10 विभागों के कार्यक्रमों को स्थानान्तरित करने का निर्णय लिया गया है । इस संबंध में नीति निर्धारण व मार्ग निर्देश के निर्धारण हेतु सचिव मुख्य मंत्री की अध्यक्षता में एक टास्क फोर्स का गठन किया गया है ।

टास्क फोर्स की संस्तुतियों का परीक्षण मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित कोर ग्रुप द्वारा किया जायेगा और तत्पश्चात् इस संबंध में शासन द्वारा यथावश्यक मार्ग निर्देश निर्गत किये जायेंगे । पंचायतों की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ करने के उपायों के संबंध में संस्तुति देने के लिए गठित राज्य वित्त आयोग द्वारा राज्य की शुद्ध आय का 3 प्रतिशत पंचायतों को दिये जाने की संस्तुति की गई थी परन्तु वर्तमान लोकप्रिय सरकार द्वारा पंचायतों की वर्तमान आर्थिक स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए राज्य की शुद्ध आय का 4 प्रतिशत पंचायतों को देने का निर्णय लिया गया है । दशम् वित्त आयोग की संस्तुतियों के आधार पर पंचायतों को विकास एवं निर्माण कार्यों हेतु वर्ष 98-99 के लिए 171 करोड़ 65 लाख रुपये पंचायतों को अवमुक्त किया जा रहा है । दशम वित्त आयोग की संस्तुतियों के आधार पर प्राप्त धनराशि से कराये जाने वाले कार्यों का अनुमोदन जनपद स्तर से जिलाधिकारी द्वारा निर्धारित व्यवस्था के अनुसार किये जाने का प्राविधान था जिसके परिणामस्वरूप पंचायतों द्वारा कठिनाई का अनुभव होता था और अधिक धनराशि अप्रयुक्त पड़ी रहती थी इसलिए राज्य सरकार ने 20 हजार रुपये तक के कार्यों की स्वीकृति देने का अधिकार ग्राम पंचायतों को दिया है ।

मान्यवर, ग्रामीण पर्यावरण की स्वच्छता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से 10 अप्रैल, 98 से 17 अप्रैल, 98 तक प्रदेश की समस्त पंचायतों में पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्वच्छता सप्ताह का आयोजन किया गया । इस दौरान प्रत्येक विकास खण्ड में उत्कृष्ट कार्य करने वाली 2 ग्राम पंचायतों के प्रधानों और ग्राम पंचायत के प्रभारी अधिकारियों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित करने हेतु 35 हजार रुपये नकद पुरस्कार देने का निर्णय किया है । मान्यवर, ग्राम पंचायतों द्वारा कराये जाने वाले कार्यों में सम्पूर्ण पारदर्शिता बनाये रखने हेतु निर्देश दिये गये हैं कि समस्त निर्माण कार्यों का विवरण स्कूल, ग्राम पंचायत की दीवारों पर लिखवाया गया है । कितना धन लगा व आय-व्यय का विवरण सहित ।

यह अधिकार हमने ग्राम पचायत को दिया है । पर्यावरण की स्वच्छता बनी रही, इसके लिए भी हमारी सरकार ने व्यवस्था की है :–

"मुखिया मुख सो चाहिए, खानपान को एक ।
पालन-पोषण सबन को तुलसी सहित विवेक ।।"

इसी भावना से गांव में सामंजस्य बना रहे, सहिष्णुता आए, सहभागिता बनी रहे, लड़ाई-झगड़े न हों इसके लिए हमने गांवों को आदर्श गांव घोषित किया है। जिन गांवों में झगड़े नहीं होंगे और पंचायतें स्वयं फैसला कर लेंगी उनके लिए विकास का धन अलग से दिया जायेगा। नैसर्गिक न्याय मिलता रहे इसलिए न्याय पंचायतों का सुदृढ़ीकरण किया गया है और 3 महीने में चुनाव कराने के लिए हमने कहा है। तीन महीनों में हम न्याय पंचायतों का चुनाव करा लेंगे ताकि पंच परमेश्वर की व्यवस्था कायम रहे। 5 लाख रुपये तक की अनुमति देने का अधिकार कमिश्नर को दे दिया है। इस तरीके से विभिन्न योजनाओं में जो धन दिया है वह मान्यवर, हमने बजट साहित्य में दे दिया है। यदि आपकी आज्ञा हो तो पढ़कर सुना दूं।

मान्यवर, हमारे विभाग द्वारा नाली, खड़न्जे का निर्माण, गांवों में स्वच्छ शौचालयों का निर्माण, गांवों में महिला काम्पलेक्स का निर्माण और अम्बेडकर गांव में आदर्श गांव में हमने नाली खड़न्जे का भी अलग से निर्माण कराया है, इसमें 59238 व्यक्तियों के लिए शौचालय, 484 महिला काम्पलेक्स का निर्माण कराया गया है। मान्यवर, पंचायत अधिकारियों को भी हम ट्रेनिंग देने के लिए यह व्यवस्था की है, हमने बक्शी का तालाब में इसकी ट्रेनिंग प्रारम्भ करायी है। बजाज आयोग की संस्तुतियों के आधार पर भी कुछ योजनाएं हैं जिनमें पुलों आदि का निर्माण कार्य इस तरह से सामाजिक हित के भी कार्य करते हैं। इस तरीके से मैं मान्यवर, आपसे अनुरोध करता हूं कि गांधी जी सपनों और पंचायती राज की परिकल्पना को मूर्त रूप देने के लिए प्रदेश की पंचायतों को आवश्यक शक्ति और अधिकार देकर इन्हें सशक्त बनाने के लिए प्रदेश सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाते हुए वर्ष 1999-2000 के आय-व्ययक को पेश करता है।

* डा० अशोक बाजपेयी–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या–14 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पंचायती राज) के सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाये। कमी करने का उद्देश्य विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना।

मान्यवर, माननीय मंत्री जी का पंचायती राज के संबंध में भाषण मैंने बड़ी गंभीरता पूर्वक सुना। यह सही है कि पंचायती राज की परिकल्पना वैदिक काल से चली आ रही है और जो हमारे वेद हैं, पुराण हैं, ग्रन्थ हैं उनमें समय-समय पर पंचायती राज व्यवस्था का जिक्र है। जो हमारा अथर्वेद है उसमें विराग या वैराग्य स्तर की पंचायत व्यवस्था का वर्णन है। हमारे शास्त्रों और पुराणों में समाज को नियम और कानून से बांधने की व्यवस्था है। उस समय स्थानीय पुरुष एकत्रित होकर नियम और कानूनों को बनाते थे और उस व्यवस्था के अनुसार ही समाज में रहते थे। इसमें कोई सभापति नहीं होता था, कोई प्रधान नहीं होता था।

मान्यवर, इसी तरह से कौटिल्य के अर्थ शास्त्र में ग्राम समितियों का जिक्र किया गया है। उस समय ग्राम समितियों का स्वास्थ्य ग्राम सभा जैसा था। इस तरह से ग्राम पंचायत की परिकल्पना हमारे देश में हमारे समाज के लिए नयी नहीं है। जब यह देश गुलाम था तो उस समय स्थानीय प्रशासन की व्यवस्था मंद पड़ गयी थी और सारी व्यवस्था केन्द्रित हो गयी थी। इसके बाद वायसराय लार्ड रिपन ने 1882 में यहां पर स्थानीय प्रशासन की स्थापना की और एक लोकल बाडीज ऐक्ट लार्ड रिपन ने लागू किया लेकिन उसके बाद लार्ड कर्जन आये तो स्थानीय प्रशासन की व्यवस्था फिर पंगु हो गयी। 1900 में विस्काउन मार्ले रायल कमीशन की स्थापना की गयी और चार्ल्स हार्बहाउस ने अपनी रिपोर्ट 1909 में दी जिसमें स्थानीय प्रशासन की व्यवस्था को नियमित करने का काम किया गया। उसके बाद मिन्टो मार्ले

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

रिफार्म के नाम से एक व्यवस्था लागू हुयी और मान्यवर, आजादी के बाद 1947 में पहला पंचायती राज अधिनियम जिस पर गवर्नर जनरल ने अपने हस्ताक्षर किये वह लागू किया गया ।

इसमें यह व्यवस्था थी कि पंचायतों को कैसे सुदृढ़ किया जाय । लेकिन संविधान निर्माताओं की संवैधानिक दृष्टि न जाने कहां चूक गयी कि इसमें पंचायतों को पर्याप्त शक्ति नहीं दी गयी । यह राज्य सरकार के ऊपर छोड़ दिया गया कि राज्य सरकार जब चाहे पंचायतों को अधिकार दें या न दें और पंचायती राज की गांधी जी के ग्राम स्वरूप की परिकल्पना अधूरी रही । बीच में 1957 में एक बलवन्तराव मेहता कमेटी का गठन किया गया । उन्होंने देश भर में घूम कर पंचायती राज व्यवस्था का अध्ययन किया और अपनी रिपोर्ट दी जिसमें उन्होंने मूल्यवान सुझाव दिये । लेकिन उस पर विचार नहीं किया जा सका । 1977 में जब जनता पार्टी की सरकार बनी तो उस समय अशोक मेहता के नाम से एक आयोग का गठन किया । उन्होंने गंभीरता पूर्वक पंचायती राज व्यवस्था का अध्ययन किया और 7 महीने में ही एक रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी । लेकिन उस पर राजनीतिक व्यतिक्रम के चलते वह रिपोर्ट लागू नहीं की जा सकी । इसके बाद 1984 में पंचायती राज व्यवस्था के बारे में राष्ट्रीय स्तर पर बहस चलायी गयी लेकिन जो मुख्य बिन्दु थे, जो अशोक मेहता ने रिपोर्ट प्रस्तुत किया था जिसमें उन्होंने पंचायतों को संवैधानिक अधिकार देने, पंचायतों में आरक्षण लागू करने और पंचायतों में नियमित चुनाव कराने का अधिकार पंचायतों को दिये जाने की बात कही थी और पंचायतों को अधिकार सम्पन्न बनाने की बात कही थी उसके अनुरूप 1991 में लोक सभा में एक बिल आया जो 1992 के 73वें संविधान संशोधन के नाम से पारित हुआ और देश में एक नया पंचायती राज अधिनियम लागू हुआ ।

इसमें मान्यवर, दो तरह की व्यवस्था की गयी थी एक तो मैंडेटरी, जिसको लागू करना था और कुछ व्यवस्थायें ऐसी थीं जो आब्लीगेटरी थीं जिनको राज्य सरकार को तय करना था । श्रीमन्, मुझे यह कहने में संकोच नहीं है कि सरकार ने जिस तरह से व्यवस्था करनी चाहिये थी उस तरह से व्यवस्था नहीं की और पंचायतों को अधिनियम के अनुसार सशक्त बनाने के लिए चिन्तन नहीं किया गया और पंचायतों का स्वरूप ऐसा स्थापित किया गया कि 1 हजार पर एक पंचायत कायम की गयी जबकि बिहार में 7 हजार की आबादी पर एक ग्राम सभा गठित होती है । इसी तरह से कहीं पर 5 हजार और कहीं पर 15 हजार की आबादी पर ग्राम सभा गठित होती है लेकिन हमारे यहां ग्राम सभा को एक हजार की आबादी पर गठित किया गया जिससे वायबिल ढंग से योजनायें लागू नहीं हो पायी ।

मान्यवर, इसी तरीके से जो क्षेत्र पंचायतें थीं उनको गठित करने का आधार 2 हजार की आबादी माना गया । अगर किसी ब्लाक की आबादी 2 लाख की है तो इस हिसाब से उसमें 100 व्यक्ति सदस्य के रूप में और 75 व्यक्ति प्रधान के रूप में काम करेंगे और उसमें जो नामित सदस्य होंगे उनकी संख्या 180 होगी । मेरा कहना है कि इतनी संख्या में सदस्य बैठकर क्षेत्र के विकास के लिये कौन सा निर्णय कर सकते हैं । इस दृष्टि से क्षेत्र समितियों के सदस्यों की संख्या को भी सीमित करने की आवश्यकता थी और इसलिए मैं बताना चाहता हूं कि पंजाब में 15 हजार की आबादी पर एक क्षेत्र समिति का सदस्य चुना जाता है । केरल में 10 हजार, हरियाणा में 4 हजार की आबादी पर एक सदस्य, गुजरात में एक लाख की आबादी पर 15 सदस्य और मध्य प्रदेश में 10-15 हजार की आबादी पर एक क्षेत्र समिति का सदस्य चुना जाता है । क्षेत्र समिति के सदस्यों का जो स्वरूप है उसे बड़ा बनाया जाये, हाऊस छोटा होगा तो गहनतापूर्वक नीति नियोजन पर विचार हो सकेगा । यहां पर 2 हजार की आबादी पर क्षेत्र समिति का सदस्य और 50 हजार की आबादी पर जिला पंचायत सदस्य चुना जाता है जिसका कोई अनुपात नहीं है । हमीरपुर में मात्र 9 सदस्य जिला पंचायत के हैं । इसके लिए एक मानक संख्या निर्धारित की जाये कि 20 कम नहीं होगी चाहे जिला बड़ा हो या छोटा हो इसी तरह से अधिक की भी सीमा बना दी जाये कि 40 से अधिक नहीं होंगे, जिससे सुगमता से जिला नियोजन के संबंध में विचार किया जा सके ।

दूसरा माननीय मंत्री जी कह रहे थे कि बजाज कमेटी के रिपोर्ट के आधार पर तमाम विभागों का वितरण कर दिया गया । आपके विभाग के अधिकारी आपको अंधेरे में रखने का काम कर रहे हैं या फिर आपने इस बजट पुस्तिका को पढ़ा नहीं है । आपने पंचायती राज विभाग की प्रमुख उपलब्धियां एवं निर्णय में लिखा है कि "दशम् वित्त आयोग की संस्तुतियों के आधार पर प्राप्त धनराशि से कराये जाने वाले 10,000/–रुपये तक के लागत के कार्यों की स्वीकृति देने का अधिकार ग्राम पंचायतों को सौंपा गया ।" अभी आपने 20 हजार की बात कही थी जबकि पुस्तिका में 10 हजार लिखा है । आपने अपने बजट भाषण में कहा कि 10 विभागों के अधिकार पंचायतों को सौंपे गये । जबकि आपने पुस्तिका में कहा है कि 73वें संविधान संशोधन के अनुरूप 28 विभागों के अधिकार पंचायतों को सौंपे गये । मान्यवर, इसे आप देख लें ।

मान्यवर, 73वां संविधान संशोधन हुआ, 11वें शिड्यूल में कुछ अधिकार पंचायतों को देना था परन्तु कहीं न कहीं इच्छा शक्ति में कमी है जिसके चलते पंचायतों को अधिकार नहीं दे सके हैं । केवल सुपरवाइजरी और कोआर्डिनेटिव अधिकार दिये गये हैं । एडमिनिस्ट्रेटिव पावर नहीं दिये गये हैं, अगर सुदृढ़ बनाना चाहते हैं तो दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ अधिकार सम्पन्न बनाना होगा । ग्राम पंचायत ही नहीं जिला पंचायतों में सी०डी०ओ० मुख्य कार्य करते हैं, सी०डी०ओ० जिला पंचायतों की बैठक में नहीं जाते । यह स्थिति पंचायती राज की है । सही मायने में ग्राम पंचायतों की परिकल्पना को साकार करना है तो मजबूती के साथ निर्णय लेना होगा । दशम् वित्त आयोग की बात कही गयी ।

यह व्यवस्था की गयी थी कि जो धनराशि 189.7 करोड़ रुपये की आवंटित हुई है उसके अनुरूप मैचिंग ग्रान्ट देंगे । प्रदेश सरकार ने मैचिंग ग्रान्ट नहीं दिया जिसके चलते उसका उपयोग नहीं हो सका । 11वां वित्त आयोग गठित होने जा रहा है लेकिन उसका उपयोग नहीं कर सके हैं जिसका नुकसान पूरे प्रदेश को उठाना पड़ेगा । मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करना चाहूंगा कि जो दशम् वित्त आयोग के अनुरूप मैचिंग ग्रान्ट की व्यवस्था करके धन उपलब्ध कराने की व्यवस्था करें और जो पंचायती राज का सपना है वह पूरा हो सके ।

श्री अधिष्ठाता–

अब आप समाप्त करें ।

डा० अशोक बाजपेयी–

दूसरी बात कहना चाहता हूं कि जो हमारी पंचायती राज व्यवस्था में दो मुख्य अवयव हैं, निष्पक्ष चुनाव आयोग की स्थापना की गयी । मंशा यह थी कि यह हमारा सुझाव है और अनुरोध भी है कि जनतंत्र में जितने चुनाव निष्पक्ष होंगे जनतंत्र की जड़ें उतनी मजबूत होंगी । मेरा सुझाव है कि राज्य चुनाव आयोग का गठन करते समय राजनीति से ऊपर उठकर योग्यतम लोगों को ही उसमें अवसर दिया जाये । चुनाव आयोग को इतना अधिकार सम्पन्न बनाया जाये जिससे पंचायतों के चुनाव के संबंध में सारा निर्णय लेने का अधिकार हो । डिस्ट्रिक प्लानिंग कमेटी की बात मंत्री जी ने की । जिला नियोजन समिति पंचायती राज अधिनियम को लागू हुए पांच वर्ष हो गए लेकिन अभी जिला नियोजन समिति का गठन नहीं हुआ है । सरकार की तरफ से कोई प्राविधान विचाराधीन है उसका क्या प्रारूप होगा, जिला नियोजन समिति बनेगी की नहीं बनेगी, प्लान कैसे बनेगा, उसके लिए क्या एक्सपर्ट की ओपीनियन ली जाएगी, पंचायतों में बैठे हुए लोगों को प्रशिक्षित करके तैयारी करने का काम किया जाएगा तभी जिला नियोजन समिति का मतलब होगा । डिसेन्ट्रलाइजेशन का तभी साकार रूप सामने आ सकेगा । पंचायती राज के संबंध में 11 वें शेड्यूल में जो विभाग स्थानान्तरित होना था । मंत्री जी ने 28 विभागों के स्थानान्तरित करने की बात कही है । अभी तक कोई विभाग स्थानान्तरित नहीं हुए हैं । यदि आप इनको स्थानान्तरित करेंगे तभी सही मायने में पंचायती राज होगा । इसके लिए दृढ़ इच्छा शक्ति की

आवश्यकता होगी । यह कहा जाता है कि डी०आर०डी०ए० जिला पंचायत को देने के लिए योजना प्रस्तावित है इसका क्या स्वरूप होगा, विकेन्द्रीकरण का स्वरूप क्या होगा इस संबंध में माननीय मंत्री जी उत्तर भाषण में जवाब देंगे । इस पंचायती राज व्यवस्था में आरक्षण लागू करके हर वर्ग की सहभागिता का प्रयास किया गया है इसमें शिक्षा की भी न्यूनतम योग्यता रखी जाए । हमारे प्रदेश में जो प्रधान शिक्षित थे मात्र 9 प्रतिशत शिक्षित थे ।

महिलाओं में 17 प्रतिशत महिलाएं निरक्षर थीं, जो प्रमुख थे वह 2 प्रतिशत निरक्षर थे । ग्राम पंचायत सदस्य 22 प्रतिशत निरक्षर थे, बी०डी०सी० के 11 प्रतिशत निरक्षर थे । इनको प्रशासनिक अधिकार देने की बात है उनको एक्जीक्यूटिव पावर दिए जायेंगे अगर वह शिक्षित नहीं होगा तो जो यह दायित्व सौंपे गये हैं उनका निर्वाहन नहीं कर सकेगा । इस तरह से शिक्षा का भी प्राविधान किया जाए । कम से कम न्यूनतम शिक्षा की अर्हता जरूर रख दी जाये ।

श्री अधिष्ठाता–

अब आप 12-13 मिनट बोल चुके हैं । अब समाप्त करें ।

डा० अशोक बाजपेयी–

मैं समाप्त कर रहा हूं । न्याय पंचायतों की बात मंत्री जी ने कही है कि तीन महीने में चुनाव करा दिए जायेंगे । न्याय पंचायत पुस्तैनी परिकल्पना रही है चुनाव के पांच साल होने जा रहे हैं अभी तक न्याय पंचायतों के चुनाव नहीं हो सके । आज लोक अदालत चल रही है अगर न्याय पंचायतों का गठन हो जाता तो छोटे-छोटे विवाद ग्रामीण स्तर पर ही निपट जाएं जिससे ग्रामीण जनता का काफी पैसा बच जाए । एक सुझाव और देना चाहता हूं राज्य निर्वाचन आयोग को राज्यपाल के अधीन होना चाहिए अगर राज्यपाल के अधीन राज्य निर्वाचन आयोग होगा तो ज्यादा निष्पक्ष ढंग से अपना कार्य कर सकेगा । राजनैतिक दबाव में वह नहीं होगा ।

श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह–

आपकी सरकार के समय मुलायम सिंह के समय हमारे यहां प्रतापगढ़ में मगरौरा में क्या हुआ था ?

डा० अशोक बाजपेयी–

ग्राम पंचायतों के डिलिमिटेशन का कार्य मनमाने ढंग से ब्लाक अधिकारी करते हैं । डिलिमिटेशन का अधिकार चुनाव आयोग को दे दिया जाए । आरक्षण जिन चुनाव क्षेत्रों में लागू है डिलिमिटेशन की प्रक्रिया एक चुनाव के बाद होगी या दो चुनाव के बाद होगी । इसको भी चुनाव आयोग देखे । इन शब्दों के साथ मैं शेष सुझाव उत्तर भाषण में दूंगा । अब अपनी बात यहीं समाप्त करता हूं ।

श्री जयप्रकाश निषाद–

मान्यवर, पंचायतों का चुनाव 1947 से शुरू हुआ था परन्तु 1947 से लेकर आज तक पंचायतों को स्वतंत्र अधिकार और उन्हें मजबूत करने के लिये किसी भी सरकार ने इससे पहले कोई काम नहीं किया परन्तु हम माननीय मुख्य मंत्री जी तथा पंचायती राज मंत्री जी को धन्यवाद देते हैं कि सचमुच पंचायत राज का सही स्वरूप है और जनता के जो अधिकार हैं, वह पंचायत के माध्यम से उनको मिलने चाहिये और वह अधिकार हमारी सरकार उन्हें देने जा रही है । इसके पहले इस ओर किसी का ध्यान नहीं गया और इसको गम्भीरता से नहीं लिया गया । हमारी सरकार की मंशा है कि प्रदेश का विकास गांवों से हो और गांव की जनता को पावर दें ताकि गांव की जो समस्यायें हैं और जो झगड़े हैं, उसका निपटारा गांवों में ही हो सके और उन्हें बड़े न्यायालयों में न जाना पड़े ।

इसीलिये हमारी सरकार न्याय पंचायत के प्रमुखों को और सरपंचों का चुनाव 3 महीने के अन्दर कराने जा रही है जो कि काफी दिनों से रुके पड़े हुए थे, जिसके कारण वाद-विवाद बढ़े और लोगों के अन्दर समरसता की जगह कटुता आ गई। दशम् वित्त आयोग द्वारा जो पैसा दिया जाता था, इससे पहले की सरकारों में बहुत कम दिया जाता था परन्तु इस बार माननीय मुख्य मंत्री जी की भूरि-भूरि प्रशंसा की गई कि गांवों का जो हक होता है जिसके माध्यम से गांवों का विकास होता है और उनकी छोटी-छोटी समस्याओं का समाधान होता है, वह पूरा पैसा गांव पंचायत के माध्यम से स्थानीय निकायों और ग्राम पंचायतों को दिया गया है।

मान्यवर, मुझे एक निवेदन और करना है कि जो अधिकार दिये जा रहे हैं लेकिन सही नीतियों के निर्धारण के लिए हम चाहते हैं कि सरकार द्वारा जो कार्य किये जा रहे हैं और जो योजनायें चलाई जा रही हैं वह जनता को सही ढंग से मिल सकें और उनका प्रचार और प्रसार सही ढंग से हो सके ताकि सरकार के प्रति जनता में एक सही छवि उभर कर आ सके, इसके लिए सरकार को कोई नीतिगत फैसला लेना होगा ताकि योजनायें स्पष्ट रूप से दिखाई दें और जनता समझ सके कि कौन-कौन सी योजनायें सरकार ने हमारे लिये चलाई हैं और उनका लाभ हमें मिलने वाला है। मान्यवर, जिला पंचायतों के द्वारा जो पड़ाव अड्डे के ठेके किये जाते हैं उन पर गुण्डों और माफियाओं का कब्जा हो जाता है, देखने में यह आया है कि वह पड़ाव अड्डे नहीं होते बल्कि पड़ाव अड्डे की आड़ में माफिया और गुण्डों का अड्डा हो जाता है कुछ स्थानों पर तो लोग कुछ और काम करते हैं कई स्थानों पर तो वाहनों को लाठी लेकर रोकते हैं जिसके कारण कई दुर्घटनायें होती हैं और गलत तरीके से वाहनों से अवैध वसूली करते हैं उनकी फर्जी पर्ची काट कर जबरदस्ती अधिक से अधिक पैसा लूटने का काम करते हैं जिससे काफी परेशानी होती है और सज्जन शरीफ लोगों का चलना दूभर हो जाता है इसलिए कभी कोई ऐसी पारदर्शी योजना बनाई जाये जिससे इस अवैध रूप से हो रही वसूली को रोका जा सके।

मान्यवर, ग्राम पंचायतों में एक क्षेत्र पंचायत सदस्य का पद सृजित हुआ था और उस क्षेत्र समिति को पैसा दिया जाता है जवाहर रोजगार योजना का और सुनिश्चित रोजगार योजना का उसमें कुछ तो विकास के लिए उनकी भागीदारी होती है लेकिन ग्राम पंचायत में देखने में व्यवहार में यह मिल रहा है कि उन लोगों को विशेष महत्व नहीं मिल रहा है। इसलिए क्षेत्र पंचायत के सदस्यों को भी ग्राम सभा अध्यक्ष की तरह कुछ ग्राम पंचायतों में भागीदारी रखी जाय और उसके लिए कोई पारदर्शी योजना बनाई जाये। इन्हीं शब्दों के साथ मैं माननीय मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट का समर्थन करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं।

डा० अशोक बाजपेयी–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैंने दो बातों पर बल दिया था पूर्व में मैं पुनः उन्हीं को दोहराना चाहता हूं। दशम् वित्त आयोग ने जो संस्तुति की है उसके अनुसार सरकार को जो मैचिंग ग्रान्ट देनी है वह उपलब्ध करा दें। ग्यारहवां वित्त आयोग गठित होने जा रहा है। सरकार का कोई अहित न होने पाये इसलिये प्राथमिकता के आधार पर प्रयास किये जाने चाहिये। दूसरा निवेदन मैंने किया था कि जो क्षेत्रीय समितियां हैं, जिला पंचायतें हैं और ग्राम पंचायतें हैं उनके बीच में कोई डिमार्केशन नहीं किया गया है। उनके स्पैसिफिक अधिकार क्या-क्या होंगे इसकी भी व्यवस्था की जानी चाहिए। क्षेत्रीय पंचायतों का क्या कार्य और अधिकार होगा, जिला पंचायत का क्या कार्य और अधिकार होगा, ग्राम पंचायत का क्या कार्य और अधिकार होगा इस तरह से इनकी अलग-अलग व्यवस्था स्पष्ट निर्धारित की जानी चाहिए। अभी तक क्षेत्रीय पंचायत निष्क्रिय रूप से कार्य कर रही हैं। उनके लिये कोई बजट नहीं है।

दूसरी बात यह है कि ग्राम पंचायतें बहुत छोटी-छोटी साइज में हैं इनको एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट नहीं बनाया जा सकता है । इसको वायेबिल एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट बनाने के लिये 5 हजार की जनसंख्या के ऊपर गठन किया जाय । आजादी के पहले इनकी संख्या–35 हजार थी । आजादी के बाद इनकी संख्या 72 हजार कर दी गई थी और 73वें संशोधन के बाद इसमें 78 हजार गांव रह गये । यह एक हजार की आबादी पर कम हैं । इसके लिये 5 हजार की आबादी निर्धारित की जाय । क्षेत्र पंचायत सदस्य और जिला पंचायत सदस्यों के भी कान्स्टीट्वेन्सी बनाते समय जो मानक दिये गये हैं उसके अनुसार बनाया जाय । पंचायती राज अधिनियम में संशोधन करने की आवश्यकता है उस पर विचार किया जाए । इलैवेन्थ शिड्यूल में जो अधिकार पंचायत को सौंपने की बात कही गई है उसका काम करें ताकि उसमें जो कठिनाइयां हों वह दूर हों सकें । पूरी इच्छा शक्ति के साथ निर्णय लेना होगा । जब तक पौलीटिकल विल नहीं होगी निर्णय नहीं हो सकता है । कर्नाटक और वेस्ट बंगाल में देखिये वहां पंचायतें बहुत साधन अधिकार सम्पन्न हुई हैं वहां की राज्य सरकारों ने, दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ ग्राम पंचायतों को अधिकार देने का काम किया । मेरा आपसे कहना है कि आप भी इस बारे में पूरे सार्थक प्रयास करें अगर आप सही मायने में इसको मजबूत करना चाहते हैं जो संवैधानिक दर्जा दिया गया है उसके अनुसार जो अपेक्षा की गई है उसको पूरा करने का काम करेंगे । स्थानीय निकायों और पंचायतीराज व्यवस्था मजबूत हो सके । एक बार दायित्व सौंपने का काम करें हो सकता है कि कुछ गलतियां हों परन्तु उसके साथ ही जनतांत्रिक हैण्ड मजबूत हो सकेगा ।

दूसरी बात कहना चाहता हूं कि हमारे यहां पंचायतीराज का नोडल विभाग नगर विकास को बनाया गया है । सारा काम नियोजन से होता है । दूसरे राज्यों में नियोजन विभाग को नोडल माना गया है यहां भी नोडल डिपार्टमेन्ट, प्लानिंग डिपार्टमेन्ट को बनायें डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी की बात कही थी, उसका प्रारूप क्या होगा । इस पर माननीय मंत्री जी विचार करके सदन को और प्रदेश की जनता को अवगत करायें । 5 साल बीत गये हैं यह समितियां अभी नहीं बनी हैं । डिस्ट्रिक्ट प्लान का स्वरूप क्या होगा । उसकी गाइड लाइन क्या होगी, किस तरह से वहां बैठे हुए लोग डिस्ट्रिक्ट प्लान बनायेंगे इसके लिये उन्हें प्रशिक्षित किये जाने का काम होना है । इस पर भी आपको तैयारी करने की आवश्यकता है । माननीय मंत्री जी एक उदार मन से एक संकल्पना की बात है, विचार की बात है आप एडमिनिस्ट्रेशन चाहते हैं गांधी जी के ग्राम समाज की जो परिकल्पना थी तो पंचायत को अधिकार सम्पन्न बनाने के लिए खुले मन से पंचायतराज अधिनियम में जो संशोधन की आवश्यकता है वह करें । एक वर्ष बाद चुनाव पंचायत के होने जा रहे हैं उससे पहले निर्णय ले लें ताकि चुनाव के पहले अगर कांस्टीट्वेन्सी का रोटेशन है, उनको बदलना है तो उसकी गाइड लाइन आ जाये तो ठीक होगा । कांस्टीट्वेन्सी बड़ी करनी है तो पहले निर्णय आ जाए । आप इसमें एक्सपर्ट लोगों की कमेटी बनाकर अध्ययन करा लें । प्रधान के संबंध में बात कही गई प्रधान के साथ तीन सदस्यों की समिति हो वह रोटेशन से हो । 15 सदस्य होते हैं तीन-तीन सदस्य एक्जीक्यूटिव पदों पर होंगे । तो पांच साल लगेंगे यह अधिकार समिति को देने के काम किए जायं । इन्हीं शब्दों के साथ मैं कटौती के प्रस्ताव पर बल देता हूं ।

श्री धर्मपाल सिंह–

मान्यवर, माननीय बाजपेयी जी ने पंचायती राज व्यवस्था पर बहुत अच्छा सुझाव दिया है । आपने बिहार की व्यवस्था के बारे में बोला कि बिहार की व्यवस्था बहुत अच्छी है ।

डा० अशोक बाजपेयी–

मैंने अच्छी नहीं कहा, बिहार में सात हजार के ऊपर ग्राम सभा का गठन हुआ है ।

श्री धर्मपाल सिंह–

मैं सुधार कर लेता हूं बिहार में 15 वर्ष से चुनाव नहीं हुए दशम् वित्त आयोग का एक भी पैसा बिहार में नहीं जा रहा है, वहां चुनाव नहीं हुए हैं तो बिहार का उदाहरण देना मुनासिब नहीं है।

डा० अशोक बाजपेयी–

मैंने बिहार को आदर्श नहीं कहा है।

श्री धर्मपाल सिंह–

आपने समितियों के बारे में कहा, समितियां नहीं बनी हम समितियां बना रहे हैं आपने बहुत अच्छी दिशा दी है ग्राम्य पंचायत में समितियां बनी हैं, क्षेत्र पंचायत में समिति बनी है, जिला पंचायत में समितियां बनी हैं, पंचायत मायने प्रधान नहीं है, पंचायत मायने पूरी पंचायत है जो सुझाव दिए हैं, हमने पूरा मन बना लिया है। पूरी व्यवस्था पंचायतों के माध्यम से तय होगी। माननीय कल्याण सिंह जी ने पंचायत के बारे में जो दृष्टिकोण अपनाया है उसको लेकर पंचायतराज विभाग काम कर रहा है।

पूरे प्रदेश में ग्रामीण पंचायत स्तर पर चार समितियां बनी हैं। एक तो है समता समिति, दूसरी विकास समिति, तीसरी शिक्षा समिति, चौथी लोक हित समिति। इसी तरह से जिला स्तर पर कार्य समिति, समता समिति, वित्त विकास समिति, शिक्षा समिति। पंचायत स्तर पर 6 समितियां बनाई हैं नियोजन समिति, कार्य समिति, समता समिति, वित्त समिति, शिक्षा एवं स्वास्थ्य समिति, उद्योग एवं निर्माण समिति। जो दृष्टिकोण दिया जानकारी दी वह लागू कर चुके हैं। सुझाव आए आपके, अच्छे आए हैं। मैचिंग ग्रान्ट के संबंध में 10 प्रतिशत खर्चा किया जाता है जिला पंचायत द्वारा 25 प्रतिशत खर्चा किया जाता है। राज्य वित्त आयोग से व्यवस्था करनी होती है इस बार इसकी व्यवस्था कर दी है। कैबिनेट में मुख्य मंत्री जी ने स्वीकृति दे दी है। 1996-97 में जिला पंचायत को 37 करोड़ 97 लाख 60 हजार है जिसके सापेक्ष 31 करोड़ 69 लाख 75 हजार का उपयोग करना है। जो कुल धनराशि है वह 81.34 प्रतिशत है। इसमें दशम् वित्त आयोग का धन नहीं है। उत्तर प्रदेश सरकार को दशम् वित्त आयोग को पूरा धन मिला है।

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से बाजपेयी जी को जानकारी देना चाहता हूं कि बजाज आयोग की संस्तुतियों के आधार पर क्योंकि 32 विभाग हैं। 32 विभागों में से 28 विभागों के शासनादेश जारी हो चुके हैं। चार विभागों के शासनादेश शेष हैं। 10 विभाग जो पंचायतों को दिये हैं वह हैं कृषि विभाग, युवा कल्याण विभाग, पशुधन विभाग, जिला पंचायत राज अधिकारी से संबंधित अधिष्ठान, क्षेत्र पंचायतों के अधीन स्थानान्तरित स्टाफ।ग्राम पंचायत अधिकारी, सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) समाज कल्याण, चिकित्सा विभाग। ए०एन०एम०, पुरुष स्वास्थ्य कार्यकर्ता, दाई (नियमित) चिकित्सा विभाग–दाई (मानदेय) ग्राम पंचायतों के अधीन, सिंचाई विभाग (नलकूप आपरेटर, मिस्त्री से संबंधित अधिष्ठान) ग्राम पंचायतों के अधीन। इनका प्रबन्ध ग्राम पंचायतें करेंगी तो इस तरीके से जो सुझाव दिये हैं उनको हमने गंभीरता से लिया है।

न्याय पंचायतों के बारे में बहुत अच्छा दृष्टिकोण दिया है। इसको कल्याण सिंह की सरकार गंभीरता से ले रही है। न्याय पंचायतों को पंचायती राज व्यवस्था में लेंगे। परिसीमन के बारे में बोला था। वास्तव में आपने बहुत संवेदनशीलता से विचार किया है। मुलायम सिंह जी की सरकार में परिसीमन बहुत खराब था। गांव पंचायतों में, मान लीजिये ए बी सी डी गांव पंचायतें हैं तो बी को सी में लगना चाहिए लेकिन उन्होंने डी में लगा दिया था। तो हम परिसीमन करा रहे हैं और रिजर्वेशन एक साइकिलिंग प्रक्रिया में होगा। मान्यवर, हम ग्राम पंचायतों को ग्राम पंचायत के स्तर पर क्षेत्र पंचायत को क्षेत्र पंचायत के स्तर पर तथा जिला पंचायतों को जिला पंचायत के स्तर पर लेंगे।

डा० अशोक बाजपेयी–

मान्यवर, क्षेत्र समिति, क्षेत्र पंचायत और ग्राम पंचायत इन तीनों की कार्यविधियों आदि के संबंध में अलग-अलग ऐक्ट बने हुए हैं तो क्या इनके एकीकरण पर विचार करेंगे ताकि प्रभावी कार्यवाही और नियंत्रण के लिए इस दिशा में एक ऐक्ट बन सके ।

श्री धर्मपाल सिंह–

मान्यवर, इसका हम परीक्षण करा लेंगे और जो ठीक होगा वही करेंगे । मान्यवर, माननीय जय प्रकाश जी ने जो सुझाव दिया है, पड़ाव अड्डे पर बैरियर लगाने के संबंध में गुण्डा टैक्स वसूल हो रहा है । हमारे जिला पंचायतों में नियम बने हुए हैं । पड़ाव अड्डे पर बैरियर लगाने के निर्देश नहीं दिये हैं । कोई समस्या है तो वह लिखकर दे दें । मान्यवर, पंचायती राज व्यवस्था जमीन से जुड़ी हुई व्यवस्था है और इसमें जो सुझाव पक्ष और विपक्ष दोनों तरफ से आये हैं वह बहुत अच्छे हैं । हम उनका अध्ययन कराकर जो ठीक होगा उसे लागू कर देंगे । मान्यवर, डा० बाजपेयी जी ने पंचायती राज ऐक्ट में संशोधन की बात कही थी । मैं आपके संज्ञान में लाना चाहता हूं कि कल्याण सिंह की सरकार ने पहली बार पंचायती राज कानून में परिवर्तन किया है । जो रिजर्वेशन में गरीब असहाय चुनकर आते थे उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आ रहा था तो उनको सुरक्षा देने में कानून में परिवर्तन हुआ । पहले चुनाव होने के एक वर्ष बाद अविश्वास प्रस्ताव आता था हमने दो वर्ष बाद कर दिया । पहले अविश्वास प्रस्ताव में वोट देने का अधिकार प्रधान को नहीं था हमने उसे कर दिया है । क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत में आधे पर प्रस्ताव आता था हमने उसे दो-तिहाई कर दिया । पहले एक बार प्रस्ताव गिर जाय तो एक वर्ष बाद आता था ।

श्री धर्मपाल सिंह–

अब एक बार अविश्वास प्रस्ताव गिर जाये तो दो वर्ष के बाद आयेगा ।

श्री अधिष्ठाता–

माननीय बाजपेयी जी आप अपना कटौती का प्रस्ताव वापस ले रहे हैं ?

डा० अशोक बाजपेयी–

मान्यवर, इच्छा शक्ति की कमी है सरकार में इन्हें अगर कुबेर का भी पूरा खजाना दे दिया जाय तब भी यह पंचायतों को सुदृढ़ नहीं कर सकते हैं । मेरे लिए कटौती के प्रस्ताव के अलावा और कोई विकल्प नहीं है ।

श्री अधिष्ठाता–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या–14 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पंचायती राज) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

श्री अधिष्ठाता–

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2000 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–14 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पंचायती राज) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए 7,99,71,94,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

वित्तीय वर्ष 1999-2000 के आय-व्ययक की अनुदानों की मांगों पर चर्चा एवं मतदान–अनुदान संख्या–10 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (औद्यानिक विकास)

उद्यान मंत्री (चौधरी लक्ष्मी नारायण)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से और श्री राजपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 2000 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–10 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (औद्यानिक विकास) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए 76,85,62,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

मान्यवर, यह विभाग सन् 1974 में पुनर्गठित हुआ 1974 से पहले पर्वतीय क्षेत्र में फल उद्योग विभाग और मैदानी क्षेत्र में कृषि व उद्यान विभाग दोनों को मिलाकर उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग बनाया गया । यह एक ऐसा विभाग है जो प्रत्येक जनमानस के साथ-साथ भारत की महान संस्कृति और परम्परा से जुड़ा हुआ है । आपकी संस्कृति में कोई भी पवित्र कार्य करने से पहले फल को सर्वप्रथम रखा जाता है और कोई भी पवित्र संस्कार जनेऊ संस्कार, हल्दी से प्रारम्भ किया जाता है । 1951 से 1956 तक उत्तर प्रदेश में कुल एक लाख हेक्टेयर में फल और एक लाख हेक्टेयर में साग-सब्जी और दशमलव 97 लाख हेक्टेयर में आलू की पैदावार की जाती थी । 1956 तक मात्र पैदावार 22 लाख मीट्रिक टन होती थी । वहीं आज मान्यवर, माननीय कल्याण सिंह जी के नेतृत्व में आज के दिन फल, साग-सब्जी तथा आलू लगभग 22.30 लाख हेक्टेयर में इसकी पैदावार की जाती है और कुल पैदावार रिकार्ड 353 लाख मीट्रिक टन आती है । मान्यवर, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान ने स्वस्थ जीवन के लिए प्रत्येक व्यक्ति के लिए प्रतिदिन 85 ग्राम आलू की सब्जी और 165 ग्राम हरी सब्जी और 85 ग्राम फल को आवश्यक बताया है । मान्यवर, उस हिसाब से उत्तर प्रदेश की जनता के लिए लगभग 227.5 लाख मीट्रिक टन फल, साग-सब्जी तथा आलू की आवश्यकता होती है ।

[समय 7 बजकर 25 मिनट]

मान्यवर, इसके विपरीत उत्तर प्रदेश में केवल 175.24 लाख मीट्रिक टन प्रयोग होता है, जबकि हम 353 लाख-मीट्रिक टन फल, शाक-भाजी, आलू का उत्पादन करते हैं, इस प्रकार 175.7 लाख मीट्रिक टन फल, आलू और शाकभाजी हम अपने प्रदेश से बाहर भेजते हैं । हमारा विभाग मुख्य रूप से 3 योजनाओं के अन्तर्गत काम करता है, पहला जिला सेक्टर, दूसरा राज्य सेक्टर और तीसरा केन्द्र पोषित योजनायें । मान्यवर, जिला सेक्टर के अन्तर्गत 6 योजनायें हैं, जिनके द्वारा हम गरीब, दलित, छोटे और सीमान्त कृषकों को लाभ पहुंचाते हैं । मान्यवर, जिला सेक्टर की 6 योजनायें औद्यानिक उत्पादन के सघनीकरण की योजनायें हैं, इसके अन्तर्गत हमारे यहां 45 लाख पौधे बेचे गये, 45 लाख क्विंटल सब्जी का बीज दिया गया । इसी तरह दूसरे चयनित क्षेत्रों में विशिष्ट फलों की विकास योजना है, जिसमें बेल, नींबू, आंवला, आम, अमरूद आदि हैं, उसके लिये हम लगभग 8600 रुपये से लेकर 9 हजार तक की सब्सिडी देते हैं । शाक-भाजी एवं मसाले की योजना भी जिला सेक्टर के अन्तर्गत है, हम इसके अन्तर्गत भी सब्सिडी देते हैं । इसी तरह से अलंकृत बागवानी योजना है।

राज्य सेक्टर के अन्तर्गत नदियों की तलहटी में जो छोटे किसान हैं, उन्हें शाक-भाजी के लिये 2 हजार रुपये तक की सब्सिडी दी जाती है, इसी तरह से औद्यानिक क्रिया-कलापों का प्रचार-प्रसार हम जगह-जगह बैठकें करके, पर्चे वितरण कराकर करते हैं, इसके अलावा सगन्ध पौधों के उत्पादन पर 800 रुपया प्रति व्यक्ति सब्सिडी देते हैं । केन्द्र पोषित योजनाओं के अन्तर्गत 12 योजनायें हैं, जिनमें एक योजना में केन्द्र से 90 प्रतिशत तथा राज्य सेक्टर से 10 प्रतिशत और शेष 11 योजनाओं में शत-प्रतिशत सब्सिडी केन्द्र सरकार के द्वारा दी जाती है । मान्यवर, केन्द्र के द्वारा पोषित योजनायें फल एवं सब्जी, तथा गौण फसलों की हैं, इसी तरह से जो केन्द्र की योजनायें हैं, जैसे टपक सिंचाई योजना अन्य मसालों

की योजनायें हैं। इसी तरह से इन योजनाओं के माध्यम से हम छोटे किसानों और प्रदेश में शाक-भाजी के उत्पादन के लिये प्रोत्साहित करते हैं।

मैं आपके माध्यम से यह भी कहना चाहूंगा कि इस वर्ष आलू का रिकार्ड उत्पादन होने का अनुमान है, लगभग 95 लाख मीट्रिक टन आलू का उत्पादन उत्तर प्रदेश में अनुमानित है।

मान्यवर, इसके लिये भण्डारण की व्यवस्था के संबंध में माननीय मुख्य मंत्री जी ने अनेकों बार निर्देश दिये हैं। माननीय मुख्य मंत्री जी ने प्रमुख सचिव की अध्यक्षता में समिति भी गठित की है, इस बार भण्डारण के लिये 950 शीतगृह तैयार हैं, जिसमें लगभग 49.16 लाख मीट्रिक टन आलू का भण्डारण किया जा सकता है। मैं यह भी कहना चाहूंगा कि जहां 2 वर्ष पहले उत्तर प्रदेश में किसानों ने आलू खेत में ही छोड़ दिया, खोदा ही नहीं और यदि खोदा भी तो वह सड़कों पर सड़ता रहा और उसका भाव इतना नीचे आ गया कि शीतगृह से किसान आलू निकाल कर नहीं ले गये। इस वर्ष माननीय मुख्य मंत्री जी ने संकल्प लिया है और हम उस संकल्प को पूरा करने के लिये प्रतिबद्ध हैं। इस बार एक भी किसान ऐसा नहीं रह सकता, जिसके आलू को रखने की व्यवस्था न हो जाय, एक भी आलू को भण्डारण से बाहर रहने नहीं दिया जायेगा।

मान्यवर, इसके लिये 7 बड़े-बड़े प्रशिक्षण केन्द्र हैं, जहां पर किसानों को प्रशिक्षण दिया जाता है। यह केन्द्र हैं–सहारनपुर, गाजियाबाद, इलाहाबाद, बस्ती, लखनऊ, झांसी और महोबा। इसी तरह से हमने छोटे और गरीब किसानों के लिये, महिलाओं के लिये मौन पालन योजना (मधु मक्खी) प्रारम्भ की है। इस योजना के द्वारा जो भूमिहीन हैं या विधवा महिलायें हैं वह छोटी-छोटी जगहों पर मौन पालन कर सकती हैं और उसके द्वारा अपना गुजारा कर सकती हैं। इसके लिये प्रशिक्षण केन्द्र खोले गये हैं–एक तो इलाहाबाद में दूसरा सहारनपुर में, तीसरा बस्ती में और चौथा मुरादाबाद में।

मान्यवर, मैं कहना चाहूंगा कि किसानों को उनकी पैदावार का उचित मूल्य मिल सके और उपभोक्ता को सही सब्जी प्राप्त हो सके, 150 सहकारी विपणन समितियां बनायी गयी हैं। मान्यवर, चूंकि पहले 10 मण्डल थे, इसलिये उनमें प्रशिक्षण केन्द्र हैं, जहां पर 15 दिन, 30 दिन, 100 दिन और एक वर्ष का प्रशिक्षण दिया जाता है। 103 सामुदायिक फल संरक्षण केन्द्र हैं जिनके द्वारा टमाटर का अचार, मुरब्बा बनाने के लिये छोटे-छोटे किसानों और विशेषकर महिलाओं के लिये व्यवस्था की गयी है।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना बजट प्रस्तुत करता हूं और माननीय सदस्यों से अनुरोध है कि वह अपने सकारात्मक सुझाव दें, और इस बजट को पास करें।

श्री राम औतार शाक्य–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपकी अनुमति से अनुदान सं० 10–कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (औद्यानिक विकास) के अधीन सम्पूर्ण मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाये। कमी करने का उद्देश्य विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना है।

माननीय मंत्री जी ने काफी आंकड़े प्रस्तुत किये हैं और उनको जस्टीफाई करने के लिये प्रयास किया है। माननीय मंत्री जी ने कहा कि आलू, फल और सब्जी का उत्पादन बढ़ रहा है, तो मैं पूछना चाहता हूं कि आपके पास क्या व्यवस्था है जिसके आधार पर आप कह सकें कि आपका उत्पादन बढ़ रहा है। आपने जो बजट साहित्य दिया है उसमें ही यह लिखा है कि प्रदेश में औद्यानिक फसलों के अन्तर्गत फल तथा शाक-भाजी के क्षेत्रफल तथा उत्पादन के आंकड़ों का कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है। क्योंकि इन फसलों के सर्वेक्षण के कार्य हेतु विभाग में पर्याप्त स्टाफ उपलब्ध नहीं है। तो जो आंकड़े प्रस्तुत किये हैं वह विश्वसनीय नहीं कहे जा सकते हैं। यह कोरी कल्पनाओं के आधार पर आंकड़े दिये हैं। जब यहां पर दैवी आपदा या बाढ़ आदि के समय प्रश्न उठते थे कि कितने क्षेत्रफल में शाक-सब्जी या फल आदि

थे तो उसका जवाब देने में सरकार असहाय हो जाती है । इसलिये कोई ऐसी वैज्ञानिक व्यवस्था करायें ताकि इन चीजों के उत्पादन का सही क्षेत्रफल मालूम हो सके ।

अधिष्ठाता महोदय, आलू के भण्डारण की बात आई तो कहा गया कि इस वर्ष कोई आलू सड़क पर पड़ा हुआ नहीं रहेगा, सब कोल्ड स्टोरेज में चला जायेगा । मैं जानना चाहता हूं कि आपने कितने नये कोल्ड स्टोरेज पिछले वर्ष से ज्यादा बनायें हैं, या जो कोआपरेटिव सेक्टर में या दूसरे सेक्टर में थे जो खराब पड़े थे उनकी कितनों की मरम्मत कराई है यह बता दें । अगर नये कोल्ड स्टोरेज नहीं बनाये हैं या पुराने जो खराब पड़े थे उनकी मरम्मत नहीं कराई है तो कैसे आलू के भण्डारण की व्यवस्था कर देंगे । यह कह कर आप सदन को भ्रमित कर रहे हैं ।

यहां पर आलू के विषय में समय-समय पर बात उठती रही है । आलू के बीज की प्रमाणीकरण की कोई व्यवस्था नहीं है जिससे आलू में रोग न लगे । हमारे यहां मैनपुरी, एटा, इटावा, फर्रुखाबाद में सबसे ज्यादा आलू पैदा होता है । लेकिन उसके लिये कोई प्रयोगशाला नहीं है जहां से मालूम हो सके कि यह प्रमाणित बीज है और जहां पर अच्छे आलू के बीज को डेवलप किया जा सके ।

उत्तर प्रदेश का किसान गरीब है, पिछड़ा हुआ है । यहां का किसान पंजाब से आलू लाता है इससे उसकी पैदावार तो बढ़ जाती है लेकिन आपके यहां कोई फाउन्डेशन बीज पैदा करने के लिये जिले में कोई केन्द्र नहीं है जहां से अच्छे बीज मिल सकें । आज पर्याप्त मात्रा में किसानों को अच्छा बीज नहीं मिलता है तो निश्चित रूप से आलू की पैदावार कैसे बढ़ेगी ? दूसरा जो आलू की किस्म है उसके विकास के लिए भी कोई अनुसंधान यहां नहीं होता है जबकि अन्य प्रान्तों में इसके लिए पर्याप्त व्यवस्था है इसलिए आलू को विकसित करने के लिए विशेष ध्यान दें । दूसरी बात, जो आलू में रोग लग जाता है पिछले साल काफी आलू में झुलसा रोग लग गया था उसके कारण खराब आलू पैदा हुआ इसलिए नये तरह के तकनीकि से आलू की बीज पैदा करने की तकनीकि डेवलप हो सके ताकि आलू में झुलसा रोग न लगे । ऊपर के आलू में झुलसा लग जाता है और नीचे जो आलू पैदा होता है वह भी खरदरा होता है । इसलिए मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि आलू में यह रोग पैदा न हो इसलिए नया बीज पैदा किया जाय ।

मान्यवर, कोल्ड स्टोरेज में जो आलू रखा जाता है उसके किराये को तय करने का आज सवाल है, आपके सहयोग से एक सरकार थी जिसमें आप भी शामिल थे तो राज्य सरकार का सहयोग था और अब मालिकों को अधिकार दे दिया गया है, इसलिए मेरा सुझाव है कि आलू के भण्डारण में किराये के लिये जिला स्तर पर एक समिति बनायी जानी चाहिए जिसमें जिलाधिकारी और को-आपरेटिव के अध्यक्ष तथा किसानों के प्रतिनिधि उसमें सामिल किये जायें, और वह समिति तय करे कि किराया कितना रखा जाय ? मान्यवर, इससे किसानों का शोषण रुक सकेगा इसलिए सरकार मेरे द्वारा दिये गये सुझाव पर अमल करे ।

मान्यवर, लखनऊ का दसहरी आम मशहूर है, इलाहाबाद का अमरूद मशहूर है । मान्यवर, यहां का आम दूसरे देश में भेजा जाता है । इसलिए यदि आम का निर्यात किया जाय तो विदेशी पूंजी हम अर्जित कर सकते हैं । मान्यवर, मैं चाहता हूं कि हमारे यहां का आम खाड़ी एवं अन्य देशों को निर्यात किया जाय तो विदेशी पूंजी हम अर्जित कर सकते हैं । लेकिन धन की उपलब्धता न होने के कारण हम आम को बाहर नहीं भेज पाते हैं । इसलिए सरकार को इस दिशा में ध्यान देना चाहिए । इससे बागवानी से जो लोग जुड़े हैं उनको फायदा होगा ।

मान्यवर, मैं तीसरी चीज के सम्बन्ध में कहना चाहता हूं कि हरी साग-सब्जी स्वास्थ्यवर्धक है और इसके साथ ही वायु प्रदूषण को रोकने के लिए भी बागवानी आवश्यक है । इसलिए हम सरकार से कहना चाहते हैं कि सरकार नयी तकनीकि विकसित करके क्लाइमेट और पर्यावरण ठीक करने की ओर

ध्यान दे जिससे उत्पादन भी बढ़ेगा । मान्यवर, पिछले वर्ष आपने देखा होगा साग-सब्जियों के साथ साथ अन्य आवश्यक वस्तुओं की कमी हो गयी थी जिससे महंगाई बहुत बढ़ गयी थी और प्याज के दाम आलू के दाम आसमान को छूने लगे थे इसलिए सरकारी स्तर पर साग-सब्जियों को खरीद कर कोल्ड स्टोरेज में रखने की व्यवस्था करनी चाहिए जिससे उपभोक्ताओं के साथ-साथ साग-सब्जी पैदा करने वाले किसानों को भी अधिक लाभ मिल सके ।

मान्यवर, समय कम है इसलिए अन्त में मैं अपने कटौती के प्रस्ताव को रखता हूं ।

श्री मुन्ना चौहान–

माननीय अधिष्ठाता महोदय मैं माननीय मंत्री जी ने जो फल एवं उद्यान विभाग का जो बजट प्रस्तुत किया है और जो कटौती का प्रस्ताव पर मुझे बोलने का अवसर दिया है उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं । मान्यवर, प्रथम बात तो यह है कि जो हमारा हार्टिकल्चर और फूड प्रोसेसिंग विभाग है यह कृषि का ऐसा एलाइड सब्जेक्ट है जिसके बारे में खेतों में जब तक जाकर किसानों के सामने जबतक डिमान्स्ट्रेशन नहीं दिया जाता और उनको कृषि पद्धति की ट्रेनिंग, दवा कैसे छिड़की जाये या दूसरे तरीके जो हैं उनको अपनाने में क्या सावधानियां बरती जायें जब तक सही तरीके से ज्ञान का ट्रांसफर नहीं होगा तब तक नई तकनीकि का विस्तार नहीं होगा ।

जो चीजें प्रयोगशाला में विकसित होती है वह खेतो तक कैसे पहुचे, यह हार्टिकल्चर डिपार्टमेन्ट एक उल्टे पिरामिड की तरह बनता चला गया है । माननीय संसदीय कार्यमंत्री नहीं हैं, चूंकि वह हमारे प्रभारी मंत्री हैं, जिला नियोजन की ओर जब समीक्षा कर रहे थे तो मैं भी था । आश्चर्य वाली बात यह है कि एक आलू विकास अधिकारी, एक हार्टिकल्चर अधिकारी, एक प्लान्ट प्रोटेक्सन अधिकारी, एक एग्रीकल्चर डेवलेपमेन्ट अफसर एक जिले में एक साथ काम कर रहे है जिससे उनके कामों में ओवर लैपिंग और डुप्लीकेशन होता है और सारा धन विकास के लिए तनख्वाह पर खर्च हो जाता है । इसको इन्टीग्रेट करके अधिकारियों को जो डिमान्स्ट्रेशन वर्क है जो किसान को जानकारी देने का काम हैं वह ठीक से किया जाये । दूसरी एक महत्वपूर्ण बात मैं यह कहना चाहता हूं कि देहरादून में विश्व प्रसिद्ध देहरा रोड की लीची पूरी दुनिया में जानी जाती थी आज कालोनाइजेशन के कारण वह देहरा रोड लीची के बगीचे लगभग लुप्तप्राय हो गये हैं । आप इस सम्बन्ध में यह करें कि एक इकोलाजिकल बेलेंस रखे उद्यान विभाग को और दुदृढ़ करें । मान्यवर, हमारे यहां रोय की खेती होती है लोगों को जानकारी नहीं है कि हमारे यहां सेब की बागवानी की जाती है । हमारे यहां कुछ क्षेत्र ऐसे है जहां सेब की बागवानी होती है मान्यवर, हमारे जो हार्टिकल्चर विभाग के अधिकारी है उनको जब बगीचे में खड़ा करते हैं और उनसे पूछा जाता है कि प्रूनिंग कैसे होनी चाहिए दवा का छिड़काव कैसे होना चाहिए तो वह बगले झांकने लगते हैं । उनका ट्रेनिंग प्रोग्राम बहुत आपसल्यूट है । अधिकारियों को जानकारी नहीं है कि हमारे यहां सिर्फ एक नद की बान्डड़ी पार करने के बाद हिमांचल प्रदेश में उस विभाग का चौकीदार इतनी जानकारी रखता है जितनी हमारे उद्यान विकास के विशेषज्ञों को भी नहीं है ।

मान्यवर, देहरादून और मेरे निर्वाचन क्षेत्र में उद्यान विभाग का एक रिसर्च सेन्टर खोलना चाहिए । हमारे यहां एक रिसर्च सेन्टर रामताल चकराता में है वहां का जो रिसर्च गार्डन है उसकी हालत देखिये वहां दो हजार फ्लान्ट हैं सेब, आड़ू इत्यादि के हिमांचल प्रदेश में जिसके पास 10 पेड़ हैं उसका काश्तकार उन 10 पेड़ों से 50 हजार रुपये सालाना आमदनी कमा लेता है और आपके जो रिसर्च सेन्टर है उनसे 1500 और 2000 इनकम होती है । यदि आपके रिसर्च सेन्टर की यह हालत हैं तो आप अन्दाज लगा सकते हैं कि किस तरह से तकनीकि विकास बागवानी के क्षेत्र में हो सकता है । एक दूसरी बात कहना चाहता हूं कि हमारे बीच में फोनिया साहब होते जो सत्ता पक्ष के चमोली से विधायक हैं । चमोली का क्षेत्र जिसको हायर हिमालय कहते है वहां के तिब्बत के जरिये डाई फ्रूट का कारोबार होता

था । आज जो ड्राईफ्रूट का कार्यक्रम है उसके बारे में आप क्या करने जा रहे हैं । ड्राई फ्रूट के कल्टीनेशन के सम्बन्ध में आपका क्या पैकेज है ? अखरोट, बादाम की खेती पर कोई जोर नहीं दे रहे हैं । आपने खुबानी खाई होगी हमारे यहां इसको चुल्लू कहकर खाते हैं । इसके अन्दर एक गुठली होती है जिसके एक लीटर तेल देने पर ढाई लीटर सरसों का तेल मिलता है । मान्यवर, रि-ओरिएन्टेड और रि-डिजाइन करने का काम अपने विभाग में करें । आपके रिसर्च फार्मों में एक गंगा लहरी आलू विकास फार्म है । वहां पर आलू विकास अधिकारी से पूछा गया कि 100 एकड़ के फार्म में उत्पादन कितना होगा तो उन्होंने कहा कि लगभग 100 कुन्तल तो हमारे संसदीय कार्य मंत्री जी का कहना था कि 100 कुन्तल आलू तो हमारे यहां का छोटा काश्तकार पैदा कर लेता है । इस तरह से फार्मों के अधिकारियों को जानकारी नहीं है । इन फार्मों पर फार्म मैनेजर और अन्य तमाम स्टाफ है । इनको सही जानकारी और तकनीकी जानकारी देने की व्यवस्था करें जिससे किसानों को लाभ मिल सके । इसके साथ ही मैं पुनः कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं ।

श्री राम औतार शाक्य–

मान्यवर, आलू किसानों और उनके आलू का कोई संरक्षण नहीं है और अगर किसी वजह से आलू का नुकसान होता है तो उसका भी संरक्षण कराने की कोई व्यवस्था नहीं है । इसलिए मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं ।

चौधरी लक्ष्मी नारायण–

माननीय शाक्य साहब और चौहान साहब ने जो जवाब दिए मैं उनका सम्मान करता हूं । शाक्य साहब ने एक बात कही कि जब नये शीतगृह नहीं बने और पुराने सहकारिता के शीतगृह ठीक नहीं हुए तो आलू की भण्डारण क्षमता कैसे बढ़ गयी ? मान्यवर, 43 लाख मीट्रिक टन की क्षमता थी, इस बार 74 नये शीतगृह बन कर तैयार हैं और चालू हो गये हैं । चार शीतगृहों की क्षमता का विस्तारीकरण हुआ है । सहकारिता में पिछले वर्ष मात्र 8 शीतगृह चालू थे, इस बार 34 शीतगृह सहकारिता के चल गये हैं । इसलिए मान्यवर, 5.93 लाख मीट्रिक टन की क्षमता हमने इन शीतगृहों के द्वारा बढ़ाई है । माननीय शाक्य साहब से बताना चाहता हूं कि अगेती आलू उत्तर प्रदेश में 27 लाख मीट्रिक टन खुदा हुआ था, उसका उपयोग हो गया या प्रदेश के बाहर चला गया और अब तक 34 लाख मीट्रिक टन आलू का भण्डारण हो चुका है । अभी हमारे पास 15 लाख मीट्रिक टन की क्षमता बाकी है इसके बाद मान्यवर, लगभग 15 लाख मीट्रिक टन आलू बचता है जिसका 30 जून तक लगभग 30-40 प्रतिशत तक खपत उ० प्र० में होगी । 40 प्रतिशत आलू प्रदेश के बाहर जाता है । इस प्रकार हम दावे के साथ कह सकते हैं कि हमारे प्रदेश का आलू नहीं सड़ेगा और न खराब होगा । मान्यवर, एक बात शाक्य जी ने कही थी कि जो शीतगृह हैं उनको पूर्ववत सरकार को अपने नियंत्रण में रखना चाहिये । मैं शाक्य साहब को बताना चाहूंगा कि जब आपके नेता जी केन्द्र में रक्षा मंत्री थे तो उनके सत्ता में रहते हुये प्रधानमंत्री देवगौड़ा जी ने 15 मई, 1997 को यह कानून पास किया था कि अब भारतवर्ष में कोल्ड स्टोरेज एक्ट की कोई आवश्यकता नहीं है इसलिए इस पर नियंत्रण का और प्रशासनिक दबाव को हटा दिया जाये । पूरे भारत में अकेले उत्तर प्रदेश ही ऐसा प्रदेश है जहां कोल्ड स्टोरेज ऐक्ट लागू है और किसी दूसरी जगह पर नहीं । आपने एक बात कही थी कि आपके पास अधिकारी कर्मचारी नहीं हैं मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि एक डाइरेक्टर, एक अपर निदेशक, चार संयुक्त निदेशक, सात हजार नौ सौ ग्यारह अधिकारी और कर्मचारी उद्यान विभाग में गोष्ठियां करते हैं सर्वे करते हैं और किसानों को जानकारी देने का काम पूरे प्रदेश में करते हैं ।

हमारे मुन्ना चौहान जी ने कहा, और कई जगहों का जिक्र किया तो उसको मैंने नोट किया है निश्चित रूप से जांच की जायेगी और आपको अवगत भी कराऊंगा लेकिन एक बात और कहना चाहूंगा

उद्यान विभाग का लक्ष्य प्रचार और प्रसार करना है मुनाफा कमाना नहीं । आलू, फल के बीज या मसाले के बीज जो हम पैदा करते हैं उस पर एक पैसा भी प्राफिट नहीं लिया जाता । नो प्राफिट नो लास पर हम बीज जनता को उपलब्ध कराते हैं । मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि यह जनमानस पर जुड़ा बजट है उस पर आप कटौती का प्रस्ताव वापस ले लें । इन शब्दों के साथ मैं आपको धन्यवाद देता हूं ।

श्री अधिष्ठाता–

माननीय शाक्य जी क्या आप अपना कटौती का प्रस्ताव वापस ले रहे हैं ?

श्री राम औतार शाक्य–

मान्यवर, मैंने जो कहा था वह आपने जो किताब दी थी उससे ही मैंने अपना साक्ष्य पढ़ा था । आप अपनी ही किताब पर विश्वास नहीं करते हैं तो मैं कटौती का प्रस्ताव कैसे वापस ले लूं दूसरी बात जो आपके विभाग के कर्मचारी ही अच्छे बीज बनाने उनको उपलब्ध कराने में कतई चिंतित नहीं हैं तो कैसे पैदावार बढ़ेगी । इसलिए मैं कटौती के प्रस्ताव को वापस नहीं लेता हूं और बल देता हूं ।

श्री अधिष्ठाता–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 10–कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (औद्यानिक विकास) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

श्री अधिष्ठाता–

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2000 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 10– कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (औद्यानिक विकास) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए 76,85,62,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

वित्तीय वर्ष 1999–2000 के आय-व्ययक की अनुदानों की मांगों पर चर्चा एवं मतदान अनुदान संख्या–15 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पशुधन) अनुदान संख्या–17 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (मत्स्य)

पशुधन मंत्री (श्री राधेश्याम गुप्ता)–

मान्यवर, आपकी अनुज्ञा से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 2000 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–15 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पशुधन) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए 1,74,64,17,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

श्री राधेश्याम गुप्ता–

मान्यवर, आपकी अनुमति से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 2000 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 17–कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (मत्स्य) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए 19,05,82,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

मान्यवर, पशुपालन बहुत ही महत्वपूर्ण विभाग है, गाव गरीब किसान से जुड़ा हुआ है । बेरोजगारी दूर करने के लिए, कृषि उत्पादन में हरित क्रांति लाने के लिए, दुग्ध उत्पादन में श्वेत-क्रांति लाने के लिए हमारी सरकार का संकल्प है । मान्यवर, मैंने कार्य योजना बनायी है कि प्रदेश के प्रत्येक जनपद में न्याय

पंचायत स्तर पर कैम्प लगाकर पशुपालकों को प्रशिक्षित करके पशुपालकों में रुचि पैदा करने का काम विभाग द्वारा प्रारम्भ कराया गया है ।

हमारा प्रदेश कृषि प्रधान प्रदेश है । कृषि उत्पाद में पशुपालन का महत्वपूर्ण स्थान है । हमने यह योजना बनायी है कि मल-मूत्र से व्यवस्थित रूप से देशी खाद का निर्माण कराया जाये और देशी खाद का उपयोग अधिक से अधिक खेतों में किया जाये जिससे उर्वराशक्ति का क्षरण न हो और रसायनिक खादों में कृषकों का धन व्यय न हो । देशी खादों से उत्पन्न सब्जी व अन्न आदि पौष्टिक होती है और मानव जीवन पर उसका असर नहीं पड़ता है । पशुपालन से प्रदेश की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी । यह विभाग राज्य के आय में 10 प्रतिशत का योगदान देता है साथ ही 26 प्रतिशत रोजगार देता है ।

श्री अम्बरीष कुमार–

माननीय अधिष्ठाता जी, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है । माननीय मंत्री जी लगातार पढ़ रहे हैं । अगर कोई आंकड़ा या बिन्दु हो तो उसे पढ़ें लेकिन लगातार पढ़ते जा रहे हैं इसलिए मंत्री जी के भाषण को पढ़ा हुआ मान लिया जाये । इस पर आप व्यवस्था दें ।

श्री राधेश्याम गुप्ता–

मान्यवर, वर्ष 1993 की जनगणना के अनुसार हमारे प्रदेश में 8 करोड़, 9 लाख पशु हैं जिससे दुगना उत्पादन व उत्पादकता में निरन्तर वृद्धि हो रही है जिसके लिए प्रजाति सुधार कार्यक्रमों को गतिशीलता प्रदान करते हुये प्रजनन आच्छादन प्रजाति प्रतिशत को 23.5 प्रतिशत तक पहुंचा दिया । भविष्य में 40 प्रतिशत तक पहुंचाने का लक्ष्य है । बायफ इन्सेमिनेटर तथा पैरावेट के माध्यम से पशुपालकों के द्वार पर कृत्रिम गर्भाधान सेवायें सुलभ करायी जा रही हैं । राष्ट्रीय गाय-भैंस प्रजनन कार्यक्रम के माध्यम से सेवाओं का विस्तार तथा स्वदेशी प्रजातियों का संरक्षण संवर्धन तथा विकास किया जा रहा है । गो वध एवं गो तस्करी पर प्रभावी नियंत्रण तथा गो संरक्षण एवं गो संवर्धन हेतु गो सेवा आयोग का गठन किया गया है । गो वंशीय पशुओं के संरक्षण संवर्धन तथा विकास हेतु 35 गोशालाओं के सुदृढीकरण हेतु 1.50 करोड़ की सहायता प्रदान की जा रही है तथा अगले वर्ष में 50 गौशालाओं को 3 करोड़ की सहायता दी जाएगी । ग्रामीण शिक्षित युवकों को सब रोजगार सेवाओं के निजीकरण पशुपालकों के द्वारा पर सीधे स्वैच्छिक संस्थाओं की भागीदारी अवस्थापना विकास तथा प्रशिक्षण एवं राहत विकास हेतु 67 करोड़ की विश्व बैंक पोषित उत्तर प्रदेश सरकार से विविधीकरण परियोजना प्रारम्भ की गई है ।

पशुओं के बांझपन नियंत्रण हेतु 6 नियंत्रण इकाइयां 6 रैबीज रोग नियंत्रण इकाइयां तथा एक-एक स्वाइन फ्रीवर तथा पुलोरम रोग नियंत्रण इकाई स्थापित की जा रही है । प्रदेश में कुक्कुट विकास को निजीक्षेत्र में विकास करने के उद्देश्य से कुक्कुट पालन को कृषि आधारित उद्योग की श्रेणी में घोषित किया गया है । अम्बेडकर विशेष रोजगार योजना के अन्तर्गत सामाजिक तथा आर्थिक रूप से पिछड़े एक वर्ग के उत्थान हेतु सूकर, भेड़, बकरी पालन जैसी स्वरोजगार योजनाएं चलाई गईं । ऊन विकास बोर्ड के माध्यम से भेड़ पालन ऊन उत्पादन तथा विपणन हेतु पशुपालकों को विशेष सहायता दी जा रही है । अभी जो 55 जिलों में बाढ़ आई उस समय पशुओं को संरक्षण टीकाकरण जिस प्रकार से किया गया है वह ऐतिहासिक कदम है । ऐसा पहले कभी नहीं हुआ । हमारे विभाग ने इतिहास बनाया ।

श्री अम्बरीष कुमार–

मान्यवर, मंत्री जी पढ़ रहे हैं ।

श्री अधिष्ठाता–

अब मंत्री जी अपनी बात समाप्त करें ।

श्री राधेश्याम गुप्ता–

इसी कड़ी में मत्स्य पालन विभाग भी है । इसको विकसित करने का हमारी सरकार ने संकल्प लिया है । मत्स्य हमारे प्रदेश शासन का प्रतीक चिन्ह है । भारतीय संस्कृति में मत्स्य को बहुत शुभ माना जाता है । "जैसे सन्मुख आयोदधि अरु मीना, कर पुस्तक दुई विप्र प्रवीना ।" प्रदेश में मत्स्य पालन की असीम सम्भावनाएं हैं हमारी सरकार ने स्वालम्बन, स्वरोजगार की दिशा में महत्वाकांक्षी योजनाएं प्रारम्भ की है । हमारी सरकार ने प्रत्येक क्षेत्र पंचायतों पांच पांच जलाशयों को निर्माण कराकर मत्स्य पालन की योजना बनाई है । प्रत्येक जनपद में अनुपयोगी जल क्षेत्रों को विकसित कर निजी क्षेत्र में मत्स्य पालन का कार्य विभाग करेगा । अधिक से अधिक जलाशयों के निर्माण से गिरते हुए भूगर्भ जलस्तर को सामान्य रखा जा सकेगा । जलाशयों में मत्स्य पालन व तालाब के बांधों पर वृक्षारोपण से पर्यावरण संतुलन व आर्थिक लाभ होगा । इन शब्दों के साथ मैं यह बजट प्रस्तुत करता हूं ।

श्री सीताराम निषाद–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या–15 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पशुधन) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय । कमी करने का उद्देश्य विभागीय नीति की आलोचना करना और सुझाव देना ।

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 17–कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (मत्स्य) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय । कमी करने का उद्देश्य विभागीय नीति की आलोचना करना और सुझाव देना ।

मान्यवर, पशुधन विभाग एक महत्वपूर्ण विभाग है और उत्तर प्रदेश एक कृषि प्रधान प्रदेश है जहां पर 80 प्रतिशत आबादी गांवों में रहती है हर परिवार के पास पशु होते हैं इसलिये यह विभाग गरीब, मजदूर और किसान से जुड़ा हुआ है । परन्तु जिस तरह से माननीय मंत्री जी बजट का प्रस्तुत किया है उससे बहुत निराशा हुई है । यह साबित करता है कि एक अयोग्य व्यक्ति के हाथ में यह महत्वपूर्ण विभाग दिया गया है और इससे प्रदेश का कोई भला होने वाला नहीं है । पशुधन विभाग का मुख्य कार्य है अच्छी नस्ल के जानवर किसानों को उपलब्ध कराना । जिससे खेती के लिये अच्छे बैल मिल सके और दूध, घी लोगों को मिल सके जिससे वह अपना स्वास्थ्य अच्छा बना सकें । परन्तु इसके लिये कोई भी योजना सरकार ने नहीं बनाई है कि किस तरह से पशु प्रजनन की सुविधायें गांवों तक प्रदान की जायेंगी ।

पशुओं में जो खुरपका, मुहपका, रैबीज तपेदिक आदि जैसे जो रोग पशुओं को लग जाते हैं उनकी रोकथाम करने में यह विभाग बिल्कुल असफल रहा है । आज अस्पतालों में डाक्टरों की कमी है । अस्पताल भी कम हैं इसके लिये कोई योजना नहीं दी गई है कि इस वित्तीय वर्ष में कितने पशु चिकित्सालय बनवाये जायेंगे । हर न्याय पंचायत में एक स्टाक मैन सेन्टर खोलने की आवश्यकता है । परन्तु इसके लिये भी कोई नीति नहीं बनाई गई है । जो पशु चिकित्सालय बनाये जा रहे हैं, पशु विभाग में एक बहुत बड़ा घोटाला यह हो रहा है कि पैक्सफेड जैसी बदनाम संस्था से ये चिकित्सालय बनाये जा रहे हैं, जिसमें 50 प्रतिशत पैसे का तो वैसे ही दुरुपयोग होता है । पैक्सफेड द्वारा जहां पर भी पशु चिकित्सालय बनाये जा रहे हैं, निश्चित रूप से वे पशु चिकित्सालय 1-2 साल में धराशायी हो जायेंगे । मेरे ही फैजाबाद जनपद में हैदरगंज में पशु चिकित्सालय पैक्सफेड द्वारा बनाया जा रहा था । मैंने इस संबंध में डाइरेक्टर से निवेदन किया और पशुपालन के सचिव से भी निवेदन किया कि पशु चिकित्सालय को पैक्सफेड द्वारा न बनाया जाय । उसमे घटिया किस्म का सामान लगाया जा रहा था और कलेक्टर ने उसके काम को रोक दिया । मैं अनुरोध करूंगा कि इसकी आप टैक्निकल सेल से जांच करा लें और जो घटिया किस्म का ईटा और अन्य मैटीरियल लगाया गया है, उसके लिये रिकवरी की जाय । इसी प्रकार सारे प्रदेश में पैक्सफेड द्वारा जो पशु चिकित्सालय बनाये जा रहे हैं, उनसे वह पैसा वापस लेकर किसी दूसरी संस्था से इन पशु चिकित्सालयों को बनवाया जाय ।...

(इस समय 8 बजकर 15 मिनट पर अधिष्ठाता डा० अशोक बाजपेयी पीठासीन हुए ।)

मान्यवर, पूर्वी उत्तर प्रदेश में पशु प्रजनन, सुधार की सुविधा के लिये फार्म नहीं हैं । मैं निवेदन करना चाहता हूं कि पूर्वांचल के सभी मण्डलों में फैजाबाद, बस्ती, गोरखपुर, आजमगढ़, वाराणसी, मिर्जापुर इन जिलों में भी फार्म बनाये जायं जिससे पूर्वांचल के जो गरीब किसान हैं उनको अच्छी किस्म के जानवर उपलब्ध हो सकें । मान्यवर, गोसम्वर्धन पखवारा 16 नवम्बर से 30 नवम्बर तक मनाया जाता है । बजट में इसके लिये जो व्यवस्था की गई है वह बहुत कम धन दिया गया है । मैं एक सुझाव देना चाहता हूं और मांग करता हूं कि इस पखवारे में इस प्रदेश के प्रत्येक खण्ड में पशु प्रदर्शनी का आयोजन किया जाय ।

हर विकास खण्ड के किसान वहां पर आकर पशु प्रदर्शनी में अपने अच्छे पशुओं को लायें वहां पर एक कम्टीशन हो और उसमें पुरस्कार दिया जाय । अच्छे पशु पालने के लिये किसानों को प्रोत्साहित किया जाय । दूध बढ़ाने के लिये शंकर प्रजनन कार्यक्रम को गांव-गांव तक फैलाने की आवश्यकता है । माननीय मंत्री जी से अनुरोध है कि विभाग में एक ऐसा सचल दल बनायें, एक ऐसी गाड़ी तैयार करें जिसमें चिकित्सक हों, दवाइयां हों, बीज वगैरह की व्यवस्था हो और वह गांव-गांव जाकर पशुओं को देखें, उनका निरीक्षण करें । बीमार पशुओं को देखें और उनको दवा दें । बीज आदि की जो आवश्यकता हो गाय, भैंसों के प्रजनन के लिये वह गांव-गांव जाकर उपलब्ध करायें ।

श्री अधिष्ठाता–

अब आप समाप्त करें ।

श्री सीता राम निषाद–

दूध की हमारे प्रदेश में कमी है इसलिये सिन्थेटिक दूध का प्रयोग कुछ लोग कर रहे हैं, सिन्थेटिक दूध बना रहे हैं और उसे दिल्ली और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बेचते हैं, उस पर मान्यवर, रोक लगाई जाय । इस तरह का सिन्थेटिक दूध बनाने वालों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाय । दूध बढ़ाने के लिये नई तकनीक इस प्रदेश में लागू की जाय । तमिलनाडु में डा० ए० सुब्रहमणियम ने एक ऐसा सिद्धान्त तैयार किया है हारमोन्स सन्तुलन का जिसके आधार पर ऐसे गाय भैंस जो बच्चा नहीं देती हैं, जिनमें प्रजनन शक्ति नहीं है उनको भी उस हारमोन्स सन्तुलन के आधार पर उनसे भी दूध लिया जा सकता है और उन्होंने जो खोज की है उसके अनुसार 300 दिन तक ऐसे बांझ गाय और भैंस दूध देंगे और उस दरम्यान में उनके प्रजनन की भी उम्मीद रहेगी । यदि उनको प्रजनन नहीं होता है तो 300 दिन के बाद 50 दिन बाद फिर उन्हें दूध देने योग्य बनाया जा सकता है । इस सिद्धान्त को उत्तर प्रदेश में भी लागू किया जाय । पशु पालन विभाग में तमाम करोड़ों रुपये का घोटाला पाया गया है । इन घोटालों की जांच लोक लेखा विभाग की दो टीमों द्वारा की जा रही है मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जो जांच हो रही है उसे जल्दी पूरा कराया जाय क्योंकि जांच प्रभावित करने का प्रयास निदेशालय की तरफ से किया जा रहा है ।

उस जांच टीम को सरकार की तरफ से बल दिया जाय । उस घोटाले का पर्दाफाश हो । घोटाले की रिपोर्ट सदन में रखी जाय । पशुओं को अच्छी किस्म की दवाइयां दी जायं । दुधारू पशुओं के लिये जो आहार बनाया जाता है उसमें दुर्गन्धयुक्त हड्डी मांस की मात्रा पायी जा रही है । जो भी पशु आहार बनाया जाय, उसकी जांच परीक्षण होना चाहिए तब ही वह बाजार में आये अन्यथा उससे पशुओं में जो दूध पैदा होगा वह मिश्रित होगा वह स्वास्थ्य के लिये कोई फायदेमन्द नहीं होगा । मछुआ विकास परिषद् का गठन किया गया है । एक साल से ज्यादा हो गया है केवल एक ही बैठक हुई है उसके बाद उसकी बैठक नहीं होती । मैं निवेदन करूंगा कि प्रति तीन महीने में मछुआ विकास परिषद की बैठक होनी चाहिए जो उसके सुझाव हों उसका क्रियान्वयन होना चाहिए । नदियों की नीलामी की प्रथा समाप्त होनी चाहिये । मान्यवर, मछुआ सहकारी समिति को देने के लिए पट्टा कानून बनाया गया था लेकिन इस सरकार की तरफ से उस पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है । मान्यवर, जमींदारी विनाश कानून एवं भूमि सुधार अधिनियम की नियमावली में प्रावधान किया जाए .....

श्री अधिष्ठाता–

अब बाद में कह दीजिएगा ।

श्री सीताराम निषाद–

मान्यवर, दो मिनट और दे दें निदेशालय स्तर पर मछुआ मत्स्यजीवी सहकारी समिति के पंजीकरण हेतु उप निबन्धक को प्रतिनियुक्ति पर लिया जाता है । मत्स्य विभाग में मेरी जानकारी है इसमें ऐसे अधिकारी हैं जिन्हें सहकारिता के बारे में अच्छी जानकारी है ।

श्री अधिष्ठाता–

समाप्त करें ।

श्री सीताराम निषाद–

जो मत्स्यजीवी सहकारी समितियों के संबंध में प्रशिक्षित हों विभाग की जानकारी हो ऐसे अधिकारियों को उप निबन्धक मत्स्य (सहकारिता) के पद पर रखना चाहिए । मैं मांग करता हूं कि मत्स्य विभाग के जो अधिकारी हैं जो सहकारिता में प्रशिक्षित हैं उन्हें उप निबन्धक मत्स्य सहकारिता के पद पर नियुक्ति किया जाए । मान्यवर, गांव में जलाशय, पोखरों के दस साल के पट्टे दिए गये । 10 अक्टूबर, 1975 का शासनादेश लागू करके । प्रदेश में यह व्यवस्था तभी से चली आ रही है लेकिन उसको समाप्त किया जा रहा है यह सरकार मछुआ विरोधी सरकार है । इससे मछुआरा समुदाय को लाभ नहीं है ।

श्री अधिष्ठाता–

समाप्त करें !

श्री सीताराम निषाद–

आप पट्टों की व्यवस्था को समाप्त करने जा रहे हैं मैं अनुरोध करना चाहूंगा माननीय मंत्री जी इस बात की घोषणा करें उत्तर प्रदेश में पहले से शासनादेश लागू हैं जलाशय पोखरों के बारे में उसको समाप्त न किया जाए । यह मछुआ समुदाय के लोगों को और मत्स्य सहकारी समितियों को दिया जाए अन्यथा मैं आरोप लगाना चाहता हूं कि यह सरकार मछुआ समुदाय विरोधी है और गरीब मछुआरों को बेरोजगार करना चाहती है । इसी तरह से मछुआ आवास योजना है उसके लिए बहुत कम बजट दिया गया है एक हजार आवास का प्रस्ताव किया गया है । इस प्रदेश में एक करोड़ की संख्या में मछुआ समुदाय के लोग रहते हैं कई लाख लोग नदियों के किनारे आवास बनाकर रहते हैं बाढ़ आने पर वह भवन विहीन हो जाते हैं इसको हर वर्ष 1 हजार के बजाए 25 हजार कर दिया जाए ।

श्री अधिष्ठाता–

अब समाप्त कर दें ।

श्री सीताराम निषाद–

इन्हीं शब्दों के साथ मैं कटौती के प्रस्ताव पर बल देता हूं ।

युवा कल्याण राज्य मंत्री (श्री अमरमणि त्रिपाठी)–

माननीय निषाद जी ने अभी कटौती का प्रस्ताव रखा सरकार की तरफ से बजट रखने का काम मंत्री जी ने किया इसमें दो शब्द अपनी तरफ से कहना चाहूंगा । हमारा विभाग 1926 में बना था ब्रिटानिया हुकूमत कुछ करना चाहती थी । उन्हीं दिनों इस विभाग को अलग न करके जिला पंचायतों के माध्यम से इसका संचालन होता रहा । आजादी के बाद हमारे नेताओं ने महसूस किया कि पशु पालन

का विकास होना चाहिए, पशु पालन के विकास के लिए अलग विभाग का गठन "पशु पालन विभाग" का गठन किया गया । पशु पालन विभाग के गठन के बाद तमाम उल्लेखनीय प्रगति होनी चाहिए थी, अपेक्षित प्रगति नहीं हुई, क्योंकि विगत सरकारों ने 50 साल उत्तर प्रदेश पर राज्य करती रहीं उन्हें जो कुछ करना चाहिए था जो विकास करना चाहिए था, जैसा हमारे माननीय निषाद जी ने बहुत गंभीरता से कहा, घोटाला नहीं होना चाहिए था ।

[समय 8 बजकर 25 मिनट]

आपको अवगत करा देना चाहता हूं निषाद जी, पशु पालन विभाग में घोटाला होने का सवाल ही नहीं होता है । इसके पारांगत आपके दल के लोग हैं । हम जिस दिन से पशु पालन विभाग में आये हैं पचास वर्षों से जो काई लगी हुई थी, जो घोटाले हुए थे, जो गड़बड़ियां थीं उसको पूरी मजबूती से जनपद के प्रत्येक अस्पताल में जाकर प्रत्येक फार्मों में जाकर के हमने जांच करवायी, उसकी गुणवत्ता की जांच करायी और यही नहीं उत्तर प्रदेश के संस्थानों से नहीं बल्कि भारत सरकार के संस्थानों से बरेली से, मद्रास से, बरेली में आई०बी०आर०आई० है जो भारत सरकार की उत्कृष्ट संस्था है उससे जांच करायी । उसमें विशेष पत्र वाहक द्वारा सैम्पलिंग करके भेजा गया । अभी हाल ही में तीन महीने के बाद रिपोर्ट आयी है चारे की गुणवत्ता संतुलित पायी गयी ।

मान्यवर, चारे की सप्लाई उत्तर प्रदेश का एग्रो विभाग करता है । उसमें हमने कुछ में त्रुटियां पायीं । जो अधिकारी/कर्मचारी थे उनके विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज करायी और प्रयास किया कि उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्यवाही हो । यूनियन के लोगों ने कहा कि 22/-रुपये कम हैं लेकिन हमने यह कहा कि जब लालू और बड़े-बड़े राजनेता जेल जा सकते हैं तो आपको भी जेल के अन्दर जाना होगा । हमारी सरकार ने दृढ़ इच्छा शक्ति प्रदर्शित करते हुए जो घोटाले हुए उसकी जांच करायी है और मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं बड़े से लेकर छोटे, जो भी घोटाले हुए हैं, उसमें जो भी दोषी पाया जायेगा, उसके खिलाफ कार्यवाही की जायेगी उसको बख्शा नहीं जायेगा । उसको जेल के अन्दर जाना होगा । माननीय मंत्री जी ने जो बजट रखा है वह बहुत ही आकर्षक ढंग से रखा है । जो पचास वर्षों में हमने कहा कि हम कहां पर थे । हमारे यहां कामधेनु पायी जाती थी । आज अमेरिका में डेनमार्क में डेढ़ सौ लीटर दूध देने वाली गाये हैं । तो आज जहां हिन्दुस्तान में कामधेनु पायी जाती थी लेकिन आज स्थिति यह है कि गाय बकरी से भी कम दूध दे रही है ।

तो हमने विशेष योजना बनायी है । हमारा प्रयास है कि ई०टी०टी० जो अत्याधुनिक टेक्नालाजी है उसके माध्यम से नस्ल सुधार कार्यक्रम चलाकर, जिससे गायों की गुणवत्ता में अपेक्षित सुधार हो सके । बाहर से मंगाकर ट्रांसप्लान्टेशन कराया जायेगा । हमारे यहां बहुत ही पुरानी टेक्नालाजी है जिसे ए०टी०आई० कहा जाता है । मान्यवर, मानव जीवन में और धर्म में गाय की कितनी महत्ता है यह प्रदेश का बच्चा-बच्चा जानता है । कितना महत्वपूर्ण स्थान है हमारे धर्म में इसका उल्लेख धर्मग्रन्थों में भी किया गया है । हमने गाय को माता कहा है और आज उसकी दुर्दशा को देखकर बहुत ही ग्लानि होती है और हम उसको दूर करने के लिए एक प्रयास कर रहे हैं । जो बजट में प्राविधान किया गया है ।

मान्यवर, 1947 में 22 फरवरी को एक एक्ट यहां पर पास हुआ था फिसरीज ऐक्ट के नाम से । 50 सालों में उसका एक भी पन्ना पलटने का काम नहीं किया गया जब हमने उसका अध्ययन किया तो देखा कि तब से लेकर आज तक उसमें तमाम चीजें परिवर्तित हो गयी हैं । हमने आदरणीय मंत्री, गुप्त जी के नेतृत्व में, उस ऐक्ट का पालन कराने के लिए निर्देश निर्गत किये हैं और जहां उसका प्रिन्ट उपलब्ध नहीं था उसको भिजवाने का काम किया है । इस तरह से विकास के लिए और समन्वित

तरक्की के लिए हमने एक प्रयास किया है । मैं अनुरोध करूंगा कि आपने जो कटौती का प्रस्ताव रखा है उसको वापस लेकर इसको तरक्की का जरिया दें ।

श्री जय प्रकाश निषाद–

मान्यवर, हमारी सरकार ने मछुआ समुदाय के कल्याण हेतु योजना बना करके पिछड़े एवं आर्थिक दृष्टि से दुर्बल मछुआ समुदाय के सामाजिक एवं आर्थिक उत्थान के लिए नीतियां बनाई हैं जिसमें सरकारी समितियों का गठन एवं पंजीकरण शामिल है । मछुआ दुर्घटना बीमा योजना है मछुआरों के लिए आवास की सुविधा की नीति बनाई गयी है । मान्यवर, प्रदेश में 762 प्राथमिक मत्स्य जीवी सहकारी समितियां, 16 जनपद स्तरीय संघ की स्थापना करके निषाद समाज का उत्थान किया जा रहा है । मान्यवर, दुर्घटना बीमा योजना के अन्तर्गत वर्ष 1998-99 तक 35 हजार मछुओं का अच्छादन किया गया है । मान्यवर, मछुआ आवास योजना के अन्तर्गत 2447 मछुआ आवास वर्ष 1998-99 में बनाये गये हैं । मान्यवर, प्रदेश में मछुआ समुदाय के लोगों की तरक्की के लिए तरह-तरह की सुविधायें दी गयी हैं । मान्यवर, दो हेक्टेयर क्षेत्रफल का तालाब संबंधित ग्राम सभा में उसमें मछुआ समुदाय को देने के लिए प्राविधान किया गया है और दो हेक्टेयर से ऊपर जो मत्स्य पालक सहकारी समिति बनाई है । इसके साथ-साथ जो मछुआ समुदाय के लोगों की कार्य करते समय दुर्घटना हो जाती है वे विकलांग हो जाते हैं ।

उसमें 35 हजार रु० की दुर्घटना बीमा की योजना बनाई गयी है । मछुआ समुदाय के लोग गरीब लोग हैं, जिनके पास आवास की सुविधा नहीं है उनको आवास सुविधा देने के लिए 20 हजार रुपये का प्राविधान किया गया है और जहां पर 20 आवास बन जाते हैं वहां पर 15 हजार रुपये में हैण्डपम्प लगाने की व्यवस्था भी की गयी है । मान्यवर, इसी तरह से मत्स्य बीज उत्पादन के लिए हैचरियों के माध्यम से प्राइवेट हैचरियों के माध्यम से प्राविधान किया गया है, जहां मत्स्य उत्पादन का कार्य होता है वहां लोगों को ऊंचा उठाने के लिये योजना बनायी गयी है जिसके लिए मैं सरकार को धन्यवाद देता हूं । इसी तरह से मछुआ समुदाय के लिए आर्थिक विकास के लिए जो प्राविधान बजट में किया गया है यह पहली सरकार है जिसने सहकारी समितियों के माध्यम से, मछुआ आखेट के माध्यम से इन गरीब लोगों के उत्थान के लिए योजना बनाई है इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूं । मान्यवर, पशुपालन विभाग के बारे में कहना चाहता हूं ।

यह सही है कि सरकार ने उसमें सुधार किया है । पहले जो केन्द्र खोले गये थे, उनमें न तो समय से बीज उपलब्ध हो पाता था और न कोई कर्मचारी रहता था । एक दिन में तो पूरा सुधार नहीं हो सकता, लेकिन फिर भी काफी सुधार इस समय देखने को मिल रहा है । हम चाहते हैं कि पशुपालन विभाग द्वारा गांव में जो योजनायें चलाई जा रही हैं, उसमें पशु सेवा केन्द्रों को ज्यादा विकसित करने की आवश्यकता है । प्रत्येक गांव में अगर सरकारी तंत्र के माध्यम से न खुल सके तो कुछ बेरोजगार लोगों को प्रशिक्षण दिलाकर प्रत्येक गांव में एक-एक पशु सेवा केन्द्र खोला जाय, ताकि पशुओं की अच्छी सेवा हो सके, जिससे प्रदेश में दूध का उत्पादन बढ़ सके और गाय-भैंसों का संरक्षण हो सके । मान्यवर, यह एक चिन्ता का विषय है कि बैलों की संख्या कम होती जा रही है । उस पर ध्यान दिये जाने की आवश्यकता है, इसके लिये अच्छी नस्ल की गाय रखी जायें, जिनसे अच्छे बछड़े पैदा किये जायेंगे । इसी के साथ अपनी बातों को विराम देता हूं और माननीय मंत्री जी ने गुणात्मक दृष्टि से अच्छे बजट को बनाने का प्रयास किया है, उसका समर्थन करता हूं ।

श्री लालजी वर्मा–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, यह बहुत महत्वपूर्ण विभाग है । निश्चित तौर पर इस देश के विकास में जहां हरित क्रान्ति का महत्वपूर्ण स्थान है, वहीं श्वेत क्रान्ति का उससे कम महत्वपूर्ण स्थान नहीं है

लेकिन दुर्भाग्य है कि हमने गाय को गऊमाता तो कहा लेकिन उनको बचाने, उनको स्वस्थ्य रखने का जो काम हमे करना चाहिये था, जो दुग्ध उत्पादन का कार्य करना चाहिये था, वह माननीय अमरमणि त्रिपाठी जी ने छीन लिया । हमें खुशी होती, यदि माननीय मंत्री जी दुग्ध विकास की दिशा में प्रयास कर, पशु चिकित्सालयों में डाक्टर की व्यवस्था करते । आज उत्तर प्रदेश के जितने भी पशु चिकित्सालय हैं उसमें 50 फीसदी में डाक्टरों का अभाव है । माननीय मंत्री जी आपको इस विभाग को संभाले 16 महीने हो गये, लेकिन आपने डाक्टरों की भर्ती के लिये, डाक्टरों की व्यवस्था के लिये कोई कदम उठाने का काम किया ।

मान्यवर, निश्चित तौर पर इस प्रदेश को विकास के रास्ते पर, जन-धन दोनों के विकास के लिये पशुओं को स्वस्थ बनाना होगा और प्रदेश को स्वस्थ बनाने के लिये निश्चित रूप से दुग्ध विकास का सबसे महत्वपूर्ण योगदान होना चाहिये । मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि यदि वास्तव में इनकी सोच इस तरह की है कि इस देश में सफेद क्रान्ति लाना चाहते हैं, यदि चाहते हैं कि हमारा प्रदेश दुग्ध उत्पादन की दिशा में आगे बढ़े तो निश्चित रूप से पशु चिकित्सालयों की समुचित व्यवस्था करनी होगी और डाक्टर सहित करनी होगी, यदि वह इस दिशा में ठोस कदम उठा सके तो अच्छा होगा । इन्हीं शब्दों के साथ मैं माननीय सीताराम निषाद जी द्वारा रखे कटौती प्रस्ताव पर बल देता हूं और अपनी बात समाप्त करता हूं ।

श्री मुन्ना चौहान–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, हम लोग रोज इस सदन के अन्दर यह कहते हैं कि हमारा देश और प्रदेश कृषि प्रधान प्रदेश है । कृषि की जहां कहीं चर्चा होगी, पशुपालन उसका अभिन्न अंग है । श्रीमन् माननीय मंत्री जी ने पशुपालन विभाग का, मत्स्य पालन विभाग का जो बजट प्रस्तुत किया, वह एक दम निर्जीव सा था, यद्यपि अमरमणि त्रिपाठी जी ने उसको चमकाने का थोड़ा काम किया । मैं एक बात कहना चाहता हूं, बिना किसी दोषारोपण के, हमारे देश और प्रदेश में एक समस्या है । देश में और प्रदेश के पैमाने पर जहां प्रति हेक्टेयर, प्रति एकड़ जमीन पर जो पशुओं का औसत है, वह सर्वाधिक है ।

मान्यवर, पशुओं की संख्या सर्वाधिक है, लेकिन मैं जानना चाहता हूं कि आज स्थिति ऐसी क्यों है कि दूध नहीं मिलता है और दूध के नाम पर सिन्थेटिक दूध बनाया जाता है और उसमें यूरिया मिलायी जाती है । मेरा माननीय मंत्री जी से निवेदन है कि पशुओं की संख्या को घटाकर दूध का उत्पादन बढ़ायें, इसके लिये एक अच्छी कार्य योजना की आवश्यकता है । यह बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा है । मैं कहना चाहता हूं कि ब्रिटेन के अन्दर मेजर साहब की जो सरकार गिरी उसका कारण यही था कि पशुओं के आहार में गोस्त दिया जाने लगा था । हममें से बहुत से लोगों को जानकारी नहीं रहती है कि जो कूड़ा करकट होता उस पर जो गायें मुंह मारती हैं, उनके टी०बी० रहती है । मैं कहना चाहता हूं कि टी०बी० की ओरिजिन ही यही है । आप गली, मोहल्लों और शहरों में देखेंगे तो पता चलेगा कि वहां पर डेरियां हैं, उनमें अगर कदम रखकर देखें तो पता चलेगा कि उनमें गन्दगी ही गन्दगी है, तो मान्यवर, दूध ही संक्रमण का कारण है । इस की चेकिंग होनी चाहिये ।

श्री अधिष्ठाता–

अब आप समाप्त करें ।

श्री अम्बिका चौधरी–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं केवल एक मिनट लूंगा और अधिक समय नहीं लूंगा । पशुपालन विभाग के बजट को जिस कौशल से माननीय मंत्री जी ने रखा है एक ऐसी छवि बनी थी कि राज्य मंत्री जी अपने कैबिनेट मंत्री से नाराज हैं, लेकिन उन्नत सांड़ों का जब जिक्र किया तो उन्नत सांड़ के किस

उपयोगी अंश को माननीय अमरमणि त्रिपाठी को दे दिया, जिससे वह बहुत प्रसन्न हैं। माननीय मुख्य मंत्री जी बधाई के पात्र हैं कि उन्होंने परख कर संस्थागत वित्त मंत्री के साथ के बजाय पशु पालन मंत्री जी के साथ लगाया है। इसके लिये उनको भी बधाई देना चाहता हूं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्री राम चन्दर यादव–

माननीय अधिष्ठाता महोदय मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे कटौती के प्रस्ताव पर अपने विचार रखने का अवसर प्रदान किया। मान्यवर, फैजाबाद के कुमारगंज में एक वेटनरी कालेज की स्थापना हुई है।

(इस समय 8 बजकर 45 मिनट पर अधिष्ठाता श्री बाल चन्द्र मिश्र पुनः पीठासीन हुए)

पूरे उत्तर प्रदेश में पशु चारा विकास के लिए चारागाह के लिए जमीन सुरक्षित करने की बात कही है। उन जमीनों पर हर तरीके से सर्वण नाजायज अतिक्रमण कर रहे हैं। चारागाहों के विकास करने की कोई योजना नहीं है। इन शब्दों के साथ मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्री सीताराम निषाद–

मान्यवर, मैं मंत्री जी से चाहूंगा कि वह अपने उत्तर भाषण में बतायें कि प्रदेश में कितने पशु चिकित्सक की कमी है और कितनी जगह पशु चिकित्सक के पद खाली है उसके लिए उन्होंने क्या किया है ? दुधारू पशुओं के आहार में जो मिलावट हो रही है उससे दुर्गन्ध आती है जो चिन्ता का विषय है उससे भयंकर बीमारी जिसे मेडकाऊ डिजीज कहते हैं पैदा होगी इस बीमारी के फैलने से न केवल जानवर ही क्षतिग्रस्त होते हैं बल्कि दूध का सेवन करने वालों को भी बीमारी पैदा होगी और वह विकलांग होंगे। इसलिए पशु आहार बनाने की छान-बीन करके ही अनुमति दी जाय।

मान्यवर, माननीय राज्य मंत्री जी ने मत्स्य अधिनियम, 1948 में संशोधन की बात कही है। मैं अनुरोध करूंगा कि इस मत्स्य अधिनियम में यह व्यवस्था की जाय कि उसमें प्रजातियों की सुरक्षा एवं मछुआरा समुदाय के हितों की रक्षा वर्तमान परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए जरूर की जाय।

मछली की बिक्री पर भी मण्डी शुल्क लगा दिया है जिससे गरीब मछुआरों का शोषण हो रहा है। मछुआरों को इस मण्डी शुल्क से मुक्त करा दिया जाय। लखनऊ में एक करोड़ की लागत से सीतापुर रोड में मछली मण्डी का निर्माण किया गया है उसकी मूल मंशा थी कि मछुआ समुदाय को एलाट किया जायेगा लेकिन वहां जाकर हमने देखा है कि सारी की सारी दुकानें फल व्यवसायियों को दी गयी है। एक भी दुकान मछुआ समुदाय को नहीं दी है। मेरा अनुरोध है कि इन फल विक्रेताओं को वहां से हटाकर कहीं अन्यत्र दुकानें दी जायं और यह दुकाने मछुआ समुदाय को दी जाय। नरही में सैकड़ों की संख्या में मछुआरा सड़क पर बैठकर मछली बिक्री करते है उसके लिए मछली मण्डी की समुचित व्यवस्था की जाय। मछुआरों को तालाब दिये जायं और जो योजना के अनुसार उनको विकसित करने के लिए बैंक से ऋण की सुविधा है इसके लिए केन्द्र सरकार के बार-बार निर्देश भी हैं कि मत्स्य पालकों को बैंकों से ऋण दिलाकर को-आपरेटिव मूमेंट के आधार पर तालाबों को विकसित किया जाय किन्तु रिजर्व बैंक के निर्देश के बाद भी बैंक मछुआरों को ऋण सुविधा नहीं दे रहे हैं। इस पर सरकार ध्यान दें।

मान्यवर, राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम द्वारा मछुआ समुदाय के लोगों को मछुआ सहकारी समितियों द्वारा ऋण नहीं दिया जा रहा है जिससे इस प्रदेश की मछुआ सहकारी समितियों की आर्थिक स्थिति बड़ी खराब है इसलिए उनको सुदृढ़ करने के लिए मछुआ सहकारी समितियों को लाभान्वित करने का मंत्री जी प्रयास करें।

मान्यवर, मत्स्य विभाग में एक मछुआ का पद है जिस पर परम्परा है कि मछुआ समुदाय के लोगों को जो नदी में नाव व जाल चलाना जानते हैं, डुबकी लगाना और तैरना जानते हैं उन्हीं लोगों को इस मछुआ पद पर नियुक्ति की जानी चाहिए किन्तु देखने में आया है कि गैर मछुआ लोगों को इन पदों पर नियुक्ति की जा रही है जिसमें मेरा अनुरोध है कि इसे बन्द किया जाय । इन शब्दों के साथ मैं अपने कटौती के प्रस्ताव पर बल देता हूं और आशा करता हूं कि जो सुझाव मैंने दिया है मंत्री जी उनके संबंध में अपने जवाब में कुछ आश्वासन देंगे ।

श्री राधेश्याम गुप्ता–

मान्यवर, माननीय सीताराम निषाद जी ने बड़े ही विस्तृत रूप से बताया है तो मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि हमारी सरकार मछुआ समुदाय के लिए और पशुपालन के लिए बहुत ही संवेदनशील है । मुख्य मंत्री जी के नेतृत्व में जनपदों में प्रत्येक जिला अधिकारी को निर्देश दिये गये हैं कि ऐसी व्यवस्था की जाय जैसा कि माननीय सदस्य ने कहा है कि ऋण वितरण में जो कठिनाई हो रही है इसलिए हमने निर्देशित किया है कि मछुआ समुदाय को ऋण दिया जाय । इसके अतिरिक्त हमने मण्डलीय बैठकों में विभागों को निर्देशित किया है कि नियोजित रूप से कार्यक्रम चलाये जायं और हमारी सरकार ने इस दिशा में प्रबन्ध और नियोजन को सुदृढ़ किया है जिसका लाभ आप सभी को दिखाई पड़ रहा होगा ।

मान्यवर, हमने यह भी निर्णय लिया है कि अभी तक विभाग में जो अनियमिततायें थीं और भ्रष्टाचार का जो वातावरण बना रखा था उसको हमने नियंत्रित और चुस्त-दुरुस्त किया है ।

मान्यवर, श्री वर्मा जी ने पशु चिकित्सालयों में डाक्टरों की कमी के संबंध में कहा है तो मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि हमारी सरकार ने जो डाक्टरों के 642 पद रिक्त थे उनमें से हमारी सरकार ने 530 डाक्टरों को नियुक्ति किया है ।

मान्यवर, इस प्रकार हमारे विद्वान सदस्य ने जो सुझाव दिये हैं उन्हें हमने ग्रहण किया है और निश्चित रूप से आने वाले समय में पशुपालन विभाग और मत्स्य पालन विभाग में उनको कार्यान्वित करने का प्रयास करेंगे । इन शब्दों के साथ मैं चाहूंगा कि माननीय सदस्य अपने कटौती के प्रस्ताव को वापस ले लेंगे ।

श्री अधिष्ठाता–

सीताराम जी क्या आप अपना कटौती प्रस्ताव वापस लेते हैं ?

(व्यवधान)

श्री सीताराम निषाद–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने कहा कि भ्रष्टाचार को चुस्त-दुरुस्त करेंगे उससे उनकी मंशा साफ जाहिर होती है कि वह भ्रष्टाचार को जब मजबूत करेंगे तो भ्रष्टाचार कैसे दूर होगा ? इसलिए मैं अपने कटौती के प्रस्ताव पर बल देता हूं । मान्यवर, जनपद जौनपुर में एक गूजर ताल है जहां पर मत्स्य पालन का प्रशिक्षण दिया जाता है इस सम्बन्ध में भी सरकार ने कोई व्यवस्था नहीं की ।

श्री अधिष्ठाता–

अब मैं प्रश्न उपस्थित कर रहा हूं ।

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 15–कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पशुधन) के सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाये ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

श्री अधिष्ठाता–

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2000 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–15 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पशुधन) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए 1,74,64,17,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री अधिष्ठाता–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या–17 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (मत्स्य) के सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाये ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

श्री अधिष्ठाता–

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2000 को समाप्त होने वाले वर्ष से अनुदान संख्या–17 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (मत्स्य) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए 19,05,82,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

वित्तीय वर्ष 1999-2000 के आय-व्ययक की अनुदानों की मांगों पर चर्चा एवं मतदान अनुदान संख्या–16 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (दुग्धशाला विकास)

बाढ़ नियंत्रण मंत्री (श्री जय पाल सिंह)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 2000 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–16 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (दुग्धशाला विकास) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए 8,60,17,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ।

महोदय, मैं सदन की भावना से अवगत हूं और उसी के अनुसार केवल मुख्य-मुख्य बातें थोड़े समय में कहना चाहूंगा । मान्यवर, यह विभाग ग्रामीण अर्थ व्यवस्था को सुनियोजित करने हेतु कार्यक्रम चला रहा है । जैसा सभी सम्मानित सदस्य अवगत हैं कि जनसंख्या की भारी बढ़ोत्तरी हो रही है और किसानों की कृषि योग्य भूमि घटती जा रही है और किसानों के आय के अतिरिक्त और सतत् साधन के रूप में केवल यही विभाग एक साधन साधन रह गया है, जिसके माध्यम से किसान अपनी अतिरिक्त आय करते हैं, सतत् आय करते हैं और अपना गुजारा करते हैं । मान्यवर, जैसा आप सभी जानते हैं कि हमने पूरे प्रदेश में 9 लाख 7 हजार लीटर दूध, उत्पादन करके प्रतिदिन औसत से उत्तर प्रदेश के सारे क्षेत्र में उसको हम बंटवा रहे हैं, वितरण करा रहे हैं । मान्यवर, हम अपने 63 दुग्ध संघों के माध्यम से 9 लाख 7 हजार लीटर औसत दूध उपार्जित करते हैं और हमने अपने फ्लस सीजन में रिकार्ड दूध उत्पादन किया है ।

हमने 13 लाख 50 हजार लीटर दूध उपार्जित किया है जो इससे पहले कभी नहीं हुआ । दूध से मक्खन और दूसरे प्रोडक्ट बनते हैं इन सब के माध्यम से हमने इसे अपने कार्यकाल में जो डेढ़ वर्ष का लगभग कार्यकाल है । 3567 मीट्रिक टन मक्खन तथा 5134 मीट्रिक टन घी पैदा किया और इन उत्पादों का हम करीब 10 प्रदेशों में वितरित करते हैं । हमारे औसतन केन्द्र 39 हैं । हमने तीन पशु केन्द्र भी चलाये हैं एक बनारस में, एक मेरठ में और एक रुद्रपुर में, 100 मीट्रिक टन क्षमता वाले ये केन्द्र हैं और इनके माध्यम से हम सारे प्रदेश में पशु आहार का वितरण कर रहे हैं । मान्यवर, जैसा कि आप जानते हैं, पशु आहार में भी बड़ी मिलावट है और हमने अभी दो केन्द्र और खोलने का निर्णय लिया है, एक मुरादाबाद में खोलेंगे और एक कानपुर में खोलेंगे ।

हमने मान्यवर, एक रायबरेली में जर्सी पशु प्रजनन इकाई खोल रखी है, उसके माध्यम से पशु नस्ल सुधार का कार्य चल रहा है । एक हमारी अति हिमीकृत वीर्य इकाई मुरादाबाद में भी है,उससे भी नस्ल सुधार का काम होता है । मान्यवर, अलीगढ़ में हम एक और इकाई खोलने जा रहे हैं । यह 1 करोड़ 67 लाख रुपये की इकाई होगी । माननीय मुख्य मंत्री जी ने 50 लाख रुपये इसी वर्ष स्वीकृत भी कर दिए हैं । अलीगढ़ में जो इकाई खुलेगी उससे हमारे नस्ल सुधार का कार्यक्रम और तेजी से चलेगा । मान्यवर, हमारी एक सघन मिनी डेरी योजना भी चल रही है और इसके माध्यम से किसान मजदूरों को लाभ पहुंचाया जा रहा है । पहले यह योजना कुछ जिलों में थी और अब इसका विस्तार करके पूरे 83 जिलों में यह योजना चालू कर दी गयी है ।

मान्यवर, इसके माध्यम से 4 पशु मिनी डेरी के लिए 47630 रु० दिये जाते हैं और दो पशु खरीदने के लिए 22815 रु० देते हैं । अनुसूचित जाति एवं जनजातियों के लिए और पर्वतीय क्षेत्र के लोगों के लिए 10 हजार की छूट देते हैं इसी तरह से सामान्य व्यक्ति को पशु खरीदने के लिए साढ़े सात हजार की छूट देते हैं । मान्यवर, हमने कुल 79050 डेरी स्थापित की है । इस वर्ष 11905 मिनी डेरी स्थापित की हैं और इस वर्ष 1999-2000 में 25 हजार मिनी डेरी का लक्ष्य रखा है । इनके माध्यम से हम ग्रामीण क्षेत्र की आर्थिक व्यवस्था सुदृढ़ करना चाहते हैं ।

मान्यवर, 72 जनपदों में महिला डेरी कार्यरत हैं इनके अन्तर्गत 1935 डेरियां कार्यरत हैं । इनमें 73859 सदस्य बनाये गये हैं । इससे हम प्रतिदिन औसतन 50880 लीटर दूध एकत्रित करते हैं । 10 जनपदों में महिलाओं द्वारा प्रतिरक्षण एवं कल्याणरत कार्यक्रम चलाये जा रहे हैं । मान्यवर, 88432 महिलायें ऐसी हैं जिनको हम पशु प्रबन्धन तथा अन्य कार्यक्रमों का प्रशिक्षण दे रहे हैं । कुछ हमारी भावी योजनायें हैं जो हमारी मिनी डेरी हैं उनको 45,000 रुपया 4 पशुओं के लिए दिया जाता था अब इसको 60,000 रुपये देने का विचार किया जा रहा है । माननीय सदस्य अवगत होंगे कि 10 हजार में अच्छा पशु नहीं आता जो हमने 60 हजार का प्रस्ताव किया है उसमें कुछ दिक्कतें हैं हम आशा करते हैं कि शासन से उसका निराकरण हो जायेगा ।

पहले जो हमारी छूट स्टाम्प ड्यूटी की थी वह 20 हजार थी तब मिनी डेरियों के लिए 37 हजार की छूट की व्यवस्था की गई थी । मान्यवर, प्रदेश के नागरिकों को दूध उपलब्ध कराने के लिए प्रमुख नगरों में दूध के वितरण के लिए मिल्क बूथ खोलने की योजना है इसमें सिक्का डालने पर दूध निकल आयेगा इसके लिए 4 नगरों को लखनऊ, कानपुर, आगरा और नोएडा में ऐसे मिल्क बूथ खोलने की व्यवस्था की गई है । आने वाले समय में उपभोक्ताओं को सुविधा मिलेगी क्योंकि पालीथीन में जो दूध होता है वह हानिकारक हो सकता है । इन मिल्क बूथ से अच्छा दूध उपलब्ध होगा और यह दूध दो रुपया मन्दा भी होगा । यह जो दो रुपये है इसमें से एक रुपया उपभोक्ता को और एक रुपया दूध उत्पादक को मिलेगा ।

मान्यवर, पशु आहार में मिलावट की बात प्रकाश में आई है । मुराद नगर से शिकायत आयी थी मैंने वहां डी०एम० से कहा कि तत्काल सख्त कार्यवाही की जाये और दोषी व्यक्ति को पकड़ा जाये । इसमें 5 पशु मर गये व्यापारी कैमीकल मिलाकर तेल निकाल लेते हैं बाकी खल रह जाती है । उस खल को खाने में पशुओं को भारी हानि होती है । मुझे ऐसी जानकारी मिली है कि अभी तक पशु आहार में मिलावट रोकने के लिये कोई प्राविधान नहीं है जिससे ऐसे लोगों के खिलाफ कोई कार्यवाही की जा सके । मैं सभी सदस्यों को अवगत कराना चाहता हूं और निवेदन करना चाहता हूं कि ऐसा सख्त कानून

बने जिससे पशुओं के चारे में मिलावट न हो सके । अगर हमारे पशु दूषित चारा खायेंगे तो निश्चित रूप से दूध भी दूषित होगा इसलिये इस पर बल देना चाहता हूं ।

मान्यवर, हमारे और भी कई कार्यक्रम हैं । सिन्थेटिक दूध सारे प्रदेश में बनाया जा रहा है और लोगों को जहर पिलाया जा रहा है । मान्यवर, कटिंग आयल से दूध बनाया जा रहा है । मैंने इसको रोकने के लिये सख्त निर्देश दिये हैं । अभी जब अप्रैल में दूध की कमी होगी तो पूरे प्रदेश में सिन्थेटिक दूध बनना प्रारम्भ होगा । सिन्थेटिक दूध शक्ल भी खराब करता है और अक्ल भी खराब करता है । यदि एक व्यक्ति एक आदमी को जहर देता है तो उसे फांसी हो जाती है उसको क्या सजा होनी चाहिये जो कई लोगों को जहर देता है । मैं चाहता हूं कि कोई सख्त कानून बने । .....

श्री अधिष्ठाता–

माननीय मंत्री जी, संक्षेप में अपनी बात रखिये ।

श्री जय पाल सिंह–

मान्यवर, एक मिनट में अपनी बात समाप्त कर रहा हूं । मान्यवर, लाइसेंसिंग प्रणाली को हम पुनः लागू करने जा रहे हैं । अब एक हजार लीटर दूध का उपार्जन करने वालों पर लाइसेंसिंग प्रणाली लागू होगी । मान्यवर, मैंने मुख्य-मुख्य बातें बता दी हैं । मैं आप सबकी भावना से अवगत हूं । मैं चाहता हूं कि माननीय सदस्यगण अपने बहुमूल्य सुझाव दें ।

श्री सौलत अली एडवोकेट–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या–16 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (दुग्धशाला विकास) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय, कमी करने का उद्देश्य विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना ।

कारागार मंत्री (श्री शिव प्रताप शुक्ल)–

मान्यवर, विपक्ष की नीयत इसी से मालुम हो रही है कि पूरे देश में जो राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित हुआ उस पर कटौती रख रहे हैं ।

श्री सौलत अली एडवोकेट–

माननीय मंत्री जी आप धैर्य से सुनें शायद आप भी सहमत हो जाएं इस कटौती से । अभी मैं माननीय मंत्री जी का बजट भाषण सुन रहा था । विभागीय साहित्य जो उपलब्ध कराया गया है उसको मैंने पढ़ा है । हमारे देश में राम राज्य के लिए दूध की नहरें बहाने की कल्पना है । हमारा प्रदेश देश में कुल दुग्ध उत्पादन का 18 प्रतिशत दुग्ध उत्पादन करता है । हमारे ही प्रदेश में ऐसा एक स्थान है जहां दूध की मंडी लगती हैं । बुलन्दशहर में इसी आधार पर यह सोचा गया था जिसमें सफेद क्रांति लाई जाए । यह सोचकर 1962 में पी०सी०डी०एफ० लि० का गठन किया गया । जो एक तकनीकी सलाहकार समिति के आधार पर काम करती रही । उसका काम सिर्फ यह था कि इन सारी चीजों पर सुझाव दे जिससे हमारे किसानों को दुग्ध का सही मूल्य मिल सके और ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार उपलब्ध हो सके ।

इसकी जो यूनिट लगाई जाएं वहां क्षेत्रीय लोगों को रोजगार मिल सके। यही सब सोचकर आपरेशन फ्लड प्लान तैयार किया गया इसको तीन चरणों में लागू करने की योजना बनाई गई। पहला चरण 1971 में शुरू हुआ जिसमें 8 जिले लिए गए। उसमें तीन इकाइयां बनारस, मेरठ और मुरादाबाद में स्थापित की गईं। 1982 में आपरेशन फ्लड का दूसरा चरण शुरू हुआ जिसमें 28 जिले शामिल किये गये और 1987 में आपरेशन फ्लड का तीसरा चरण शुरू हुआ जिसमें 31 जिले शामिल किये गये। जब यह यूनिट फायदें में चली तो उत्तर प्रदेश सरकार ने उत्तर प्रदेश दुग्ध अधिनियम 1976 बनाया और उसके अधीन राज्य दुग्ध परिषद् का गठन किया गया। राज्य दुग्ध परिषद् का गठन होने के बाद 1976 में उत्तर प्रदेश में चिलिंग प्लांट 12 लगाए गए। इसके बाद दुग्ध उत्पादन संघों की स्थापना की गई जिसमें 30 दुग्ध संघ तो ओ०एफ० के कन्ट्रोल में चलते है। 33 दुग्ध संघ राज्य दुग्ध परिषद् के अधीन हैं। जिसमें से 21 मैदानी इलाकों में और 12 पहाड़ी इलाकों में हैं। 30 दुग्ध संघ जो ओ० एफ० के कंट्रोल में हैं इनकी 1997-98 में समितियां थीं 10,418 तथा दुग्ध उत्पादन प्रतिदिन 712,000 ली० होता था। वर्ष 1998-99 में दुग्ध समितियां थीं 10,761 लेकिन आपका दुग्ध उत्पादन हो गया घटकर 609 हजार ली० जब आपकी समितियां बढ़ी तो दुग्ध उत्पादन घटा राज्य दुग्ध परिषद् के अधीन 42 जिले हैं उनके बारे में ध्यान दिलाना चाहता हूं। 1997-98 में 3,437 समितियां मैदानी क्षेत्र में जिसमें 95 हजार लीटर प्रतिदिन दुग्ध उत्पादन होता था।

1998-99 में यह समितियां 3300 घटकर रह गयीं और दुग्ध उत्पादन 34 हजार ली० प्रतिदिन घटकर हो गया। इसके अतिरिक्त उत्तरांचल में जो 12 जिले हैं वहां आनन्द पद्धति के आधार पर चल रहे हैं। वहां 1997-98 में 49,000 ली० प्रतिदिन दुग्ध पैदा हो रहा था और बेच रहे थे 52,000 ली० प्रतिदिन। यह तीन हजार अतिरिक्त दुग्ध क्या दूध में पानी मिलाकर बेच रहे थे ? इसी प्रकार 1998-99 में 1463 समितियां थीं 48,000 ली० आपका प्रतिदिन दुग्ध उत्पादन हो रहा था और आप बेच रहे हैं 63,000 ली प्रतिदिन तो यह 15,000 ली० प्रतिदिन दूध आप क्या पानी मिलाकर बढ़ा रहे हैं। 1991 में माननीय कल्याण सिंह मुख्य मंत्री थे उन्होंने दुग्ध विकास को बढ़ावा देने के लिए मिनी डेरी योजना महिला डेरी योजना और सघन मिनी डेरी योजना आदि मिलाकर 15 योजनाओं की शुरुआत की। सेक्टर प्लान की मदद से। मान्यवर, महिला डेरी परियोजना की प्रगति के बारे में बताना चाहता हूं। गत वर्ष 1997–98 में 55 हजार लीटर दूध का उत्पादन हुआ और इस बार इसे आपने 40 जनपदों तक बढ़ा दिया और दूध का उत्पादन घटकर 46 हजार लीटर हो गया जबकि महिला डेरी परियोजना पर आप सबसे ज्यादा ध्यान दे रहे हैं और मुख्य मंत्री जी ने भी अपने बजट भाषण में इसे कहा है आखिर दूध का उत्पादन कम क्यों हो रहा है इस पर आपको विचार करना होगा। जो कारण मैं समझ पा रहा हूं वह यह है कि महिलाओं को पहले इसके लिये प्रशिक्षण दिया जाना चाहिये था तभी इसका फायदा मिल सकता था। माननीय मुख्य मंत्री जी ने भी कहा है कि हम पशु प्रजनन, चारा, कृत्रिम गर्भाधान आदि कई योजनाओं को गिनाया जिन्हें बढ़ावा देना चाहते हैं। कृत्रिम गर्भाधान को आपने 21 प्रतिशत से बढ़ाकर 23 प्रतिशत कर दिया और जहां पहले आपका लक्ष्य 18,942 परिवारों का था वहीं पर आपने इसका लक्ष्य 38 हजार परिवार को लाभान्वित करने का कर दिया है। गौ सेवा आयोग के गठन की बात कही गई, मुख्य मंत्री जी ने जिस उद्देश्य से गौ सेवा आयोग का गठन किया है उससे मैं सहमत नहीं हूं।

गौ हत्या पर पूर्ण प्रतिबन्ध लगाना और गो-रक्षा और गो-संवर्धन पर भी पूर्ण प्रतिबन्ध लगाने की बात कही है मैं इस पर भी सहमत नहीं हूं कि गो-रक्षा और गो संवर्धन पर प्रतिबन्ध क्यों ?

आयोजनागत व्यय 2 अरब 40 करोड़ रुपया अब तक खर्च कर दिया गया । वर्ष 1998–99 में 22 करोड़ रुपया बजट में था और 1999–2000 में आपने इसे घटाकर 17 करोड़ कर दिया । योजनायें भी आपकी बढ़ी, लक्ष्य भी आपका बढ़ गया, कार्य-क्षेत्र भी आपका बढ़ गया और दूध का उत्पादन भी आपका कम होता चला गया, तो फिर राशि घटाकर आप कौन सी उपलब्धि प्राप्त करना चाहते हैं इसलिये माननीय मंत्री जी जब अपना उत्तर दें तो इसके बारे मे बतायें । प्रोडक्शन यूनिट बनारस, मेरठ व मुरादाबाद में चल रही है आपने कहा है कि हम दूध, घी, पनीर, एस०एम०पी० और पाउडर मिल्क आदि कई चीजें बनायेंगे । बनारस में आप केवल घी बना रहे हैं, मेरठ में घी, मक्खन और पाउडर बना रहे हैं, दलपतपुर (मुरादाबाद) में सिर्फ डेरी पाउडर और घी बन रहा हैं । जो आपके कैटलफीड प्लान्ट बनारस और मेरठ में एक-एक हजार मीट्रिक टन क्षमता के हैं वह उतना उत्पादन नहीं कर पा रहे हैं । तीसरा कैटलफीड प्लान्ट जिस पर 50 लाख रुपया उत्तर प्रदेश सरकार का लगा हुआ है 3 साल से यह अधूरा रुका खाली पड़ा हुआ है । बिल्डिंग तैयार है परन्तु यह चालू इसलिये नहीं हो पायी कि वर्ल्ड बैंक ने जो सहायता देनी थी वह नहीं दी इसलिये मेरा अनुरोध है कि इस कैटिल फीड को तुरन्त चालू कराया जाय ।

[समय 9 बजकर 25 मिनट]

प्राइवेट सेक्टर में 93 में आपने परशीमन दिया । उ०प्र० में 25 यूनिट्स प्राइवेट सेक्टर में काम कर रही हैं । जे०के०, लिप्टन, लैक्टो प्रोटीन, ग्लैक्सो आदि । यह सारी कम्पनियां वही प्रोडक्शन कर रही हैं जो प्रोडेक्ट आप बना रहे हैं और हर यूनिट फायदे में है और आपकी ही यूनिट घाटे में जा रही है । इसका कारण समझ में नहीं आता है । मैं जहां तक समझता हूं आपका प्रशासन बहुत कमजोर है । इसमें चोरी बहुत बढ़ गई है, भ्रष्टाचार पर आपका अंकुश नहीं है, आपका मार्केटिंग सिस्टम घोटाले का कारण बना हुआ है, वर्किंग कैपिटल आपकी घट गई है कि आप 6-6 महीनें तक पेमेंट दूध का काश्तकारों को नहीं करते हैं जिसकी वजह से उन्होंने आपको दूध देना बन्द कर दिया है । इन सब बातों के कारण आज आपकी फैक्ट्रीज में प्रोडक्शन नहीं हो रहा है । इन्हीं सब कारणों से आपकी सारी संस्थायें घाटे में चल रही हैं । दुर्भाग्य यह है कि जिस दिन से यह स्थापित हुई थीं तब से आज 40 वर्षों बाद तक यह लगातार घाटे में चल रही हैं ।

श्री अधिष्ठाता–

अब आप समाप्त करें ।

श्री सौलत अली एडवोकेट–

मान्यवर, बहुत संक्षेप में दो मिनट में अपनी बात समाप्त करूंगा और कोई विपक्ष से इस पर बोलने वाला नहीं है । मान्यवर, जब खेत की बाड़ ही खेत को खाने लगती है तो क्या हो सकता है । भगवान ही मालिक हैं । पी०सी०डी०एफ० का गठन 1962 में हुआ था और डी०यू०एस०एस० 1976 में बनाया गया । कुछ उदाहरण देना चाहता हूं दलपतपुर की फैक्ट्री 1976 में 45 लाख के घाटे में चल रही थी जिस वक्त इसे डी०यू०एस०एस०- के अन्तर्गत दिया गया परन्तु 88–89 में साढ़े चार करोड़ के घाटे में पहुंच गई । इस वर्ष अब तक दिसम्बर तक यह 11 करोड़ के घाटे में है । यह मैं आपकी एक यूनिट के बारे में बता रहा हूं । आपके मेरठ की यूनिट 10 करोड़ से ज्यादा के घाटे में है बिजनौर जहां पर बस चिलिंग प्लान्ट काम कर रहा है । 10 लाख से ऊपर घाटे में है । किसी अधिकारी को आप पनिशमेंट देना

नहीं चाहते हैं । अगर शिकायत की जाती है किसी पर जिम्मेदारी नहीं डाली जाती ज्यादा से ज्यादा उसका ट्रांसफर कर दिया जाता है । एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेज दिया जाता है । बनारस की यूनिट आपकी 10 करोड़ के ऊपर के घाटे में है ।

श्री अधिष्ठाता–

अब आप समाप्त करें । 15 मिनट हो गये हैं आपको ।

श्री सौलत अली एडवोकेट–

मान्यवर, उसी तरह से चन्दौसी में मात्र चिलिंग प्लान्ट है इस फैक्ट्री में डेढ़ लाख रुपये प्रतिमाह घाटा हो रहा है । इसको बन्द करने की कार्यवाही पूर्ण हो चुकी है परन्तु अभी इसका चिलिंग प्लान्ट बन्द नहीं किया जा सका है । इसी तरह से ब्लाक मून्डापाण्डे में कुल 11 समितियां बनाई गई थीं जहां आपकी फैक्ट्री लगी है कोई समितियां बढ़ाई नहीं गई हैं गत दो वर्ष में निकट के क्षेत्रों को उससे जोड़ेंगे नहीं तो समितियां किस तरह से काम कर पायेंगे । दूध मिल नहीं पायेगा । दूध लेने के लिये 100–200 कि०मी० दूर जाना पड़ता है जिससे ट्रांसपोर्ट पर भी पैसा खर्च होता है पास के क्षेत्र से आप लेते नहीं हैं । तो इस तरह से घाटे में होने का यह भी कारण है । एक बात की तरफ और इशारा करके अपनी बात समाप्त करूंगा ।

श्री अधिष्ठाता–

अब आप समाप्त करें । इन्द्रदेव जी आप अपनी बात कहें ।

डा० इन्द्रदेव सिंह–

मान्यवर, आपने दुग्ध विकास के बजट पर बोलने का अवसर दिया, इसके लिये मैं आपका आभारी हूं । पशुपालन और दुग्ध विकास को बढ़ावा देने के लिये माननीय मंत्री जी ने जो ऋण और अनुदान की सुविधायें उपलब्ध कराने की बात कही है उसके लिये वह बधाई के पात्र हैं । हमारे मंत्री जी इस बात के लिये भी बधाई के पात्र हैं कि आपरेशन फ्लड को आगे बढ़ाने के लिये जो नीतियां बनाई हैं, गो सेवा आयोग को प्रारम्भ करने के लिये माननीय मुख्य मंत्री जी और मंत्री जी बधाई के पात्र हैं । हमारे विपक्ष के एक माननीय सदस्य ने अभी यह उल्लेख किया कि गो सेवा आयोग के उद्देश्य से वह सहमत नहीं हैं और उनकी असहमति का जो बिन्दु है वह दिया है कि यह गो वंश की हत्या पर पूर्ण प्रतिबन्ध होना यह इससे सहमत नहीं हैं । मैं उनकी इस भावना को बहुसंख्यक हिन्दुओं की भावनाओं के ऊपर कुठाराघात मानता हूं । यह उनकी व्यक्तिगत नीति नहीं है यह उनकी पार्टी की नीति है कि बहुसंख्यक भाइयों की भावनाओं को ठेस पहुंचाई जाय । उनको इस पर विचार करने की आवश्यकता है । मान्यवर, दूध देने वाले पशुओं की संख्या में हमारे यहां निरन्तर कमी होती चली जा रही है । दूध देने वाले पशुओं की संख्या बढ़ाये जाने की आवश्यकता है । मैं तो यह कहना चाहूंगा कि हमारे प्रदेश में इसकी बहुत सम्भावनायें हैं क्योंकि यहां पर चारे की भी कमी नहीं है क्योंकि यहा पर बिहार जैसा चारा घोटाला नहीं हुआ । हमारे जो मित्र बिहार में चारे का घोटाला करने वाले का समर्थन करते हैं उनकी भी सरकार रही है उन्होंने भी पशुओं के चारे को नहीं डकारा । इतना धैर्य रखा । लेकिन आदमियों को चारे को जरूर डकारा है । मैं आपके माध्यम से गो-पालन के ऊपर विशेष रूप से महत्व देना चाहता हूं । हमारे यहां गाय को माता का दर्जा दिया गया है । यह कोई अन्ध श्रद्धा या अन्ध भक्ति के कारण नहीं दिया गया है इसका वैज्ञानिक कारण से महत्व दिया गया है । पंचगव्य जिन्हें कहा गया है गाय से

प्राप्त होने वाले पांच उत्पाद हैं दूध, दही, घी, गोबर और गो-मूत्र विलक्षण गुणों से युक्त, मानव के लिये अत्यन्त यह कल्याणकारी चीजें हैं । इसलिये गाय को माता का दर्जा दिया गया है । हृदय रोगियों की संख्या आज दिन-प्रतिदिन बढ़ती जा रही है । कोलोस्ट्रोल बढ़ रहा है डाक्टर कहते हैं कि दूध मत पीना, घी मत खाना लेकिन गाय का दूध और गाय का घी हृदय रोग में हानिकारक नहीं है, लाभकारी है । टी० बी० पर विज्ञापन दिखाया जाता है "संडे हो या मंडे, रोज खाओ अंडे" अंडे प्रोटीन की कमी को जरूर पूरा कर सकते हैं लेकिन इसको खाने से अनेक रोग हो जाते हैं हृदय में कार्डियक मेम्ब्रेन में रोग उत्पन्न करता है । इसलिए इसका अल्टरनेट जो हो सकता है वह गाय का दूध और घी है यह प्रोटीन को पूरा करके हृष्ट-पुष्टी और शक्ति प्रदान करता है ।

मान्यवर, गाय का गोबर बहुत उपयोगी है हमारे यहां गांव के अन्दर जहां खाना बनता है चूल्हा-चौका तक गाय के गोबर से लीपा जाता रहा है, मनुष्य सर्वश्रेष्ठ प्राणी है क्या किसी ने कल्पना की कि सर्वश्रेष्ठ प्राणी के गोबर (मल) से घर को लीपा जाए, गाय के गोबर से लीपने का एक कारण यह भी है कि वायुमंडल में जो जीवाणु होते हैं वह गाय के गोबर के सम्पर्क में आने से नष्ट हो जाते हैं । गौ-मूत्र का प्रयोग पुराने समय से औषधि की तरह होता रहा है बहुत सी वन औषधियां जो जंगल से लाई जाती हैं वह विषैली होती हैं और उनको शुद्ध करने के लिए गौ-मूत्र में पकाया जाता है ।

(व्यवधान)

मान्यवर, मैं सुझाव देना चाहूंगा—गौ-शालाओं के लिए अधिक ऋण दें सुविधायें दें, मान्यवर, हमारे प्रदेश के अन्दर पशुओं की संख्या निरंतर कम हो रही है । पशु चिकित्सक जो हैं वह झूठे सार्टिफिकेट देते हैं जो दूध देने वाले और उपयोगी पशु होते हैं उनको काटने का झूठा सार्टिफिकेट रिश्वत लेकर दे देते हैं, जांच उपरान्त ऐसे पशु चिकित्सकों के विरुद्ध कार्यवाही हो । गाय बध पर पूर्ण प्रतिबन्ध होना चाहिए । मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं जो पशु दूध नहीं दे रहे हैं या हल चलाने में लगाए अगर हल में चलाने लायक नहीं हैं तो भी वह लाभकारी हैं । उनसे गोबर और मूत्र प्राप्त होता है वह खाद के रूप में लाभदायक है । इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं ।

(व्यवधान)

श्री राम औतार शाक्य—

माननीय अधिष्ठाता जी, यह दुग्ध विकास का बजट था और दुग्ध विकास में जो दूध देने वाले पशु गाय, भैंस, बकरी और भेंड़ हैं तो गाय तो माता हो गयी लेकिन जो भैंस का भैंसा है, बकरी का बकरा है उससे रिश्ता देखना होगा ?

श्री हुकुम सिंह—

मान्यवर, भैंस के बच्चे का आपका जो रिश्ता है वही रिश्ता मान लीजियेगा ।

श्री सौलत अली एडवोकेट—

मान्यवर, मैं दो तीन सुझाव देना चाह रहा हूं । मान्यवर, आज समितियों में दूध चोरी हो रहा है । दूध में पानी मिला दिया जाता है । डी० यू० एस० एस० (दलपतपुर) में अधिकारियों की साजिश से इस वर्ष 90 कुन्तल एस० एम० पी० चोरी हुआ । क्योंकि समितियों में कम आये दूध के एस०एन०एफ० को पूरा करने उसमें एस०एम०पी० और पानी मिलाया जाता है । तो इस पर ध्यान दें । दूसरी चीज चिलिंग प्लान्ट में स्टाफ दो महीने से ज्यादा नहीं होना चाहिए क्योंकि यही चीज वहां पर भी होती है । तीन मुख्य कारण हैं । प्रशासन आपका बहुत कमजोर है और उसका कारण यह है कि कल एक अखबार में खबर छपी थी कि अमिता मोदी को अमेठी के लोगों ने रानी माना ।

मान्यवर, 1984 में यह पी० सी० डी० एफ० में नौकरी करती थीं । इनके एप्वाइन्टमेंट के लिए ही पालिसी बनाई गयी थी उस समय विभागीय मंत्री डा० संजय सिंह थे, व मिल्क कमिशनर

श्री ब्रजेश कुमार जी थे । एम० (3) पर 29-8-84 को एक जी० ओ० पारित हुआ । उस जी० ओ० के अनुसार 300 एम० टी० एक्जीक्यूटिव को भर्ती किया गया था उन्हीं में से इनकी भी भर्ती हुई थी । बाद में जी० ओ० में प्राविधान किया गया कि एक वर्ष तक विभागीय लोगों के एम० (4) का कार्यकाल पूरा करने पर एम० टी० एक्जीक्यूटिव के साथ-साथ उनकी भी एम०–3 के पद पर नियुक्ति हो जायेगी । एक वर्ष बाद एम०–3 हो जायेगें । यह सुविधा 1984 में ही दी गयी थी जबकि आज भी वही जी० ओ० है । तो इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है । उसी जी० ओ० के आधार पर 1985-86 में 300 एम० टी० को एम–3 बना दिया गया है और पुराने एम०–4 मात्र 50 ही का प्रोमोशन हुआ है । इससे वहां पर बड़ा असंतोष व्याप्त है ।

मान्यवर, आज सारे काम ठेके पर दिये जा रहे हैं । ट्रांसपोर्ट, सेल, पैकिंग, सप्लाई यह सब ठेके पर दिये जाते हैं । पावर सब स्टेशन दलपतपुर फैक्ट्री में ही है वर्षों से बन्द है । वहां पर जनरेटर लगे हुए हैं । मैं एक उदाहरण देना चाहूंगा । मिस्टर ओ० पी० यादव जी० एम० थे 1995-96 में । उन्होंने तीन वर्ष किराये के जनरेटर फैक्ट्री में चलवाये । 1995-96-97 में चलाये गये । उन्होंने 1.25 लाख प्रति वर्ष मेरठ से किराये पर जनरेटर मंगाया । नवम्बर, 97 में यह बन्द हुए हैं और वह फैक्ट्री आज बिना जनरेटर के भी चल रही है । इसमें करोड़ों रुपये का घाटा हुआ है लेकिन आज तक किसी की जिम्मेदारी इसमें फिक्स नहीं की गयी है । तो इस तरह से घाटे हो रहे हैं । आप इसको गम्भीरता से लें और इस पर अंकुश लगायें । मान्यवर, मार्केटिंग की बात मैं कहना चाहूंगा । आप कहेंगे कि पी०सी०डी०एफ० फायदे में है । इसका कारण है कि सारा घाटा डी०यू०एस०एस० में डाला जाता है । पी०सी०डी०एफ० मात्र कमीशन लेता है । दुग्ध संघ एक आटोनोमस बाडी है और पी०सी०डी०एफ० कंट्रोल करता है । एडमिनिस्ट्रेशन और फाइनेंशियल कंट्रोल पी०सी०डी०एफ० का है । मार्केटिंग पी०सी०डी०एफ० करता है । दुग्ध संघ केवल प्रोडक्शन करता है । मार्केटिंग सिस्टम यह है कि आर०एम०ओ० पांच प्रतिशत कमीशन यूनिट के लिए लेता है ।

बैंक की लिमिट बांध दी गयी है । बैंक रुपया देने पर उतना माल रिलीज कर देता है । यू०पी० को-आपरेटिव साढ़े 17 प्रतिशत ब्याज लेता है । आर० एम० ओ० माल बेचता है तब पैसा देता है और यही आर०एम०ओ० एजेन्ट नियुक्त करता है और माल देने का यूनिट को आदेश देता है । यूनिट बैंक में जितना पैसा जमा करती है तब उतना माल रिलीज होता है । बैंक में पैसा जमा हुआ । यूनिट का माल एजेन्ट को गया । पेमेन्ट आर० एम० ओ० को बाद में आया तब तक बैंक का ब्याज बढ़ा । आर०एम०ओ० पेमेन्ट आने पर पांच प्रतिशत और काट लेता है तो इस तरह से सारा खेल आर०एम०ओ०का है मैं एक उदाहरण देना चाहूंगा आर० एम० ओ० बम्बई ने एजेन्ट बनाया डी०यू०एस०एस० मुरादाबाद का 12 लाख रुपये का माल 95-96 में एजेन्ट को गया । एजेन्ट की कोई सिक्योरिटी नहीं होती है परन्तु अभी तक पेमेन्ट नहीं हुआ है । ऐजेन्ट ने आर० एम० ओ० को दिया या नहीं दिया, परन्तु आर०एम०ओ० ने यूनिट को नहीं दिया । दो वर्ष पहले आर०एम०ओ० बम्बई एजेन्ट आफिस बन्द करके भाग गया है । इस तरह से मपूसा ट्रेडिंग-दमन को 26 लाख 33 हजार 500 रु० का और भारत ट्रेडिंग दमन को 2,12,22,935रु० का घी भेजा गया घी दमन नहीं पहुंचा सब दिल्ली मुरादाबाद में बिक गया सेल्स टैक्स की चोरी हुई, ट्रांसपोर्टेशन चार्ज की चोरी हुई । इसी तरह से 2,38,56,435 रु० का घोटाला हुआ आज भी वह बरामद नहीं हुआ इस घी घोटाले की जांच ई०ओ०डब्लू० कर रहीं है ।

श्री अधिष्ठाता–

अब आप समाप्त कर दें ।

श्री सौलत अली एडवोकेट–

मान्यवर, उसमें आप अधिकारियों के खिलाफ कोई ऐक्शन नहीं ले रहे हैं सिर्फ जांच सुपुर्द करके संतुष्ट हो गये हैं। इन घाटों को रोकने हेतु मार्केटिंग का भ्रष्टाचार रोकें वर्तमान प्रणाली समाप्त करें यूनिट को माल बेचने का अधिकार दें आर० एम०ओ० सिस्टम समाप्त करें बजट में कोई ठोस योजना बनाएं। मैं कटौती के प्रस्ताव पर बल देता हूं। (विपक्ष की ओर से मेजों की थपथपाहट)

श्री जयपाल सिंह–

जो बात मान्यवर, माननीय सौलत अली जी ने कही है मुरादाबाद में बूढ़ा पाण्डेय में प्लांट बना रहे हैं कानपुर और मुरादाबाद दो जगह प्लांट बना रहे हैं। मान्यवर, हमने दूध का सबसे ज्यादा भाव दिया है। पिछले साल इन्हीं दिनों 8 रु० भाव था, आज 11 रु० है, जाड़े में घटने नहीं दिया और हमने उत्पादक और उपभोक्ता का ख्याल रखा है। हमारा प्रदेश देश में सबसे ज्यादा दूध उत्पादन करने वाला बन गया है पूरे देश का 21 प्रतिशत दूध यहां उत्पादन होता है। 192 मिली लीटर जो प्रति व्यक्ति के हिस्से में होता है उसमें हमने 220 मिली लीटर कर दिया है। फ्लड सीजन में जो 13 लाख 50 हजार लीटर की क्षमता है उसे हम 15 लाख लीटर करेंगे। घाटे के जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ हमने जांच दे रखी है। महीने बाद सब सामने आ जायेगी बात। आपके नजदीकी आदमी मुरादाबाद में है आप उनसे पूछें मंत्री जी कैसे आदमी हैं वह बता दें कि कितनी कार्यवाही हुई है। जो सेम्पुल का अधिकार है वह हमने विभाग में देने के लिए आवेदन किया है। हमने कहा सारी डेयरियां जो घाटे में हैं मार्च तक घाटा दूर करें। आपसे निवेदन है कि यह कट मोशन प्रस्ताव वापस ले लें।

श्री अधिष्ठाता–

आप अपना कटौती का प्रस्ताव वापस ले रहे हैं सौलत अली जी ?

श्री सौलत अली एडवोकेट–

मंत्री जी ने जांच पर जोर दिया है कार्यवाही पर नहीं, मैं अपने कटौती के प्रस्ताव पर बल देता हूं।

श्री अधिष्ठाता–

अब मैं प्रश्न उपस्थित कर रहा हूं।

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या–16 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (दुग्धशाला विकास) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या–16 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (दुग्धशाला विकास) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये 8,60,17,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

वित्तीय वर्ष 1999-2000 के आय-व्ययक की अनुदानों की मांगों पर चर्चा एवं मतदान-अनुदान संख्या–12 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (भूमि विकास एवं जल संसाधन)

क्षेत्रीय विकास एवं परती भूमि विकास मंत्री (श्री मण्डलेश्वर सिंह)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या–12 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (भूमि विकास एवं जल संसाधन) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये 63,59,46,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

मान्यवर, इस विभाग में मुख्य रूप से 3 कार्यक्रम चलाये जा रहे हैं । पहला समादेश क्षेत्र विकास कार्यक्रम, दूसरा सूखोन्मुख क्षेत्र विकास कार्यक्रम और तीसरा एकीकृत बंजर भूमि विकास कार्यक्रम । समादेश क्षेत्र विकास कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य वृहत एवं मध्यम सिंचाई परियोजनाओं द्वारा सृजित सिंचन क्षमता का वैज्ञानिक ढंग से पूर्ण रूप से उपयोग सुनिश्चित करके कृषि उत्पादकता एवं उत्पादन में वृद्धि करना है समादेश क्षेत्र विकास कार्यक्रम 50-50 के अनुपात में राज्य एवं केन्द्र सरकार द्वारा वित्त पोषित है । इसके अन्तर्गत तीन समादेश हैं शारदा सहायक समादेश प्राधिकारी, रामगंगा समादेश प्राधिकारी और गंडक समादेश प्राधिकारी, जो 90-91 में समाप्त कर दिया गया है । शेष दो शारदा सहायक समादेश प्राधिकारी एवं रामगंगा समादेश प्राधिकारी आज भी कार्य कर रहे हैं । शारदा सहायक प्राधिकारी के अन्तर्गत वर्तमान में शारदा नहर प्रणाली, सरयू कैनाल तथा सरयू पम्प कैनाल परियोजनाओं का समादेश क्षेत्र आता है । इसी प्रकार रामगंगा समादेश प्राधिकारी के अन्तर्गत पूर्वी गंगा कैनाल, पूर्वी यमुना कैनाल, जमरानी कैनाल, केन नहर प्रणाली, बेतवा एवं गुरसराय, अपर गंगा एवं मध्य गंगा कैनाल, टोंस पम्प कैनाल, बाधला पम्प कैनाल, बेलन पम्प कैनाल, अडवा पम्प कैनाल, भांखर–मड़िहान फीडर प्रणाली, धोबा पम्प नहर प्रणाली, सोन पम्प कैनाल प्रणाली तथा ज्ञानपुर पम्प नहर प्रणाली के समादेश क्षेत्र आते हैं । शारदा सहायक समादेश प्राधिकारी वर्तमान में शारदा नहर प्रणाली के जनपद नैनीताल, पीलीभीत, बरेली, शाहजहांपुर, हरदोई, खीरी, सीतापुर, लखनऊ, बाराबंकी, रायबरेली एवं उन्नाव तथा सरयू पम्प कैनाल, सरयू नहर के अन्तर्गत बहराइच जनपदों में कार्य कर रही हैं । मान्यवर, शारदा सहायक समादेश प्राधिकारी वर्तमान में शारदा नहर प्रणाली के जनपद नैनीताल, पीलीभीत, बरेली, शाहजहांपुर, हरदोई, खीरी, सीतापुर, लखनऊ, बाराबंकी, रायबरेली एवं उन्नाव जनपदों में कार्य कर रही हैं ।

श्री अधिष्ठाता–

अब आप समाप्त करें ।

श्री मण्डलेश्वर सिंह–

श्रीमन्, एक और चीज मैं बताना चाहता हूं, सूखोन्मुख क्षेत्र विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत 1998-99 में मैदानी क्षेत्र हेतु रु० 8.67 करोड़ का बजट स्वीकृत है तथा इतनी ही धनराशि भारत सरकार से भी मिलनी प्रस्तावित है ।

श्री अधिष्ठाता–

अब आप समाप्त करें ।

श्री मण्डलेश्वर सिंह–

मैं सभी माननीय सदस्यों से कहना चाहता हूं कि जो भी उनके सुझाव हों हमें दे दें, उन पर विचार कर लूंगा ।

श्री सीताराम निषाद–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या–12 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (भूमि विकास एवं जल संसाधन) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाये, कमी करने का उद्देश्य विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना है।

मान्यवर, यह बड़ा महत्वपूर्ण विभाग है, इसके द्वारा सिंचाई के जो साधन हैं, नहर प्रणाली है, उससे हर क्षेत्र को पानी पहुंचाना है और उसके लिये नाली और गूलों की व्यवस्था करना है और जो वेस्ट लैंड है, बंजर भूमि है और जो जल भराव वाली जमीन है, उसको कैसे उपजाऊ बनाया जाये, इसका कार्य है । तमाम खेतों में पानी पहुंच जाये, इसके लिये तमाम योजनायें इस विभाग की हैं, लेकिन जो काम किया जा रहा है, उसमें बड़ा भ्रष्टाचार है, जो अधिकारी हैं उनके बारे में सारा प्रदेश जानता है कि करोड़ों रुपये

का घोटाला है । मान्यवर, शारदा सहायक योजना जिन जिलों में लागू हैं उसमें पूर्वांचल के कुछ जिले छोड़ दिये गये हैं मैं मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि पूर्वान्चल के फैजाबाद, अम्बेडकरनगर आदि जिले भी जो छूट गये हैं उन्हें इसमें शामिल कर लिया जाय ताकि उनको इसका लाभ मिल सके । केवल नहरें ही सिंचाई के साधन नहीं हैं बल्कि राजकीय ट्यूबवेलों से भी सिंचाई होती है । उसमें भी गूलों के निर्माण की आवश्यकता पड़ती है । वह क्षेत्र भी इसमें शामिल कर लिये जायं । यही सुझाव देकर मैं कटौती के प्रस्ताव पर बल देता हूं ।

श्री अधिष्ठाता–

माननीय मंत्री जी आपको उत्तर भाषण में कुछ कहना नहीं है क्योंकि विस्तार से आपने बता दिया है। माननीय निषाद जी आप कटौती प्रस्ताव वापस ले रहे हैं ?

श्री सीताराम निषाद–

हमारे सुझावों को वह मान नहीं रहे हैं इसलिए मैं कटौती के प्रस्ताव पर बल देता हूं ।

श्री लालजी वर्मा–

फैजाबाद, अम्बेडकरनगर आदि को भी लाभान्वित करने की बात कही है इसको मान लें तो यह कटौती वापस ले लेगें ।

श्री मण्डलेश्वर सिंह–

उनके सुझाव पर हम विचार करेंगे ।

श्री अधिष्ठाता–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या–12 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (भूमि विकास एवं जल संसाधन) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

• प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2000 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–12 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (भूमि विकास एवं जल संसाधन) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए 63,59,46,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

जनपद बलिया में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के अन्तर्गत निर्मित इन्दिरा आवासों के आवंटन में कथित अनियमितता पर श्री राजधारी द्वारा दी गई सूचना तथा प्रदेश के विकास हेतु शासन की विकेन्द्रीकरण नीति के अन्तर्गत 10 विभागों को स्थानीय निकायों को स्थानान्तरित किये जाने से उत्पन्न स्थिति पर डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी आदि की सूचना पर, नियम 52 के अन्तर्गत निर्धारित चर्चाओं एवं प्रदेश में खाद्य पदार्थो में मिलावट की रोकथाम हेतु तथा प्रदेश में ऋण जमा धनराशि का अनुपात, रिजर्व बैंक आफ इण्डिया के निदेशानुसार अनुपालन सुनिश्चित करने एवं राज्य सरकार द्वारा बैंकों पर प्रदेश क्रेडिट कन्ट्रोल हेतु कानून बनाये जाने के विषय में डा० लक्ष्मी कान्त बाजपेयी आदि द्वारा दी गई सूचनाओं पर श्री राम औतार शाक्य की सूचना को मैंने शासन के ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत किया है ।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से एक प्रस्ताव करना चाहता हूं कि आज की कार्य-सूची में मद संख्या–12, 13, 19 एवं 20 को स्थगित कर दिया जाय ।

श्री अधिष्ठाता–

प्रश्न यह है कि आज दिनांक 16-3-99 की कार्य-सूची की मद संख्या–12, 13, 19 एवं 20 को स्थगित कर दी जायं ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

नियम 51 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अधिष्ठाता–

आज नियम 51 के अन्तर्गत कुल 27 सूचनायें प्राप्त हुयीं ।

श्री बाबूलाल की	जनपद आगरा के फतेहपुर सीकरी क्षेत्रान्तर्गत खारी नदी पर चौकोरा–मोटी चेक डैम का निर्माण कार्य शीघ्र पूरा कराये जाने के संबंध में वक्तव्य हेतु स्वीकृत हुयीं ।

निम्नलिखित मा० सदस्यों की उनके नाम के सम्मुख अंकित सूचनायें केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत हुयीं :–

डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी	पश्चिमी उत्तर प्रदेश के समग्र विकास की दृष्टि से मा० मुख्य मंत्री जी के साथ मा० विधायकों की दिनांक 5 अक्टूबर, 1998 को हुयी बैठक के निष्कर्षों पर विचार करने हेतु मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित कमेटी की रिपोर्ट की जानकारी की मांग व निर्णयों को लागू किये जाने तथा एक अरब रुपये की विकास निधि स्थापित किये जाने के संबंध में ।
श्री लालजी वर्मा	विकास खण्ड मसौधा जनपद फैजाबाद में असेवित विकास खण्ड में निजी प्रबन्ध तंत्र के अन्तर्गत डा० अम्बेडकर बालिका उ० मा० विद्यालय चांदपुर हरवंश की स्थापना हेतु भूमि उपलब्ध न कराये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में ।
श्री अजय कुमार पोइया	आयुर्वेद/यूनानी विभाग में "विशेष भर्ती" अभियान द्वारा अनुसूचित जाति एवं जनजाति के चिकित्सा अधिकारियों के बैक लांग को पूर्ण करने हेतु लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश के विज्ञापन को रद्द करने के उच्च न्यायालय के निर्णय (दिनांक 20-5-1998) के विरुद्ध शासन द्वारा उच्चतम न्यायालय में अपील न किये जाने के संबंध में ।
श्री उदय राज यादव	विधान सभा क्षेत्र पुरवा, जनपद उन्नाव के ग्राम मिर्री तथा भादिन विकास खण्ड असोहा के मध्य स्थित झील के पानी की निकासी की व्यवस्था न होने के कारण हजारों एकड़ भूमि में जल भराव रहने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में ।
श्री गोरखनाथ पाण्डेय	जनपद सोनभद्र के विकास खण्ड चतरा अन्तर्गत विभिन्न कार्यदायी संस्थाओं द्वारा विभिन्न सम्पर्क मार्गों पर कराये जा रहे विकास कार्यों की गुणवत्ता बनाये रखने तथा सरकारी धन के दुरुपयोग को रोके जाने के संबंध में ।

निम्नलिखित मा० सदस्यों की उनके नाम के सम्मुख अंकित सूचनाओं पर शासन का ध्यान आकृष्ट किया गया :–

श्री भीम प्रसाद सोनकर	जनपद अम्बेदकर नगर में जहांगीरगंज क्षेत्र अन्तर्गत अन्नापुर रामनगर में तहसील का निर्माण शीघ्र कराये जाने के संबंध में ।
श्री दीपक कुमार	जनपद उन्नाव की तहसील हसनगंज के ग्राम चमरौली में न्यायालय सहायक कलेक्ट्रेट/परगना अधिकारी, हसनगंज के कब्जा दिलाये जाने वाले आदेशों की अनुपालन सुनिश्चित न कराये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में ।
श्री राम औतार शाक्य	बौद्ध धार्मिक स्थलों पर अनाधिकृत रूप से अतिक्रमण कर साम्प्रदायिक सौहार्द नष्ट किये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में ।

श्री बाबूलाल कुरील	सरकारी राशन की दुकानों से आम जनता को वितरित की जाने वाली सामग्री में की जा रही धांधली व सरकारी मानक के अनुसार कोटेदार की वितरण व्यवस्था को सत्यापित करने वाले लोगों के फर्जी हस्ताक्षर बनाकर राशन सामग्री की काला बाजारी को संरक्षण देने में क्षेत्रीय पूर्ति निरीक्षक, उन्नाव को लाखों रुपये माहवारी वसूल किये जाने के संबंध में।
श्री मुश्ताक सोलंकी	जनपद उन्नाव की तहसील सदर में जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत अवमुक्त धनराशि से वन विभाग द्वारा सही कार्य न कराये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।
श्री शिशुपाल सिंह यादव	जनपद एटा की नगरपालिका परिषद् के अध्यक्ष द्वारा मनमानी कर शासकीय धन का दुरुपयोग किये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।
श्री रामविशुन आजाद	प्रदेश में विशेषतः जनपद गोण्डा में मनकापुर क्षेत्रान्तर्गत राज्य योजना, जिला योजना अन्तर्गत निर्मित कराये गये मार्गों/सम्पर्क मार्गों पर लेपन स्तर तक का कार्य पूरा कराये जाने के संबंध में।
श्री चन्द्रेश पासवान	जनपद गोरखपुर के पूर्व विधायक स्वर्गीय ओम प्रकाश पासवान के पुत्र श्री कमलेश पासवान की जान-माल की सुरक्षा सुनिश्चित कराये जाने के संबंध में।
श्री चन्द्रनाथ सिंह	जनपद प्रतापगढ़ में माध्यमिक शिक्षा-परिषद् द्वारा संचालित इण्टरमीडिएट परीक्षा का मान्धाता इण्टरमीडिएट कालेज के व्यक्तिगत परीक्षार्थियों का परीक्षा केन्द्र 50 कि० मी० दूर निर्धारित किये जाने के संबंध में।

इसके अतिरिक्त श्री अम्बरीष कुमार, श्री हरदेव सिंह, डा० रामबाबू हरित, श्री कृपाशंकर सिंह, श्री लालसिंह वर्मा, श्री जयवीर सिंह भदौरिया, श्री विजयपाल सिंह, श्री योगेन्द्र कुमार, श्री समरपाल सिंह, श्री रणधीर सिंह, श्री पूर्णमासी पंकज, श्रीमती माया प्रसाद और डा० धर्मज्ञ मिश्र की सूचनाओं को मैंने अस्वीकृत कर दिया है।

प्रदेश में राशन की दुकानों से शहरी क्षेत्रों में मिट्टी के तेल की आपूर्ति बन्द किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी, द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर वक्तव्य

(सदन की सहमति से वक्तव्य पढ़ा हुआ माना गया।)

संसदीय कार्य मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

[डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी, मा० सदस्य विधान सभा द्वारा नियम 51 की सूचना में खाद्य आपूर्ति विभाग द्वारा प्रदेश में शहरी क्षेत्रों में नियन्त्रित मूल्य पर मिट्टी का तेल देना बन्द करने, जो गैस उपभोक्ता हैं, उनको आपूर्ति न दिये जाने या कम दिये जाने, कुल कितने उपभोक्ता शहरी क्षेत्र में हैं तथा कितनों के पास गैस है सूची बनाकर कार्ड पर अंकित कर इसको रोकने या कम आपूर्ति करने, गैस

नोट–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

विहीन जनता के सामने संकट खड़ा होने, शहरी क्षेत्रों में मिट्टी तेल की आपूर्ति चालू रखने आदि के बिन्दु उठाये गये हैं।

2– उपरोक्त के परिप्रेक्ष्य में यह उल्लेखनीय है कि मार्च, 1998 तक उत्तर प्रदेश को भारत सरकार से सार्वजनिक वितरण के अन्तर्गत 1,26,236 कि०ली० मिट्टी के तेल का मासिक आवंटन प्राप्त हो रहा था। राज्य सरकार के विशेष प्रयासों से अप्रैल, 1998 से भारत सरकार ने प्रदेश के मिट्टी के तेल के मासिक आवंटन में लगभग 18% की वृद्धि की है और प्रदेश को अप्रैल, 1998 से 1,48,966 कि०ली० मिट्टी के तेल का मासिक आवंटन प्राप्त हो रहा है। इस वृद्धि के बाद उत्तर प्रदेश को वर्ष 1991 की जनसंख्या के आधार पर 10 कि० ग्रा० मिट्टी का तेल प्रति वर्ष प्रति कैपिटा प्राप्त हो रहा है जबकि राष्ट्रीय औसत 11.41 कि० ग्रा० है। अतः राज्य सरकार ने भारत सरकार से अनुरोध किया है कि उत्तर प्रदेश को कम से कम राष्ट्रीय औसत के अनुरूप 2,03,946 कि०ली० मिट्टी का तेल प्रतिमाह आवंटित किया जाय।

3–वर्तमान व्यवस्था में शहरी क्षेत्र के उन उपभोक्ताओं को भी जिनके पास एल० पी० जी० कनेक्शन है, राशन कार्ड पर 5 ली० मिट्टी का तेल प्रतिमाह उपलब्ध कराया जा रहा है। शहरी क्षेत्र के ऐसे उपभोक्ता जिनके पास एल०पी०जी० कनेक्शन नहीं है, उन्हें 10 ली० मिट्टी का तेल प्रतिमाह उपलब्ध कराया जा रहा है। परन्तु ग्रामीण क्षेत्र के उपभोक्ता को केवल 5 ली० मिट्टी का तेल प्रतिमाह उपलब्ध कराया जा रहा है। प्रदेश में शहरी क्षेत्र में कार्ड धारकों की संख्या 56,04,505 है इनमें से 44 लाख से अधिक ऐसे उपभोक्ता है जिनके पास एल०पी०जी० कनेक्शन है। यह उल्लेखनीय है कि नये राशन कार्ड में एक कालम निर्धारित है, जिसमें यह सूचना अंकित की गई है कि राशन कार्ड धारक के पास एल० पी० जी० गैस कनेक्शन है अथवा नहीं।

4–राज्य सरकार ने यह अनुभव किया है कि ग्रामीण क्षेत्र के उपभोक्ताओं को उनकी आवश्यकता से कम मिट्टी का तेल उपलब्ध हो रहा है। यह भी अनुभव किया गया है कि जिन उपभोक्ताओं के पास एल० पी० जी० कनेक्शन है उनकी मिट्टी के तेल की आवश्यकता ग्रामीण क्षेत्र के उपभोक्ताओं के मुकाबले काफी कम है। एल० पी० जी० कनेक्शन वाले लोग समान्यतया मिट्टी के तेल का उपयोग ईंधन तथा प्रकाश के लिए नहीं करते हैं, जबकि ग्रामीण क्षेत्र के उपभोक्ताओं को खाना पकाने तथा प्रकाश व्यवस्था दोनों के लिए ही मिट्टी तेल की आवश्यकता होती है एल०पी०जी० कनेक्शन वाले उपभोक्ताओं की आवश्यकता को पूरा करने के लिए बाजार में फ्री-सेल का सफेद रंग का मिट्टी का तेल उपलब्ध है जिस पर कोई सब्सिडी नहीं है। अतः इस श्रेणी के उपभोक्ता अपनी आवश्यकता खुले बाजार से फ्री-सेल का मिट्टी का तेल खरीद कर, कर सकते हैं। भारत सरकार द्वारा सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए जो मिट्टी का तेल उपलब्ध कराया जाता है उस पर भारी सब्सिडी दी जाती है। इसलिए यह आवश्यक है कि इस सस्ते मिट्टी के तेल को उन उपभोक्ताओं को उपलब्ध कराया जाय जिनको इसकी अधिक आवश्यकता है।

5-अतः ग्रामीण क्षेत्र के उपभोक्ताओं की आवश्यकता को देखते हुए शासन द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत ऐसे उपभोक्ताओं को मिट्टी के तेल का आवंटन समाप्त कर दिया जाय जिनके पास एल० पी० जी० कनेक्शन है तथा इससे जो मिट्टी का तेल बचेगा उसे ग्रामीण क्षेत्र के उपभोक्ताओं को उपलब्ध कराया जाय और ग्रामीण क्षेत्र के उपभोक्ताओं का मिट्टी के तेल का मासिक कोटा 5 ली० से बढ़ाकर 10 ली० प्रति माह प्रति राशन कार्ड कर दिया जाय। इस प्रकार उक्त नई व्यवस्था के लागू होने से शहरी क्षेत्र के वे उपभोक्ता प्रभावित नहीं होंगे जिनके पास एल० पी० जी० कनेक्शन नहीं है।

जनपद सन्त रविदास नगर (भदोही) के दुर्गागंज–कुढ़वाबारी मार्ग पर भदोही रजबहा पर बने सकरे पुल से आवागमन में हो रही असुविधा के सम्बन्ध में नियम 51 के अन्तर्गत श्री पूर्णमासी ''पंकज'' द्वारा दी गई सूचना पर वक्तव्य

संसदीय कार्य मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

। जनपद संत रविदास नगर (भदोही) के विधान सभा क्षेत्र भदोही में दुर्गागंज कुढ़बाबारी मार्ग का निर्माण निम्न तीन चरणों में लेपन स्तर तक किया गया है । इस मार्ग की कुल लम्बाई 6.00 कि०मी० है ।

1–शासनादेश संख्या–4397ई–23 लो० नि० अनु०–11–111ई/90, दिनांक : 7 नवम्बर, 1990 द्वारा वर्ष 1990-91 में जिला योजना के अन्तर्गत 3.78 लाख के लिये कुल 2 कि०मी० लम्बाई (प्रथम 2 कि० मी०) लेपन स्तर तक ।

2–शासनादेश सं०–4569ई–23–11–122ई/92, दिनांक : 30-11-1992 द्वारा वर्ष 1992-93 में जिला योजना के अन्तर्गत 3.76 लाख के लिये कुल 3 व 4 खड़ंजा से लेपन स्तर तक निर्माण कार्य ।

3–ग्राम्य विकास अभिकरण भदोही के पत्रांक–523/97-98/सु०रो०यो०/चेक/दिनांक : 6-8-97 द्वारा सुनिश्चित रोजगार योजना के अन्तर्गत कि०मी० 5 व 6 लेपन स्तर तक रु० 6.00 लाख के लिये 2.00 कि०मी० का निर्माण ।

उक्त मार्ग ज्ञानपुर–दुर्गागंज मार्ग के कि०मी० 22.00 से निकल कर कुढवा होते हुए बारी गांव को मिलाता है । इस मार्ग के कि०मी० 1.00 में बहुत पहले ग्रामीण अभियंत्रण सेवा द्वारा 900 मीटर लम्बाई में ईंट खड़ंजा स्तर तक मार्ग निर्मित किया गया था, जोकि पूर्णरूपेण क्षतिग्रस्त हो चुका था । मिट्टी की ऊंचाई भी काफी कम थी जिसमें वर्षा का जल 650 मीटर भाग में भर जाता था तथा आवागमन बन्द हो जाता था । इस हिस्से के बगल में भदोही रजबहा (नहर) है जिस पर लगभग 4.00 मीटर चौड़ा संकरा पुल बना है । अतः इस भाग के कि०मी० 1.00 में 650 मीटर में तटबन्ध को ऊंचा किया गया तथा पुराने ईंट का खड़ंजा जो पूर्णरूपेण क्षतिग्रस्त था को निकाल कर मार्ग को उसी संरक्षण में जैसा कि पूर्व में था निर्माण कार्य किया गया है किन्तु रजबहा के पुलिया के पास जहां पर ग्रामीण अभियंत्रण सेवा द्वारा ईट खड़ंजा के मार्ग से मोड़ निर्मित किया गया था, उस पर पासी जाति एवं कुम्हार जाति के लोगों द्वारा मकान निर्मित कर लिये जाने के कारण उक्त पूर्व निर्मित भाग को छोड़कर मार्ग का निर्माण करना पड़ा । मकान/आवास निर्मित किये जाने वालों के नाम क्रमशःराजदेव कुम्हार, सूर्यबली, टेढई, भगेलू पासी है । यह आवास लोक निर्माण विभाग द्वारा मार्ग निर्माण कार्य प्रारम्भ किये जाने से पूर्व निर्मित कर लिये गये थे । रजबहा की पुलिया के पास तीव्र मोड़ होने व पुलिया संकरी होने के कारण वाहनों के आवागमन में कठिनाई हो रही है । यह भी अवगत कराना है कि रजबहा के किनारे-किनारे अस्थाई सिनेमाघर (जो खण्डहर में तब्दील हो गया है, अब भी देखा जा सकता है), कैनाल कालोनी यागबली, पुत्र दुखहर हरिजन का आवास तथा कृषि योग्य भूमि है, जिसके कारण संरेखण में परिवर्तन करना व आसान मोड़ बनाना सम्भव नहीं था । आगणन में भूमि अध्याप्ति का कोई प्राविधान नहीं किया गया था । अंतः यह कहना कि लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों द्वारा पूर्व निर्मित मार्ग को छोड़कर पैसा हड़पने की नीयत

नोटः–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

से नहर की पटरी पकड़ाकर मार्ग निर्मित किया गया है, उचित नहीं है, क्योंकि मार्ग का अधिकांश भाग, मोड़ को छोड़कर, पूर्व निर्मित मार्ग के संरक्षण पर ही बनाया गया है । केवल मोड़ पर जहां पासी व कुम्हार जाति के लोगों द्वारा आवास निर्मित कर पूर्व निर्मित मार्ग पर कब्जा कर लिया गया है के कारण विवश होकर नहर सेवा मार्ग से सटाकर मार्ग का निर्माण किया गया है ।

इस मार्ग का निर्माण कार्य अप्रैल, 91 में प्रारम्भ हुआ था तथा मार्च, 93 में पूर्ण हुआ । इस प्रकार प्रथम 2.00 कि०मी० के निर्माण में दो वर्ष का समय लगा तथा मार्ग निर्मित हुये 6 वर्ष का समय व्यतीत हो चुका है । इससे यह स्पष्ट है कि लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों द्वारा आनन फानन में पैसा हड़पने की नीयत से सड़क की उपयोगिता नष्ट नहीं की गई है । वर्तमान में यह सड़क आज भी उपयोगी तथा ठीक दशा में है ।

यदि पुल के दोनों ओर के मोड़ को सहज मोड़ में परिवर्तित किया जायेगा तो इसके लिये इसका चौड़ीकरण आवश्यक होगा जिसके लिये अपेक्षित भूमि मिलने की सम्भावना नहीं है ।]

आगरा महानगर की सीवर समस्या के समाधान के सम्बन्ध में डा० राम बाबू हरित द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर वक्तव्य

संसदीय कार्य मंत्री (हुकुम सिंह)-

[माननीय सदस्य डा० राम बाबू हरित ने आगरा महानगर की सीवर और नालों की सफाई तथा जल भराव की निकासी की समस्या इंगित करते हुए उक्त कार्य हेतु युद्ध स्तर पर आवश्यक व्यवस्था करने की संस्तुति की है ।

2-इस संबध में निवेदन है कि आगरा नगर निगम क्षेत्र में लगभग 12.50 लाख की आबादी है । नगर निगम क्षेत्र में आगरा विकास प्राधिकरण, आगरा विकास परिषद् तथा प्राइवेट कालोनाइजर्स द्वारा 160 से भी अधिक कालोनियां बनायी गई हैं । इन कालोनियों में अधिकांश विकास के कार्य पूर्ण न हो पाने के कारण अब तक नगर निगम द्वारा अधिग्रहण नहीं की गयीं हैं ।

3-जल संस्थान आगरा द्वारा सीवर सफाई की समस्या के निराकरण हेतु प्राप्त शिकायतों पर तत्काल सफाई का कार्य किया जाता है । आगरा महानगर के पश्चिमी क्षेत्र में जल निगम की यमुना प्रदूषण नियंत्रण इकाई द्वारा मण्टोला सीवर, पचकुइयां सीवर, लोहा मण्डी सीवर की सफाई का कार्य करा दिये जाने से फ्रेण्ड्स कालोनी, साकेत कालोनी,जनकपुरी, शिवाजीनगर, सिरकीमण्डी, लोहामण्डी, भोगीपुरा आदि क्षेत्र की सीवर सफाई में अब काफी सुधार आया है ।

4-कतिपय स्थानों पर सीवर लाइनें अनधिकृत रूप से नालों में खोल दी गई हैं जिनसे उक्त सीवरों का ओवर फ्लो नालियों में बह रहा है । ऐसे स्थलों को चिन्हांकित कर दिया गया है और उन्हें बन्द करके सीवर प्रणाली सुचारु रूप से चलाये रखने के कार्य किये जा रहे हैं ।

5-नगर निगम, आगरा द्वारा ताज ट्रेपेजियम योजना के अन्तर्गत ताज ईस्ट नाला, नाला भेरों, पालीवाल पार्क नाला तथा नाला मण्टोला की सफाई एवं मरम्मत की योजना बनायी गयी है जिनका तकनीकी परीक्षण कराया जा रहा है 180 से अधिक नालों की सफाई नगर निगम, आगरा द्वारा अपने संसाधनों से करायी जा रही है । आगरा नगर की जल निकासी हेतु नालों का निर्माण एवं सफाई व्यवस्था हेतु 6.60 करोड़ की योजना बनाई गयी है जिसके सापेक्ष अब तक 2.00 करोड़ रु० की धनराशि स्वीकृत

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

की गयी है । इस प्रकार शासन द्वारा आगरा नगर की सीवर समस्या, नालों की सफाई तथा जल भराव की समस्या के समाधान हेतु तत्परता के साथ कार्यवाही की जा रही है ।]

छिबरामऊ गर्ल्स इण्टर कालेज छिबरामऊ के प्रबन्धक तथा प्रधानाध्यापिका व आर० आई० जी० एस० कानपुर द्वारा सहायक अध्यापिका श्रीमती पद्मा चतुर्वेदी के देयों के भुगतान के संबंध में मा० उच्च न्यायालय के आदेशों का अनुपालन न किये जाने विषयक श्री अजय कुमार पोइया, द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर वक्तव्य

संसदीय कार्य मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

[श्रीमती पद्मा चतुर्वेदी की जन्म तिथि 8-9-28 के अनुसार दिनांक 30-6-89 को सेवानिवृत्त किया जा चुका है । श्रीमती चतुर्वेदी द्वारा मण्डलीय बालिका विद्यालय निरीक्षिका इलाहाबाद के समक्ष अपना प्रत्यावेदन, 1969 मे हाई स्कूल उत्तीर्ण करने की प्रति तथा 1975 में निर्गत टेलरिंग डिप्लोमा की प्रति के साथ प्रस्तुत किया गया । जिसके आधार पर मं० बा० वि० नि० इलाहाबाद के अपने पत्र दिनांक 4-12-89 द्वारा दिनांक 8-9-38 जन्म तिथि के आधार पर 8-9-96 को सेवानिवृत्त किये जाने तथा अवशेष देयक के भुगतान करने के आदेश पारित किये गये । उक्त आदेश दिनांक 4-12-89 के संदर्भ में संस्था की प्रधानाचार्या ने अपने पत्र दिनांक 26-12-89 द्वारा जन्म तिथि 8-9-28 ही होने की पुष्टि की तथा उल्लेख किया गया है कि श्रीमती चतुर्वेदी द्वारा धोखा-धड़ी करके अपनी जन्म तिथि 8-9-38 करा ली गयी एवं जिसमें टेलरिंग का प्रमाण-पत्र भी बदल लिया गया है जिसमें जन्म तिथि 8-9-28 अंकित थी । प्रधानाचार्या की उपरोक्त आख्या दिनांक 26-12-89 एवं अभिलेखों के आधार पर मं० बा० वि० नि० कानपुर मण्डल ने अपने पत्र दिनांक 15-9-90 द्वारा माह अगस्त, 90 से अग्रिम आदेशों तक वेतन भुगतान रोकने के आदेश प्रदान किये तथा आवश्यक पत्रजातों की मांग की गयी, जिसकी प्रति श्रीमती चतुर्वेदी द्वारा 21-9-90 को प्राप्त की गयी । श्रीमती चतुर्वेदी द्वारा मा० उच्च न्यायालय में योजित याचिका संख्या–1196/91 में मा० उच्च न्यायालय ने दिनांक 20-8-91 को अगस्त, 90 से अग्रिम आदेशों तक वेतन भुगतान करने के आदेश प्रदान किये । जिस पर मं० बा० वि० नि० कानपुर ने पत्र दिनांक 3-6-92 द्वारा शिक्षा निदेशालय को अवगत कराया कि उनके द्वारा जांच की गयी इनकी वास्तविक जन्म तिथि 8-9-28 ही है । इस संदर्भ में मा० उच्च न्यायालय में दिनांक 12-11-91 को प्रतिशपथ पत्र एवं कन्टेम्प्ट सं०–404/92 में दिनांक 5-5-92 को अवमानना प्रतिशपथ पत्र दाखिल किया जा चुका है । अभी तक मा० न्यायालय से अन्तिम निर्णय नहीं हुआ है । प्रकरण मा० उच्च न्यायालय में विचाराधीन है ।]

श्री अधिष्ठाता--

अब हम उठते हैं कल 11 बजे (पूर्वान्ह) में फिर बैठेंगे ।

(इसके बाद सदन 10 बजकर 2 मिनट पर अगले दिन के 11 बजे तक के लिये स्थगित हो गया)

लखनऊ :
16 मार्च, 1999

प्रेम चन्द्र सक्सेना,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश ।

नोट :–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

नत्थी 'क'

(देखिए ता० प्र० सं०–1 का उत्तर पीछे पृष्ठ 11 पर)

संख्या 1/12/97–का–4-1997

प्रेषक,

सुधीर कुमार,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

समस्त प्रमुख सचिव/सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

लखनऊ, दिनांक 17 नवम्बर, 1997

विषय :–सेवानिवृत्त सरकारी सेवकों को सेवा-विस्तार/पुनर्नियुक्ति प्रदान किया जाना ।

महोदय,

कार्मिक अनुभाग–4

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या–50 भा०स०/47–का–4-93–15/95/93, दिनांक 24 जनवरी, 1994 में यह सुस्पष्ट प्राविधानित है कि केवल ऐसे विधिक एवं वैज्ञानिक पद, जहां प्रयत्न के बावजूद प्रतिस्थानी की तैनाती न हो पा रही हो और उक्त पद को जनहित/कार्यहित में भरा जाना अपरिहार्य हो, केवल वहीं अनुबन्धात्मक आधार पर अधिकतम 62 वर्ष की आयु सीमा तक, कार्मिक विभाग की पूर्व सहमति से तैनाती की जाये ।

2–सम्यक् विचारोपरान्त शासन द्वारा लिये गये निम्न निर्णयों से आपको अवगत कराने का मुझे निदेश हुआ है :–

(क) जिन कार्मिकों को सेवानिवृत्ति के उपरान्त पुनर्नियुक्ति प्रदान की गयी है, उनकी अवधि समाप्त होने पर उसे आगे न बढ़ाया जाय ।

(ख) भविष्य में उपर्युक्त प्रस्तर–1 से आच्छादित होने वाले प्रकरणों को ही कार्मिक विभाग संदर्भित किया जाय ।

3–कृपया उपर्युक्त निदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाए ।

भवदीय,
सुधीर कुमार,
सचिव ।

संख्या 1/12/97(1)–का–4–1997, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1–समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश ।
2–समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश ।
3–सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तर प्रदेश ।
4–प्रमुख सचिव, मा० मुख्य मंत्री जी ।
5–समस्त मा० मंत्रिगण, उत्तर प्रदेश ।
6–सचिव, विधान परिषद्/सभा, उत्तर प्रदेश ।
7–सचिवालय के समस्त अनुभाग ।

आज्ञा से,
के० एम० लाल,
विशेष सचिव ।

नत्थी 'ख'

(देखिये अता० प्र० सं०–18 का उत्तर पीछे पृष्ठ 31 पर)

वर्ष 1996-97 में स्वीकृत (निर्माणाधीन) प्राथमिक विद्यालयों की सूची ।

विकास खण्ड–मैनपुरी–रामनगर, बैजनाथपुर, उदयपुरा, उदयपुर, गोपालपुर, सरैया, खिरिया, पीरपुर, खीजा ।

विकास खण्ड–किशनी–खडसरिया, मढनामऊ, उमरहार, जगदीशपुर, चीकोना, अटिया, लठेगर, पदमपुर, नं० वन, कुहरा वधौनी, जखा, गडकापुर, नं० वखती, मीरपुर, कछपुरा, महमूदपुर, पहाड़पुर (सोनासी), जिजई, लालपुर, कुन्दनपुर, नं० वील, भवानीगढ़, लुकटपुर, हदीरा, अछईपुर, सकतपुर, डडीहार, कुडरिया, डिलहा, सठगवां, कुडरिया, मनिगवा, हविलिया, मनपुरा, बसंतपुर, समदपुर, बदनपुर, निदिया, किशनपुर–मुर्गिया ।

विकास खण्ड–करहल–दोस्तपुर, रमपुरा, नगलादोले, मढापुर, वनकटिया, नं० अती, नं० वरी, नं० वोझी, पृथ्वीपुर, नगलातरा, नगलाभवानी, नगला अन्ती ।

विकास खण्ड–सुल्तानगंज–नगला नया, नगला शम्भू ।

विकास खण्ड–घिरौर–नईकुड, नं० फेरती, नं० भजन, नं० आशा, लहवनखेडा, नं० कन्हई, नं० दन्नाहार, नं० मिन्नते, नं० हरिसिंह, शहीदाबाद, नं० गजेन्द्र, चितई, विल्दरा, नं० अन्ती, नं० पाल, नं० वौना, अहमदपुर, नं० वना ईधई मधुपरी ।

विकास खण्ड–बेवर–भारापुर, महानन्दपुर, भडहार, शाहजहांपुर, हुसैनपुर, नं० पति, गुलालपुर, बावपुर, जगतपुर, झण्डेपुर, बडाहार, लालापुर, नगला परम, नं० कंज, पदमनेर, कछपुरा, अपूरपुर, अहमदपुर–करूआमई, खजुइया ।

विकास खण्ड–बरनाहल–ककरं, गरिया जैन, जैतपुर, वरहिया, नं० बुखुआ (अहमदपुर) एमाहसनपुर ।

विकास खण्ड–कुरावली–वल्लभपुर, इसई सराय, अकबरपुर, झाला, रजापुर, नं० रते, सूरजपुर, राजलपुर, खिरिया, पिपलखिरिया, न० बांग, जैली, झिगरपुर, भवानीपुर, हीरापुर ।

वर्ष 97-98 में स्वीकृत (निर्माणाधीन) प्राथमिक विद्यालयों की सूची

विकास खण्ड–घिरौर–सराय उद्दैतपुर (ओझा), वि० खं० मैनपुरी–पनिहार, वि० खं० किशनी–दादीपुर, वि० खं० जागीर–लालपुर, वि० खं० बेवर–कमलपुर, वि० खं० सुल्तानगंज–के एक विद्यालय का नाम जो मा० विधायक श्री राम औतार शाक्य द्वारा नामित होना है । वि० खं० करहल–नं० पोढला (कुरौंजरातन) वि० खण्ड–बेवर–गरौरा ।

नत्थी 'ग'

(देखिये अता० प्र० सं०–109 का उत्तर पीछे पृष्ठ 63 पर)

विधान सभा के प्रथम सत्र, 1999 के चौथे मंगलवार हेतु निर्धारित श्री अब्दुल मन्नान, द्वारा पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या–109 के संबंध में जांच आख्या

1–प्रा० पा० सिरौली विकास खण्ड बेंहदर के भवन निर्माण हेतु सुनि० रोजगार योजना के अन्तर्गत स्वीकृत धनराशि में निर्गत प्रथम किश्त की धनराशि विद्यालय के रख-रखाव खाते में स्थानान्तरित की गयी । जिसमें निर्माण कार्य प्रारम्भ करने हेतु निर्माण प्रभारी एवं ग्राम प्रधान द्वारा सम्पूर्ण धनराशि रख-रखाव खाते से निकाल ली । निकाली गयी धनराशि से निर्माण कार्य प्रारम्भ न करने पर निर्माण प्रभारी का वेतन रोक दिया गया था तथा सम्पूर्ण धनराशि रख-रखाव खाते में जमा करने निर्देशित किया गया जिस पर रु० 76,000/-विद्यालय के रख-रखाव खाते में जमा कर दी गयी तथा रुपये 32,000=00 जमा न करने पर निर्माण प्रभारी एवं ग्राम प्रधान की सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी, बेंहदर द्वारा एफ०आई०आर० दर्ज करायी गयी ।

2–प्रा० पा० सिरौली के भवन निर्माण हेतु जिलाधिकारी, महोदय के आदेश दिनांक 4-7-98 के अनुसार विद्यालय हेतु चकबन्दी विभाग द्वारा पूर्व में सुरक्षित भूमि पर निर्माण कार्य प्रारम्भ कराने का निर्देश दिया गया जिस पर ग्राम प्रधान द्वारा चकबन्दी विभाग द्वारा पूर्व में सुरक्षित स्थान के अतिरिक्त अन्य स्थान प्रस्ताव देने के एवं उस पर निर्माण प्रारम्भ कराने की कार्यवाही करने के कारण निर्माण कार्य प्रारम्भ नहीं कराने दिया । इस प्रकार ग्राम प्रधान द्वारा भवन निर्माण में स्थल विवाद उत्पन्न कर दिया गया ।

3–प्रा० पा० सिरौली के भवन निर्माण हेतु पूर्व में सुरक्षित भूमि पर निर्माण कार्य प्रारम्भ न करने पर निर्माण प्रभारी को आदेश दिया गया कि वह सम्पूर्ण धनराशि जमा करें । जिस पर रु० 76,000=00 जमा कर दिया गया तथा शेष धनराशि जमा न करने पर उनके विरुद्ध एफ०आई०आर० सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी बेंहदर द्वारा करायी गयी ।

4–बिन्दु सं० 4 में उल्लिखित कथन सत्य है क्योंकि निर्माण प्रभारी एवं ग्राम प्रधान द्वारा रु० 32,000=00 जमा न करने पर उनके विरुद्ध दिनांक 10-10-98 को अपराध संख्या–135/98 धारा–406/409 आई०पी०सी० में सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी बेंहदर द्वारा रिपोर्ट दर्ज करायी गयी ।

5–बिन्दु सं० 5 में उल्लिखित विवरण इस कार्यालय से संबंधित नहीं है ।

6–बिन्दु सं० 6 चकबन्दी विभाग से संबंधित है ।

7–बिन्दु सं० 7 चकबन्दी विभाग से संबंधित है ।

8–बिन्दु सं० 8 में उल्लिखित कथन सत्य है क्योंकि ग्राम प्रधान द्वारा गाटा संख्या 158 पर निर्माण कार्य प्रारम्भ कराया गया जिस पर मुख्य विकास अधिकारी हरदोई पत्र सं० 2779/एस० टी०–मु०वि० अ०/98 दिनांक 24-10-98 के अनुसार डी०पी०ई०पी० के सहायक अभियन्ता द्वारा स्थलीय निरीक्षण किया गया जिसमें दो तरफ की दीवालों की नींव भूमि स्तर तक पूरी कर दी गयी । मुख्य विकास अधिकारी हरदोई द्वारा दिनांक 3-11-98 को प्रा० पा० सिरौली का संयुक्त निरीक्षण किया गया जिसमें चकबन्दी विभाग द्वारा वर्तमान में सुरक्षित गाटा सं० 158 को उपयुक्त पाया गया तथा वर्तमान में चकबन्दी विभाग द्वारा विद्यालय हेतु सुरक्षित गाटा सं० 158 पर हो रहा निर्माण कार्य प्रारम्भ कराने के निर्देश दिये गये । मुख्य विकास अधिकारी हरदोई के पत्रांक : 2924/एस०टी०–जांच–बेंहदर/98 दिनांक 5 नवम्बर, 1998 द्वारा चकबन्दी विभाग द्वारा वर्तमान में विद्यालय हेतु सुरक्षित गाटा सं० 158 पर निर्माण कराने के निर्देश दिये गये जिसके आधार पर गाटा सं० 158 पर निर्माण कार्य प्रारम्भ कराया गया ।

9–प्रा० पाठशाला सिरौली का भवन निर्माण कार्य मुख्य विकास अधिकारी हरदोई के निर्देशानुसार प्रारम्भ कराया गया तथा अवर अभियन्ता द्वारा निर्माण कार्य में पायी गयी कमियों को निर्माण प्रभारी से पूर्ण कराकर आगे का निर्माण कार्य प्रारम्भ कराया गया ।

10–प्राइमरी पाठशाला सिरौली का भवन निर्माण का कार्य अवर अभियन्ता द्वारा दिखायी गयी कमियों को निर्माण प्रभारी से पूर्ण कराने के उपरान्त ही निर्माण प्रारम्भ कराया गया और निर्माण कार्य अवर अभियन्ता की रिपोर्ट के आधार पर ही दो किश्तों को धनराशि निर्गत की गयी जिसमें अवर अभियन्ता की देख-रेख में निर्माण कार्य कराया गया ।

11–प्राइमरी पाठशाला सिरौली के भवन निर्माण की धनराशि जमा न करने पर एफ०आई०आर० दर्ज करायी गयी जिसमें निर्माण प्रभारी द्वारा रु० 32,000=00 की सामग्री क्रय कर लेने के कारण एफ०आई०आर० दर्ज कराने के बावजूद रख-रखाव खाते में जमा नहीं की गयी तथा विद्यालय हेतु पूर्व में क्रय की गयी सामग्री को ध्यान में रखते हुए मुख्य विकास अधिकारी महोदय के आदेशानुसार निर्माण कार्य प्रारम्भ कराया गया तथा दो किश्तों की धनराशि का उपयोग किया गया जो अवर अभियन्ता के देख-रेख में कराया गया ।

12–बिन्दु संख्या 12 चकबन्दी विभाग से संबंधित है ।

प्राइमरी पाठशाला सिरौली का भवन निर्माण मुख्य विकास अधिकारी हरदोई के संयुक्त निरीक्षण में उपयुक्त पायी विद्यालय हेतु वर्तमान में चकबन्दी विभाग द्वारा सुरक्षित भूमि पर निर्माण कार्य प्रारम्भ कराया गया । निर्माण कार्य अवर अभियन्ता की देख-रेख में निर्माण कर्ता द्वारा कराया गया तथा अवर अभियन्ता की संस्तुति के आधार पर ही निर्माण कार्य हेतु धनराशि विद्यालय के रख-रखाव खाते में स्थानान्तरित की गयी जिसका उपभोग विद्यालय के भवन निर्माण में किया गया । निर्माण कार्य में सभी कक्षा कक्षों में स्लैप अवर अभियन्ता की देख-रेख में डाल दी गयी ।

पी०एस०यू०पी० एल० 156 विधान सभा (490)–1999-813 (डी०टी०पी०) ।